Friday, 30 March, 1962

लोक-सभा
वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ६२, १९६२/१८८४ (शक)

[२७ मार्च से ३० मार्च, १९६२/६ चैत्र से ९ चैत्र, १८८४ (शक)]

2nd Lok Sabha

Preservation Unit
Fumigated
On
Parliament Library

Chamber Fumigated 18/7/73

सोलहवां सत्र, १९६२/१८८४ (शक)

(खण्ड ६२ में अंक ११ से १४ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

[द्वितीय माला, खंण्ड ६२—अंक ११ से १४—२७ से ३० मार्च, १९६२ / ६ से ९ चैत्र, १८८४ (शक)]

अंक ११—मंगलवार, २७ मार्च, १९६२ / ६ चैत्र, १८८४ शक

	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २२२, २२४, २२७ से २२९, २३१, २४२, २३२ से २३५, २४० और २३६	८१३—३३
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २२३, २२५, २२६, २३०, २३७ से २३९, २४१ और २४३ से २४६	८३३—३७
अतारांकित प्रश्न संख्या ३३६से ३७६	८३८—५७
स्थगन प्रस्ताव और विशेषाधिकार का प्रश्न —	
तेल कम्पनियों के साथ करार . . .	८५७—५९
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना —	
उद्यान विभाग के कर्मचारियों की छंटनी . .	८६०–६१
सभा पटल पर रखे गये पत्र	८६१–६२
प्राक्कलन समिति—	
एक सौ तिरेसठवां, एक सौ चौसठवां और एक सौ इक्यावनवां प्रतिवेदन।	८६२
लोक-लेखा समिति—	
बयालीसवां प्रतिवेदन . .	८६२
लाभ पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति —	
पांचवां प्रतिवेदन .	८६३
रेलवे आय-व्ययक—सामान्य चर्चा . . .	८६३—७८
लेखानुदानों की मांगें—(रेलवे) १९६२–६३ . .	८७८—८८
विनियोग (रेलवे) लेखानुदान विधेयक, १९६२ . . .	८८८–८९
पुरःस्थापित और पारित।	

विषय	पृष्ठ
अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक	८८९—९९२
विचार करने का प्रस्ताव ।	
दैनिक संक्षेपिका	८९३—९७

अंक, १२— बुधवार, २८ मार्च, १९६२ / ७ चैत्र, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या २४७, २५०, २४८, २४९, २५१, २५३, २५४, २५६ से २५८ और २६१ से २६७ . .	८९९—९२२
प्रश्नों के लिखित उत्तर —	
तारांकित प्रश्न संख्या २५२, २५५, २५९, २६० और २६८ से २७२	९२२—२५
अतारांकित प्रश्न संख्या ३७७ से ४४२ और ४४४ से ४५४ .	९२५—५८
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना— . .	
कीत्तागुडियम में कोयला खनिकों के बीच हुआ कथित झगड़ा .	९५८
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	९५९—६०
याचिका समिति . . .	९६०—६१
पन्द्रहवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश ।	
राज्य सभा से संदेश	९६१
प्राक्कलन समिति—	
एक सौ पैंसठवां और एक सौ छियासठवां प्रतिवेदन	
अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक	९६१—७१
विचार करने का प्रस्ताव ।	
खंड २ से ५ और १ ।	
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	
विमान निगम (संशोधन) विधेयक	९७१—८२
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ।	
हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	९८२—९०
भारतीय उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक . . .	९९०—९२
राज्य–सभा द्वारा पारित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ।	
खंड २ से ४ और १ ।	
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ।	
दैनिक संक्षेपिका	९९३—९९९

विषय पृष्ठ

अंक, १३—गुरुवार, २९ मार्च, १९६२ / ८ चैत्र, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७३, २७४, २७७ से २७९, २८१ से २८४, २८६
२८७,२८९, २९० और २९६—क . १००१–२३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७५, २७६, २८०, २८५, २८८, २९१ से २९६
और २९७ से २९९ . . १०२७–३२

अतारांकित प्रश्न संख्या ४५५ से ४९६ और ४९६—क . १०३३–५४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ . . १०५४

स्थगन प्रस्ताव—

भारतीय राज्य क्षेत्र पर पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा कथित बलपूर्वक कब्जा . १०५४–५५

सभा पटल पर रखे गये पत्र १०५६

हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक—

रायें . १०५६

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयिकों और संकल्पों संबंधी समिति—

कार्यवाही सारांश . . . १०५६

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति—

कार्यवाही सारांश और दूसरा प्रतिवेदन . १०५६

प्राक्कलन समिति—

एक सौ तिरेपनवां, एक सौ सड़सठवां और एक सौ अड़सठवां प्रतिवेदन . १०५७

लोक लेखा समिति—

तैंतालीसवां प्रतिवेदन १०५७

सदस्य द्वारा त्याग पत्र . . १०५७

विमान निगम (संशोधन) विधेयक—

राज्य–सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . १०५७—६६, १०७२—८०

खंड २ से ८ और १ . . . . १०७२—७७

पारित करने का प्रस्ताव . . . १०७८—८०

हिन्दी साहित्य सम्मेलन विधेयक—

राज्य–सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव १०६७—७२, १०८०—९३

दैनिक संक्षेपिका . . . . . १०९४—९८

विषय	पृष्ठ
अंक १४—शुक्रवार, ३० मार्च, १९६२ / ९ चैत्र, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३०१, ३०२, ३०४ से ३११, ३१२–क ३१३ से ३१५ और ३१५–क . .	१०९९—११२२
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ से ६ .	११२३—२८
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३००, ३०३, ३१२ और ३१६ से ३२१ .	११२८—३१
अतारांकित प्रश्न संख्या ४९७ से ५२० .	११३२—४०
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . .	११४१–४२
१. गोआ के प्रशसन में कथित त्रुटियां और बेरोजगारी .	११४१–४२
२. बोनस आयोग	११४२
३. टिड्डी दल का आक्रमण . . .	११४२
४. असम के तेल क्षेत्रों में कथित हड़ताल . . .	११४२
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	११४२—४४
प्राक्कलन समिति—	
कार्यवाही सारांश	११४४–४५
राज्य–सभा से सन्देश	११४५–४६
लोह अयस्क खान श्रमिक कल्याण उपकार विधेयक पर वादविवाद के उत्तर में शुद्धि	११४६
हिन्दी साहित्य सम्मेलन	११४६–७४
राज्य–सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	११४६—७२
खंड २ से १९ और १	११७२—७४
पारित करने का प्रस्ताव	११७४
विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा समाज सेवा के बारे में संकल्प अस्वीकृत	११७४—७७
भवनों, स्कूलों आदि के नाम के बारे में संकल्प–वापस लिया गया .	११७७—८७
राष्ट्रीय एकता दिवस के बारे में संकल्प—वापस लिया गया	११८७—९८
चलचित्र उद्योग के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प वापस लिया गया .	११९८—१२०१
पिछड़ेपन की कसौटी के बारे में संकल्प .	१२०१–०२
विदाई भाषण	१२०४—०६
दैनिक संक्षेपिका	१२०७—१३
सोलहवें सत्र का कार्यवाही संक्षेप	१२१३

नोट:—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

शुक्रवार ३० मार्च, १९६२
९ चैत्र, १८८४ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

राष्ट्रमंडलीय नागरिकों के आप्रव्रजन संबंधी ब्रिटिश कानून

+

†*३०१. { **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री बी० चं० शर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ब्रिटेन में राष्ट्रमण्डलीय नागरिकों के आप्रव्रजन पर प्रतिबन्ध लगाये जाने सम्बन्धी हाल के ब्रिटिश कानून पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) जी हां ।

(ख) हमें यह आश्वासन दे दिया गया है कि यह विधेयक केवल उन्हीं राष्ट्रमंडलीय नागरिकों पर लागू होगा जो इस अधिनियम के लागू होने के बाद ब्रिटेन आयेंगे तथा विद्यार्थियों, पर्यटकों, व्यापारियों तथा उनके कुछ आश्रितों को बिना किसी कठिनाई के ब्रिटेन में आने की अनुमति होगी । केवल ऐसे लोग जो वहां पर रोजगार के लिये जायेंगे उनको रोजगार वाउचर के बिना प्रवेश की अनुमति नहीं होगी ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी :** इस विधेयक में यह भी बताया गया है कि जब यह कानून लागू हो जायेगा उस समय यदि कोई व्यक्ति जानबूझ कर ऐसे व्यक्तियों की सहायता करेगा उस पर अभियोग लगाया जायेगा और वह कठिनाई में पड़ेगा । यदि यह खण्ड उसमें रहेगा तो आप्रव्रजकों को आवास मिलने में बड़ी कठिनाई होगी । इस सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

26 (Ai) LSD—1.

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** मैं नहीं जानती कि माननीय सदस्य किस खण्ड का जिक्र कर रहे हैं ?

†**श्री विद्याचरण शुक्ल :** क्या यह विधेयक राष्ट्रमंडल के नागरिकों के वर्ण के कारण लागू किया जा रहा और गोरे लोगों पर लागू नहीं किया जा रहा है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेन :** जी नहीं ।

†**श्री प्रं० गं० देव :** क्या भारत सरकार भारत में आने वाले अंग्रेज़ नागरिकों पर भी यह प्रतिबन्ध लगायेगी ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** यह अधिनियम लागू होने के बाद तथा उसका कार्य देखने के बाद निश्चित होगा । यह सच है कि आप्रव्रजन अधिकारियों को बहुत अधिकार दिये गये हैं परन्तु जब तक हम अधिनियम का कार्य नहीं देखते हैं तब तक निश्चय नहीं कर पायेंगे । और यदि हमारे नागरिकों के साथ कोई भेदभाव किया जाता है तो सरकार माननीय सदस्य के सुझाव पर जरूर विचार करेगी ।

†**श्री साधन गुप्त :** अभी माननीय उपमंत्री ने बताया कि इस अधिनियम के द्वारा राष्ट्रमंडलीय नागरिकों के साथ भेदभाव का कोई व्यवहार नहीं होगा । जहां तक मुझे याद है कि ब्रिटिश संसद् में विवाद के समय वहां के मंत्री ने बताया था कि आयरलैंड के निवासियों पर यह लागू नहीं होगा और इस प्रकार यह बता दिया कि ब्रिटेन में आने वाले गोरों पर यह लागू नहीं होगा । क्या यह बात सच है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** संभवतया कार्य इसी प्रकार किया जाये । इस समय वह अस्वीकार करते हैं कि वर्ण भेद नहीं होगा परन्तु मैं भी समझता हूं कि कार्यरूप में इस को इसी प्रकार परिणत किया जायेगा ।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या सरकार का ध्यान १२ मार्च के मैनचैस्टर गार्डियन के सम्पादकीय की ओर दिलाया गया है कि यह विधेयक काले आप्रव्रजकों के विरुद्ध ही लागू होगा ? यदि हां, तो क्या सरकार राष्ट्रमंडल से हमारे संबंधों के विषय में पुनः विचार करेगी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं नहीं जानता कि क्या माननीय सदस्य का यह सुझाव है कि इसी कारण हम राष्ट्रमंडल को छोड़ दें । इस को छोड़ने के और बड़े कारण हो सकते हैं परन्तु यह कारण नहीं हो सकता ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी :** राष्ट्रमंडल को छोड़ने के प्रश्न के अतिरिक्त क्या सरकार ऐसा कोई उपाय सोच रही है जिससे प्रधान मंत्री के कथनानुसार इस विधान से कार्य होगा कि ब्रिटेन में काले लोग न प्रवेश कर सकें के विरोध में कोई कार्य किया जा सके ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** यह सब जो नियम बनाये जायेंगे उस पर आधारित है । विधेयक में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि यह 'काले लोगों' पर ही लागू होगा । परन्तु नियमों में ऐसी कोई व्यवस्था हो अथवा इस को इस रूप में लागू किया जाये । ब्रिटेन में जो लोग मुख्यतः आ रहे हैं वह वैस्ट इंडीज़ तथा पाकिस्तान के हैं । इस में सन्देह नहीं कि हमें इस की क्रियान्विति देखनी है तथा उचित कार्यवाही करनी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या इन लोगों के कल्याण के लिये कोई सलाहकार संस्था बनाने का सुझाव है तथा भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : कौन लोग ?

†**श्रीमती इला पाल चौधरी :** आप्रव्रजक, काले लोग जो ब्रिटेन में आयेंगे ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** उनके प्रतिनिधि उन के बारे में काम कर रहे हैं । वैस्ट इंडीज़ का उच्चायोग वहां है तथा अन्य उच्चायोग भी हैं तथा गैर सरकारी संस्थायें भी हैं । मैं समझता हूं कि उनका पर्याप्त ध्यान रखा जाता है ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी :** क्या ब्रिटेन के राजनीतिज्ञों की इस बात को हमने स्वीकार कर लिया है कि भारतीय तथा पाकिस्तानी और इसी प्रकार के "अवांछित" लोग इंग्लैंड में आ रहे हैं जब कि तथ्य यह है कि जो भारतीय वहां जा रहे हैं वह वहां के समुदाय के आर्थिक जीवन में बहुत बड़ा भाग ले रहे हैं और बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हमने ऐसी कोई बात स्वीकार नहीं की है । मैंने यही बताया था कि वहां पर भारतीय बहुत कम संख्या में गए हैं क्योंकि हमने भारतीयों को वहां जाने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया है । अन्य देशों में जाने के लिए हमने उन्हें प्रोत्साहित किया है और वहां पर वह लोग बड़ी संख्या में गए हैं । यह समस्या उनकी अधिकता के कारण उत्पन्न हुई है और किसी कारण से नहीं ।

†**श्री हेम बरूआ :** क्या सरकार को ब्रिटेन में 'गेट आउट ब्लैक्स' जैसे पोस्टरों की जानकारी है । तथा यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने ब्रिटेन का ध्यान इस ओर दिलाया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य मेरे से क्या उत्तर चाहते हैं । यह सभी बातें ठीक हैं । वहां पर सभी प्रकार के आन्दोलन अथवा दुर्व्यवहार किए जा रहे हैं । तथ्य यह है उनको रोकने के लिए उन्होंने प्रयत्न किए हैं । परन्तु इन परिस्थितियों में सरकार ने विदेशों से आने वाले लोगों को रोकने की कार्यवाही की है । इसमें विशेषतया वेस्ट इंजीज़ तथा कुछ अन्य स्थानों के लोग हैं ।

हम समझते हैं कि निश्चित रूप से इसका आधार वर्ण होगा । यद्यपि वह ऐसा नहीं कहते हैं । इस प्रकार का भेदभाव राष्ट्रमण्डल में बुरा है । परन्तु मैं क्या कर सकता हूं । यह परिस्थितियों पर निर्भर करता है ।

†**श्री त्यागी :** यह प्रतिबन्ध इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद लागू हो जायेंगे अथवा इसको भूतलक्षी प्रभाव दिया जायेगा और उन लोगों पर भी लागू किया जायेगा जो प्रवासी हो चुके हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** उपमंत्री द्वारा पढ़ा गया उत्तर एकदम स्पष्ट है । यह इस समय रहने वाले लोगों पर लागू नहीं होगा ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** यह इस समय रहने वाले लोगों पर लागू नहीं होगा । जो बाद में वहां जायेंगे यह उन पर लागू होगा तथा विद्यार्थियों आदि पर भी लागू नहीं होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री तंगामणि** : यह प्रश्न संसद के गत सत्र में भी उठाया गया था । मैं जानना चाहता हूं कि जब विधेयक का प्रकाशन हुआ था तथा जब यह मामला सरकार के सामने लाया गया था तब से सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : हमने वहां जाने वाले आप्रवासकों पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव की ओर ब्रिटेन सरकार का ध्यान दिलाया था । ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि भी भारत का दौरा कर गए हैं । हमने उनसे बातचीत की थी और हमको आश्वासन मिल गया है कि यह वर्णभेद पर आधारित नहीं है ।

गोआ कार्यवाही का विदेशी सहायता पर प्रभाव

†*३०२. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ कार्यवाही के परिणामस्वरूप भारत को विकास के लिये मिलने वाली विदेशी सहायता पर किसी प्रकार का असर पड़ा है ; और

(ख) इस देश को किन प्रतिक्रियाओं का पता लगा है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) और (ख). ऐसा समझने का का कोई कारण नहीं है कि गोआ कार्यवाही के कारण भारत को विकास के लिये मिलने वाली विदेशी सहायता पर कोई असर पड़ेगा ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या गोआ कार्यवाही के कारण 'एड इंडिया क्लब' की बैठक का निलम्बन करना पड़ा था ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इसका निलम्बन कर दिया गया था । मेरे विचार से ऐसा गोआ कार्यवाही के कारण नहीं किया गया था । इसका निलम्बन कई कारणों से किया गया था और सम्बन्धित व्यक्तियों ने हमें सलाह दी थी कि इसकी बैठक बाद में रखी जाये । हमने स्वीकार कर लिया ।

†**श्री अजराज सिंह** : क्या भारत सरकार का ध्यान गोआ कार्यवाही के बाद अमरीकी सिनेटर रसल के रिमार्क की ओर गया है कि हमारे प्रधान मंत्री बाजारी लीडर[1] और पाखण्डी[2] हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इन शब्दों को यहां क्यों दोहराया जा रहा है ?

†**श्री अजराज सिंह** : यह समाचारपत्रों में दोहराया गया है और इसलिए मैंने इस ओर भारत सरकार का ध्यान आकर्षित किया है तथा सरकार की क्या प्रतिक्रया है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इस ओर ध्यान दिलाया गया है । सिनेटर क्या कहते हैं तथा क्या नहीं कहते हैं, भारत सरकार इसको अधिक महत्व नहीं देती है ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : भाग (ख) कि "इस देश को किन-किन प्रतिक्रियाओं का पता लगा है" का उत्तर नहीं दिया गया है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्रधान मंत्री का ध्यान गोआ कार्यवाही के तुरंत बात श्री एड लाई स्टीवैन्सन क्या डीन रस्क के इन बयानों की ओर दिलाया गया है कि अमरीका भारत की सहायता उदारतापूर्वक करता रहेगा किन्तु वह

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Demagogue.

[2] Hypocrite.

यह भी चाहता है कि भारत को अच्छा व्यवहार करना चाहिए और ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जैसा उसने गोआ के साथ किया है। क्या हमने अमरीका को उनके इस सुझाव के बारे में अपनी प्रतिक्रिया भी भेज दी है?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे उस बयान की कोई जानकारी नहीं है। परन्तु यदि माननीय सदस्य को उसका स्मरण है तो संभवत: उन्होंने यह कहा हो। मैं समझता हूं कि हमने उस बयान के बारे में कुछ नहीं कहा है। परन्तु हमने अमरीका सरकार को लिखा है कि अमरीका में क्या सामान्य प्रतिक्रिया है तथा वहां पर किस प्रकार के बयान दिए जा रहे हैं।

†**श्री प्र० गं० देव** : क्या यह सच है कि अमरीका के एक उद्योगपति ने गोआ कार्यवाही के कारण उड़ीसा के मुख्य मंत्री को एक घड़ी का कारखाना खोलने का प्रस्ताव वापस ले लिया है?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं समझता हूं कि यह समाचार गलत है। मैंने भी इसको देखा है। वह एक पूछताछ थी। वह कोई कारखाना स्थापित नहीं कर रहे हैं। ऐसा मुझे संबंधित भारतीय पक्ष ने बताया है।

वस्तु-विनिमय

†*३०४. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विदेशों से वस्तु-विनिमय भारत के लिए लाभप्रद सिद्ध नहीं हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री विभूति मिश्र : क्या सरकार ने कभी किसी और देश में अपनी दिक्कतों को देखते हुए हिन्दुस्तान से कोयला या किसी और चीज का दूसरे देश के किसी सामान के साथ बार्टर करने की बात सोची है?

श्री कानूनगो : हम हमेशा बार्टर करना नहीं चाहते क्योंकि हमारी पालिसी मल्टिलैटरल ट्रेड की है। लेकिन अगर कोई जरूरत होती है तो बार्टर करते हैं और करते जायेंगे।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि अब तक हमने किन-किन देशों के साथ बार्टर ट्रेड किया है और किस-किस मात्रा में किया है?

श्री कानूनगो : इस समय जितना चालू कारोबार है वह स्विटजरलैंड, इटली, आस्ट्रिया, वेस्ट जर्मनी, स्वेडेन, ट्यूनीशिया, जोर्डन और यू० एस० एस० आर० वगैरह से है।

श्री त्यागी : क्या बर्मा का चावल नकद खरीदा जाता है?

श्री कानूनगो : बर्मा के चावल के बारे में बार्टर डील नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या अधिकांशतः वस्तु विनिमय राज्य व्यापार निगम के द्वारा होता है और यदि हां, तो उसकी शर्तें क्या हैं ?

†**श्री कानूनगो :** जी हां, शर्तों में अन्तर है । ऐसा विचार है कि गैर-सरकारी पक्षों को प्रोत्साहित नहीं किया जायेगा ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल :** यह वस्तु विनिमय हमारे देश के लिए किस प्रकार लाभ-प्रद सिद्ध हुए हैं ?

†**श्री कानूनगो :** मैं माननीय सदस्य का ध्यान रामास्वामी मुदालियर समिति की ओर दिलाऊंगा । उसमें सभी चीजें खुलासा तौर पर दी हुई हैं ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम अपने मूल्यों पर आयात की गई वस्तुओं को खरीदता तथा बेचता है जिसमें वस्तु विनिमय पर बुरा असर पड़ता है ।

†**श्री कानूनगो :** मैं ऐसा नहीं समझता हूं । परन्तु यदि माननीय सदस्य को कोई विशिष्ट जानकारी है तो हम उस पर विचार करेंगे ।

†**श्री प्र० गं० देव :** मैं जानना चाहता हूं कि क्या वस्तु विनिमय लाभप्रद सिद्ध हुए है ।

†**श्री कानूनगो :** नहीं ।

†**श्री मुरारका :** वस्तु विनिमय वार्षिक कितने मूल्य का हो जाता है ?

†**श्री कानूनगो :** वार्षिक मूल्य तो मालूम नहीं परन्तु यह लगभग ९५० लाख रुपये का हुआ है ।

श्री अ० मु० तारिक : मैं वजीर तिजारत से यह जानना चाहता हूं कि इस देश से बाहर जो बटेर और बन्दर जा रहे हैं वह भी क्या बार्टर सिस्टम में जाते हैं ।

†**श्री कानूनगो :** मैंने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है ।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि अभी माननीय मंत्री जी ने जिन देशों का नाम लिया है वहां हिन्दुस्तान से कौन-कौन सी चीजें गईं और उनके एवज में वहां से कौन-कौन सी चीजें आईं ?

श्री कानूनगो : यह बड़ी लम्बी फेहरिस्त है । अगर दूसरा क्वेश्चन दिया जाय तो मैं पूरी फेहरिस्टा दे दूंगा ।

श्री विभति मिश्र : थोड़ी सी इम्पार्टेंट चीजें तो बतला दीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने पूरा क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा सा कैसे बतलाया जा सकता है ?

†**श्री कानूनगो :** मेरे पास पूरी सूची नहीं है । उसमें काली मिर्च, चीनी, कैस्टर आयल, कपड़े की मशीन, तम्बाकू, मेहदी आदि ।

---

†मूल अंग्रेजी में

संयुक्त उपक्रमों में विदेशी पूंजी

†*३०५. **श्री अ० मु० तारिक :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के संयुक्त उपक्रमों में विदेशी पूंजी लगाने वालों को ५१ प्रतिशत शेयर अपने पास रखने की अनुमति है ;

(ख) यदि हां, तो औद्योगिक क्षेत्र को विदेशी प्रभुत्व से बचाने के लिये क्या नियंत्रण रखे गये हैं; और

(ग) क्या यह नीति १९५६ के औद्योगिक नीति-संकल्प के विपरीत है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) सरकार का विचार है कि उपक्रम पर स्वामित्व तथा प्रभावोत्पादक नियंत्रण भारतीय हाथों में हो। परन्तु उद्योग का महत्व, देश में टैक्नोलोजिकल ज्ञान की कमी आदि पर विचार करके अधिकांशत: विदेशी पूंजी लगाने की भी स्वीकृति दी जाती है। तथा यह है कि १९६१ में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत ४०२ विदेशी वित्तीय तथा प्रविधिक सहयोग समझौतों में से केवल १४ मामलों में अधिकांशत: विदेशी पूंजी लगी हुई है।

(ख) सरकार का यह विचार है कि संयुक्त उपक्रमों के कुछ मामलों में अधिकांशत: विदेशी पूंजी लगी रहने से देश के औद्योगिक क्षेत्र में विदेशी प्रभुत्व नहीं बढ़ जायेगा।

(ग) जी नहीं।

श्री अ० मु० तारिक : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह दुरुस्त है कि अभी हाल ही में मगरिबी जर्मनी की एक फर्म को जो कि हमारे लोहे के कारखाने के करीब है और जो बम्बई की एक फर्म के साथ मिल कर एक कारखाना खोल रही है, यह रियायत दी गई है कि वह ५१ फी सदी से ज्यादा हिस्से अपने पास रक्खे? अगर यह दुरुस्त है तो इसकी वजह क्या है और बम्बई की यह फर्म कौन सी है जिसके साथ यह रियायत की गई है ?

श्री मनुभाई शाह : यह सवाल इसी संसद् के सामने कुछ दिन पहले आया था। रौरकेला के पास मैसर्स लार्सेन ऐंड टैब्रो को तीन जर्मन फर्मों के साथ मिल कर ढाई साल पहले कारखाना खोलने की इजाजत दी गई थी, जिसमें तीनों फर्मों के २५-२५ परसेन्ट के हिसाब से ७५ परसेन्ट हिस्से थे और २५ परसेन्ट हिन्दुस्तानी फर्म के हिस्से थे। चूंकि इसमें ऊंची टेकनालोजी का मामला था इसलिये, जैसा कि संसद् के सामने बतलाया भी गया था, इसकी इजाजत दी गई थी।

श्री अ० मु० तारिक : चूंकी ढाई साल पहले यह रियायत दी गई थी, मैं जानना चाहता हूं कि क्या किसी किस्म से इस अर्से में कहा गया है कि उसको इस तरह से तरक्की इसमें करनी होगी ? और क्या कोई तरक्की उसने की है ?

श्री मनुभाई शाह : ढाई सालों में तो प्रोडक्शन भी शुरू नहीं हुआ। इतने बड़े काम के अन्दर ढाई साल तो कारखाना लगाने में लग जाते हैं। लेकिन हमने उनको बतलाया है, जैसा कि मैंने संसद् में भी कहा था, कि जैसे-जैसे समय बीतेगा उसके अन्दर हिन्दुस्तानियों का

---

†मूल अंग्रेजी में

पार्टिसेपेशन ज्यादा करना होगा, और जब ऐसा किया जायेगा तो रायल्टी वगैरह की जो तादाद है उसमें इजाफा शायद करने का सोचना पड़ेगा।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या यह सच नहीं है कि जिन १४ समवायों के लिए यह रियायत की गई है उनमें क्या ऐसे भी कुछ उद्योग शामिल हैं जो १९५६ के औद्योगिक नीति संकल्प में केवल भारतीयों की भागीदारी के लिए रक्षित किए गए थे ?

†**श्री मनुभाई शाह :** मैं संभवतया विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में यह ब्योरे बता चुका हूं तथा मैंने बताया था कि उत्कल निगम के अधीन उद्योगों में सिंटरिंग प्लांट, कोक ओवन इक्विपमेंट, स्टील प्लांट इक्विपमेंट, कैमिकल फर्टिलाइजर्स आदि हैं। यह सभी औद्योगिक नीति संकल्प के अधीन नहीं आते हैं।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** मैं उत्कल निगम के बारे में नहीं पूछ रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं कि इन चौदह उद्योगों में क्या कोई उद्योग ऐसा है जो रिजर्व हो।

†**श्री मनुभाई शाह :** उसमें ऐसा भी कोई शामिल नहीं हैं जो सरकारी क्षेत्र की अनुसूची के लिए रक्षित हो।

†**श्री त्यागी :** मुझे प्रसन्नता है कि माननीय मंत्री ने यह घोषणा कर दी है कि वह भारत में विदेशी पूंजी का प्रभुत्व नहीं चाहते हैं। क्या वह देश में विदेशी पूंजी विनियोजनों की राशि जानते हैं तथा यदि हां तो वह कितनी है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** रिजर्व बैंक के अन्तिम बुलेटिन के अनुसार दो वर्ष पहले के विदेशी पूंजी के आंकड़े लगभग ६००—६५० करोड़ रुपये हैं।

†**श्री साधन गुप्त :** यह छूट किन उद्योगों में दी गई हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह :** कोयला धोने का कारखाना, नलकूप, कैंपेसिटेटर्स, रेफरीजनेशन मशीनें, काग़ज बनाने की मशीनें मोटरकार, बिजली का सामान आदि।

†**श्री साधन गुप्त :** क्या यह सच नहीं है कि इन में से कुछ उद्योगों जैसे कोयला धोने का कारखाना अथवा मशीन टूल में हमारे टैकनीकल जानकार अपनी जानकारी बताते हैं क्या यदि हां, तो इन उद्योगों में विदेशी पूंजी की स्वीकृति देने के क्या कारण है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** मशीनटूल उद्योग कितने ही प्रकार का होता है। उसमें १०००० से भी अधिक श्रेणियां होती हैं। भारत में मशीनटूल की बहुत कमी है तथा हाल में ही एच एम टी के प्रस्ताव के समय मैं स्थिति स्पष्ट कर चुका हूं। हम प्रत्येक वर्ष २२—२६ करोड़ रुपये के मशीन टूल का आयात करते हैं क्या तीसरी योजनावधि के अन्त तक प्रत्येक वर्ष हमें लगभग ६० करोड़ रुपये के मशीन टूल की जरूरत होगी। इस उद्योग में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र और विदेशी पूंजी सभी में गुंजायश होगी।

†**श्री साधन गुप्त :** मैं समझता था कि यह छूट केवल उन उद्योगों को भी जिन में हमारे प्रविधिक जानकार नहीं थे तथा जिन में हमें विदेशी जानकारों पर आधारित होना पड़ता था। परन्तु कोयला धोने के कारखाने तथा मशीनटूल में हमारे पास प्रविधिक जानकार हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह** : कोयला धोने के कारखानों का मशीनटूल में हमने अभी आरम्भ किया है । देश में अभी इनका उत्पादन होना है । सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में अभी हमारी आवश्यकता ५०–६० प्रतिशत कम है ।

†**श्री बलराज सिंह** : इन १४ उद्योगों में अब तक कुल कितनी विदेशी पूंजी विनियोजित हुई है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : अभी बताना संभव नहीं है क्योंकि यह तभी मालूम हो सकता है जब यह चालू हो जाये ।

†**श्री अ० चं० गुह** : माननीय मंत्री ने रिजर्व बैंक बुलेटिन का जिक्र किया । मैं समझता हूं कि यह सर्वेक्षण पांच वर्ष पश्चात् होना है । विदेशी विनियोजन बढ़ने के कारण क्या सरकार का विचार भारत में इसका शीघ्र सर्वेक्षण करने का है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : हमने रिजर्व बैंक से ऐसा करने को कहा है ।

†**श्री त्यागी** : क्या आंकड़े पूरे नहीं किये जाते ।

†**श्री मनुभाई शाह** : ऐसा संभव नहीं है क्योंकि निर्गम पूंजी के मामलों में बहुत समय लगता है । पूंजी निर्गम हो जाने के बाद लेन-देन में दो वर्ष लग जाते हैं ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या ऐसा कोई समझौता है कि यदि हम चाहें तो उन के अंश खरीद सकते हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : ऐसा करने के लिए बातचीत की गई है । हमारी सामान्य नीति यह है कि हम शत प्रतिशत विदेशी सहायता प्राप्त समवाय न बनायें । हम जोर देते हैं कि अधिक से अधिक प्रतिशतता लगभग ६० हो तथा बहुत ही कम मामलों में इस को ७५ प्रतिशत किया जाये । हम कार्यवाही कर रहे हैं । जिस से वर्तमान विदेशी पूंजी की शतप्रतिशतता १०० प्रतिशत से ६० प्रतिशत हो जाये ।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि ये फारिन एंटर प्राइज़ जो हिन्दुस्तान में लगाए गए हैं, इन से कितना हमारा फारिन एक्सचेंज बचेगा, और दूसरी बात यह कि इन कारखानों के लगने से कितने हिन्दुस्तानियों को वहां ट्रेनिंग मिलेगी ?

श्री मनुभाई शाह : बहुत आदमियों को ट्रेनिंग मिलेगी, काफी अच्छा प्रोडक्शन होगा, दुनिया के नए नए साइन्स और टैकनालाजी के संशोधन यहां आएंगे और उस के कारण फारिन एक्सचेंज भी बहुत बचेगा ।

श्री विभूति मिश्र : कितना बचेगा ?

श्री मनुभाई शाह : यह तो हर इंडस्ट्री का अलग अलग है ।

निर्यात नियमों को सरल बनाना

†*३०६. **श्री बलराज मधोक** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जानती है कि छोटे निर्यातकर्ता निर्यात के लिये दिये गये विभिन्न प्रोत्साहन का तब तक लाभ नहीं उठा सकते हैं जब तक वे आय-कर आंकड़े पंजीयन सम्बन्धी

---

†मूल अंग्रेजी में

व्योरे आदि नहीं दिखा देते हैं और यह कि अत्यधिक कड़े नियम होने के कारण निर्यात भी नहीं कर सकते हैं। जिस के परिणामस्वरूप निर्यात पर बुरा प्रभाव पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार निर्यात को बढ़ावा देने की दृष्टि से नियमों को सरल बना देने का है?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) पहले भाग के लिये 'हां'। दूसरे भाग के लिए 'नहीं'।

(ख) बढ़ावा देने के नियम तथा प्रक्रिया पर लगातार विचार किया जा रहा है तथा सरल बनाने के सुझावों पर विचार किया जा रहा है।

†**श्री बलराज मधोक** : क्या यह सच है कि पुराने स्थापित निर्यात कर्ताओं को निर्यात के अनुमति पत्र दिए गए हैं क्या नवागन्तकों की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है ?

†**श्री कानूनगो** : यह कुछ बातों पर आधारित है। जो व्यक्ति मांग रहा है, उसकी क्षमता, उसका व्यय कर भुगतान तथा अन्य बातें। नवागन्तकों के लिए स्थान होने पर उनको रखा जा रहा है।

†**श्री विश्वनाथ शुक्ल** : क्या सरकार ने छोटे निर्यातकर्ताओं की परिभाषा कर दी है। क्या उद्योगपतियों के समान ही उन्होंने निर्यातकर्ताओं का भी छोटे, मध्यम तथा बड़े पैमाने के समान वर्गीकरण कर दिया है ?

†**श्री कानूनगो** : जी नहीं। हम १०००० रुपये के छोटे निर्यातकों को छोटा समझते हैं।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या यह सच नहीं है कि दिल्ली के आस पास डीजल इंजनों का तथा आयल एक्सपवरों का छोटे पैमाने पर निर्माण करने वाले कितने ही व्यक्ति पूर्व अफ्रीका तथा अन्य देशों को बहुत निर्यात करते हैं क्या निर्यात नियमों के कारण उस व्यापार पर बुरा असर नहीं पड़ा है?

†**श्री कानूनगो** : जी नहीं। यह धारणा नहीं है। निर्यात बहुत अधिक नहीं है। अच्छी वस्तुयें उपलब्ध हैं इसलिये निर्यात की कोई गुंजायश नहीं है। वस्तुओं का निर्यात करने वाले सभी निर्यात कर्ताओं को सुविधायें दी जाती हैं यदि उन्होंने कर दे दिए हों और विदेशी मुद्रा के ठीक लेखे दे दिये हों।

मरमागाओ बन्दरगाह

†***३०७. श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुक्ति के बाद मरमागाओ बन्दरगाह के वर्तमान लाभों तथा सुविधाओं का ठीक तरह से सर्वेक्षण कर लिया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि अन्य भारतीय बन्दरगाहों से इस बन्दरगाह में प्राकृतिक लाभ अधिक हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या मरमागाओं के लिये कोई विकास योजना बनाई गई है ?

†वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) और (ख). अभी कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया । भारत सरकार का इरादा इस से शीघ्रातिशीघ्र करवाने का है । ऐसे सर्वेक्षण में निसंदेह भारत के अन्य पत्तनों के समान मारमागाओं की सुविधाओं का तुलनात्मक अध्ययन शामिल होगा ।

(ग) इस के बारे में पत्तन प्रशासन द्वारा किये गये कुछ सुझाव विचाराधीन हैं ।

†श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या गोआ के स्वतंत्र होने से पहले, महामागाओ पत्तन के प्रशासन के लिये जो अफसर और इंजीनियर उत्तरदायी थे वे मुख्यतः पुर्तगाली राष्ट्रजन थे या गोआनी राष्ट्रजन थे ? उन में से कितने लोग अभी सेवा करने के लिये उपलब्ध हैं ?

†श्रीमती लक्ष्मी मेनन : मैं नहीं समझती कि उन में से कोई भी हमारे पास सेवा के लिये हैं। पत्तन का काम ठीकढंग से चलाने के लिये भारत के कुछ अनुभवी नौ सेना अधिकारियों की सेवाओं की जरूरत पड़ी थी ।

†श्री विद्याचरण शुल्क : पत्तन अधिकारियों ने उस पत्तन को बेहतर बनाने के लिये क्या कदम उठाये हैं या सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार किया जा रहा है ?

†श्रीमती लक्ष्मी मेनन : पिछले सप्ताह हमें पत्तन के सुधार, पत्तन क्षेत्र की गहरी खुदाई और खुदाई कर के निकाले गये सामान के उपयोग के द्वारा कृष्ण करण, पत्तन से गोंडा तक रेल पटरी के दोहरी किये जाने, दोहरी रेलवे द्वारा लाये जाने वाले यातायात को संभालने के लिये संभवतः एक अतिरिक्त मशीनी बर्थ की व्यवस्था, स्थानीय उद्योग की वृद्धि को संभालने के लिये सड़क व्यवस्था में सुधार, और मौनसून ऋतु में उत्तम बचाव की व्यवस्था, करने के लिये अतिरिक्त, जल विभाजन उपाय अथवा इसी प्रकार का रक्षात्मक काम की व्यवस्था करने के बारे में कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं ।

†श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या सरकार को विदित है कि भारत के अन्य भागों में विभिन्न पत्तन प्रशासनों की नौकरी में बहुत से गोआनी राट्रजन और जो अब कर्मचारियों की कमी के कारण गोआ में स्थानंतरित होने को उत्सुक है ? यदि वे वहां के पत्तनों पर काम करना चाहें तो क्या उनको स्थांतरित किया जाएगा ?

†श्रीमती लक्ष्मी मेनन : मैं इस का उत्तर नहीं दे सकती , क्योंकि यह नीति सम्बन्धी विषय है और जहां तक संभव हीता है सरकार की यह गीति रहती है कि उन सब गोआनियों को भारत के अन्य भागों से वापिस गोआ में ले जाया जाए, जिनकी गोआ में काम करने की जरूरत है ।

†श्री हेम बरुआ : क्या यह सही है कि मरमागाओं में लादने की गति सभी अन्तर्राष्ट्रीय मानदंडों के हिसाब से न्यूनतम है ? यदि हां, तो क्या सरकार मोटर जहाज जारी करके इस पत्तन की माल लादने की गति को आधुनिक मानदंडों के बराबर लाने का विचार करती है ?

†श्रीमती लक्ष्मी मेनन : इसी उद्देश्य से पत्तन की क्षमता बढ़ाने के लिये ये सुझाव किये गये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री रघुनाथ सिंह : क्या पत्तन का विकास करने की कोई योजना है ?

†श्रीमती लक्ष्मी मेनन : मैं पत्तन का विकास करने वाली योजनाओं को पढ़ रही थी । मैं सोचती हूं कि माननीय सदस्य सुन नहीं रहे थे ।

†श्री रघुनाथ सिंह : वहां कितनी बर्थ हैं ? क्या २०,००० टन वाले जहाज वहां ठहर सकते हैं या नहीं ?

†श्रीमती लक्ष्मी मेनन : पत्तन में अयस्क लादने के लिये तक मशीनी बर्थ हैं । इस बर्थ से जहाज में औसतन ४०० टन प्रति घंटा के हिसाब से माल लादा जाता है ।

†श्री रघुनाथ सिंह : इस बन्दरगाह की जहाज ठहरने की क्षमता क्या है ? क्या १०,००० टन है या २०,००० टन ?

†श्रीमती लक्ष्मी मेनन : मेरे पास सूचना नहीं है ।

†श्री त्यागी : क्या सरकार ने इस अत्यन्त सामरिक महत्व वाले पत्तन की नौसेना सम्बन्धी प्रतिरक्षा की व्यवस्था करने की ओर ध्यान दिया है ?

†श्रीमती लक्ष्मी मेनन : यह सर्वेक्षण पर निर्भर है । तब सरकार फैसला करेगी कि यह बड़ी पत्तन होगी या छोटी पत्तन होगी ?

केरल के तकुओं[1] का आवंटन

*३०८. { †श्री अ० क० गोपालन :
श्री कुन्हन :
श्री मे० क० कुमारन :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री पुन्नूस :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय पंच वर्षीय योजना के लिए केरल को कितने नये तकुओं का आवंटन किया गया है ;

(ख) क्या इन तकुओं के लिये लाइसेंस दे दिये गये हैं, और यदि हां, तो कितने तकुओं के लिये ;

(ग) किन को लाईसेंस दिए गए हैं ;

(घ) इसके लिये कितने आवेदन-पत्र मिले थे; और

(ङ) इनमें से कितने राज्य के अन्दर के लोगों के थे तथा कितने राज्य के बाहर के लोगों के थे ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) १५०,००० तकुए ।

(ख) अभी तक लाइसेंस जारी नहीं किये गये ।

(ग) सवाल पैदा नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Spindles.

(घ) और (ङ) १०४ प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए हैं, ३१ अन्दर से और ७३ केरल राज्य के बाहर से ।

†**श्री अ० क० गोपालन :** लाइसेंस क्यों जारी नहीं किये गये थे ?

†**श्री कानूनगो :** धीरे धीरे लाइसेंस सब राज्यों को दिये जा रहे हैं ।

†**श्री अ० क० गोपालन :** यह बताया गया है कि १०४ प्रार्थना पत्र आए थे । लाइसेंस जारी क्यों नहीं किये गये थे ?

†**अध्यक्ष महोदय :** धीरे धीरे जारी किये जा रहे हैं ।

†**श्री कानूनगो :** केवल केरल के बारे में नहीं । भारत के सभी राज्यों में लाइसेंस मांगने के प्रार्थना पत्रों का निपटारा किया जा रहा है ।

†**श्री अ० क० गोपालन :** ये लाइसेंस कब तक पूर्णतया जारी किये जा चुकेंगे ?

†**श्री कानूनगो :** कुछ सप्ताहों में ।

†**श्री वासुदेव नायर :** क्या यह सच है कि केरल सरकार ने कुछ अर्जियों की सिफारिश की है जो सब राज्य बाहर से हैं ?

†**श्री कानूनगो :** नहीं । केरल सरकार से उसकी सिफारिशें पूछी गई हैं । उन्होंने सिफारिशें भेज दी हैं जो विचाराधीन हैं ।

†**श्री पुन्नूस :** क्या उन को प्राथमिकता दी जाएगी जो राज्य के अन्दर से अर्जियां देंगे ?

†**श्री कानूनगो :** प्राथमिकता देने के मामले में राज्य सरकार की सिफारिश का महत्व होगा, यदि प्रार्थनाकर्ता की वित्तीय कामना तथा अनुभव पर्याप्त होंगे ।

†**श्री कुन्दन :** कुछ अर्जियों में से, केरल राज्य के पालघाट जिले से कितनी अर्जियां आई हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह कैसे उत्पन्न होता है ?

†**श्री कानूनगो :** १०४ अर्जियां हैं । मैं नहीं कह सकता किसी स्थान विशेष से कितनी हैं ?

†**श्री पुन्नूस :** क्या सरकार को पता है कि कुछ ऐसे आरोप हैं कि पक्षों के लिये सिफारिश करने के मामले में कोई ऐसी बातों का ध्यान रखा जा रहा है जो सर्वथा उचित नहीं हैं ?

†**श्री कानूनगो :** मुझे ऐसे आरोपों के बारे में कुछ पता नहीं ।

†**श्री अ० क० गोपालन :** क्या इन उद्योगों के स्थानों का फैसला भी राज्यों द्वारा किया जाएगा ?

†**श्री कानूनगो :** स्थानों का सुझाव उपक्रमी लोगों द्वारा किया गया है और हमें देखना यह है कि आया स्थान सुविधाजनक हैं या नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री वासुदेवन नायर :** जो मिल स्थापित किये जायेंगे, उनमें कितने लोग काम पर लगाये जाएंगे ?

†**श्री कानूनगो :** मुझे खेद है, मैं इस के बारे में नहीं कह सकता ।

मद्रास में १०० पलंगों वाला अस्पताल

†***३०९. श्री त० ब० विठ्ठल राव :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री १६ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ११७४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा मद्रास में बनाये जा रहे १०० पलंगों वाले अस्पताल के निर्माण में और आगे क्या प्रगति हुई है ;

(ख) अब तक कितनी रकम खर्च हुई है; और

(ग) यह कब तक बन कर पूरा हो जायेगा ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :** (क) और (ग) १७५ पलंगों वाले मुख्य अस्पताल की इमारत का निर्माण पूरा हो चुका है ।

(ख) २१,१८,०८४ रुपये (३१ जनवरी, १९६२ तक) ।

†**श्री त० ब० विठ्ठलराव :** माननीय मंत्री ने बताया है कि मुख्य अस्पताल का निर्माण पूरा हो चुका है । क्या इसमें रोगी लोग रखे जाने लगे हैं ?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** यह अंशतः खोला गया है, पूर्णतया नहीं ।

†**श्री त० ब० विठ्ठलराव :** क्या उपकरण के लिये आर्डर दे दिया गया है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** आर्डर दिये जा चुके हैं और माल आना आरंभ हो चुका है ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कितने अस्पताल अब तक खोले गये हैं और क्या यह सही है कि पश्चिमी बंगाल में अभी कोई अस्पताल नहीं खोला गया है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** यह हावड़ा में बनाया जा रहा है । हम कानपुर, बंगलौर और बम्बई में अस्पताल खोल चुके हैं । पश्चिम बंगाल में अस्पताल बनाया जा रहा है ।

मजूरी बोर्ड

†***३१०. श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि और मजूरी बोर्ड नियुक्त किये जाने वाले हैं; और

(ख) यदि हां, तो किन उद्योगों के लिये ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) और (ख). कोयला खनन उद्योग के लिये शीघ्र ही एक मजूरी बोर्ड नियुक्त करने का विचार है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या मा० मंत्री को पता है कि चमड़ा कमाने, चमड़ा और दूसरे उद्योगों में श्रमिकों की काम करने की हालतें भयानक हैं और क्या सरकार चमड़ा उद्योग के लिये एक मजूरी बोर्ड नियुक्त करने का विचार करती है ?

†**श्री आबिद अली :** अभी नहीं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या लोहा और इस्पात सम्बन्धी इस मजूरी बोर्ड में भारी बिजली सामान कारखाने को भी शामिल करने का अन्तिम फैसला किया गया है ?

†**श्री आबिद अली :** मैं नहीं समझता कि यह उसके अन्दर आएगा । हम केवल इस्पात मजूरी बोर्ड नियुक्त कर रहे हैं भारी उद्योग के लिये नहीं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** मैंने भारी बिजली सामान उद्योग का उल्लेख किया है ।

†**श्री काशीनाथ पांडे :** श्रम मंत्रालय के साथ हुई एक बैठक में मा० मंत्री ने आश्वासन दिया था कि बिजली उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड नियुक्त किया जाएगा । क्या इस विषय में कोई प्रगति की गई है ?

†**श्री आबिद अली :** इस आशय की प्रार्थना की गई थी किन्तु हमने अभी कोई फैसला नहीं किया और मैं नहीं समझता कि जिस के बारे में वक्तव्य दिया जा चुका है उसको छोड़ कर निकट भविष्य में हमारे द्वारा कोई मजूरी बोर्ड नियुक्त किया जाएगा ।

†**श्री मुहम्मद इलियास :** श्रम मंत्रालय की अन्तिम औपचारिक सलाहकार समिति की बैठक में हमें आश्वासन दिया गया था कि लोहा और इस्पात तथा इंजीनियरी उद्योग के लिये एक मजूरी बोर्ड होगा । अतः समूचे देश में इंजीनियरी उद्योग में जो पूरी धांधली फैल रही है, इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार कब फैसला करेगी । जैसा कि उन्होंने आश्वासन दिया था कि इंजीनियरी उद्योग के लिये एक मजूरी बोर्ड स्थापित किया जाएगा ?

†**श्री आबिद अली :** मैं बता चुका हूं कि हम कोयला खनन उद्योग के लिये एक मजूरी बोर्ड नियुक्त करने का विचार करते हैं । इस समय कोई दूसरा मजूरी बोर्ड नियुक्त करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** यह कहा गया था कि कोयला उद्योग के लिये एक मजूरी बोर्ड बनाने का निर्णय किया जा चुका है । यह कब वास्तव में बनाया जाएगा, क्योंकि एक वर्ष का समय बीत चुका है ?

†**श्री आबिद अली :** निर्णय इस उद्योग की त्रिदलीय समिति में इसी महीने की सात तारीख को किया गया था । यह उपसमिति थी । मैं समझता हूं कि चार या पांच सप्ताहों में अन्तिम घोषणा कर दी जाएगी ।

†**श्री मुहम्मद इलियास :** क्या सरकार को धातु और इंजीनियरी कर्मचारियों के राष्ट्रीय फेडरेशन की ओर से मजूरी बोर्ड के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और क्या सरकार को इंजीनियरी उद्योग के उद्योगपतियों की ओर से मजूरी बोर्ड के बारे में कोई मत प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री आबिद अली :** मैं नहीं समझता कि इस उद्योग विशेष के उद्योगपतियों की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। कर्मचारियों से हमें बहुतेरे अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं और माननीय सदस्य ने जिस अभ्यावेदन का उल्लेख किया है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता।

†**श्री साधन गुप्त :** विभिन्न उद्योगों के लिये मजूरी बोर्ड नियुक्त करने की प्राथमिकता किस सिद्धान्त के आधार पर निर्धारित की जाती है ? किसी उद्योग को दूसरे उद्योग से पहले मजूरी बोर्ड मिले इसका फैसला किस सिद्धान्त के अनुसार किया जाता है ?

†**श्री आबिद अली :** उद्योग का महत्व, इसकी वित्तीय हालत, कर्मचारियों की संख्या, उपयोगिता--जिनका मैं पहले उल्लेख कर चुका हूं--सेवा की वर्तमान शर्तें, मजूरी आदि।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** श्रमजीवी पत्रकारों के लिये मजूरी बोर्ड की नियुक्ति के सम्बन्ध में उनकी बारबार की गई प्रार्थनाओं के प्रति सरकार की आद्यतन प्रतिक्रिया क्या है ?

†**श्री आबिद अली :** मजूरी बोर्ड के फैसले, जिनके अन्तर्गत उनका विनियमन होता है अभी भी लागू हैं। वह मई में समाप्त होगा और मैं समझता हूं कि उनके लिये मजूरी बोर्ड नियुक्त करने में युक्तियुक्तता है।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** जो कर्मचारी विभिन्न समाचारपत्रों में काम कर रहे थे, क्या उन्होंने अपनी संथाओं एवं संथानों के द्वारा मजूरी बोर्ड की नियुक्ति की मांग की है और क्या उनको काम करने की शर्तों तथा मजूरी की जांच करने के लिये एक मजूरी बोर्ड या कम से कम एक समिति नियुक्त की जाएगी ?

†**श्री आबिद अली :** विभिन्न राज्यों में इन कर्मचारियों के सम्बन्ध में कुछ न्याय निर्णयन किये गये हैं। जहां कोई न्याय निर्णय नहीं हुआ, शायद उन के ऊपर न्यूनतम मजूरी लागू की गई थी। मैं नहीं समझता कि उनके लिये कोई बोर्ड नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव है; इसके लिये कोई आधार नहीं है।

†**श्री मुहम्मद इलियास :** क्योंकि सभी महत्वपूर्ण उद्योगों में मजूरी बोर्ड स्थापित करने की सरकार की नीति है और चूंकि इंजीनियरी उद्योग भी बहुत महत्वपूर्ण उद्योग है, जिसमें ५ लाख से अधिक लोग काम करते हैं, सरकार उसके लिये मजूरी बोर्ड नियुक्त करने के बारे में क्यों कोई फैसला नहीं कर रही है, जो हमारे देश के पुनर्निर्माण के लिये इतना महत्वपूर्ण है ?

†**श्री आबिद अली :** जब हम आवश्यक समझेंगे तो इस उद्योग के लिये भी एक मजूरी बोर्ड बनायेंगे।

बरेली (उत्तर प्रदेश) में कृत्रिम रबड़ तैयार करने वाला कारखाना

*३११. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बरेली (उत्तर प्रदेश) में कृत्रिम रबड़ का कारखाना स्थापित करने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) उस कारखाने में वास्तविक उत्पादन कार्य कब से प्रारम्भ हो जाने की आशा की जाती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) संयंत्र और उपकरण का काफी बड़ा हिस्सा आयात किया जा चुका है और संयंत्र के स्थान पर भेजा जा चुका है । कुछ संयंत्र स्थापित किया जा चुका है । निर्माण कार्य प्रगति पर है ।

(ख) १९६२ के अन्त तक ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, इस सम्बन्ध में पिछले लगभग तीन चार वर्षों से प्रयत्न किया जाता रहा है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस बीच में इस बारे में ऐसी क्या कोई खास अड़चन आ गई थी, जिसके कारण इतनी देर हुई है ?

श्री मनुभाई शाह : इस बारे में कोई अड़चन नहीं आई । जो प्रोग्राम बनाया गया था, उसके मुताबिक ही काम चल रहा है । हम आशा करते हैं कि अक्तूबर में ट्रायल शुरू हो जायेगा और दिसम्बर, में प्रोडक्शन शुरु हो जायेगा । तीस हजार टन की कैपेसिटी के सिन्थेटिक रबर के कारखाने में तीन साल लगे हैं और मैं समझता हूं कि दुनिया भर में इस से कम समय नहीं लग सकता ।

†**श्री पु० र० पटेल** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कम्पनी दिसम्बर में या आसपास उत्पादन आरम्भ करेगी, उत्पादन आरम्भ करने से पहले अंश जारी करने के लिये कम्पनी ने प्रीमियम क्यों लिया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : कम्पनी स्थापित होने से पहले धन जुटाना पड़ता है और संयंत्र खरीदा जा सकता है ।

†**श्री पु० र० पटेल** : मैं प्रीमियम की बात कर रहा हूं ।

†**श्री मनुभाई शाह** : इस का कारण है क्योंकि लोग सोचते हैं यह बड़ा अच्छा और लाभप्रद उपक्रम है । प्रीमियम रखा जाये इसका फैसला अंश कम्पनियों और बाजार के धंधे पर छोड़ा जाता है ।

†**श्री सुब्बय्या अम्बलम** : क्या कृत्रिम रबड़ की यद्यपि आवश्यकता का कोई अनुमान लगाया गया है और यदि हां, तो क्या ऐसे एककों की स्थापना के लिये कोई उपबन्ध करने का प्रश्न तीसरी पंचवर्षीय योजना में सरकार के विचाराधीन है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : हम यकीन करते हैं कि इस देश को इस के मोटर गाड़ी तथा रबड़ खपाने वाले अन्य विभिन्न उद्योगों के लिये रबड़ की बहुत बड़ी मात्रा में आवश्यकता जारी रहेगी । इसलिये अधिकाधिक क्षमता लगाने के लिये लगातार योजना चल रही है ।

†**श्री पुन्नूस** : इस फैक्टरी की उत्पादन क्षमता तथा अनुमानित लागत क्या है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : उत्पादन क्षमता ३०,००० टन रबड़ होगी और अनुमानित लागत १४½ करोड़ रुपये या अधिक होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत तथा चीन के प्रधान मंत्रियों की भेंट

+

†*३१२—क { श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और चीन के प्रधान मंत्रियों की भेंट कराने का कोई प्रयत्न किया गया है जिससे दोनों देशों के बीच सीमा विवाद हल हो सकें ; और

(ख) क्या बर्मा के प्रधान मंत्री ने इस मामले में कोई रुचि दिखाई है और सम्बन्धित देशों में से किसी के साथ बातचीत की है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) जी नहीं ।

(ख) भारत और चीन दोनों के मित्र के नाते, बर्मा के भूतपूर्व प्रधान मंत्री को स्वभावतः सदस्या के निपटारे में दिलचस्पी थी किन्तु जैसा कि उन्होंने पिछली जनवरी में राजगीर में स्वयं कहा था, हस्तक्षेप करने की पेशकश नहीं की थी ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : बर्मा के भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने क्या दिलचस्पी ली थी और क्या उन्होंने इस के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव का सुझाव दिया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : इस विषय में उनको दिलचस्पी थी । मैं नहीं जानता कि दिलचस्पी का क्या विशेष कारण था । उन्होंने कोई प्रस्ताव नहीं किया न हमें या और किसी को कोई प्रस्ताव भेजा ।

†**श्री हेम बरूआ** : इस तथ्य की दृष्टि से कि यथार्थता के पुराने सिद्धांत को पेश करने की बात को छोड़कर, चीन हमारे राज्य क्षेत्र पर अपने अधिकार की कोई ठोस युक्ति नहीं दे सका है । बर्मा के भूतपूर्व प्रधान मंत्री किस आधार पर बातचीत का सुझाव दे रहे थे ? बातचीत कैसे हो सकती है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : पहले तो उन्होंने कोई सुझाव नहीं दिया और इसलिये इसका कोई आधार नहीं हो सकता । दूसरे, यह संभव है कि अन्य लोगों का वह मत न हो जो मा० सदस्य का मत है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : चूंकि पदाधिकारियों के दलों द्वारा रिपोर्ट पेश की गई थी, क्या प्रगति की गई है और क्या मुलाकात की कोई गुंजाइश है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे खेद है कि कोई प्रगति नहीं हुई और उस रिपोर्ट पर विचार करने के लिये हमारी मलाकात होने की कोई गुंजाइश नहीं है ?

†**श्री हेम बरूआ** : क्या संयुक्त पदाधिकारी दलों—एक चीनी और दूसरा भारतीय—के दोनों प्रतिवेदनों में, तथ्यों के बारे में अन्तर है और यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले को मध्यस्थ निर्णय के लिये भेजने का विचार करती है, जैसा कि श्री जयप्रकाश नारायण ने सुझाव दिया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मध्यस्थ-निर्णय की कोई बात नहीं है । सभा के बाहर इसका उल्लेख था, किन्तु जहां तक मैं जानता हूं उसे मध्यस्थ निर्णय के लिये भेजने की न कोई बात थी, और न कोई प्रस्ताव ।

---

†मूल अंग्रेजी में

चाय की खपत तथा निर्यात

*३१३. **श्री विभूति मिश्र** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में चाय की खपत बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस कारण निर्यात के लिये चाय पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं हो रही है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार क्या उपाय सोच रही है कि निर्यात को बढ़ाया जाए और देश में चाय की खपत घटायी जाये ?

वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) से (ग) सभा की मेज पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

(क) भारत में चाय की खपत में अनुमानतः लगभग १५० लाख पौंड प्रति वर्ष की वृद्धि हो गई है ।

(ख) और (ग) अन्य देशों के साथ कड़ी स्पर्धा तथा देश में बढ़ती हुई खपत को देखते हुये सरकार इस बात से सहमत हो गई है कि जब तक चाय अधिक परिमाण में नहीं पैदा की जाएगी तब तक उसका निर्यात नहीं बढ़ाया जा सकेगा । इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये तीसरी योजना की अवधि के अन्त तक चाय के उत्पादन का लक्ष्य ९० करोड़ पौंड निश्चित किया गया है ।

विदेशी बाजारों को अधिक चाय भेजने का आन्दोलन जोरदार किया जा रहा है । देश के अन्दर भी चाय को बढ़ावा देने का काम बिल्कुल रोका नहीं गया है तो भी चाय बोर्ड ने उपभोक्ताओं के स्तर पर जो सीधा क्षेत्रीय काम होता था, उसे बन्द कर दिया है । देश के अन्दर जो काम होता था उसे नया रूप दे दिया गया है और बड़े-बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों की कैंटीनों के काफी लोग सलाह देने के काम में लगा दिये गये हैं ।

श्री विभूति मिश्र : इस विवरण से यह मालूम होता है कि हिन्दुस्तान में चाय की खपत १५ मिलियन पौंड है और तृतीय पंच-वर्षीय योजना के आखिर में ९०० मिलियन पौंड अधिक चाय पैदा करने की सरकार कोशिश कर रही है । मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार इस बारे में क्या कदम उठा रही है कि हिन्दुस्तान में लोग कम चाय पीयें और १५ मिलियन पौंड में से ज्यादा से ज्यादा चाय बाहर भेजी जाये, ताकि फ़ारेन एक्सचेंज प्राप्त हो ।

†**श्री कानूनगो** : हमारा विचार है कि कीमती किस्म की चाय बाहर भेजी जाये और सस्ती किस्म की चाय यहां पर इस्तेमाल हो ।

श्री विभूति मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : इतना लम्बा-चौड़ा सवाल है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री विभूति मिश्र : सवाल तो सीधा है। हिन्दुस्तान में १५ मिलियन पौंड चाय की खपत होती है और बाहरी मुद्रा की जरूरत है। हिन्दुस्तान में १५ मिलियन पौंड चाय खर्च न हो, कम खर्च हो, यहां पर राशनिंग हो, ताकि चाय बाहर भेजी जा सके, इस के लिये सरकार क्या सोच रही है ?

श्री कानूनगो : यहां पर राशनिंग करने का कोई इरादा नहीं है। राशनिंग करने से हमारा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकता है। हमारी चीज़ अच्छी हो और दाम सस्ते हों, तो हमारी चीज़ बाहर जायगी। इस बात का कोई अन्देशा नहीं है कि हम यहां पर राशनिंग करेंगे।

†**श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या यह सही है कि चाय पर निर्यात शुल्क होने के कारण अन्य देशों को हमारी चाय का निर्यात बढ़ नहीं रहा है ? यदि हां, इस की सहायता करके निर्यात के लिये १५ रुपये प्रति मन पर चीनी भेज सकते हैं, तो इस के क्या कारण हैं कि हम चाय पर से निर्यात शुल्क क्यों नहीं हटा सकते, ताकि विश्व बाजार में हम मुकाबला कर सकें ?

†**श्री कानूनगो :** हम प्रत्येक वस्तु पर शुल्क का हमेशा पुनर्विचार करते हैं और हमें संतोष है कि चाय पर लगाया गया शुल्क अब हमारे निर्यात के मार्ग में बाधक नहीं है।

श्री विभूति मिश्र : मैं यह जानना चाहता हूं कि तृतीय पंच-वर्षीय योजना के आखिर तक चाय का उत्पादन ६०० मिलियन पौंड करने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाया है ?

श्री कानूनगो : बहुत कार्यवाही की गई है और हाउस के सामने जो टी बोर्ड की एनुअल रिपोर्ट पेश की गई है, उस पर इस का सब ब्योरा दिया गया है।

†**श्रीमती इला पालचौधरी :** मा० मंत्री ने अभी कहा है कि शुल्क चाय के निर्यात के लिये बाधक नहीं। किन्तु क्या चाय बोर्ड ने यह नहीं बताया कि हमारी चाय अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मुकाबला करने में समर्थ नहीं है क्योंकि इस पर हमने भारी शुल्क लगा रखा है ?

†**श्री कानूनगो :** हां, कुछ व्यापारियों ने यह विचार व्यक्त किया है, हम इस विचार से सहमत नहीं हैं।

दिल्ली में झुग्गियां

†*३१४. **श्री बलराज मधोक :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि करौल बाग, दिल्ली के समीप 'रिज' पर सैंकड़ों झुग्गियां १४ मार्च, १९६२ को गिरा दी गई थीं ;

(ख) ये झुग्गियां कब बनाई गई थीं, और क्या उन के मालिकों को कोई नोटिस दिया गया था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि निर्वाचन के महीने में इस क्षेत्र में तथा दिल्ली के अन्य क्षेत्रों में हजारों नई झुग्गियां बन गई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार बनी नई झुग्गियों के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**निर्माण आवास और संभरण मंत्री (डा० वे० गोपाल रेड्डी)** : (क) जी हां हाल ही में बनी हुई ३२६ झुग्गियां जो करोलबाग के पास पहाड़ी पर सरकारी भूमि पर अनाधिकार से बनाई गई थी, १४ मार्च, १९६२ को भूमि और विकास अफसर द्वारा गिरा दी गई थीं ।

(ख) ये झुग्गियां, जून-जुलाई १९६० में दिल्ली प्रशासन द्वारा झुग्गियों की विशेष जनगणना करवाये जाने के पश्चात् बनाई गई थीं । २५ जनवरी, १९६२ और ६ मार्च, १९६२ को इन झुग्गियों के मालिकों को नोटिस दिये गये थे ।

(ग) जैसा ऊपर बताया गया है पहाड़ी पर ये ३२६ झुग्गियां पूर्व उल्लिखित विशेष जनगणना के पश्चात् बनाई गई थीं । यह मालूम नहीं कि क्या इन में से कोई और यदि हां तो कितनी झुग्गियां निर्वाचन के महीने में अर्थात् फरवरी १९६२ में बनाई गई थीं । निर्वाचन मास में अन्य क्षेत्रों में बनाई गई झुग्गियों की संख्या विदित नहीं है ।

(घ) सरकार ने फैसला किया है कि दिल्ली में सरकारी और सार्वजनिक भूमि पर नई झोंपड़ियां बनाने की प्रकृति को जोर से दबाने और बिना कोई वैकल्पिक स्थान दिये, प्रत्येक अनधिकारवासी को फौरन हटा देना चाहिये ।

†**श्री बलराज मधोक** : क्या इन नई झुग्गियों के निर्माण को रोकने के लिये उस समय जब ये झुग्गियां बनाई जा रही थीं, कोई चेतावनी दी गई थी या कोई कदम उठाये गये थे ?

†**डा० वे० गोपाल रेड्डी** : हम क्या चेतावनी दे सकते हैं ? वे आते हैं और सरकारी भूमि पर अनधिकार कब्जा करके बैठ जाते हैं । परन्तु इन लोगों के हटाये जाने से पहले उनको नोटिस दिये गये थे ।

†**श्री बलराज मधोक** : उन को झुग्गी बनाने से रोका जा सकता था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह मा० सदस्य का विचार है ?

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या सरकार ने यह जानने की कोशिश की है कि दिल्ली में कुल मिला कर सभी हिस्सों में कितनी ऐसी झुग्गियां हैं ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि उनमें रहने वालों को बसाने के लिये स्थायी रूप से क्या इंतजाम किया जा रहा है ?

†**डा० वे० गोपाल रेड्डी** : आधुनिकतम जनगणना के अनुसार लगभग ५०,००० लोग इन झुग्गियों में रहते हैं जो सरकारी और सार्वजनिक भूमि पर बनी हैं । इस समय २५,००० लोगों को पुनः बसाने का प्रस्ताव है ।

†**श्री ना० रा० मुनिस्वामी** : वृद्धि योजना को अन्तिम रूप देते समय जो बनाई जा रही है, क्या इस काम को ध्यान रखा जाएगा ?

†**डा० वे० गोपाल रेड्डी** : यह आशा है ।

†**श्री त्यागी** : क्या यह सही है कि इन अनधिकारवासियों में से कुछ लोगों ने, जो यमुना के समीप रिंग रोड साइड पर उनके लिये बनाये गये नये मकानों में बसाये जा चुके हैं, उन मकानों को दूसरे लोगों को किराये पर चढ़ा दिया है और पुनः झुग्गियों में आ गये हैं ?

†**डा० वे० गोपाल रेड्डी** : मैं यह सूचना मा० सदस्य से ग्रहण करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री त्यागी : सरकार उन लोगों के साथ क्या व्यवहार करने वाली है, जो जनगणना किये जाने से पूर्व अनधिकार कब्जा किये बैठे थे ? जनगणना के बाद वाले लोग हटा दिये गये हैं। जनगणना से पहले वाले लोगों का क्या होगा ?

†डा० बे० गोपाल रेड्डी : नगरपालिका आयुक्त सब संभव कार्रवाई कर रहा है। वह इन में से लोगों को जो जून-जुलाई १९६० की जनगणना से पहले वहां थे, पुनः बसाने के लिये लगभग ९०० एकड़ भूमि अधिग्रहण करने का प्रयत्न कर रहा है।

†श्री त्यागी : जो लोग जनगणना से पहले अनधिकार कब्जा किये हुये थे तथा जिन्होंने बाद में कब्जा किया था, उन के बारे में यह भेदभाव वाला बर्ताव क्यों किया जाता है ?

†डा० बे० गोपाल रेड्डी : हमें अवश्य कोई तिथि निश्चित करनी होती है। जनगणना जून-जुलाई १९६० में की गई थी। जो सब लोग उस तारीख से पहले वहां थे उन को फिर से बसाया जाएगा और जो बाद में आए उनको निकाल दिया जाएगा।

†श्री बलराज मधोक : इस तथ्य को दृष्टि से कि बहुत से लोग जिन्हें वैकल्पिक स्थान मिल जाता है, उस स्थान को बेच कर झुग्गियों में वापिस आ जाते हैं, किस प्रकार के कदम उठाये जा रहे हैं ताकि उनको भविष्य में ऐसा करने से रोका जाए ?

†डा० बे० गोपाल रेड्डी : यदि वे उस भूमि को हस्तान्तरित करेंगे तो हम इस का ध्यान रखेंगे।

†श्री त्यागी : इन लोगों को वहां बसने देने के सम्बन्ध में सरकार की जो कमजोरी है, उसके बारे में सरकार को क्या कहना है ? उन्होंने इसको सरकारी भूमि पर बसने से क्यों नहीं रोका ? जब वे बसे थे और ये झुग्गियां उन्होंने बनाई थीं तब उन्होंने क्यों अपनी आंखे बन्द रखीं ? मैं इसे समझने में असमर्थ हूं।

†डा० बे० गोपाल रेड्डी : हमारे पास इतने कर्मचारी नहीं हैं जो नगर के विभिन्न भागों से आकार सरकारी भूमि पर अनधिकार कब्जा करने वाले इन सब लोगों को रोक सकें।

†श्री त्यागी : इस का मतलब है कि सरकार का प्रशासन नहीं है।

†श्री हो० ना० मुकर्जी : समाचार पत्रों में कई दिनों तक इन झुग्गियों के निर्माण की खबरें आईं और चित्र भी प्रकाशित हुए। इन भद्दी झुग्गियों को बनने देने तथा कुछ समय पश्चात् उन को कानून के अधिकार से गिरा कर नष्ट कर देने के काम में जो बर्बरता होती है यदि उसका कोई कारण है तो वह कारण क्या है ? सरकार इस प्रकार के अत्याचार को क्यों नहीं रोक सकती, जो इन निर्धन लोगों पर किया गया, जिन्हें पता नहीं था कि

†अध्यक्ष महोदय : यही प्रश्न तीन बार पूछा जा चुका है।

†श्री स० मो० बनर्जी : मा० मंत्री द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार लगभग ५०,००० लोग इन झुग्गियों में रह रहे हैं। उन्होंने और भी कहा है कि उनको वैकल्पिक स्थान दिये जाने की संभावना है।

†अध्यक्ष महोदय : ५०,००० में से केवल २५,००० को।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री स० मो० बनर्जी : इन मकानों का किराया क्या होगा ? क्या वे गन्दी बस्तियों की सफाई योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त आवास योजना के अन्तर्गत आएंगे ?

†डा० बे० गोपाल रेड्डी : वे गन्दी बस्तियों की सफाई योजना के अन्तर्गत आएंगे ।

कोठागुडियम में रक्षा केन्द्र

†*३१५. श्री त० ब० विट्ठल राव : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोठागुडियम में स्थायी रक्षा केन्द्र का निर्माण-कार्य कब आरंभ होगा ;

(ख) इमारत की अनुमानित लागत क्या होगी ; और

(ग) इसके कब तक पूर्ण हो जाने की संभावना है ?

†श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री : (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) मार्च, १९६३ के आस-पास ।

(ख) ३·२५ लाख रुपये ।

(ग) मार्च, १९६५ के आस-पास ।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : इस रक्षा-केन्द्र के निर्माण में इतना विलम्ब क्यों हो रहा है? इस बीच प्रशिक्षण कहां दिया जायेगा ।

†श्री ल० ना० मिश्र : प्रशिक्षण झरिया में दिया जा रहा है । हम ने इमारत के निर्माण के लिये १९६२-६३ के आय-व्ययक में ३·२५ लाख रुपये का उपबन्ध किया है और हमें आशा है कि निर्माण जल्दी ही शुरू कर दिया जायेगा ।

केरल भूमि सुधार अधिनियम

†*३१५-क. { श्री अ० क० गोपालन :
श्री कुन्हन :
श्री मे० क० कुमारन }

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केरल सरकार ने भारत सरकार से कहा कि केरल भूमि सुधार अधिनियम के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय के फैसले को दृष्टि में रखते हुए संविधान में संशोधन किया जाये ?

†योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : केरल सरकार राज्य में भूमि सुधार कार्यक्रम के लिये उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिणामों पर विचार कर रही है ।

†श्री अ० क० गोपालन : क्या केरल सरकार ने भारत सरकार से संविधान में कोई संशोधन करने की प्रार्थना की है और यदि हां, तो केरल सरकार ने क्या प्रार्थना की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री श्या० नं० मिश्र : मैंने प्रश्न के उत्तर में बताया कि केरल सरकार इस समय इस विषय के सभी पहलुओं पर विचार कर रही है । उसने अभी निर्णय नहीं किया है किन्तु संभव है कि संविधान में संशोधन करना पड़े ।

†श्री अ० क० गोपालन : केरल भूमि सुधार अधिनियम पारित कर दिया गया है और रैयतवारी क्षेत्रों को छोड़ कर वह केरल भर में लागू किया जा रहा है । उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार इन क्षेत्रों के किसानों को वे अधिकार प्राप्त नहीं हैं जो उन्हें मिलने चाहियें । संविधान में संशोधन किये जाने तक इन लोगों को इस अधिनियम के अधीन सहायता देने के लिये क्या कोई कदम उठाया जायेगा ?

†श्री श्या० नं० मिश्र : केरल सरकार ने इस बीच एक अध्यादेश प्रख्यापित कर बेदखली और लगान न देने पर की जाने वाली कार्यवाही स्थगित करने की व्यवस्था कर दी है ।

†श्री अ० क० गोपालन : उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार केरल में ही नहीं वरन् अन्य राज्यों के सभी रैयतवारी क्षेत्रों के किसानों को कुछ अधिकार प्राप्त हैं। क्या सरकार रैयतवारी क्षेत्र के उन किसानों को, जिन्हें ये अधिकार प्राप्त नहीं हैं, सहायता देने के लिये कोई कदम उठायेंगी? विधेयक पारित हो जाने पर भी रैयतवारी क्षेत्रों के किसानों को अधिकार नहीं मिले हैं?

†अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य रैयतवारी क्षेत्रों के बारे में कुछ कहना चाहते हैं?

†श्री श्या० नं० मिश्र : यह अधिनियम वास्तव में रैयतवारी क्षेत्रों में नहीं लागू किया गया । माननीय सदस्य शायद यह जानना चाहते हैं कि क्या इस विषय पर विभिन्न राज्यों के भूमि सुधार विधानों को ध्यान में रखते हुए विचार किया गया है । इस विषय पर अन्य राज्यों से भी लिखापढ़ी की जा रही है ।

†श्री सूपकार : क्या केन्द्रीय सरकार ने या योजना आयोग ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप अधिनियम में आवश्यक रूपभेदों के बारे में विभिन्न राज्य सरकारों को कोई हिदायतें दी हैं?

†श्री श्या० नं० मिश्र : हमने इस सम्बन्ध में कोई राय कायम नहीं की है । हम ने राज्य सरकारों से अपनी राय देने के लिये कहा है और उनकी राय की प्रतीक्षा की जा रही है । उनकी राय प्राप्त होने पर हम अपनी राय कायम करेंगे ।

†श्री अ० क० गोपालन : इस विषय में कब तक निर्णय कर लिया जायेगा ?

†अध्यक्ष महोदय : केन्द्रीय सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा ?

†श्री अ० क० गोपालन : केन्द्रीय सरकार द्वारा ।

†श्री श्या० नं० मिश्र : शीघ्रातिशीघ्र । हमें उम्मीद है कि राज्य सरकारों के उत्तर जल्दी ही प्राप्त हो जायेंगे और उत्तर प्राप्त होते ही हम कोई निर्णय कर लेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अल्प–सूचना प्रश्न और उत्तर

खेती के ट्रेक्टरों का निर्माण

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४. श्री बर्मन** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खेती के छोटे ट्रेक्टरों के निर्माण के लिये जिन दो फर्मों को लाइसेंस दिये गये थे क्या उन्होंने वास्तव में काम शुरू कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक ट्रेक्टर की क्षमता कितनी है और उसकी क्या कीमत है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

माननीय सदस्य ने किन फर्मों का निर्देश किया है यह स्पष्ट नहीं है । किन्तु पंजाब की एक फर्म ने जर्मनी की एक फर्म के सहयोग से सितम्बर, १९६० से उत्पादन आरम्भ कर दिया है । इस फर्म द्वारा बनाये गये "आइकर" ट्रेक्टरों की कीमतें इस प्रकार हैं—१५ डीबीएचपी, १०,९५० रु० और २१.५ एच० पी० ; १२,३५० रु० ।

कलकत्ता में एक अन्य फर्म ने २.५ एच० पी० और ६ एच० पी० कल्टिवेटर और छोटे ट्रेक्टरों के नमूने तैयार किये हैं। इस फर्म को किसी विदेशी फर्म का सहयोग प्राप्त नहीं है । यह फर्म अभी इन यूनिटों का विकास कर रही है तथा यांत्रिक हल और खेती के काम आने वाले अन्य औजारों के नमूने तैयार कर रही है ।

मदरास की एक फर्म बड़े ट्रेक्टरों का निर्माण पहले से कर रही है । कुछ अन्य फर्में भी खेती के ट्रेक्टरों और अन्य औजारों के उत्पादन में रत हैं ।

†**श्री बर्मन** : विवरण में कहा गया है कि कलकत्ता की एक फर्म २.५ एच० पी० और ६ एच० पी० के कल्टिवेटर और छोटे ट्रेक्टरों के नमूने तैयार कर रही है । क्या सरकार को ज्ञात है कि नमूने को अन्तिम रूप कब तक दे दिया जायेगा और ये औजार किस कीमत पर बेचे जायेंगे ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जैसा कि मैं ने बताया है, इस फर्म ने एक देशी किस्म के कल्टिवेटर और कुछ यांत्रिक हलों के भी नमूने तैयार किये हैं । इन के परीक्षण किये जा रहे हैं और हमें आशा है कि ये दोनों नमूने उपयोगी सिद्ध होंगे । जब तक नमूने का उचित डिजाइन तैयार करके उसे स्वीकार न किया जाये और विभिन्न कच्चे माल की जांच न कर ली जाये तब तक निर्णय कर पाना कठिन है । तब जाकर इस संबंध में निर्णय किया जायेगा ।

†**श्री बर्मन** : प्रतिरक्षा मंत्री मंत्रालय ने कुछ समय पूर्व एक छोटे ट्रेक्टर और कल्टिवेटर का नमूना तैयार किया था जिसका दिल्ली में आयोजित इंजीनियरिंग प्रदर्शनी में प्रदर्शन भी किया गया था । उत्पादन के बारे में पूछने पर प्रतिरक्षा मंत्रालय ने उत्तर दिया कि जब तक उसके पास कोई आर्डर न हों तब तक वह इन औजारों का उत्पादन नहीं कर सकता । इस सम्बन्ध में आगे क्या हुआ है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह** : यह बात इस प्रश्न से उत्पन्न तो नहीं आश्वासन होती लेकिन मैं माननीय सदस्य को उत्पादन दे सकता हूं कि आयुध कारखाने और प्रतिरक्षा विभाग जो कुछ बना सकते हैं उनके उत्पादन को भी बढ़ाया जा रहा है यदि आर्डर के बारे कोई कठिनाई हो तो वह दूर की जा सकती है।

†**श्री बर्मन** : मैं ट्रैक्टर के उस नमूने के बारे में कह रहा हूं जो दिल्ली में आयोजित गत प्रदर्शनी में रखा गया है तथा इसी औजार को एक गैर-सरकारी कर्म वाणिज्य विभाग की अनुमति लेकर बना रही है इ लिये मुझे वाणिज्य विभाग से यह जानने का हक है कि क्या उसके पास कोई अग्रेतर जानकारी है और प्रतिरक्षा विभाग उसका उत्पादन करेगा या नहीं।

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं कह चुका हूं कि प्रतिरक्षा मंत्रालय उसका उत्पादन करेगा। खेती के औजारों और मशीनी चीजों की इतनी आवश्यकता है कि इनका उत्पादन एक नहीं वरन सात फर्मों द्वारा शुरू किया जायेगा मैंने विवरण यह बताया है वास्तव दो कारखाने उत्पादन कर रहे हों इसी तरह नमूना डिजाइन तथा व्यय की औपचारिकतायें, पूरी होने पर प्रतिरक्षा मंत्रालय भी उत्पादन शुरू कर देगा।

†**श्री स० चं० सामन्त** : कलकत्ता और मद्रास भी इन फर्मों के नाम क्या हैं और क्या उन्होंने सरकार से किसी प्रकार की सहायता या सुविधा की मांग की है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : कलकत्ता की फर्म का नाम इंजीनियरिंग डिवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड और मद्रास की फर्म का नाम अमलगामेटेड इंडिया है ये दोनों फर्में बढ़िया किस्म के आधुनिक कल्टिवेटर और ट्रैक्टर बनायेंगी उन्होंने कोई विशेष सहायता तो नहीं मांगी किन्तु विदेशी मुद्रा तथा अन्य प्रकार की सहायता देनी होगी। हम इस बुनियादी मसले को उच्च प्राथमिकता प्रदान करते हैं।

दिल्ली के लिये मास्टर प्लान

† **अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५. श्री बलराज मधोक**: क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झुग्गियों में रहने वाले लोगों के पुनर्वास के लिये दिल्ली के मास्टर प्लान में कितनी जमीन रखी गई है;

(ख) इस जमीन में से अब तक कितनी साफ की गई है और वह कहां स्थित है;

(ग) इस प्रकार साफ की गई जमीन पर १९६२-६३ में कितने झुग्गी परिवार बसाने का इरादा है ;

(घ) क्या यह सच है कि गत दो महीनों में दिल्ली में नई कई झुग्गियां बनाई गई हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो इन नई झुग्गियों और इन में रहने वाले लोगों के बारे में सरकार की क्या नीति है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) दिल्ली के मास्टर प्लान में झुग्गी निवासियों के पुनर्वास के लिये अलग से जमीन नहीं रखी गई है। उस में विभिन्न क्षेत्रों में जमीन का उपयोग दर्शाया गया है।

(ख) नगर निगम ने अब तक जिस २०५ एकड़ ज़मीन का कब्जा लिया है उस में से ७५–८० एकड़ ज़मीन को निम्नलिखित तीन स्थानों में साफ करने का काम पूरा होने जा रहा है :—

(१) शाहदरा में बन्ध, (२) श्रीनिवासपुरी ; और (३) रिंग रोड पर मोची बाग। रणजीतनगर खामपुर और नजफगढ़ रोड के कुछ स्थानों में ७५ एकड़ ज़मीन को साफ किया जा रहा है और शेष स्थानों के बारे में जो प्राक्कलन तैयार किये जा रहे हैं। नगर निगम और २२५ एकड़ ज़मीन अर्जित करने जा रहा है और इस ज़मीन को भी जल्दी साफ किया जायेगा।

(ग) १९६२-६३ तक लगभग १०,८०० बेघरबार परिवारों को मकान बनाने योग्य प्लाट दिये जाने की संभावना है।

(घ) दिल्ली में सरकारी, सार्वजनिक और निजी ज़मीन पर गत दो महीनों में बनाई गई झुग्गियों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(ङ) सरकार ने निर्णय किया है कि दिल्ली में सरकारी और सार्वजनिक ज़मीनों पर नई झोंपड़ियों के निर्माण को कोई प्रोत्साहन न दिया जाये और प्रत्येक बेघरबार व्यक्ति को वैकल्पिक आवास का कोई आश्वासन दिये बगैर बेदखल कर दिया जाये।

†**श्री बलराज मधोक** : निर्माण, आवास और संभरण मंत्री ने पहले बताया था कि १९६० में गणना की गई थी जिस के अनुसार उस समय ५०,००० झुग्गियां थीं। उस के बाद नई झुग्गियां बनी हैं लेकिन उन में से कुछ हजार परिवारों को ही बसाने की व्यवस्था की जा रही है। अन्य परिवारों का क्या होगा ?

†**श्री करमरकर** : यह प्रयत्न सफल हो जाने पर अन्य परिवारों को भी बसाने का प्रयत्न किया जायेगा।

†**श्री बलराज मधोक** : क्या इस प्रकार का कोई सुझाव प्राप्त हुआ है कि पुराने झुग्गी वाले अपनी झुग्गियां न बेच सकें और कहीं और नई झुग्गियां न बना लें इस के लिये झुग्गियों में रहने वाले लोगों के फोटो ले लिये जायें ताकि झुग्गियों को न बेचा जा सके और कोई नई मुसीबत न पैदा हो ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य कार्रवाई का सुझाव दे रहे हैं।

†**श्री करमरकर** : फोटोग्राफ के बारे में मुझे मालूम नहीं लेकिन यह सुझाव उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या माननीय मंत्री का ध्यान झंडेवाला में गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों की ओर गया है जो वहां बरसों से रह रहे हैं और क्या उन्हें बसाने की कोई योजना बनाई गई है ?

†**श्री करमरकर** : जी, हां। जहां तक मुझे ज्ञात है उन लोगों को, जो पहले बस गये थे, कहीं और बसने की जगह देने के लिये प्रयत्न किया जा रहा है। जैसाकि मेरे सहयोगी ने बताया, उन्हीं कहीं और जगह देने की कोशिश की जायेगी। सभी को जगह दिलाना तो संभव है। पहले इन लोगों को बसा लेने दीजिये और बाद में दूसरों के लिये प्रयत्न किया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री स० मो० बनर्जी : कुछ समय पूर्व राजघाट के निकट भीषण अग्निकांड हुआ था जिस के फलस्वरूप सैंकड़ों झुग्गियां नष्ट हो गयीं । प्रधान मंत्री तथा पुनर्वास मंत्री ने सदन में आश्वासन दिया था कि उन्हें कहीं और बसाने की व्यवस्था की जायेगी । क्या उन झुग्गीवालों को, जिन की झुग्गियां आग की लपेट में आ गई थीं, कहीं और जगह दी गयी है ?

†श्री करमरकर : मेरा ख्याल है कि उन्हें कहीं और बसने के लिये जगह दी गई है । आग लगने से यह हुआ कि लोग कहीं और बसने के लिये तैयार हो गये । जहां तक मेरी जानकारी है, उन्हें कहीं और जगह दी गयी है और वे इस व्यवस्था से सन्तुष्ट थे ।

रूरकेला इस्पात संयंत्र

\+

†अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६. { श्री वासुदेवन् नायर : श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान रूरकेला संयंत्र का काम ठप्प हो जाने के बारे में पश्चिम जर्मन दल के नेता द्वारा दिये गये वक्तव्य की ओर गया है ;

(ख) क्या सरकार उक्त कथित व्यक्ति से, कि भारतीय अधिकारियों की अदक्षता के परिणामस्वरूप संयंत्र का काम ठप्प हुआ, सहमत है ; और

(ग) यदि नहीं, तो संयंत्र का काम ठप्प हो जाने के लिये वास्तव में कौन उत्तरदायी था ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). जी, हां । लेकिन जब यह दिल्ली पहुंचा और उस के सदस्यों ने लोहा और इस्पात विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की तो उन्हों ने समाचारपत्रों में प्रकाशित वक्तव्यों के बारे में चिन्ता व्यक्त की और यह भी कहा कि स्पष्टतः अनुवाद की कठिनाइयों के फलस्वरूप समाचारों से भ्रामक आशय व्यक्त हुआ है । अन्त में दल के नेता ने मंत्रालय को सूचित किया कि वे हिन्दुस्तान स्टील की विगत वर्षों की सफलताओं से बहुत प्रभावित हुए हैं और उन की राय में रूरकेला जैसे जटिल संयंत्र को चलाने में प्रारम्भ में इस प्रकार की कठिनाईयां आम तौर पर उत्पन्न होती हैं । इस दल की विस्तृत सिफारिशें अभी सरकार को प्राप्त नहीं हुई हैं और प्राप्त होने पर सरकार द्वारा उन की परीक्षा की जायेगी ।

†श्री वासुदेवन् नायर : क्या सरकार ने अपनी ओर से इस संयंत्र के कार्य की कोई जांच की है और यदि हां, तो क्या उस के पास संयंत्र के कार्य में स्वयं सुधार करने के लिये कोई प्रस्ताव है ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : इस प्रश्न में जिस प्रकार की जांच की ओर इशारा किया गया उस तरह की जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं थी । मैं ने सदन को सूचित किया था कि स्लेबिंग मिल में कुछ गड़बड़ी पैदा हो गयी है और काम क्यों ठप्प हो गया यह जानने के लिये एक प्रविधिक दल गठित कर दिया गया है । इस दल ने कुछ सिफारिशें की हैं और मैं सभा को उन की जानकारी दे दूंगा । प्रगति की प्रक्रिया निरन्तर है और अब रूरकेला में भी उत्पादन धीरे-धीरे बढ़ रहा है ।

†श्री नाथ पाई : मंत्री महोदय ने जो स्पष्टीकरण दिया उसे स्वीकार करना कठिन है । बताया जाता है कि जर्मन दल के प्रवक्ता ने साफ-साफ कहा कि हम कोई मकान बना कर उसे किसी व्यक्ति को सौंप देते हैं । यदि वह उस का ठीक ढंग से इन्तजाम न कर पाये तो इस के लिये वही जिम्मेदार है । जर्मन विशेषज्ञों ने संयंत्र का काम ठप्प हो जाने का सारा दोष हिन्दुस्तान स्टील के सर मढ़ा है । इस में क्या सचाई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : हो सकता है कि माननीय सदस्य की राय में ऐसा हुआ हो। किन्तु जिस व्यक्ति द्वारा यह वक्तव्य दिये जाने की बात कही गई थी उस ने साफ-साफ कह दिया कि उसने वह वक्तव्य नहीं दिया। मेरा ख्याल है उस पर यह वक्तव्य, जो उसने दिया ही नहीं, देने का आरोप लगाने के बजाय उस का स्पष्टीकरण स्वीकार करना ज्यादा अच्छा होगा।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : यह अत्यन्त गंभीर मामला है। आप की अनुमति से मैं पी० टी० आई० द्वारा प्रकाशित समाचार पढ़े देता हूं। यदि यह प्रश्न न पूछा गया होता तो सरकार ने इस के बारे हैं देश को अनभिज्ञ रखा होता . . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : किसी ने आपत्ति नहीं की . . . .

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं . . . . .

†**अध्यक्ष महोदय**: शान्ति, शान्ति। जब मैं कुछ कह रहा हूं तो माननीय सदस्य बीच में क्यों बोलते हैं ?

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : श्रीमन्, मुझे खेद है कि मैं ने आप के भाषण में बाधा डाली।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह एक अल्प-सूचना प्रश्न है जो कुछ बातों को स्पष्ट करने के लिये ग्रहीत किया गया है। माननीय सदस्य और श्री नाथ पाई ने एक-एक प्रश्न पूछा है। माननीय मंत्री ने स्पष्ट वक्तव्य दे दिया है। उस के सम्बन्ध में बार-बार पूछने का क्या मतलब है ?

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : श्रीमन, मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने उस समाचार का खंडन क्यों नहीं किया है ? वह समाचार देश भर में प्रकाशित हुआ था।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री ने कहा ह कि जर्मन दल के नेता ने अपने वक्तव्य में संशोधन किया या यह कहा कि उस ने ऐसा वक्तव्य नहीं दिया तो जो वक्तव्य बाद में दिया गया वह प्रकाशित क्यों नहीं किया गया ?

†**श्री मुरारका** : वक्तव्य प्रकाशित हुआ था।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : अध्यक्ष महोदय, यह वक्तव्य भी प्रकाशित हुआ है। हमारा देश स्वतंत्र है और देश के समाचारपत्रों को समाचारों के चयन की पूर्ण स्वतंत्रता होने से यह जो बाद का वक्तव्य है उसे एक समाचार होने के बावजूद पहले वक्तव्य जैसा महत्व देकर प्रकाशित नहीं किया गया। इस दल के दिल्ली आगमन के पश्चात् एक टिप्पण जारी किया गया था जो कुछ समाचारपत्रों में छपा था ?

†**श्री साधन गुप्त** : सरकार की राय में संयंत्र का काम ठप्प क्यों हुआ और क्या यह प्रारंभिक कठिनाई भारतीय थी या जर्मन ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : प्रारम्भिक कठिनाई संयंत्र की थी। उस की कोई राष्ट्रीयता नहीं होती।

†**श्री मुरारका** : यह प्रारम्भिक कठिनाई इसी संयंत्र में क्यों उत्पन्न हुई और क्या भिलाई इस्पात संयंत्र इस संयंत्र जितना जटिल नहीं जो उस में ऐसी कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं हुई ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मेरा ख्याल है कि हम विभिन्न संयंत्रों के कार्य की तुलना कर रहे हैं। किन्तु मैं यह बात स्पष्ट कर चुका हूं। रूरकेला इस्पात संयंत्र चादरों जैसी वस्तुएं तैयार करता है जबकि ऐसी वस्तुएं बनाने वाली रोलिंग मिलें अधिक जटिल होती हैं।

†**श्री नाथ पाई** : इस प्रकार की कठिनाइयां प्रारंभ में उत्पन्न होती हैं किन्तु रूरकेला में ये कठिनाइयां चली आ रही हैं। ये तथाकथित प्रारंभिक कठिनाइयां कब तक दूर होने की संभावना है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : यह तो मैं बता चुका हूं कि इनमें से अधिकांश कठिनाइयों को दूर किया जा रहा है और मुझे आशा है कि चालू वर्ष में उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि होगी।

†**श्री नरसिंहन्** : मंत्रालय ने जो प्रविधिक समिति नियुक्त की है क्या उसका प्रतिवेदन भी संसद् के समक्ष रखा जायेगा ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मुझे प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखने में कोई आपत्ति नहीं है। या जो माननीय सदस्य प्रतिवेदन की प्रति प्राप्त करना चाहें वे मुझे लिख दें और मैं उन्हें प्रतिवेदन भिजवा दूंगा।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या प्रारंभिक कठिनाइयां केवल रूरकेला इस्पात संयंत्र में उपस्थित हुई हैं ? अन्य संयंत्रों में ये कठिनाइयां क्यों नहीं हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न श्री मुरारका भी पूछ चुके हैं।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या रूरकेला इस्पात संयंत्र में जर्मन अधिकारियों की संख्या बढ़ी है ? दो साल पहले उनकी संख्या कितनी थी और अब कितनी है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : यह प्रश्न अल्प-सूचना देकर पूछा गया था और वह जर्मन दल के नेता द्वारा दिये गये कथित वक्तव्य से सम्बन्धित था। मैंने इस प्रश्न का उत्तर देना स्वीकार कर लिया किन्तु इस संयंत्र के बारे में मैं सभी जानकारी और विशेषकर आंकड़े देने में असमर्थ हूं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

गोआ में लोहे का निक्षेप

†*३००. { **श्री प्र० चं० बरुआ** :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोआ की मुक्ति के परिणामस्वरूप लोहे के कितने खनिज निक्षेप भारत को मिले हैं ;

(ख) क्या खनिज भंडारों की अधिक उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इस्पात के उत्पादन के लिये तृतीय पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य पुनरीक्षित किये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो ये किस हद तक पुनरीक्षित किये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन): (क) से (ग). ओग्रा में लोहे के निक्षेप के कोई विश्वस्त आंकड़े उपलब्ध नहीं है। प्राक्कलन ६ करोड़ टन से २५ करोड़ टन के हैं। भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण अधिक ठीक प्राक्कलन प्राप्त करने के लिए हाल ही में एक सर्वेक्षण करेगा। फिर भी, ये अयस्क-निक्षेप भारत के कुल निक्षेपों का बहुत थोड़ा अंश है। अतः इस्पात के उत्पादन का तीसरी योजना में लक्ष्य को बदलने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

त्रिपुरा में बेरोजगारी तथा अल्प रोजगार

†*३०३. श्री बांगश्री ठाकुर : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा में बेरोजगारी तथा अल्प रोजगार की समस्या विकट है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस समस्या को हल करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) हमें कोई विशेष बात मालूम नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

गोआ में खनिज

†*३१२. श्री दी० चं० शर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोआ में खनिजों के सर्वेक्षण में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) उसका ब्यौरा क्या है ?

†वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) और (ख). भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण का विचार गोआ में खनिज-निक्षेपों का प्रावक्षेण सर्वेक्षण करने के लिए हाल में वहां एक अधिकारी भेजने का है ।

उत्तर प्रदेश में उर्वरक का कारखाना

*३१६. श्री भक्त दर्शन : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में उर्वरक का कारखाना स्थापित करने के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो): उर्वरक निगम और जापानी कन्सर्टियम के बीच तरीके और डिजाइन के बारे में बातचीत पूरी हो चुकी है। संयंत्र और उपकरण के संभरण के लिये कन्सर्टियम की ओर से मूल्य आदि की सूचना अगले दो महीनों में मिल जाने की आशा है।

इंगलिस्तान को चाय का निर्यात

†*३१७. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९६१ में इंगलिस्तान को भारतीय चाय का निर्यात बढ़ा ;

(ख) यदि हां, तो १९६१ में जितनी भारतीय चाय का निर्यात उस देश को किया गया वह १९६० में किये गये चाय के निर्यात की तुलना में कैसा है ; और

(ग) १९६१ में इंगलिस्तान में चाय के कुल आयात में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). वर्ष १९६१ में ब्रिटेन को १२.३ करोड़ क्लोग्राम भारतीय चाय का निर्यात किया गया जब कि १९६० में १२.२ करोड़ क्लोग्राम का निर्यात किया गया था ।

(ग) ५.६८ ।

जम्मू तथा काश्मीर में पाकिस्तान के जासूस

†*३१८. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री बलराज मधोक :
श्री आसर :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तानी जासूस जम्मू सीमा पर बम रखते रहे हैं, जिसके फलस्वरूप कई व्यक्ति मरे और घायल हुए हैं और कई अन्य सुरंगों का पता लगा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि पाकिस्तानी जासूसों ने कुछ समय से "मारो और भागो" की नई नीति अपना ली है और तोड़ फोड़ की कार्यवाही बढ़ गई है ;

(ग) क्या इस बारे में पाकिस्तान सरकार से कोई शिकायत की गई है ; और

(घ) क्या उत्तर मिला है और राज्य के लोगों की सुरक्षा के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) पाकिस्तानी जासूसों ने इस वर्ष पहिले दो महीनो में जम्मू प्रान्त में मेन्धार और पूंच में बम रखे थे । किसी की मृत्यु होने का समाचार नहीं मिला । एक पाकिस्तानी जासूस पकड़ा गया । एक सुरंग का भी पता लगा था ।

(ख) पाकिस्तानी जासूसों में "मारो और भागो" की कोई नई नीति नहीं देखी गई । फटे बमों की संख्या वर्ष १९६१ की तत्स्थानी अवधि की संख्या से बढ़ गई है ।

(ग) युद्ध विराम रेखा का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन और अघोषित शत्रुतापूर्ण कार्यवाही, जिनका उदाहरण पाकिस्तानी जासूसों के बम रखने मे मिलता है, ऐसे विषय नहीं है जिन पर पाकिस्तान को विरोधपत्र भेजा जाये ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दिल्ली में कपड़ा उद्योग तथा दिल्ली परिवहन उपक्रम

*३१९. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के मुख्यायुक्त ने दिल्ली के कपड़ा उद्योग और दिल्ली परिवहन उपक्रम को लोकोपयोगी-सेवा घोषित कर दिया है ; और

(ख) यह निर्णय करने के क्या कारण हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) हां ।

(ख) दिल्ली के मुख्यायुक्त ने लोकहित में कपड़ा उद्योग में उत्पादन में कमी होने को दूर करने और दिल्ली परिवहन सेवा के रुकने के लिए घोषणा की है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बोनस को मजूरी मानना

*३२०. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भविष्य निधि योजना में अंशदान के प्रयोजन के लिए प्रोत्साहन-बोनस, उपस्थिति बोनस और उत्पादन-बोनस को मजूरी मानने का निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां तो क्या निर्णय किया गया है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) उत्पादन बोनस और उपस्थिति बोनस के बारे में निर्णय हो गये हैं परन्तु प्रोत्साहन बोनस का प्रश्न नहीं उठा है ।

(ख) उत्पादन बोनस मूल मजूरी का अंग है और भविष्य निधि में क्या अंशदान का भुगतान उसी के संबंध में होता है । उपस्थिति बोनस मूल मजूरी में सम्मिलित नहीं होता ।

पाकिस्तान से आई सुरक्षित निक्षेप पेटियों और लाकरों का टूटना

†*३२१. **श्री बलराज मधोक** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान से प्राप्त और श्रीमती कौशल्या भल्ला को दी गई सुरक्षित निक्षेप पेटी (सेफ़ डिपाज़िट बाक्स) टूटी हुई पाई गई और उस में से ४५,००० रु० के मूल्य के आभूषण गायब थे;

(ख) क्या सुरक्षित निक्षेप पेटियों के टूटे होने की शिकायतें और किसी व्यक्ति से भी प्राप्त हुई हैं, और यदि हां, तो इन के बारे में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या भारत में सुरक्षित निक्षेप पेटियों/लाकरों की हिफाजत मंत्रालय के एक या अधिक गजेटेड अधिकारियों के हाथ में थी और क्या उनकी हिफाजत का प्रबन्ध संतोषजनक था; और

(घ) इन हानियों के लिए पुनर्वास मंत्रालय/राज्य बैंक कहां तक जिम्मेदार हैं ?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क), जून, १९५० में (ख) और (घ). चल निष्क्रान्त सम्पत्ति सम्बन्धी भारत पाकिस्तान करार होने के बाद पाकिस्तान से निष्क्रान्त लाकरों और सुरक्षित पेटियों को भारत भेजने के लिए निरन्तर प्रयत्न किये गये हैं । दोनों देशों में भारत और पाकिस्तान में मंत्री-स्तर और सचिव स्तर पर बैठकें हुई थीं । केवल १९६१ के उत्तरार्ध में ही ये प्रयत्न कुछ सफल हुए जबकि ४९६ सुरक्षित निक्षेप और १८० लाकर भारत लाये गये । अब तक मालिकों को २१५ सुरक्षित निक्षेप और लाकर दिये जा चुके हैं । इनमें से केवल चार के बारे में शिकायतें मिली हैं जो संबंधित बैंकों को भेज दी गई हैं ।

श्रीमती भल्ला की पेटी, जिस पर सीलें ठीक प्रकार से लगी थीं, उन्हें दी गई थी और उनसे इसके लिए रसीद ले ली गई थी । सीलबन्द पार्सलों में क्या था, इसकी जानकारी सरकार को नहीं है, क्योंकि ऐसे पार्सल खोले बिना ही उनके मालिकों को दे दिये जाते हैं । अतः सरकार यह नहीं कह सकती कि श्रीमती भल्ला का पार्सल खोला गया था या नहीं और न ही वे इस मामले में कोई जिम्मेदारी ले सकते हैं ।

(ग) सारे सुरक्षित निक्षेप और लाकरों की वस्तुओं के थैले नई दिल्ली के रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के एक मजबूत कमरे में रखे गये हैं । मजबूत कमरे में दो ताले लगे हैं और उनकी तालियां दो गजेटेड अधिकारियों के पास हैं । जब कभी मजबूत कमरा खोला गया है, उस समय दोनों ही अधिकारी उपस्थित रहे हैं । सरकारी खज़ानों में इसी पद्धति का पालन होता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

संयुक्त राष्ट्र संघ के लिये भारतीय सदस्यता अंशदान

†४९७. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ के लिये अपनी सदस्यता का अंशदान आज तक का चुकता दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका सदस्य बनने से लेकर भारत ने कुल कितनी राशि दी है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** (क) जी हां ।

(ख) ९७०,९०,९१२ रुपये ।

लड़के का अपहरण

†४९८. { **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री प्र० गं० देव :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान समाचारपत्रों की उस सूचना की ओर आकर्षित किया गया है कि एक अवयस्क लड़के—कवि भटनागर सुपुत्र श्री सतीश भटनागर—को उसकी मां एक विचित्र तरीके से भगा कर इंग्लैंड ले गई है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले का पूरा ब्योरा क्या है;

(ग) क्या लड़के के पिता ने भारत सरकार से प्रार्थना की है कि उसकी पत्नि अर्थात् बच्चे की मां श्रीमती शीरीं मेरी पटेल को भारत भेज दिया जाये; और

(घ) यदि हां, तो इस के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) जी हां ।

(ख) ७ फरवरी, १९६२ को लड़के के दादा द्वारा पुलिस से की गई शिकायत के अनुसार, कवि भटनागर हौज खास में अपने मकान के समीप स्कूल की बस की प्रतीक्षा कर रहा था जब एक टैक्सी उस के पास आकर रुकी और एक महिला यात्री उस को साथ ले कर चली गई । शिकायत करने वाले ने उस महिला का हुलिया बताया जो उस के लड़के की पत्नि श्रीमती शिरीन भटनागर से मिलता जुलता था और जिसने उसको बाद में तार द्वारा सूचना दी कि लड़का उसके पास है । पुलिस द्वारा की गई प्रारम्भिक जांच से पता चलता है कि श्रीमती शीरीन भटनागर तथा एक श्री टी० पी० शंकर ५ फरवरी, १९६२ को बम्बई से दिल्ली आये और ७ फरवरी, १९६२ को क्रमशः कराची और लन्दन के लिये रवाना हो गये । उन की शनाखत करने के लिये और जांच जारी है ।

(ग) लड़के के पिता की ओर से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है । तथापि उस की पत्नि के प्रत्यर्पण के लिये कोई विशिष्ट प्रार्थना नहीं की गई है ।

(घ) भारत सरकार, लड़के के पिता से प्राप्त किसी प्रार्थना के बावजूद स्वयमेव इंगलैंड से अभियुक्त के प्रत्यर्पण के प्रश्न पर विचार कर रही है । अभियुक्त का प्रत्यर्पण करवाने के लिये आवश्यक कार्रवाई तभी की जा सकती है जब यहां अदालत में अभियुक्त के विरुद्ध अपहरण का प्रत्यक्षतः मामला सिद्ध हो जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत-संयुक्त-अरब-गणराज्य आण्विक अनुसंधान कार्यक्रम का समन्वय

†४९९. **श्री वी० चं० शर्मा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि भारत के आण्विक अनुसंधान कार्यक्रम का संयुक्त अरब गणराज्य के ऐसे कार्यक्रम के साथ समन्वय करने की प्रस्थापना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्यमंत्री (श्री जवाहरलाल नहरू):** (क) और (ख). भारत तथा संयुक्त अरब गणराज्य के आण्विक शक्ति अनुसंधान कार्यक्रमों का समन्वय बढ़ाने की कोई प्रस्थापना नहीं है । तथापि शान्तिपूर्ण कार्यों के लिये अणु शक्ति का विकास करने के लिये सहकारिता का समझौता करने के बारे में दोनों देशों की सरकारों के बीच बातचीत चल रही है यह बताना लोकहित की दृष्टि से उचित नहीं होगा कि इस समय बातचीत किस स्थिति में है ।

फिनलैंड का व्यापार शिष्टमंडल

†५००. **श्री वी० च० शर्मा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिनलैंड का व्यापार शिष्टमंडल फरवरी, १९६२ में भारत आया था; और

(ख) यदि हां, तो उसके आगमन का क्या परिणाम निकला है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) जी हां । एक गैर-सरकारी शिष्टमंडल जिस में फिनलैंड के १५ व्यापारी थे, फरवरी, १९६२ में भारत आया था ।

(ख) सामान्य बातों की चर्चा हुई थी और यह अपेक्षा की जाती है कि वह भारत-फिनलैंड के व्यापार के लिये लाभदायक होगी ।

भूमि सुधार

†५०१. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या **योजना** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी, १९६२ के अन्त तक भूमि सुधार सम्बन्धी अन्तिम स्थिति क्या थी;

(ख) क्या सरकार का ध्यान इस शिकायत की ओर आकर्षित किया गया है कि भमि सुधार सम्बन्धी अधिनियमों को अच्छी तरह कार्यान्वित नहीं किया जाता; और

(ग) विभिन्न राज्यों में भूधृति की उपरिसीमा सम्बन्धी स्थिति क्या है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) :** (क) से (ग). विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में भूमि सुधार कार्यक्रमों की क्रियान्विति के सम्बन्ध में की गई स्थिति संलग्न विवरण में संक्षेप से दी गई है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४३]**

नये उद्योग आरंभ करने के लिये लाइसस

†५०२. **श्री प्र० गं० देव : क्या वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ५ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ६८१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभा पटल पर निम्न लोगों को, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१, के अन्तर्गत दिये गये नये लाइसेंसों के बारे में, जैसाकि वित्त मंत्री ने ६ सितम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २२०० के उत्तर में बताया था, क्रमवार संख्या ३, ११, २५, ३०, ३३, ४१,

†मूल अंग्रेजी में

७४, ८५, ९५, ९६, १११, ११४, ११८, १२२, १२७, १२८, १३८, १४५, १४९, १८९, २१४, २२०, २३७, २४३, २५१, २५२, २५३, २६४, २७२, २९१, ३१० और ३२५, जब से कि उन पर विदेशी मुद्रा नियमों का उल्लंघन करने के लिये जुर्माना किया गया है; और

(ख) ये लाइसेंस देने के क्या कारण हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४४]**

पिछड़े हुए वर्ग

†५०३. **श्री स० चं० सामंत :**
श्री भक्त दर्शन :

क्या **योजना** मंत्री ७ दिसम्बर, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ६६५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गांव समाज के कमजोर वर्गों की हालतों की जांच करने के लिये नियुक्त किये गये अध्ययन दल द्वारा की गई कौन सी मुख्य सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं; और

(ख) प्रशासन विकेन्द्रीकरण योजना के अन्तर्गत उन को कार्यान्वित करने के क्या कार्रवाई किये जाने का विचार है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) सिफारिशें अभी केन्द्रीय और राज्य सरकारों के विचाराधीन हैं ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

उड़ीसा के ग्राम्य क्षेत्रों में दिये गये रेडियो सैट

†५०४. **श्री बै० च० मलिक** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१–६२ में केन्द्रीय सरकार की सामुदायिक रेडियो श्रवण योजना के अन्तर्गत उड़ीसा के ग्राम्य क्षेत्रों में कितने रेडियो दिये गये हैं;

(ख) क्या सरकार को विदित है कि इस योजना के अन्तर्गत ग्राम्य क्षेत्रों में पहले से दिये गये बहुतेरे रेडियो खराब हुए पड़े हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस बात की जांच करने की कोई व्यवस्था नहीं है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)**: (क) केन्द्रीय सरकार की सामुदायिक रेडियो श्रवण योजना के अन्तर्गत चालू वर्ष के अन्दर उड़ीसा सरकार को ५०० सामुदायिक रेडियो रिसीविंग सैट देने की व्यवस्था की गई है ।

(ख) १९६०-६१ के अन्त तक दिये गये ७९७० सैटों में से, राज्य सरकार ने पुर्जों और बैटरियों के न मिलने के कारण ११०६ सैटों के खराब होने की सूचना दी है ।

(ग) सामुदायिक रेडियों श्रवण सैटों का वितरण, उन को लगाना तथा उन की मरम्मत आदि का पूर्ण उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है । उन को दिये गये रेडियो सैटों की उचित देख भाल तथा मरम्मत आदि के लिये राज्य सरकार ने एक संधारण संगठन बनाया हुआ है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पुरानी राजेन्द्र नगर बस्ती, नई दिल्ली

†५०५. **श्री बलराज मधोक** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुरुद्वारा के पास पुरानी राजेन्द्रनगर बस्ती में भूमि का एक टुकड़ा जिस का दिल्ली नगरपालिका निगम ने पार्क के रूप में विकास किया है, गुरुद्वारा को स्कूल की इमारत के लिये दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो बस्ती की मूल ले आउट प्लान को खराब करने तथा स्थानीय निवासियों को अत्यावश्यक पार्क से वंचित करने के क्या कारण हैं ?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) और (ख). राजेन्द्रनगर में बेकार पड़ा भूमि का एक टुकड़ा श्री गुरु सिंह सभा (पंजीबद्ध) राजेन्द्रनगर को स्कूल की इमारत बनाने के लिये आवंटित किया गया है । केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार की गई ले आउट प्लान में यह टुकड़ा पार्क के तौर पर नहीं दिखाया गया, और न ही दिल्ली नगरपालिका निगम ने इस को पार्क के रूप में विकसित किया है । यह भी बता दिया जाय कि स्कूल की इमारतों, अस्पतालों आदि के निर्माण के लिये भूमि आवंटित करना इस मंत्रालय का सामान्य काम है और विभिन्न संस्थाओं को स्थान आवंटित किये जा चुके हैं ।

दिल्ली नगर निगम को अनुदान

†५०६. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि भारत सरकार विदेशी महानुभावों का स्वागत करने के लिये दिल्ली नगरपालिका निगम को धन राशि देती है ; और

(ख) यदि हां, तो १९६०-६१ में कितनी राशि दी गई थी ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). जी हां । भारत सरकार, कुछ निर्धारित सीमाओं के अन्दर रहते हुए विदेशी महानुभावों के मान में दिल्ली नगरपालिका निगम द्वारा किये गये स्वागतों पर होने वाले व्यय का दो तिहाई भाग देती है । १९६१ में इस काम के लिये निगम को ६५,००४ रुपये ८० नये पैसे की राशि दी गई थी ।

बर्मा में सरकार का तख्ता उलट जाना

†५०७. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि २ मार्च १९६२ को बर्मा में सरकार का तख्ता उलट दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार को बर्मा से कोई सन्देश प्राप्त हुआ था कि वहां भारतीय लोग और उन की सम्पत्तियां सुरक्षित हैं ; और

(ग) क्या वहां की सरकार में परिवर्तन होने का बर्मा के साथ भारतीय व्यापार पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ेगा ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी, हां ।

(ख) बर्मा में किसी भारतीय के जीवन या सम्पत्ति की किसी हानि की सूचना नहीं मिली ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यह अपेक्षा नहीं की जाती कि सामान्य बातों के अतिरिक्त अन्य किन्हीं बातों के कारण भारत और बर्मा के बीच होने वाले व्यापार पर, जैसा कि अब तक है, कोई प्रभाव पड़ेगा ।

सरोजिनी नगर क्लर्क क्लब बिल्डिंग, नई दिल्ली

५०८. **श्री बलराज मधोक** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरोजिनी-नगर में क्लर्क क्लब बिल्डिंग तथा उस से लगे हुए पार्क के भारत सेवक समाज को देने की एक शर्त यह है कि उस का राजनैतिक कार्यों के लिये उपयोग न किया जाये ;

(ख) यदि हां, तो एक राजनैतिक दल द्वारा इस पार्क का उपयोग आम चुनावों में किन शर्तों के अनुसार किया गया ; और

(ग) सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है जिस से आवंटन की शर्तों का उल्लंघन भविष्य में न हो पाये ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (डा० ब० गोपाल रेड्डी): (क) ये परिसर (प्रेमिसेज़) भारत सेवक समाज द्वारा किसी राजनीतिक गतिविधि के लिए प्रयोग में लाये जाने के लिये अभिप्रेत नहीं हैं ।

(ख) और (ग). सरकार को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है, पर जांच की जायेगी ।

शरणार्थियों के ऋणों का अपलेखन[1]

†५०९. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :**
श्री इन्द्र जीत गुप्त :

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व पाकिस्तान के शरणार्थियों के ऋणों के अपलेखन के सम्बन्ध में चर्चा हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल सरकार से कुछ प्रश्न पूछ गये हैं ;

(ग) यदि हां, तो वे प्रश्न कौन से हैं ; और

(घ) आधुनिकतम स्थिति क्या है ?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) जी हां ।

(ख) से (घ). पश्चिम बंगाल सरकार से कहा गया है कि वह विभिन्न वर्गों द्वारा लेखों के उचित और पूरे संकलन के आधार पर अपनी प्रस्थापनाओं के सही वित्तीय दायित्व के आंकड़े दे । राज्य सरकार से सूचना प्राप्त होने पर इस मामले पर अग्रेतर विचार किया जायगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Writing off

दण्डकारण्य

†५१०. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि १९६१ तक दंडकारण्य में विस्थापित लोगों के लिये जिस ८२,००० एकड़ भूमि के तैयार मिलने की आशा थी, उस में से अभी लगभग ५० प्रतिशत भूमि ही साफ की गई है ;

(ख) क्या केवल २३,००० एकड़ भूमि की ही पूरी सफाई की गई है और शेष क्षेत्र में केवल वृक्ष गिराये गये हैं ;

(ग) क्या इस में से २५ प्रतिशत क्षेत्र आदिम जाति के लोगों के पुनर्वास के लिये राज्य सरकार को देना होगा ;

(घ) क्या सार्वजनिक उपयोग के कामों के लिये आवश्यक भूमि को निकाल कर केवल २८,००० एकड़ भूमि विस्थापित लोगों में बांटने के लिये बचेगी ;

(ङ) कार्य स्थल शिविरों और गांवों में कितने विस्थापित व्यक्ति हैं ; और

(च) क्या विस्थापितों से भिन्न लोगों को देने के लिये कोई तैयार भूमि उपलब्ध है ?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) से (च). मा० सदस्यों का ध्यान १ नवंबर १९६१ से २८ फरवरी १९६२ तक की अवधि के लिये दंडकारण्य परियोजना संबंधी प्रगति प्रतिवेदन की ओर आकर्षित किया जाता है, जो लोक सभा के सदस्यों को १६ मार्च, १९६२ को परिचालित किया गया था । उस से यह पता चलेगा कि फरवरी १९६२ के अन्त तक, ५९,८९७ एकड़ भूमि में से वृक्ष काटी गई ४९,२२० एकड़ भूमि की पूरी सफाई कर दी गई थी । साफ की गई २५ प्रतिशत भूमि को आदिम जाति लोगों के लिये अलग रख कर कृषि भूमि ग्राम्य स्थलों पर भेजे गये ३६७७ परिवारों में से २१५८ परिवारों को आवंटित की गई है । शेष परिवारों को, जिन में ३८५ परिवार वे हैं जो बीच के केन्द्रों में हैं, बहुत शीघ्र ही ग्राम्य स्थलों पर भेजा जायगा और उन को मौनसून आरम्भ होने से पहले साफ की गई भूमि आवंटित की जायेगी मई १९६२ में समाप्त होने वाले चालू काम के मौसम के अन्त तक जो भूमि पूरी तरह साफ हो जायेगी, वह अब दंडकारण्य में गये परिवारों की कुल संख्या के लिये पर्याप्त होगी । इस समय सरकार की यह नीति नहीं है कि दंडकारण्य में विस्थापित लोगों के अतिरिक्त अन्य लोगों को न बसाया जाय ।

कोयला खानों में जल संभरण

†५११. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खानों में जल संभरण के मामले की जांच करने के लिये समिति नियुक्त की जा चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो उस के कौन सदस्य हैं ; और

(ग) यदि उपरोक्त (क) का उत्तर नकारात्मक है तो उस के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

(ग) क्योंकि अधिकांश तथ्य विदित हैं और बहुतेरी योजनाओं की खोज-बीन की जा रही है, इस प्रश्न की अग्रेतर जांच की जा रही है कि क्या समिति नियुक्त करने की जरूरत है ।

केरल की योजनाओं के लिये आवंटन

†५१२. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री कुन्हन :
श्री मे० क० कुमारन :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ तथा १९६१–६२ में केरल की योजनाओं के लिये वार्षिक आवंटन क्या है ;

(ख) उपरोक्त वर्षों में प्रत्येक में कितना धन व्यय किया गया ; और

(ग) कितने प्रतिशत काम हुआ ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) क्रमशः २१.११ करोड़ रुपये तथा २५.०३ करोड़ रुपये ।

(ख) और (ग). विभागानुसार १९६०-६१ में २१.७२ करोड़ रुपया व्यय हुआ अर्थात् स्वीकृत वार्षिक योजना की पूंजी का लगभग १०३ प्रतिशत । १९६१–६२ के व्यय के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

केरल में भूमि की माध्यमिक पद्धति[1]

†५१३. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री कुन्हन :
श्री मे० क० कुमारन :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि केरल में मंदिरों की जमीनों की नायर सेवा समिति संबंधी "मालचार्ज" के प्रयोग के द्वारा माध्यमिक पद्धति को पुनः लागू किया जाये ; और

(ख) क्या भारत सरकार तथा योजना आयोग ने केरल सरकार से कहा है कि योजना आयोग की सिफारिशों के अनुसार इस पर विचार करे ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)**:(क) और(ख). केरल सरकार में यह बताया है कि नायर सेवा समिति को पट्टे पर दी गई कोट्टिपुर मन्दिर भूमि 'मेलाचरायू' नहीं है और इसलिये माध्यमिक पद्धति पुनः लागू करने का विचार नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Intermediary System

कोयला खानों के प्रबन्धकों पर अभियोग

†५१४. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री १९ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६५१ के उत्तर में संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खान विनियमन तथा खान अधिनियम के उपबन्धों को भंग करने के बारे में न्यूटन चिकली कोयला खानों तथा अमलबाद कोयला खानों के प्रबन्धकों पर लगाये गए अभियोग किस क्रम पर है ; और

(ख) क्या सरकार इन मामलों को आगे बढ़ाने के बारे में विचार कर रही है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) मामले संबंधित अदालतों में चल रहे हैं ।

(ख) जी हां ।

नेफा की सियांग नदी पर 'हैंगिंग ब्रिज'

†५१५. **श्री डा० एरिंग** : क्या **प्रधान मंत्री** नेफा के गोंपोक में सियांग नदी पर 'हैंगिंग ब्रिज' बनाने के बारे में २७ अप्रैल १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४०२८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अब तक काम आरंभ न करने के क्या कारण हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : तार के रस्सों के पुल के डिज़ायन बनाये जा चुके हैं। पुल के निर्माण के लिए अपेक्षित सामग्री के आर्डर दे दिए गए हैं । वापर रोप,एन्करब्लेड तथा पुल्लों की सामान्य कमी है और संभरण तथा निपटारा महानिदेशक जब इनको दे देंगे तभी निर्माण आरंभ हो जायेगा । पूरा काम चालू वर्ष में पूरा हो जाने की आशा है ।

सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवनी

५१६. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवन-गाथा को प्रकाशित करने के कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) उस पुस्तक के हिन्दी व अंग्रेज़ी भाषाओं में देर से देर कब तक प्रकाशित हो जाने की आशा की जाती है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) और (ख). सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवनी लिखने का कार्य जिन लेखक को सौंपा गया है वह अभी सामग्री इकट्ठी कर रहे हैं। अंग्रेज़ी पांडुलिपि १९६३ में तैयार हो जाने की संभावना है। ज्यों ही अंग्रेज़ी संस्करण की पांडुलिपि को अन्तिम रूप दे दिया जायेगा, हिन्दी संस्करणों का कार्य हाथ में लिया जायेगा । इस समय यह बताना कठिन है कि इस पुस्तक के अंग्रेज़ी और हिन्दी संस्करण किस निश्चित तिथि तक प्रकाशित हो जायेंगे ।

गाज़ियाबाद का विकास

५१७. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री २३ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २१७८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने गाज़ियाबाद के विकास के लिये जो सहायता मांगी थी, उसके बारे में क्या निश्चय किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी) : भारत सरकार की भूमि प्राप्ति और विकास योजना के अनुसार गाजियाबाद क्षेत्र में भूमि प्राप्त करने और उसका विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को १९६१–६२ की अवधि में २५ लाख रुपये का एक ऋण दिया गया है ।

किदवई नगर, नई दिल्ली का कम्युनिटी हाल

५१८. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री ५ सितम्बर, १९६१ के अतारांकित-प्रश्न संख्या ३४२१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि किदवई नगर (नई दिल्ली) के कम्यूनिटी हाल का प्रबन्ध गृह-कार्य मंत्रालय को सौंपने के जिस प्रश्न पर विचार किया जा रहा था, उसके बारे में क्या निश्चय किया गया है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी) : अभी तक अन्तिम निश्चय नहीं किया गया है ।

कलकत्ता चाय नीलाम बाजार में बेची गई पेटियां

†५१९. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० तथा ६१ में (अलग-अलग) कलकत्ता चाय नीलाम बाजार में कुल कितनी पेटियां बिकीं ;

(ख) प्रत्येक वर्ष कुल कितने मूल्य की पेटियां बेची गईं ;

(ग) क्या १९६१ में १९६० की तुलना में कम बिक्री हुई थी जब कि बिकी चाय की राशि बढ़ गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ख). १९६१ में ७०.९८ करोड़ रुपये की ३,२४७,८७६ पेटियां बिकीं तथा १९६० में ७२.३९ करोड़ रुपये की ३०,९६,७३१ पेटियां बिकीं ।

(घ) अधिक उत्पादन तथा १९६१ में कम मूल्य तथा १९६० में कम उत्पादन तथा अधिक मूल्य इसका कारण है ।

महात्मा गांधी मेमोरियल हस्पताल, बम्बई

†५२०. **श्री त० ब० बिट्ठलराव** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ३०० पलंग में महात्मा गांधी ममोरियल हस्पताल, बम्बई का निर्माण पूरा हो गया है ;

(ख) रोगियों को कब प्रवेश मिलेगा ; और

(ग) अब तक इस पर कितनी रक़म खर्च हुई है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) जी हां ।

(ख) २४-३-६२ से प्रवेश होने लगा है ।

(ग) लगभग ९२ लाख रुपये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

गोआ के प्रशासन में कथित त्रुटियां और बेरोजगारी

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (पल्ली) : नियम १९७ के अन्तर्गत मैं प्रधान मंत्री जी का ध्यान निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस पर वक्तव्य दें :

"गोआ के प्रशासन में कथित त्रुटियां तथा वहां बेरोजगारी" ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेकि-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : जहां तक रोजगार का सम्बन्ध है, वहां लगभग २,००० पुर्तगाली सैनिक ऐसे हैं जो कि बेकार हैं । इसके अतिरिक्त वहां ऐसे और भी कुछ संगठन थे जिन के कारण वहां तुरन्त कुछ बेरोजगारी बढ़ गयी । इनमें से काफी संख्या में लोग पुनः काम पर लग गये हैं । वहां एक रोजगार दतफ्र खोला गया है । ६००,००० से ७००,००० की जन संख्या के प्रशासन के लिए वहां लगभग ६,००० अधिकारी थे । हमारे लिए वहां सब से पहिला काम यह था कि प्रशासनीय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जाय, इस दृष्टि से कुछ लोगों को तो कम होना ही था । परन्तु फिर भी इस बात का पूरा प्रयत्न किया गया है कि उनके लिए कोई अन्य कार्य देखा जाय ताकि उन्हें वहां लगाया जाय । वहां बहुत से ऐसे अधिकारी भी थे, पुलिस और असैनिक अधिकारी भारत से भी गये थे, प्रायः सभी को वापिस बुला लिया गया है ।

हमारा सब से बड़ा प्रयत्न यह है कि गोआ में स्थिति सामान्य हो जाय । उसके लिए यदि कुछ देर के लिए पुरानी व्यवस्था से भी चलना पड़े तो कोई हर्ज नहीं । हमारा सब से पहिला काम वहां यह है कि वहां से पुर्तगाली बन्दियों को भेजा जाय । इसके लिए तत्काल कार्यवाही की जा रही है । उनके लिए सेना का कुछ भाग भी वहां है परन्तु उनके भेजते ही सेना का शेष भाग भी वहां से हटा लिया जायेगा । इसके पश्चात् वहां कुछ स्वशासन की व्यवस्था की जायेगी । प्रशासन में गोआई लोकमत के प्रतिनिधियों को साथ लेना बड़ा ही जरूरी है ।

इसके अतिरिक्त उन शिकायतों की भी जांच की गयी है जो कार्यपालिका द्वारा न्यायपालिका के कार्य में हस्तक्षेप किये जाने के बारे मे है । सारी छान-बीन से केवल एक मामला ऐसा पाया गया जिस में सैनिक प्रशासन ने दो ऐसे व्यक्तियों की रिहाई के लिए आदेश जारी किया जो स्वतंत्रता के पूर्व राजनीतिक अपराध के सम्बन्ध में पकड़े गये थे । उनके बारे में कहा गया कि जो भी हत्या स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व उन्होंने की है वह राजनीतिक अपराध है । फिर मरा हुआ व्यक्ति पुर्तगालियों का जासूस था और उसे गोआ गोमान्तक दल के नागों ने मारा था । अतः गिरफ्तार हुए व्यक्ति का कोई दोष नहीं था उसे छोड़ दिया गया । वैसे भी प्रशासन द्वारा २६ जनवरी को गोआ के समस्त राजनीतिक बन्दियों के लिए घोषित कर दिया गया है । सैनिक प्रशासन ने न्यायाधीशों को, जिन्होंने पहले विरोध प्रकट किया था, उस मामले की पृष्ठ भूमि समझाई । इस पर न्यायाधीशों ने अपना विरोध वापिस ले लिया ।

इस दिशा में मैं एक अन्य बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि गोआ में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पुर्तगाली शासन से बहुत ही लाभ उठाया था । वास्तव में यही वे लोग हैं जो प्रशासनिक त्रुटियों के बारे में गलत सही अफवाहें फैला रहे हैं और सम्भवतः लोग उनके बहकाने में आ जाते हैं । मेरा निवेदन है कि वहां एक दम परिवर्तन कर देना ठीक नहीं परन्तु हम शनैः शनैः वहां परिवर्तन ला रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : मैं कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण करने अथवा प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दे सकता ।

बोनस आयोग

†**श्री नाथ पाई** (राजापुर) : नियम १९७ के अन्तर्गत मैं श्रम और रोजगार मंत्री का ध्यान निम्न विषय की ओर दिलाता हूं तथा निवेदन करता हूं कि वह इस बारे में वक्तव्य दें :—

"बोनस आयोग के सदस्यों की निर्वाचकों का आदेश प्राप्त करने में असफलता की दृष्टि से आयोग के पुनर्गठन की आवश्यकता ।"

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : मैं एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४५]**

टिड्डी दल का आक्रमण

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** (जम्मू तथा काश्मीर) : नियम १९७ के अन्तर्गत मैं खाद्य तथा कृषि मंत्री का ध्यान निम्न विषय की ओर आकृष्ट करवाना चाहता हूं और उन्हें वक्तव्य देने का निवेदन करता हूं :—

"देश के विभिन्न भागों में टिड्डी दलों के आक्रमण से उत्पन्न स्थिति ।"

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : मैं एक सम्बद्ध विवरण सभा पटल पर रखता हूं । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४६]**

असम के तेल क्षेत्र में कथित हड़ताल

†**श्री हेम बरुआ** : नियम १९७ के अन्तर्गत मैं श्रम तथा रोजगार मंत्री का ध्यान निम्न विषय की ओर आकृष्ट करवाता हूं और तत्सम्बन्धी वक्तव्य देने का निवेदन करता हूं :—

"असम के तेल क्षेत्रों में डिगबोई, दुलियाजान और नहर कटिया के स्थानों पर लगभग ४,५०० श्रमिकों की कथित हड़ताल ।"

†**श्री आबिद अली** : श्री नन्दा की ओर से मैं विवरण सभा पटल पर रखता हूं । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४७]**

सभा पटल पर रखे गये पत्र

चाय और रबड़ उद्योगों की अन्तरिम मजूरी वृद्धि की स्वीकृति के बारे में सरकारी संकल्प

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) दक्षिण भारत में मजूरी में अन्तरिम वृद्धि करने के लिए चाय-बागान उद्योग के केन्द्रीय मजूरी बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों पर दिनांक ३० मार्च, १९६२ का सरकारी संकल्प संख्या डब्ल्यू बी—३(३३)/६१/१ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(दो) मजूरी में अन्तरिम वृद्धि देने के लिए रबड़ बागान उद्योग के केन्द्रीय मजूरी बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों पर दिनांक ३० मार्च, १९६२ का सरकारी संकल्प संख्या डब्ल्यू बी--३(३३)/६१/२ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये क्रमशः संख्या एल० टी० ३६१९/६२ और ३६३०/६२]

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : दूसरी लोक-सभा के विभिन्न सत्रों में मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही बताने वाले विवरण :--

दूसरी लोक-सभा के विभिन्न सत्रों में मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही बताने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :--

(एक)	विवरण संख्या १	सोलहवां सत्र,	१९६२
(दो)	अनुपूरक विवरण संख्या २	पन्द्रहवां सत्र,	१९६१
(तीन)	अनुपूरक विवरण संख्या ५	चौदहवां सत्र,	१९६१
(चार)	अनुपूरक विवरण संख्या १२	तेरहवां सत्र,	१९६१
(पांच)	अनुपूरक विवरण संख्या १३	बारहवां सत्र,	१९६०
(छै)	अनुपूरक विवरण संख्या १६	ग्यारहवां सत्र,	१९६०
(सात)	अनुपूरक विवरण संख्या २१	दसवां सत्र,	१९६०
(आठ)	अनुपूरक विवरण संख्या २१	नवां सत्र,	१९५९
(नौ)	अनुपूरक विवरण संख्या २२	आठवां सत्र,	१९५९
(दस)	अनुपूरक विवरण संख्या २८	सातवां सत्र,	१९५९
(ग्यारह)	अनुपूरक विवरण संख्या ३५	दूसरा सत्र,	१९५७

[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४८ से ५८]

सरकारी आश्वासनों की समिति के सभापति ने कल अन्तिम प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखा। लगभग ९७ प्रतिशत आश्वासनों को कार्यान्वित कर दिया गया है । मैं समिति के सभापति पंडित ठाकुर दास भार्गव का सहयोग और मार्ग दर्शन के लिए धन्यवाद करता हूं । उन्होंने तथा सारी समिति ने सरकार से बड़ा सहयोग किया ।

कहवा अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना और समवाय अधिनियम के प्रशासन का वार्षिक प्रतिवेदन और चाय बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :--

(एक) कहवा अधिनियम, १९४२ की धारा ४१ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २४ मार्च, १९६२ को अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ३५८ में प्रकाशित कहवा (संशोधन) नियम, १९६२ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(दो) उक्त अधिनियम की धारा ६३८ के अन्तर्गत ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये समवाय अधिनियम, १९५६ के कार्य तथा उसको लागू करने के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन ।

(तीन) वर्ष १९५८–५९ के लिये चाय बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये क्रमशः संख्या एल० टी० ३६४२/६२, ३६४३/६२ और ३६४४/६२ ।]

खादी ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

†**श्री अ० म० थामस** : मैं खादी तथा ग्रामोद्योग अधिनियम, १९५६ की धारा २६ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २४ मार्च, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ३५४ में प्रकाशित खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (दूसरा संशोधन) नियम, १९६२ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३६४५/६२]**

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशें और उस पर की गयी कार्यवाही

†**श्री आबिद अली** : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) जून, १९६१ में जेनेवा में हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के पैंतालीसवें अधिवेशन में स्वीकृत सिफारिश और अभिसमय का पाठ ।

(दो) उक्त अभिसमय और सिफारिश पर सरकार द्वारा की गयी अथवा की जाने वाली कार्यवाही बताने वाला विवरण ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये क्रमशः संख्या एल० टी ३६४६/६२ और ३६४७/६२ ।]

अपर भन्दरा कोयला खदान में हुई दुर्घटना का प्रतिवेदन

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : मैं ८ मार्च, १९६२ को अपर भन्दरा कोयला खदान में हुई दुर्घटना के बारे में खानों के मुख्य निरीक्षक के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० ३६४८/६२ ।]

प्राक्कलन समिति

कार्यवाही का सारांश

†**श्री दासप्पा** (बंगलौर) : मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित कार्यवाही-सारांश सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) निम्नलिखित के बारे में प्राक्कलन समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांशों की एक एक प्रति :—

(एक) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के बारे में १५८वां, १५९वां और १६०वां प्रतिवेदन

---

†मूल अंग्रेजी में

(दो) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय—वस्त्र आयुक्त का कार्यालय के बारे में १६२वां १६३वां, १६४वां १६५वा और १६६वां प्रतिवेदन ।

(तीन) परिवहन तथा संचार मंत्रालय (संचार तथा असैनिक उड्डयन विभाग)—भारतीय ऋतु विज्ञान विभाग और प्रक्रिया संबंधी तथा विविध विषयों के बारे में एक सौ अड़सठवां प्रतिवेदन ।

(२) प्राक्कलन समिति की सरकारी उपक्रमों सम्बधी उप-समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य के सारांश की एक प्रति और निम्नलिखित के बारे में प्राक्कलन समिति की बैठकों के कार्य-वाही सारांश :

(एक) रबड़ बोर्ड नारियल-जटा बोर्ड, नेशनल प्रोजैक्ट्स कन्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नेपा मिल्स लिमिटेड, और अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड और इण्डियन हैण्डीक्राफ्ट्स डेवलेपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के बारे में १४८वां, १५४वां, १५६वां, १५७वां, और १७६१वां प्रतिवेदन ।

(दो) खादी तथा ग्रामोद्योग के बारे में १६७वां प्रतिवेदन ।

राज्य सभा से संदेश

†**सचिव** : श्रीमान् जी, मुझे राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना देनी है :—

(१) कि २० मार्च, १९६२ को लोक-सभा द्वारा पास किये गये विनियोग (रेलवे) बिल, १९६२ के बारे में राज्य-सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

(२) कि २४ मार्च, १९६२ को लोक-सभा द्वारा पास किये गये विनियोग (लेखा-नुदान) बिल, १९६२ के बारे में राज्य सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

(३) कि १९ मार्च, १९६२ को लोक-सभा द्वारा पास किये गये संघ उत्पादन शुल्क (वितरण) बिल, १९६२ के बारे में राज्य-सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

(४) कि राज्य-सभा २८ मार्च, १९६२ की अपनी बैठक में १३ मार्च, १९६२ को लोक-सभा द्वारा पास किये गये भारतीय (रेलवे) संशोधन बिल, १९६२ से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गयी है ।

(५) कि राज्य सभा अपनी २८ मार्च, १९६२ की अपनी बैठक में १३ मार्च, १९६२ को लोक-सभा द्वारा पास किये गये गोदी श्रमिक (रोजगार का विनियमन) संशोधन बिल, १९६२ से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई ।

(६) कि राज्य-सभा २९ मार्च, १९६२ की अपनी बैठक में २० मार्च, १९६२ को लोक-सभा द्वारा पास किये गये अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) संशोधन बिल, १९६२ से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गयो है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(७) कि राज्य-सभा २९ मार्च, १९६२ की बैठक में १९ मार्च, १९६२ को लोक सभा द्वारा पास किये गये सम्पदा शुल्क (वितरण) बिल, १९६२ से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गयी है ।

लोह अयस्क खान श्रमिक कल्याण उपकर विधेयक पर वाद विवाद के उत्तर में शुद्धि

†**योजना और श्रम व रोजगार उप-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : श्रीमती रेणुचक्रवर्ती, द्वारा न्यूनतम मजूरी के लागू किये जाने के बारे में पूछे जाने गये एक प्रश्न के संबंध में मैं ने सभा में कहा था, "कि हम अन्य चार खानों के साथ साथ लोहा अयस्क खान श्रमिकों के बारे में न्यूनतम मजूरी अधिनियम को लागू करने का फैसला कर चुके हैं । राज्य सरकारों से इस को लागू करने को कहा गया है क्योंकि इस अधिनियम का प्रशासन उन के हाथों में है और उन्हें ही इस अधिनियम के उपबन्धों को लागू करना है ।"

सही स्थिति यह है कि लोहा अयस्क खानों के सम्बन्ध में न्यूनतम मजूरी को लागू करने का उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार का है और यह फैसला किया जा चुका है कि स्वयं केन्द्रीय सरकार न्यूनतम मजूरी अधिनियम की धारा २७ के अन्तर्गत एक अधिसूचना के द्वारा अनुसूची में औपचारिक रूप से इस के शामिल किये जाने के पश्चात् इन खानों में नौकरी के लिये न्यूनतम मजूरी निश्चित करने का काम स्वयं करेगी ।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन विधेयक—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा २९ मार्च, १९६२ को डा० का० ला० श्रीमाली द्वारा प्रस्तुत निम्न प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेगी :—

> "कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन नाम की संस्था को, जिस का मुख्य कार्यालय इलाहाबाद में है, राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने वाले और इस के निगमन तथा तत्सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर राज्य-सभा द्वारा पारित किये गये रूप में विचार किया जाये ।"

चूंकि कुछ माननीय सदस्य विज्ञान मन्दिरों संबंधी प्रस्ताव को लेना नहीं चाहते इस विषय पर २.३० बजे म० प० तक चर्चा होगी, फिर गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य लिया जायेगा ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** (वेल्लोर) : मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में कई सिफारिशें की गई थीं । उन में से एक देवनागरी लिपि को अपनाने के बारे में थी । यह सिफारिश है आदेशात्मक नहीं क्योंकि उस अवस्था में देवनागरी लिपि अन्य भाषाओं के लिये भी अपनाई जानी पड़ती। मैं मानता हूं कि किसी राष्ट्र के लिये एक सामान्य भाषा होनी चाहिये । परन्तु हमारे देश में अन्य भाषायें भी हैं । राष्ट्रीय गौरव न केवल राजनीतिक एकता पर निर्भर होता है अपितु प्रतिपादित विश्वजनीन भाषा पर भी निर्भर होता है । किन्तु हिन्दी को राष्ट्र भाषा का रूप देने का जोश कुछ सीमा से परे जा रहा है और इस प्रकार की शीघ्रता से दूसरे लोग चिढ़ जाते हैं । हमें एक भाषा को स्वीकार कराने के लिये मेल मिलाप की भावना पैदा करनी चाहिये । दक्षिण भारत के लोगों के विचारों को जानते हुए इस पर

---

†मूल अंग्रेजी में

जोर देने से कुछ अप्रिय घटनायें होने की सम्भावना है। इसलिये मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिश को आदेश रूप में नहीं मानना चाहिये। हिन्दी के प्रचार का जोश उन क्षेत्रों में होना चाहिये जहां हिन्दी मातृ भाषा नहीं है ।

विधेयक का शीर्ष हिन्दी साहित्य सम्मेलन विधेयक के स्थान पर हिन्दी संस्था विधेयक होना चाहिये। इस का मुख्यालय केवल इलाहाबाद न हो कर इस के चार मुख्यालय पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर में होने चाहियें। क्योंकि ५० वर्ष से एक ही मुख्यालय से चले आ रहे इस सम्मेलन से हिन्दी फैलाने की स्थिति पैदा करने की आशा संभव नहीं है। अतः इस की चार शाखायें नहीं, चार मुख्यालय देश के कोनों में होने चाहियें।

केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों पर निर्भर न रह कर स्वयं इन सब क्षेत्रों में प्रारम्भिक स्कूलों में अध्यापकों की व्यवस्था करनी चाहिये। और हिन्दी अध्यापक केन्द्रीय सरकार की ओर से इन स्कूलों में हों ।

५५ सदस्यों का शासी निकाय बहुत बड़ा है। इतने बड़े निकाय की जरूरत नहीं है। इतने व्यक्तियों के अपने हितों और दृष्टिकोणों से वहां कठिनाई उत्पन्न हो जायेगी। शासी निकाय ठोस होना चाहिये। तभी उस में कुशलता और सही निर्णय हो सकते हैं। इस में समुचित परिवर्तन किया जाये।

सभापति, सचिव और एक अन्य सदस्य से मिल कर ३ सदस्यों की गणपूर्ति का विधान समुचित नहीं है। कम से कम ५ या ६ गणपूर्ति होनी चाहिये। इस दृष्टि से भी परिवर्तन आवश्यक है।

संविधान में अन्तर्राष्ट्रीय अंक रखने का उपबन्ध है। किन्तु हिन्दी का प्रयोग करने वाले हिन्दी अंकों का प्रयोग करते हैं। मोटर गाड़ियों पर भी हिन्दी अंक लगाए जाते हैं। जिन्हें सब नहीं जानते। अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में सामान्य आकार लाने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय अंकों का ही प्रयोग होना चाहिए।

राष्ट्रीय एकता के लिये हिन्दी जरूरी है किन्तु जिस ढंग से वह लाई जा रही है वह ठीक नहीं है। एक दिन यह राष्ट्र भाषा अवश्य बनेगी। हमें इस विषय में शीघ्रता से काम नहीं लेना चाहिये। वास्तव में हिन्दी का राष्ट्र भाषा होना देश के हित में है। किन्तु इस में सब से बड़े बाधक हिन्दी के कट्टर समर्थक हैं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मा० सदस्य संक्षेप में २.१० तक अपने विचार व्यक्त करें--फिर मा० मंत्री उत्तर देंगे । सरदार सहगल ।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : औचित्य प्रश्न के नाते मैं कहना चाहता हूं कि इस विधेयक के पारित होने से सरकार को कोई खर्च करना पड़ेगा क्योंकि बहुत परीक्षायें आदि लेनी होंगी जिन के लिये धन की जरूरत होगी। क्या माननीय मंत्री आश्वासन देंगे कि

†**उपाध्यक्ष महोदय** : किस खंड के अनुसार संचित निधि से व्यय होगा ?

†**श्री त्यागी** : संचित निधि का उल्लेख नहीं है किन्तु यह अधिनियमित किया जा रहा है कि अमुक काम किये जायेंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : संचित निधि के अतिरिक्त अन्य निधियां भी उपलब्ध होती हैं। अतः इस से संविधान के किसी अनुच्छेद के उपबन्धों पर असर नहीं पड़ेगा। मा० मंत्री उन-को आश्वासन दे दें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : आप ठीक कहते हैं। संभवतः माननीय मित्र श्री त्यागी के मन में संविधान की धारा ११७(३) है। यह उस के अन्तर्गत नहीं आता क्योंकि जैसा कि मैं ने उन को अनौपचारिक तौर पर बताया है, सम्मेलन के पास फालतू धन है और इस का बजट घाटे वाला नहीं। इसे परीक्षा शुल्कों या अन्य साधनों से काफी आय होती है। अतः भारत की संचित निधि से धन खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस कारण से हम ने कोई वित्तीय ज्ञापन नहीं रखा है। मैंने अपने प्रारम्भिक भाषण में भी इस का स्पष्टीकरण किया था।

श्री अ० सि० सहगल : (जंजगीर) : उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, १९६२ का जो बिल राज्य-सभा से यहां आया है, उसका हिन्दी संसार में ही नहीं बल्कि सारे भारत में स्वागत किया जाएगा। अब हिन्दी भाषा भाषियों के सामने एक उत्तम अवसर उपस्थित हुआ है जबकि वे इसके द्वारा इस संस्था को उच्च स्थान प्राप्त करवा सकते हैं और जिस प्रकार की और जिस उच्च कोटि की दूसरी यूनिवर्स्टीज़ हमारे देश में हैं, उसी प्रकार की और उस उच्च कोटि की यूनिवर्स्टी इसको भी बनवा सकते हैं। जिस वक्त यह यूनिवर्स्टी का रूप धारण कर ले तो हमें यह देखना है कि इसके सम्बन्ध में सरकार के हाथ में कितनी ताकत रहेगी और जो लोग इसमें लिए जायेंगे उनमें से सरकार के कितने नुमाइंदे होंगे ताकि किसी किस्म की कोई गड़बड़ी इसमें पैदा न होने पाए

हिन्दी साहित्य सम्मेलन के इम्तिहानों में सब से ज्यादा हमारे लोग बैठते हैं, उसकी परीक्षाएं देते हैं और उनमें उत्तीर्ण होते हैं। साहित्य सम्मेलन ने कई पुस्तकों का प्रकाशन किया है, वह किसी से छिपा नहीं है। ऐसा करके उसने एक बहुत ही उत्तम कार्य इस देश में किया है। इसमें सबसे महत्व-पूर्ण चीज अंग्रेजी के वैज्ञानिक शब्दों का अनुवाद होगा जो कि वह प्रकाशित करेगा और आज भी कर रहा है। उससे बहुत बड़ी मदद हम लोगों को मिलेगी।

हमारे कुछ बुजुर्गों ने सम्मेलन के बारे में अपने कुछ विचार राज्य-सभा में रक्खे हैं। यह बहुत ही खेद का विषय है। राजर्षि टंडन जी ने जो कार्य हिन्दी के लिये किया है वह एक आदर्श की चीज भारत के लिये होगी और स्वर्णाक्षरों में लिखी जायेगी। उनकी सेवाओं के लिये हमें उनके प्रति आभार प्रदर्शित करना चाहिये। हिन्दी में संस्कृत और दूसरी भाषाओं के बहुत से शब्द मिलेंगे। यदि दूसरी भाषाओं को देखा जाये तो उन में भी संस्कृत शब्द आपको ज्यादा मिलेंगे। लेकिन संस्कृत के इन शब्दों को जितना प्रोत्साहन मिलना चाहिये, मेरा ख्याल है कि उतना हम ने नहीं दिया है। दूसरे भाषा-भाषियों को चाहिये कि वे सम्मेलन की परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने के लिये अपने भाइयों को ज्यादा बिठलायें और अपने बच्चों को इसकी शिक्षा दें। इस वक्त दक्षिण भारत में और गुजरात आदि में जिस तरह से काम हो रहा है, उसमें तीव्रता लाने की आवश्यकता बहुत अधिक प्रतीत होती है। सम्मेलन का इन्तजाम ऐसा होना चाहिये कि जहां दूसरे भाषा-भाषी लोग हैं वहां पर हिन्दी को पढ़ाने का प्रबन्ध ज्यादा किया जाये। यदि हम ऐसा करेंगे तो मैं समझता हूं कि यह हमारे देश के लिये एक बहुत ही उत्तम चीज होगी।

आज कुछ लोगों में यह भ्रम पैदा हो गया है कि जो यह बिल है उस के आने से शायद सरकार का कब्जा इस सम्मेलन पर हो जायेगा। यह गलत चीज है। सम्मेलन के पास आज खुद का पैसा है। उस पैसे का इन्तजाम करने के लिये एक कमेटी बनाना ठीक है। कमेटी में भी बहुत ज्यादा आदमी न रखे जायें। इतने ही रक्खे जायें जिससे वहां पर एकपन हो और वे इस कार्य को अच्छी तरह चला सकें। हिन्दी साहित्य सम्मेलन में कार्य करने वालों को बराबर जो खर्च दिया जा रहा है उसमें यह देखना पड़ेगा कि उनको तनख्वाह मिल रही है या नहीं। यदि तनख्वाह न देने की वजह

---

†मूल अंग्रेजी में

से उनमें किसी किस्म की खामियां आ गईं तो उसमें जो गलती होगी वह होगी सम्मेलन की और सम्मेलन को चलाने वालों की । इसलिये जरूरी है कि इसमें सरकारी निरीक्षण रक्खा जाये । हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने कितने क्षेत्रों में काम किया है यदि यह चीज विवरण के साथ इस सदन के सामने रक्खी जाती और हिन्दी साहित्य सम्मेलन की जब से स्थापना हुई है तब से आज तक उसने क्या-क्या काम किया, किस-किस क्षेत्र में काम किया, यह सब दिया गया होता तो अच्छा होता क्योंकि इससे इस सदन के माननीय सदस्यों को भी मालूम हो गया होता कि उसका कार्य कितना महत्वपूर्ण रहा है । अभी तक हमारे बहुत से भाइयों को नहीं मालूम कि वहां पर किस तरह से कार्य होता है और उसने किस तरह से इतना ज्यादा काम किया है ताकि हमें उसको एक यूनिवर्सिटी को रूप देने में सरलता हो । मैं मंत्री जी से इस बात की प्रार्थना करना चाहता हूं कि वे इस चीज को यहां पर रखने की कृपा करें ।

जो दूसरी भाषाओं के ग्रन्थ हैं जैसे बंगला के, पंजाबी के, तामिल, तैलगू, मराठी आदि के उनके बड़े-बड़े लेखकों ने जो प्राचीन काल में और अब अपने विचार रक्खे हैं, हिन्दी साहित्य सम्मेलन उनका अनुवाद कराये । जो बड़े-बड़े सन्तों और महापुरुषों ने अपने विचार रक्खे हैं उनका अनुवाद करवाना बहुत आवश्यक है, उनके लेखों का हिन्दी में लाना बहुत आवश्यक है ताकि हिन्दी भाषा भाषियों को मालूम हो जाये कि हमारे देश की दूसरी भाषाओं में भी कितने महान ग्रन्थ हैं और उनसे हमें कितना फायदा मिल सकता है । सम्मेलन ने जो भी कार्य किया है वह बड़ा कार्य किया है, इसमें कोई दो मत नहीं हो सकते । खास कर हमारे शिक्षा मंत्रालय ने इस बारे में जो कदम उठाया है वह बहुत ही सराहनीय है । यही नहीं बल्कि मंत्रालय के इस कदम से इस बात की भी एक झलक मिलती है कि उन्होंने हिन्दी के लिये जो कार्य किया है वह बहुत ही उत्तम है ।

इस के साथ-साथ मैं इस बात की ओर भी उनका ध्यान आकर्षित करूंगा कि वहां पर जो भी किताबें निकाली जायें वे छोटे छोटे बच्चों के लिये भी हों जो कि हिन्दी भाषा भाषी नहीं हैं । उनके लिये इस तरह की चीजें बनाई जायें ताकि हर जगह रहने वाले खास कर दक्षिण भारत के लोग उनको समझें ताकि उनको यह न मालूम हो कि उन पर हिन्दी को लादा जा रहा है । यहां पर बहुत से मित्रों ने विचार प्रकट किया कि उन पर कोई चीज न लादी जाये । मैं मानता हूं कि कोई भी चीज अगर हिन्दी साहित्य सम्मेलन करे, भले ही वह देश के लाभ के लिये ही क्यों न हो, इस तरह से की जाये जिसमें हिन्दी का प्रचार हो और सभी लोग हिन्दी सीख सकें क्योंकि हमारे वह हमारे देश की भाषा है ।

श्री गौतम (बालाघाट) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । यह विधेयक बहुत अच्छा है और इसमें हम हिन्दी की प्रगति कर सकेंगे, परन्तु मैं देखता हूं कि आज की जो हिन्दी है उसकी कुछ चिन्धी सी हो रही है । अभी हमको यह बुकलेट मिली है जो कि पब्लिसिटी डिपार्टमेंट से निकाली गई है और इस का नाम है : "खुशहाली के लिये परियोजनायें" । इसको जब मैं देखता हूं तो पाता हूं कि इसमें करीब एक ही पृष्ठ २९ में १३ जगहों में अंग्रेजी इस्तेमाल में लाई गई है । इसके उदाहरण के लिये मैं बतलाता हूं कि सफा २९ पर कुछ फिगर्स हैं । वे सारे सेके सारे अंग्रेजी में लिखे हैं । मैं नहीं जानता हूं कि इसके पीछे क्या बात है । क्या हिन्दी में कोई अंक ही नहीं हैं ? इस तरह से अंग्रेजी का उपयोग क्यों किया जाता है और वह भी उन पैम्फलेट्स में जो कि सरकार द्वारा निकाले जाते हैं । यह जो सम्मेलन का ध्येय है कि एक शुद्ध सुबोध हिन्दी का विस्तार किया जाय वह बहुत अच्छा है किन्तु उसी रूप में हमारे सरकारी पैम्फलेट्स आदि भी निकाले जायें ।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन की बहुत सी परीक्षायें होती हैं और कई जगहों पर उसके केन्द्र भी होते हैं । परन्तु देखने में यह आया है कि सिर्फ केन्द्र न खुलने की वजह से बहुत से परीक्षाओं

[श्री गौतम]

में बैठने के इच्छुक उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं और न उसका फायदा उठा सकते हैं। मैं खुद अपने स्थान बालाघाट के बारे में बतलाता हूं जो कि एक जिला है। वहां पर सन् १९६१ में केन्द्र न होने के कारण १५ विद्यार्थी इस इम्तिहान में न बैठ सके। परिणाम यह हुआ कि जिन लोगों ने इतनी तैयारी की थी उनका बड़ा भारी नुकसान हुआ। केन्द्र खोलने के लिये बहुत से उपाय किये गये किन्तु कोई सफलता नहीं मिली। कालिज वाले इसके लिये तैयार नहीं हुए, हाई स्कूल वाले इस के लिये तैयार नहीं हुए। इस लिये जो लोग परीक्षा में बैठना चाहते थे उन का इतना नुक्सान हो गया। मैं आशा करता हूं कि जब हिन्दी साहित्य सम्मेलन विधेयक को कानून का रूप दिया जा रहा है तब इस का भी ख्याल किया जायेगा।

दूसरी बात यह है कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन की परीक्षाओं में जो लोग पास भी होते हैं उन को डिगरी तो मिलती है परन्तु उन की उतनी कद्र नहीं होती। सरकारी नौकरियां जब दी जाती हैं तब उन का भी विचार किया जाना चाहिये। यद्यपि उन की डिगरी को अंग्रेजी की डिगरियों के इक्वीवैलेन्ट माना गया है, परन्तु जब सरकारी नौकरियों का प्रश्न आता है तो उन डिगरियों को कोई खास प्राधान्य नहीं दिया जाता। इस ओर भी थोड़ा ख्याल किया जाना चाहिये। मैं देखता हूं कि हिन्दी का महत्व बहुत ज्यादा है। मैं यह कह सकता हूं कि जहां-जहां मैं पूरे हिन्दुस्तान में घूमा हूं मैंने देखा है साधारण तौर से हिन्दी समझी जाती है, चाहे वह मद्रासी हो, चाहे बंगाली हो, चाहे पंजाबी हो या आन्ध्रवाला हो सभी हिन्दी समझते हैं, यहां तक कि तांगे वाले और कुली सभी इसको समझते हैं। तो हिन्दी का महत्व सभी जानते हैं और सभी इसको समझने लगे हैं। इस विधेयक के पास होने से उसका महत्व और ज्यादा बढ़ सकेगा यह बहुत अच्छी बात है।

हिन्दी लिखने की आजकल एक और प्रणाली निकली है। पहले हम देवनागरी लिपि में अ, इ, उ आदि अलग-अलग लिखते थे। इस नई प्रणाली में अ के आगे मात्राएं लगाकर इकार या उकार बनाया जाता है। इस प्रणाली के चल जाने से आज हिन्दी में यूनीफारमिटी नहीं है। पहले इ लिखी जाती थी, उसके स्थान पर अब अ के पहले 'ि' लगाकर अि बनाते हैं, इसी प्रकार जहां पहले उ लिखा जाता था तो इस नई प्रणाली के अनुसार अ के नीचे 'ु' लगाकर अु बनेगा। तो इस तरह से देवनागरी लिपि की यूनीफारमिटी गड़ बड़ हो गयी है। मेरा सुझाव है कि देवनागरी में यूनीफारमिटी लानी चाहिए। या तो जो पहले देवनागरी लिपि थी उसी को रखा जाए और अगर उसका रूप बदलना है तो वैसा किया जाए और केवल उसी लिपि को मान्यता दी जाए। अभी यह हो रहा है कि कई ग्रन्थ पुरानी लिपि में लिखे जाते हैं तो कई नई लिपि में लिखे जाते हैं। इसलिए लोगों को उनको समझने में कठिनाई होती है।

डा० मा० श्री० अणे (नागपुर) : नया तरीका टाईपिंग के लिए सुविधाजनक है।

श्री गौतम : अगर ऐसा है तो वही लिखा जाए, उसी को अपनाया जाए। मेरा यह कहना नहीं है कि पुराना तरीका ठीक है या नया तरीका ठीक नहीं है। लेकिन इन दोनों का चलना ठीक नहीं है। हमें चाहिए कि जिसमें ज्यादा सुभीता हो उसे अपना लें और सारे ग्रन्थ उसी तरीके के अनुसार लिखे जाएं। यही मेरा सुझाव है।

†**श्री अ० चं० गुह**(बारोसार) : इस प्रकार का विधेयक स्वागत योग्य है। किन्तु मुझे कुछ उपबन्धों के बारे में आशंकायें हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

संविधान ने हिन्दी को राष्ट्र भाषा घोषित किया है। किन्तु केन्द्रीय सरकार उस समय सूची का पालन करने में असमर्थ रही है क्योंकि विभिन्न प्रदेशों के लोगों में तरह-तरह की आशंकाएं थीं कि केन्द्रीय सरकार की भाषा बन जाने पर इसके राजनीतिक परिणाम अच्छे नहीं रहेंगे। स्वतंत्रता से पूर्व हम सब हिन्दी के पक्षपाती थे किन्तु बाद में लोगों के मन में परिवर्तन आ गया ह और हिन्दी को केन्द्रीय सरकार की भाषा बनाने का विरोध भी किया गया है। सरकार इस प्रार्थना की उपेक्षा नहीं कर सकती। हिन्दी प्रदेशवालों के प्रभुत्व के बारे में जो सन्देह है उस को ध्यान में रखते हुए हिन्दी के विकास के लिये कदम उठाने चाहियें। यह परिवर्तन दक्षिण के अतिरिक्त पूर्व और उत्तर के भागों में भी है।

यह विधेयक केवल हिन्दी साहित्य सम्मेलन को एक विशिष्ट स्थान देने के लिये है, जब कि देश में अन्य भाषाओं के भी ऐसे निकाय हैं, जिन्हें केन्द्र से मान्यता तथा प्रोत्साहन पाने का हक है। अब अन्य भाषाओं वाले लोगों के मन में यह बात आएगी कि उन की भाषा की उपेक्षा की गई है। सरकार ने सब भाषाओं के लिये एक व्यापक विधेयक क्यों नहीं बनाया ?

खण्ड ६ और खण्ड १२ में डिग्रियों और डिप्लोमों तथा अन्य शैक्षिक उपाधियों के बारे में तथा हिन्दी का प्रचार करने के लिये स्कूल, कालिज तथा संस्थाएं कायम करने एवं उन को संबद्ध करने तथा परीक्षाएं लेने का उल्लेख है। मेरे से पहले वक्ता ने बताया है कि इस सम्मेलन के उपाधिधारी लोगों को सरकारी दफ्तरों में वह विशेषाधिकार नहीं मिलते जो विश्वविद्यालयों के उपाधिधारियों को मिलते हैं। इस विधेयक के पारित होने से यह निर्योग्यता हट जायेगी फिर अन्य भाषाओं के लोगों के दिल में भी ऐसी ही भावना। उत्पन्न होगी। अतः विधेयक का दृष्टिकोण बड़ा संकीर्ण है-- समूचे देश के हितों को ध्यान में रखकर नहीं किया गया।

इस विधेयक का तात्कालिक उद्देश्य यह है कि सम्मेलन में आन्तरिक झगड़े थे और सम्मेलन का कार्य प्रायः बन्द था। इसके लिये तो प्रशासनिक कार्यवाई की जा सकती थी। परन्तु इस सम्मेलन को बड़ा स्थान दिया जा रहा है और यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्राधिकार में आ जाएगा जब कि अन्य भाषाओं के सम्मेलन को वह दर्जा प्राप्त नहीं होगा। अतः यह भेदभाव उचित नहीं है।

मैं हिन्दी को केन्द्रीय सरकार की भाषा बनाने के विरोध में नहीं, परन्तु लोगों के प्रचलित मनोविज्ञान का भी ध्यान रखना चाहिये। इतनी जल्दी नहीं की जानी चाहिये कि लोगों का संदेह और शंका बढ़ जाए।

श्री मुनिस्वामी ने कहा कि हिन्दी के समर्थक ही हिन्दी के विकास के शत्रु हैं। जोश की अपेक्षा उन को सौम्य होना उचित है और लोगों के मन को समझना चाहिये।

विधेयक में उपबंध है कि पहले शासी निकाय के नियम दोनों सभाओं में रखे जायेंगे किन्तु खण्ड १७ के अनुसार शासी निकाय नियमों में परिवर्तन कर सकती है। उन को सभा में रखने का उपबंध होना चाहिये ताकि सभा उन को देख सके। बाद के शासी निकायों का खण्ड १७ में उल्लेख नहीं है।

माननीय मंत्री ने सम्मेलन के आन्तरिक झगड़ों का उल्लेख करते हुए इस विधेयक के पेश किये जाने का उल्लेख किया है। परन्तु इसकी क्या गारंटी है कि भविष्य में ऐसे झगड़े नहीं होंगे ? मंत्री जी कहेंगे कि खण्ड १६ में दी गई शक्तियों का प्रयोग किया जा सकेगा। परन्तु वह खण्ड इतना व्यापक है कि यदि सरकार उन शक्तियों का प्रयोग करती रही तो सम्मेलन को अपेक्षित स्वायत्तता नहीं रहेगी। ऐसा उपबंध होना चाहिये कि झगड़े होने की हालत में सरकार हस्तक्षेप करके उन को हटाने के लिये समुचित व्यवस्था कर सके।

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। मुझे दुःख है कि कई माननीय वक्ताओं ने जिन्होंने पता नहीं किस कारण से कहा तो यह कि वे इस विधेयक का स्वागत करते हैं लेकिन वास्तव में इस का विरोध करने का उन्होंने प्रयत्न किया है।

आखिर इस विधेयक में कौन सी ऐसी चीज है जो कि हिन्दी को कोई एक विशेष दर्जा दिलाती है ? मैं पहले ही इस चीज को साफ कर देना चाहता हूं कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो कि हिन्दी के वास्ते कोई विशेष दर्जा चाहते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो वक्ता महोदय ऐसा कहते हैं कि इस बिल के द्वारा हिन्दी को कोई विशेष दर्जा दिया जा रहा है उन्हें वास्तव में हिन्दी साहित्य सम्मेलन का इतिहास मालूम नहीं है। हिन्दी साहित्य सम्मेलन संस्था का कुछ उन लोगों ने जो राष्ट्रीय विचारधारा के थे, जिनका कि राष्ट्रीय आंदोलन में मुख हाथ था और जिनमें कि बाबू पुरुषोत्तम दास टंडन एक प्रमुख व्यक्ति थे, संस्थापन किया। इलाहाबाद में उस का प्रधान कार्यालय था और यह संस्था उस काल से जब हम गुलाम थे तब से हिन्दी के विकास और प्रचार का कुछ काम करती रही। उसने इस के लिए अपनी कुछ परीक्षाएं भी लीं और जैसे उस जमाने में एम० ए० वगैरह की परीक्षाएं होती थीं वैसे ही हिन्दी साहित्यरत्न की उनकी परीक्षा उस एम० ए० की परीक्षा के सम्कक्ष थी। यह ध्यान देने की बात है कि राष्ट्रीय आंदोलन के जमाने में न सिर्फ यही एक संस्था बल्कि कुछ दूसरे राष्ट्रीय विद्यालय भीथे और महात्मा गांधी के आदेश के अनुसार वह राष्ट्रीय विद्यालय काम करते थे और उनके द्वारा भी कुछ डिग्रियां और उपाधियां आदि वितरित की जाती थीं। अब इस हिन्दी साहित्य सम्मेलन द्वारा उपाधि वितरण का कार्य जो कि उसके द्वारा पहले से किया जा रहा है उसी को इस विधेयक के द्वारा यदि जारी रक्खा जाता है तो मेरी समझ में नहीं आता कि कैसे कुछ लोग यह समझ लेते हैं कि इस विधेयक द्वारा हिन्दी को कोई विशेष दर्जा दिया जा रहा है ? मैं नहीं समझता कि इसमें हिन्दी को कोई विशेष दर्जा दिये जाने की बात है और जैसे मैंने पहले निवेदन किया मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो कि चाहते हैं कि हिन्दी को कोई विशेष दर्जा दिया जाये। लेकिन मैं एक बात अवश्य उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो कि—जब भी उन्हें अवसर मिलता है— किसी न किसी तरीके से एक ऐसे राष्ट्रीय निश्चय का जो कि आज नहीं अपितु आज से दसियों साल पहले लिया गया था विरोध करने के लिए तैयार रहते हैं। संविधान में राजभाषा के सम्बन्ध में स्पष्ट व्यवस्था दी हुई है तो भी मेरे यह मित्र उस का लगातार विरोध करने की कोशिश करते हैं। मैं अपने ऐसे मित्रों से पूछना चाहता हूं कि क्या उनके सामने देश की एकता के लिए इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प मौजूद है ? मैं उनसे यह भी पूछना चाहूंगा कि क्या दुनिया में कोई दूसरा राष्ट्र भी ऐसा है जहां कि संसद् में, सरकारीं दफ्तरों में, परस्पर पत्र व्यवहार में और आम व्यवहार में किसी विदेशी भाषा का प्रयोग होता है। भले ही वह कितनी धनी हो, कितने ही अच्छ उसमें शब्द हों और कितना ही अच्छा उसका साहित्य हो ? जब दुनियां के किसी भी देश में इस तरह का उदाहरण नहीं मिलता जहां कि विदेशी भाषा का प्रयोग होता हो तब हमारे देश में जो विदेशी भाषा के स्थान पर हिन्दी को लाने की बात की जाती है तो मेरी समझ में नहीं आता कि उसका हमारे इन मित्रों द्वारा क्यों विरोध करने की कोशिश की जाती है। हिन्दी के अलावा अगर कोई अन्य प्रादेशिक भाषा भारत संघ की राजभाषा बन सके तो मैं तो उसका स्वागत करूंगा। अब मेरे इन कुछ मित्रों के दिमागों में हमेशा शंका बनी रहती है कि यह हिन्दी का डोमीनेशन हो रहा है; हिन्दी का प्रभुत्व कायम किया जा रहा है। मुझे लगता है कि हिन्दी के नाम पर वह कुछ उन लोगों के प्रभुत्व का विरोध करते हैं जो उन्हीं के दल के हुआ करते हैं। कोई मिनिस्टर हिन्दी भाषी प्रान्त से आता है भले ही जनता जोकि उसे चुन कर

भेजती है गरीबी में फंसी हुई हो लेकिन चूंकि मिनिस्टर उस प्रान्त से आता है इसलिए हिन्दी भाषा का विरोध किया जायेगा। मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों में साहस पैदा होना चाहिए कि वह उस मिनिस्टर का विरोध करें और उस हालत में मैं उनके साथ हूंगा। अब जहां तक हिन्दी का सम्बन्ध है मैं समझता हूं कि यही भारत संघ की राजभाषा होने की क्षमता रखती है और इसके द्वारा देश की एकता होनी है। अब जहां तक उनकी सारे ऐडीमिनिस्ट्रेशन पर हिन्दीभाषायों के डौमीनेट करने की बात है मैं, अगर मुनासिब समझा जाय, तो इस बात के लिए तैयार हूं कि दस साल तक के लिए कोई ऐसा नियम बना दिया जाये कोई ऐसा प्रतिबंध लगा दिया जाये कि उस समय तक हिन्दी-भाषी प्रान्तों से इन जगहों पर लोग नहीं लिये जायेंगे बल्कि अहिन्दी प्रान्तों के लोगों को उन पोजीशन के स्थानों पर लिया जायेगा। विधान में कोई इस तरह की व्यवस्था कर लें अपने आप अपने ऊपर कोई इस तरीके का प्रतिबंध लगा लें मैं इस बात के लिए तैयार रहूंगा।

जो मित्र इस तरीके का लांछन लगाया करते हैं इस तरह का आक्रमण किया करते हैं कि यह तो हिन्दी का डौमीनेशन है और हिन्दी का प्रभुत्व दूसरी भाषाओं पर लादा जा रहा है उनसे मैं कहूंगा कि क्या उनके पास हिन्दी के विकल्प के अलावा देश की एकता के लिए कोई दूसरा विकल्प है। क्या देश की एकता, उत्थान और देश में जनता का राज बिना जनता की भाषा स्थापित किये हो सकता है? दुनिया के किसी अन्य देश में जब ऐसा मुमकिन नहीं हो सका तो फिर हमारे यहां ही कैसे हो सकता है?

अब जहां तक सरकार द्वारा हिन्दी को प्रोत्साहन देने की बात है हम तो खुद सरकार की हिन्दी नीति के आलोचक हैं क्योंकि वह खुद ढिलमिल नीति अपनाती है और वह खुद अंग्रेजी पसन्द है। हमारे मित्र शिक्षा मंत्री महोदय डा० श्रीमाली यहां बैठे हैं और मैं तो उनकी मौजूदगी में यह बात कहना चाहता हूं कि जहां तक होता है वह हिन्दी में किये गये प्रश्नों का भी जवाब अंग्रेजी में देते हैं और आप देखेंगे कि जब वह आज बहस का उत्तर देंगे तो भी अपना भाषण अंग्रेजी में ही शुरू करेंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने अंग्रेजी में नहीं बोला तो शायद यह समझा जायगा कि अंग्रेजी का महत्व वे कम समझने लगे हैं। अब मंत्री महोदय पर मेरा कोई लांछन नहीं है और वह उठने की तकलीफ न करें। लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक विचारधारा चलती है.....

डा० का० ला० श्रीमाली : मैं यहां पर यह बात साफ कर देना चाहता हूं कि जब भी हिन्दी में प्रश्न होता है तो मैंने हमेशा उसका जवाब हिन्दी में दिया है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (गुड़गांव) : श्री ब्रजराज सिंह का आरोप यह है कि आप अंग्रेजी में अपना भाषण देते हैं। उनका कहना है कि आज जो आप जवाब दें वह हिन्दी में दें।

श्री ब्रजराज सिंह : मेरा डा० श्री माली से कोई खास विरोध नहीं है। मैं तो कहना चाहता हूं कि अंग्रेजी का मोह न त्यागने और उससे चिपके रहने की देश में इस तरह की एक प्रवृत्ति हो गई है और समझा यह जाता है कि जब तक अंग्रेजी भाषण नहीं किया जायेगा तब तक यह समझा जायेगा कि अंग्रेजी के महत्व को हम कम करने लगे हैं।

आखिरी बात मैं यह निवेदन करूंगा कि एक बात निश्चित कर लेनी चाहिये और अगर कोई व्यवस्था हो सकती हो तो कर लेनी चाहिए जिससे संसद् में जो हमारे तामिलभाषी व अन्य भाषाभाषी मित्र हैं वे अपनी उन मातृभाषाओं में यहां भाषण दे सकें और उनका अनुवाद किया जाये या और कोई प्रबन्ध किया जाये लेकिन उन पर यह दबाव न डाला जाये कि उन्हें हिन्दी या अंग्रेजी में ही यहां बोलना पड़ेगा। जिनकी मातृभाषा तामिल और बंगला आदि हो उन पर यह दबाव न डाला जाये कि वे संसद् में हिन्दी या अंग्रेजी में ही बोलें। उनको अपनी मातृभाषा में भाषण देने की आजादी हो.....

उपाध्यक्ष महोदय : प्रीसाइडिंग आफिसर की क्या हालत होगी ?

श्री ब्रजराज सिंह: अब वह तो उसका कोई न कोई हल निकाल लेंगे। अगर मुझ से पूछा जायेगा और मैं उस वक्त प्राप्य हूंगा तो मैं उसका हल जरूर बतलाऊंगा। लेकिन ऐसी कोई इच्छा ही नहीं है। लोगों में इस तरह की व्यवस्था करने की इच्छा नहीं है और अंग्रेजी से चिपके रहना चाहते हैं लेकिन कहने को कह दिया जाता है कि हिन्दी और दूसरी प्रादेशिक भाषाओं का झगड़ा है। मैं कहना चाहता हूं कि वह झगड़ा नहीं है। अगर इस बात की जांच पड़ताल की जा सके, तो मालूम होगा कि हिन्दुस्तान के आजाद होने और हिन्दी के देश की सरकारी भाषा घोषित किये जाने के बाद कितने ही विदेशी हितों ने हिन्दी के खिलाफ षडयंत्र किया है और अंग्रेजी के प्रचार के किए करोड़ों रुपया खर्च किया है। लेकिन विदेशी हितों को अंग्रेजी से कोई खास प्रेम नहीं है। उन की इच्छा तो यह है स्वाधीनता की परम्परा इस देश में न जमने पाये—इस देश में ऐसी स्थिति न हो सके कि जिन लोगों से हमारा पहले लगाव रहा है, वह लगाव समाप्त हो सके। इसी लिए अंग्रेजी को इस देश में बनाये रखने का हमेशा प्रयत्न किया गया है। मेरी सूचना है कि करोड़ों रुपया इस षंडयंत्र पर खर्च किया गया है कि अपनी भाषा को अपनाने की भावना इस देश में पैदा न हो। पहले यह बात सब ओर से कही जाती थी कि हिन्दी के द्वारा यह देश एक हो और हिन्दी के द्वारा देश का राष्ट्रीय आन्दोलन चले, लेकिन आज कौन सी बात पैदा हो गई है कि इन सीज़न एंड आउट आफ़ सीज़न — मौसम-बेमौसम — चाहे चीफ मिनिस्टर्ज कांफ्रेंस हो, राष्ट्रीय एकता समिति हो या हिन्दी साहित्य सम्मेलन विधेयक पर बहस हो, या कोई रिपोर्ट पेश हो, जब भी कोई मौका मिलता है, हमेशा इस बात का ज़िक्र ज़रूर किया जाता है कि हिन्दी वाले डामीनेशन चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दी वालों के डामीनेशन को खत्म किया जाना चाहिए। किसी पर हिन्दी का प्रभुत्व कायम करने का सवाल नहीं है। मै तो उन लोगों में से हूं, जो यह चाहते हैं कि अगर ज़रूरत पड़े, तो इस आशय का कानून बनाना जाना चाहिए कि पांच दस साल के लिए हिन्दी-भाषी प्रांत से कोई व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा।

मै माननीय सदस्यों, श्री अरुणचन्द्र गुह, श्री मुनिस्वामी, श्री थानू पिल्ले और दूसरे मित्रों से यह पूछता हूं कि क्या उन में यह हिम्मत है कि वे यह कहें कि हिन्दी भाषी प्रान्त से कोई व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर नहीं होना चाहिए। वे नहीं कहेंगे, क्योंकि इससे उन का अपना अस्तित्व खत्म होता है। अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए वे हिन्दी भाषा का विरोध करते हैं, जिस से देश की एकता भंग होती है और देश को नक्सान होता है।

मैं यह आशा करता हूं कि जो बिल हमारे सामने है, उस को सच्ची भावना से पास किया जायेगा और जो मित्र मौसम-बेमौसम हिन्दी का विरोध किया करते हैं, वे इस बात को छोड़ कर कोई रचनात्मक काम करने की कोशिश करेंगे। जिन लोगों को हिन्दी के प्राटेगानिस्ट्स कहा जाता है, उन के बारे में यह कहा जाता है कि वे दूसरी भाषाओं को कुर्बान कर के हिन्दी का प्रचार करना चाहते हैं मैं इस बात का आश्वासन देना चाहता हूं कि उन की कतई यह इच्छा नहीं है कि इस देश की दूसरी भाषाओं को नुक्सान हो। हिन्दुस्तान की सभी भाषायें एक दूसरे की बहन हैं और एक भाषा का विकास दूसरी भाषा के विकास से सम्बन्धित है। सभी भाषाओं का विकास होना चाहिए।

लेकिन हिन्दी भाषा को अपनाने का मतलब यह नहीं है कि उसका साहित्य दूसरी भाषाओं से अच्छा है। बंगला का साहित्य बहुत उत्कृष्ट है और तामिल भाषा सब से पुरानी भाषा है, लेकिन हिन्दी को इसलिए स्वीकार किया गया है क्योंकि इसका कोई विकल्प नहीं है। देश की एकता के लिए, उसके उत्थान और विकास के लिए, देश-वासियों में स्वाभिमान और देशाभिमान

की भावना को कायम रखने के लिए हिन्दी को अपनाया जाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए यह आवश्यक है कि सभी लोग हिन्दी को इच्छा से स्वीकार करें, क्योंकि हिन्दी के विकास के अलावा देशके सामने और कोई विकल्प नहीं है।

†**श्री थानू पिल्ले** (तिरुनलवेली) : यह विधेयक वास्तव में हिन्दी विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिये है। स्कूल, कालिज और संस्थायें चलाना और उनको सम्बद्ध करना विश्वविद्यालय का काम होता है--इस सम्मेलन का नहीं। इस का उद्देश्य हिन्दी साहित्य व भाषा का प्रचार करना, उपाधियां आदि देना तथा हिन्दी के प्रसिद्ध लेखकों को पारितोषक आदि देना है। यदि इस विश्व-विद्यालय का रूप दिया जा रहा है तो माननीय सदस्यों के विचार इस विधेयक पर बिल्कुल भिन्न होंगे।

†**डा० का० ला० श्रीमाली**: सम्मेलन को ये दो नई शक्तियां नहीं दी जा रही हैं। इस के आरम्भ से ही यह उपाधियां और डिप्लोमे देने, समूचे देश की सब संस्थाओं की सम्बद्ध करने आदि के काम कर रहा है। इसलिये इस बात पर कोई आशंका नहीं रहनी चाहिये। हम इस संस्था को वर्तमान कठिनाई से निकालने का प्रयास कर रहे हैं। यही सीमित उद्देश्य है इस विधेयक का। वास्तव में भारत सरकार तथा देश से विश्वविद्यालयों ने इसकी उपाधियों को पहले ही स्वीकार कर रखा है।

†**श्री थानू पिल्ले** : जब हिन्दी के पंडितों को उपाधि-कारी माना जायेगा तो क्या तमिल आदि भाषाओं के पंडितों को भी उन के बराबर माना जायेगा ? मुझे यह समझ में नहीं आता।

†**श्री रघुनाथ सिंह** (वाराणसी) : आप के राज्य को ऐसा कर लेना चाहिये था।

†**श्री थानू पिल्ले** : हम इस सम्मेलन को विश्वविद्यालय का दर्जा दे रहे हैं। भारत सरकार अपनी शक्तियां इस सम्मेलन को सौंपने जा रही है। यदि हिन्दी प्रचार के लिये दिल्ली में या दक्षिण में हिन्दी विश्वविद्यालय कायम किया जाता तो ठीक था। केवल पुस्तकें लिखने के लिये सम्मेलन को ये शक्तियां नहीं देनी चाहियें। मेरे संदेह काफी ठोस हैं।

†**डा० मा० श्री अणे** : विश्वविद्यालय शब्द कहीं भी नहीं।

†**श्री थानू पिल्ले** : यदि 'विश्वविद्यालय' शब्द रखा जाता तो मुझे प्रसन्नता होती। किन्तु शब्द न रख कर इसे वही सब शक्तियां दी जा रही हैं जो विश्वविद्यालय के पास होती हैं।

[**श्री मूलचन्द दुबे** पीठासीन हुए]

श्री बो० डो० मिश्र ने हिन्दी को शिक्षा का माध्यम बनाने, योग्यता को प्राथमिकता देने आदि का उल्लेख किया था। इन्हीं बातों से तो सन्देह उत्पन्न होता है और अहिन्दी भाषी लोगों को शंका होती है कि वे हिन्दी भाषी लोगों के समान आसानी से और अच्छी तरह हिन्दी नहीं सीख सकेंगे। हम लोगों के इन सन्देहों को मिटाने का प्रयत्न अपने क्षेत्रों में करते हैं। संसद् की समिति ने तथा प्रधान मंत्री ने अहिन्दी भाषी लोगों को आश्वासन दिया था ताकि उन के सन्देह दूर हो जायें और कहा था कि जब तक वे लोग चाहेंगे अंग्रेजी सहायक भाषा के रूप में जारी रहेगी।...

†**श्री रघुनाथ सिंह** : हिन्दी अपनी है, अंग्रेजी विदेशी भाषा है।

†**श्री थानू पिल्ले** : मेरे लिये हिन्दी उतनी ही विदेशी है जितनी अंग्रेजी है। मैं दस वर्षों से हिन्दी का समर्थन रहा हूं और मैं हिन्दी प्रदेश के सदस्यों के रवैये में परिवर्तन अनुभव कर रहा हूं। वे हमारी कठिनाइयां समझते हैं। इस विधेयक के पारित किये जाने से पंत जी द्वारा उस समिति के द्वारा किया गया अच्छा काम समाप्त हो जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री थानू पिल्ले]

इस विधेयक पर अगली संसद को विचार करना चाहिये। तब तक के लिये इसे स्थागित कर दिया जाए। इस सत्र के अन्तिम दिन इसे जल्दी से पारित करना ठीक नहीं होगा।

मा० मंत्री कहते हैं कि प्रादेशिक भाषायें अंग्रेजी का स्थान शिक्षा का माध्यम के रूप में लेंगी। मेरा इस से मतभेद है।

डा० मा० श्री अणे : हम इस से असहमत हैं।

†**श्री थानू पिल्ले** : शिक्षा विद भी मानते हैं कि अंग्रेजी जारी रहे जब तक विश्वविद्यालयों में हिन्दी उस का स्थान ग्रहण न कर ले। वाद में हिन्दी हो सकती है किन्तु यदि अंग्रेजी का स्थान प्रादेशिक भाषाओं ने लेलिया तो हिन्दी कभी प्रादेशिक भाषाओं का स्थान न ले सकेगी। यदि देश की एकता कायम रखनी है तो अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी आनी चाहिये।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : यह इरादा कभी नहीं था कि हिन्दी प्रादेशिक भाषाओं का स्थान ग्रहण करेगी।

†**श्री थानू पिल्ले**: प्रशासन अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी या प्रादेशिक भाषाओं को नहीं ला सका है क्योंकि अफसर कहते हैं कि वे प्रादेशिक भाषाओं में काम नहीं कर सकते। जब वे अंग्रेजी पढ़ कर प्रादेशिक भाषाओं में काम नहीं कर सकते, तो मातृ भाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त व्यक्ति दूसरे भाषा में कैसे काम करेगा ?

मेरी यह अपील है कि हिन्दी भाषा का प्रचार इस ढंग से किया जाये कि अन्य लोग चिढ़ न जायें और उन के मन में सन्देह पैदा न हों। हमें हिन्दी का प्रचार अहिन्दी भाषी क्षत्रों में करना है, न कि उत्तर प्रदेश आदि में। यह काम सद्भावना और शुभकामनाओं से होगा और तभी हिन्दी का विकास संभव है।

नैक टाई के लिये 'कंठलंगोट' शब्द रखा गया है। क्या और कोई उचित शब्द नहीं रखा जा सकता था ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : हम इस वादविवाद में अनावश्यक तौर पर गर्मी ला रहे हैं सरकार का इरादा स्पष्ट है। हम इस संस्था को राष्ट्रीय महत्व की संस्था बना रहे हैं। और कोई दूसरी शक्तियां नहीं दे रहे हैं। ये सब शक्तियां पहले ही सम्मेलन के पास हैं ?

इन शब्दों के लिये उदाहरणार्थ 'कंठलंगोट' शब्द कोष में कहीं उपयोग मे नहीं आये हैं। न मालूम मा० सदस्य कहां से यह शब्द लाये हैं।

†**श्री थानू पिल्ले** : मैं शब्द रचना नहीं करता।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जहां से यह शब्द लिया गया होगा उस का उल्लेख किया जाये। क्या किसी सरकारी कागज शब्द कोष में इस का उपयोग है जिसे सरकार ने मान्यता दी है? किसी ने कह दिया होगा और वे हिन्दी का मजाक उड़ाने लगते हैं। यह हिन्दी के प्रति न्याय नहीं है। कोई व्यक्ति मजाक करता है और लोग उसे गम्भीरता से लेने लगते हैं।

†**श्री थानू पिल्ले** : मैं आप को एक उदाहरण और दूंगा। स्वर्गीय विद्वान आर० पी० सेतुपिल्ले इस अनुवाद समिति के एक सदस्य थे। उन्हों ने किसी शब्द के पर्याय पर चर्चा के दौरान **मीन क्षेत्र** यह पर्याय निर्धारित करने का सुझाव दिया था। हन लोगों में 'क्षेत्र' मन्दिर को भी कहते हैं। संस्कृत पर

---

†मूल अंग्रेज़ी में

आधारित कुछ शब्द ऐसे हैं जिन का अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में कुछ और अर्थ प्रचलित हो गया है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा लक्ष्य एक ऐसी भाषा का प्रसार करना है जो सभी को स्वीकार्य हो न कि लोगों के मानस में यह आशंका उत्पन्न करना कि सम्मेलन एक विश्वविद्यालय होगा और उस के उपधारी पंडित एम० ए० या एम० एस० सी० उपाधिधारियों के समकक्ष होंगे। मुझे यह आशंका इसलिये हुई है कि संसद् सदस्यों द्वारा व्यक्त विचारों का कुछ तो प्रभाव होगा ही। इस लिये हिन्दी के कार्य और देश की एकता के प्रति पूर्ण निष्ठा रखते हुए भी मैं माननीय मंत्री से कहूंगा कि इस विधेयक पर विचार स्थगित कर दिया जाये, एक प्रवर समिति उस पर विचार करे और विधेयक इस अधिवेशन में पारित करने के बजाय अगले अधिवेशन मे उस पर पूर्ण रूप से विचार किया जाये। इस प्रकार का महत्वपूर्ण विधान पारित करने में जल्दी बाजी करना ठीक न होगा।

हिन्दी सम्मेलन के संचालक अपने मतभेदों को भुला कर अच्छी पुस्तकें प्रकाशित नहीं कर पाते तो माननीय मंत्री से एक संस्था को शक्तियां प्रदान कर उन सभी क्षेत्रों में, जहां हिन्दी का पहले ही विरोध किया जा रहा है, हिन्दी के प्रसार का महत्वपूर्ण कार्य सौंपने की बात किस प्रकार सोच ली यह समझ में नहीं आता। फिरभी यदि वे इसे अभी पारित करने पर तुल गये हैं तो मैं उन से अनुरोध करूंगा कि वे खण्ड ६ के उप-खंड (ङ) से (ट) मे उल्लिखित शक्तियों को विधेयक में न रहने दें यदि ऐसा कर दिया जाता है तो हम लोगों की आशंका काफी हद तक दूर हो जायेगी। संसद् में बोलने का मेरा यह अन्तिम अवसर है और मैं यह अह दूं कि हम हिन्दी का विरोध नहींकरना चाहते। मैं मंत्री महोदय को सुझाव दूंगा कि वे देश भर के लिये एक हिन्दी विश्वविद्यालय की स्थापना करें और इस विश्वविद्यालय को सभी कालेजों को सम्बद्ध करने का काम सौंपा जाये। आगे चलकर यदि ये सभी राज्य विश्व-विद्यालयों में प्रादेशिक भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बना दें तो हमारे पास काम चलाने के लिये पर्याप्त अनुवादक नहीं होगे। इसलिये एक हिन्दी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाये और भी संस्था विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के लिये हिन्दी को माध्यम के रूप मे स्वीकार कर ले उसे विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कर दिया जाये। यदि हम अंग्रेजी के बजाय प्रादेशिक भाषाओं का प्रश्रय न लें तो संभव है कि राज्य सरकारेंअनुदान देने से इन्कार कर दें। वे इस प्रकार हमें किसी ऐसी नीति के पालन के लिये बाध्य कर सकती हैं जो हमे स्वीकार न हों। कालेजों में शिक्षा का माध्यम क्या हो यह बात छात्रों और उन के अभिभावकों पर दी जानी चाहिये। मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वे इस विधेयक पर विचार स्थगित कर हिन्दी विश्वविद्यालय विधेयक प्रस्तुत करें।

पंडित ज्वा० प्र० ज्योतिषी (सागर) : सभापति महोदय, इस विधेयक का स्वागत करते हुए मैं उन महानुभावों को अपनी नम्र श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा जिन्हों ने हिन्दी साहित्य सम्मेलन की स्थापना की और इस देश के सामने, इस देश के निर्माण के लिये, एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान किया है। पिछले पचास या बावन वर्षों में हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने जोहिन्दी की सेवा की है वह इस देश की संस्थाओं के इतिहास में निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण स्थानरखती है। मुझे दुख हुआ इस सदन में कुछ मित्रों ने, जो कि हिन्दी भाषी नहीं हैं, जो चर्चा की। उसे सुन कर मैं यह महसूस करता हूं कि काश उन्हें इस बात से पूरी तरह अवगत किया गया होता कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने क्या कार्य किया है उस का लक्ष्य क्या है और आज वह किस स्थिति में है। यदि ऐसा किया गया होता तो मैं समझता हूं कि जो बहुत सी बातें यहां पर कही गई वे न कही जातीं।

इस बिल के द्वारा दूसरे भाषा भाषी मित्रों से हम उन की भाषा विकास का अधिकार छीन रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इस बिल के द्वारा हम उन की छाती पर हिन्दी का साम्राज्य लाद रहे हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। हम यह जानते हैं कि हमें सब से ज्यादा इस देश की एकता वांछनीय है और अगर

[पंडित ज्वा० प्र० ज्योतिषी]

कोई भी चीज हमारी एकता के मार्ग में बाधक होती है तो हम उस चीज को लोगों की मर्जी के खिलाफ कभी चलाना पसन्द नहीं करेंगे। लेकिन इस देश के लोगों ने, विचारवान लोगों ने, स्वयं यह महसूस किया कि इस देश की एकता को अक्षुण्ण करने के लिये इस देश में शुद्ध राष्ट्रीयता को विकसित करने के लिये यह जरूरी है कि हम एक भाषा को विकसित करें। और उस भाषा का स्थान सब लोगों ने निश्चित किया कि हिन्दी को दिया जाये।

आज हिन्दी साहित्य सम्मेलन कुछ उलझनों में पड़ गया है। उसकी मैनेजिंग कमेटी के आदमी आपस में झगड़े। एक महान आदर्श जो उन के सामने था उस के लिये राज्य भाषा हिन्दी को राष्ट्र भाषा के आसन पर प्रतिष्ठि करने के लिये, जो सहायक कार्यकारिणी थी उस में झगड़ा हुआ। उस झगड़े को समाप्त करने की आवश्कयता को अनुभव कर के डा० श्रीमाली ने इस प्रस्ताव को इस सदन के समक्ष उपस्थित किया है। एक संस्था जिस में बड़ी सजीवता थी और जो बड़ी शक्तिशाली संस्था थी वह किन्हीं रट्स में पड़ गई है। वह संस्था उन रट्स में से उठे और साहित्यक निर्माण का कार्य फिर से आरम्भ किया जा सके इस पवित्र उद्देश्य से यह बिल इस सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है।

कुछ मित्रों ने इस बिल की चर्चा के दर्म्यान भाषा की क्लिष्ठता की बात कही है? कहा है हिन्दी क्लिष्ट? आज जिस हिन्दी का प्रचलन लाखों साहित्यकारों द्वारा हो रहा है, मैं तो नहीं समझता कि उस मेंकहीं ऐसी कोई कठिनाई है। आज का साहित्यकार,जिसे अपनी बात समाज के हृदय तक पहुंचानी है, इस बात से भली भांति अवगत है। वह जानता है कि अगर उसे अपनी बात को लोगों के मस्तिष्क पर उतारना है, लोगों के हृदयों तक पहुंचाना है तो यह जरूरी है कि वह लोक भाषा का प्रयोग करें, शब्दों और मुहावरों को जनसाधारण से लें। अगर नेताओं को सधारण आदमियों तक अपनी बात को पहुंचाना है और समझाना है तो जरूरी है कि वे उन की भाषा का उपयोग करें। यहां अलग अलग किस्म के लोग रहते हैं, अलग अलग किस्म के लेख होते हैं। अलग अलग किस्म के विषय होते हैं विषयों के अनुकूल भाषा भी कठिन और सरल हो जाती है। जो लोग भाषा को नहीं जानते हैं उन की स्थिति बड़ी कठिन है। लेकिन अगर कोई तैरना नहीं जानता है वह यह कह कर तैरना कठिन है पानी से दूर रहे तो वह कभी भी तैरना नहीं सीख सकेगा, जैसा कल मेरे एक मित्र ने कहा था। तैरना सीख ने के लिये पानी में पैठना जरूरी है जिस तरह से उसी तरह से भाषा को कठिन कठिन कह कर उस से दूर रहने से या उस की आलोचना करते रहने से काम बनने वाला नहीं है। आज के हिन्दी साहित्यकार और पुराने हिन्दी साहियकार ने जिस तरह की हिन्दी लिखी है वह जनसाधारण की हिन्दी थी। हमारे तुलसी ने लिखा :

सो अनन्य जाके अस मति न टरै हनुमन्त।
मैं सेवक सचराचर रूपराशि भगवन्त।।

कहां इस में कठिनाई है? मीरा ने लिखा :

या बज में कुछ देखो री टोना।
दधि को नाम बिसरि गई प्यारी, ले त्यों कोई श्याम सलोना।

कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जिस में कठिनाई हो, कौन सी चीज है इस में जिसे देश समझ न सके। सूर ने जिस भाषा का प्रयोग किया; जायसी ने जिस भाषा का प्रयोग किया, आज पन्त ने भी जिस भाषा का प्रयोग किया :

जग पीडित है दुख से, जग पीड़ित है सुख से,
मानव जग में बट जाये दुःख सुख से और सुख दुःख से।

कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई कठिनाई शब्दों को समझने में पड़ती हो। परन्य कुछ लोग अपने विचार कक्ष में बैठ कर भाषा को नया रूप देना चाहते हैं। पारिभाषिक शब्द यहां वहां

रखते हैं। उन पारिभाषिक शब्दों को देख कर या किसी शास्त्रीय पुस्तक की भाषा को देख कर लोग हिन्दी पर लांछन लगा रहे हैं कि कठिन भाषा है। लेकिन मैं प्रेमचन्द की भाषा की तरफ उन का ध्यान आकर्षित करूंगा मैं सुदर्शन की भाषा की तरफ उन का ध्यान आकर्षित करूंगा। हिन्दी के सैंकड़ों लेखक जो आज कल लिख रहे हैं उन के लेखों की तरफ मैं ध्यान आकर्षित करूंगा। डा० रघुबीर या किसी दूसरे आदमी जो किस खास किस्म से सोचने वाले आदमी हैं, जिन की साहित्य निर्माण के क्षेत्र से उतनी दिलचस्पी नहीं है, उन की बात को ले कर हिन्दी को कोसने लगना एक बड़ी गलत सी चीज है। भाषा तो एक रेवा के सदृश है। जिस तरह से नर्मदा कहीं चट्टानी जमीन से निकलती है तो कहीं साधारण उपजाऊ जमीन से निकलती है। उस का काम होता है कि चट्टानी जमीन का अन्त कर के उस को सुन्दर बना दे और जो उपजाऊ जमीन उस जमीन को भी सुन्दर हरियाली से अलंकृत कर दे। जो विचार साहित्यकार के हृदय में होता है जिस तरह से रेवा चट्टानी जमीन को भी और उपजाऊ जमीन को भी अलंकृत करती है सौंदर्य से, उसी तरह से कठिन शब्दों को ले कर वह अपने भावों को प्रकट करता है। और जहां उन्हें दूसरे किस्म का भाव व्यक्त करना होता है वहा सरल भाषा का प्रयोग करते हैं।

स्टाइल इज दी मैन——यह जो बात कही गयी है वह भाषा के प्रयोग में मनुष्य पर पूरी तरह लागू होती है। जहां विचार मनुष्य का स्पष्ट होता है उस के मस्तिष्क में, वहां वह सरलतापूर्वक निकलता है और भाषा अपने आप सरल हो जाती है, सरल स्वरूप जहां विचार में जरा उलझन होती है या कठिनाई होती है किसी भाव की अभिव्यक्ति में वहां भाषा अपने आप कठिन हो जाती है।

मेरे मित्र प्रो० हीरेन मुखर्जी ने कल कहा कि हिन्दी बड़ी कठिन हो रही है। मैं उन से पूछना चाहता हूं कि रवीन्द्र की भाषा और बंकिम की भाषा क्या एक है? और रवीन्द्र ने स्वयं भी जब गीतांजलि, जो कि जन साधारण के लिये लिखी, तो जनसाधारण की भाषा में लिखी, लेकिन उर्वशी के सौंदर्य का चित्रण करने में उन्हों ने किस भाषा का प्रयोग किया है। एक ही आदमी अगर एक किसान का गीत लिखता है तो उस में सरलतम भाषा का प्रयोग करता है और वही आदमी जब किसी दार्शनिक गुत्थी में उलझ जाता है तो कठिन भाषा का प्रयोग करता है। जो भाषा के रस के ग्राही हैं उन के लिये लाजिमी है कि वह चाहे चट्टान के सामान हो या भुसभुसी जमीन के समान हो उस में श्रम करें। यदि हम साहित्य का रस लेना चाहते हैं दो फिर चाहे वह साहित्य कठिन भाषा में हो या सरल भाषा में हो हमें उस का अध्ययन करना होगा। तो मैं इस कारण भाषा को सरलता या कठिनता को कोई बड़ा महत्व नहीं देता। आप देखें कि पृथ्वीराज रासो की भाषा इस प्रकार की थी :

धरा पिट्ठ तिट्ठम्, कनिंगे गरिट्ठम्।

वही भाषा जायसी के काल में कुछ इस प्रकार की हो गयी :

उकुत विशेषो कब्बो, भाषा जाहो साहो।

आज जहां भाषा पहुंची है वही वह बात पहुंचेगी। जरूरत इस बात की है कि हिन्दी के समग्र रूप को पहचाना जाये। निश्चित रूप से उर्दू, अवधि ये उसकी विभिन्न शैलियां हैं। इन शैलियों के झगड़ों को ले कर हमारी भाषा का जो विस्तृत क्षेत्र है हम उस के टुकड़े नहीं करेंगे। विभिन्न भाषाओं के मुहावरे हिन्दी में लायें, विभिन्न भाषाओं की कहावतें हिन्दी में लायें, दूसरी भाषा के साहित्यकारों की शैलियां हिन्दी में आयें इस तरह का यत्न जरूरी है। यह देश में एकता स्थापित करने में सहायक होगा।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन एक महान संस्था है। मेरा विश्वास है कि इस बिल के द्वारा वह हिन्दी साहित्य सम्मेलन इस स्थिति में पहुंच सकेगा। जिस स्थिति में पहुंच कर वह सही साहित्य के सृजन में साहित्यकारों को लगा सके।

[पंडित ज्वा० प्र० ज्योतिषि]

मैं यह महसूस करता हूं कि इस देश में जो विचारवान साहित्यिक हैं उन के लिये कुछ ऐसी सुविधा पैदा की जाये कि वे अपने घरेलू कामों से निश्चित हो कर शान्त वातावरण में बैठ कर जिन्दगी का अध्ययन करते हुए और जो पिछला उनका जिन्दगी का अध्ययन है उसको ले कर आज के युग के अनुकूल और भविष्य की दृष्टि से जिस साहित्य की आवश्यकता है उस का सृजन कर सकें। मैं समझता हूं कि हम काश्मीर, अमरकंटक, बंगलौर और बम्बई जैसे स्थानों में ऐसे साहित्य सदनों को स्थापना कर सकें जिन में कि विचारवान साहित्यक बैठ कर. . . .

एक माननीय सदस्य : बम्बई में तो बड़ा संघर्ष होगा ।

पंडित ज्वा० प्र० ज्योतिषी :: मैं यह विश्वास नहीं करता कि आराम में सही साहित्य का निर्माण होता है। संघर्ष के बिना सही साहित्य का निर्माण नहीं होता लेकिन संघर्ष इतना ज्यादा नहीं होना चाहिये कि साहित्य सृजन के लिये समय ही न मिले ! संघर्ष से डर कर हमें उस से नहीं डरना चाहिये। इस लिये मैं ने बम्बई और बंगलौर का नाम लिया है । मैं चाहता हूं कि साहित्यक इन स्थानों में संघर्ष के समीप रहें। उस का पान करें। और जो उस का निचोड़ हो उन की जिन्दगी में उसी के आधार पर वह अपने भवन में बैठ कर साहित्य का निर्माण करें ताकि सही साहित्य देश को मिल सके ।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन के कार्य में व्याघात पड़ जाने के कारण विश्व कोष का काम अधूरा सा रह गया। मैं समझता हूं कि इस बिल के द्वारा हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सशक्त बन जाने पर इस कार्य को पुनः लिया जा सकेगा और पूरा किया जा सकेगा ।

मैं यह कह देना आवश्यक समझता हूं कि दूसरी भाषाओं को बोलने वाले मित्र इस मुद्दे को अच्छी तरह समझ लें कि हिन्दी को लादने की गरज से इस बिल को प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रो० हीरेन मुकर्जी ने कहा कि दूसरी साहित्यक संस्थाओं को इस तरह का सही योग नहीं दिया जा रहा है। मैं इस बात का कतई विरोधी नहीं हूं कि इस देश में जो इधर उधर दूसरी साहित्यक संस्थायें हैं उन को सरकार द्वारा सहयोग दिया जाये या उन को ताकत पहुंचायी जाये। मैं तो विश्वास करता हूं कि प्रान्तीय सरकारें इस तरह की संस्थाओं को बराबर ताकत देती रही हैं। लेकिन यह बात भी मैं अत्यन्त नम्रतापूर्वक अपने अहिन्दी भाषी मित्रों के सामने रखना चाहूंगा कि हिन्दी को हमने आप ने सब ने मिल कर राष्ट्रभाषा के पद पर पहुंचाने का निश्चय किया है। इसलिये हिन्दी की संस्थाओं के लिये आप को थोड़ा अधिक प्रश्रय देना होगा, कारण यह है आप के मन की भावना है और यह आप का निश्चय है कि हिन्दी उस स्थिति में पहुंच सके जहां पहुंच कर के वह देश का महत्वपूर्ण कार्य करे, जो काम उस ने संभाला है उस को संभालने में सक्षम हो सके। इसलिये यह जरूरी है कि यदि हिन्दी की किसी संस्था को बल दिया जाता र तो उस का हम सब मिल कर समर्थन करें ।

कोई हिन्दी भाषी, कम से कम मेरे जैसे विचारों वाला, जल्दी नहीं करना चाहता। हम अहिन्दी भाषी मित्रों के महितष्कों में यह बात पैदा नहीं करना चाहते कि हिन्दी को इस स्थान पर लाने में जल्दबाजी की जा रही है। लेकिन यह जरूरी है कि जो हम ने एक मकसद तै किया है उस दिशा में हमारी प्रगति तो कुछ हो। हिन्दी की तरक्की का जब कोई प्रस्ताव आवे, हिन्दी के काम को ताकत पहुंचाने का जब कोई प्रस्ताव आवे, तब हम उस का विरोध करने लगें तो इस से तो हम अपने मकसद पर नहीं पहुच सकेंगे ।

श्री थानु पिल्लै ने जो बातें कहीं उन से मुझे लगता है कि उन के मन में यह बात है कि, यह शक है, कि हम हिन्दी को दूसरों की मर्जी के खिलाफ अपने मित्रों की मर्जी के खिलाफ जल्दी से इधर उधर

लाद देना चाहते हैं। ऐसा कतई कोई मंशा इस बिल के पीछे नहीं है। इस बिल के पीछे तो एक और केवल एक यही मंशा है कि हिन्दी को एक संस्था जिसे कई बड़े विचारवान लोगों ने भविष्य को ध्यान में रखते हुए कायम किया था, वह संस्था फिर से सशक्त हो जाये और राष्ट्र निर्माण का जो उस का महत्वपूर्ण कार्य है उस कार्य को शक्ति के साथ आगे बढ़ा सके। यह प्रस्ताव फिर से हमारी उस संस्था को उस स्थान पर स्थापित करेगा ऐसा मेरा विश्वास है और इसलिये मैं इस का समर्थन करता हूं।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : सभापति जी, भारतीय स्वाधीनता संग्राम के समय दो नारे हमारे देश वासियों को सुनने को मिले। एक लखनऊ से और दूसरा इन्दौर से। लखनऊ में भगवान तिलक ने यह नारा लगाया कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इन्दौर से हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष पद से महात्मा गांधी जी ने कुछ समय पश्चात् ही यह नारा लगाया कि हिन्दी का प्रश्न स्वराज्य के प्रश्न से कहीं अधिक बड़ा है। आगे चल कर ये दोनों नारे साथ साथ मिल कर चले और भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दोनों ही अंग बन गए।

यह देश का सौभाग्य था कि जो साहित्यिक क्षेत्र के नेता थे वही जिम्मेदार नेता राजनीति की लगाम भी अपने हाथ में लाकर चला रहे थे। इसका सुपरिणाम यह हुआ कि जब देश स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्र होने के पश्चात् देश की राजभाषा बनाने का निर्णय होने लगा तो उसी पृष्ठभूमि में हमने यह निश्चय किया कि स्वाधीन भारत में १५ वर्ष के पश्चात् हिन्दी राजभाषा घोषित की जाएगी।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करते समय मुझे लगता है कि सरकार के सामने दो दृष्टियां हैं। एक तो इस दृष्टि से उन्होंने यह मार्ग चुना है कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन की प्रबन्ध कारिणी समिति में इतनी अव्यवस्था फैल गयी थी कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन अपने मार्ग से और अपने उद्देश्य से भटक गया था। पर्याप्त प्रतीक्षा की गयी कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन के कार्यकर्ता कुछ सावधानी और समझदारी से काम लें, लेकिन जब वे ऐसा नहीं कर पाए तो विवश हो कर सरकार को इस प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ी।

दूसरी चीज यह सम्भव है कि वह सरकार जिसने संविधान में हिन्दी को राजभाषा के पद पर आसीन करने का व्रत लिया है, हिन्दी साहित्य सम्मेलन क्योंकि उसकी सबसे प्रमुख संस्था है, उसकी दूषित व्यवस्था को देख कर सरकार ने यह निश्चय किया हो कि इस कार्य को हम अपने हाथ में लें और हिन्दी की प्रगति के कार्य को आगे बढ़ाएं। जहां तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है कि जो व्यवस्था दूषित थी अब सरकार के हाथों में आने से उस व्यवस्था में कुछ संशोधन होगा इस में कुछ अधिक संदेह तो प्रतीत नहीं होता लेकिन फिर भी इतना अवश्य है कि सरकारी मशीनरी को बिल्कुल दूध का धुला हुआ नहीं माना जा सकता है। जो अव्यवस्था दूसरे हाथों में थी सरकार के हाथों में आने स यह अव्यवस्था सर्वथा समाप्त हो जायगी ऐसी बात तो नहीं है परन्तु फिर भी मेरा अपना विश्वास इस प्रकार का है कि सरकार इस संस्था को उसी पवित्र उद्देश्य से चलाने के लिए प्रयत्नशील होगी जिन उद्देश्यों को लेकर इस संस्था की नींव डाली गई थी और इस संस्था के संस्थापकों ने इसकी स्थापना की थी।

जहां तक हिन्दी की प्रगति का सम्बन्ध है उस के सम्बन्ध में तो मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार की नीति के लिए इससे बड़ा प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं कि पिछले १२ वर्षों के समय में यह सरकार जिस मंथर गति से चल रही है मेरा अपना अनुमान है कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन को अपने हाथों में लेने के पश्चात् यह सरकार कहीं उसी प्रकार की दुर्बलता और प्रमादी नीति का हिन्दी साहित्य सम्मेलन के जीवन में भी प्रवेश न करा दें। परमात्मा न करे कि ऐसी स्थिति आये। लेकिन इस विधेयक में जो दो चार धाराएं हैं उनकी ओर मैं विशेष रूप से सदन का ध्यान

[श्री प्रकाश वीर शास्त्री]

आकर्षित करना चाहता हूं । इस बात के लिए तो मैं स्वागत करता हूं कि जिस तरीके से मनुष्य एक कंधे पर बोझ को रक्खे थक जाता है और दूसरे कंधे पर जब उसको रख लेता है तो वह कुछ राहत महसूस करता है लेकिन बोझ तो बराबर ज्यों का त्यों बरकरार रहता ही है । मेरा अपना यह विश्वास है कि इस विधेयक की जिस धारा में देवनागरी लिपि के बारे में संकेत किया गया है उसमें यह कहा गया है कि अन्य भाषाए भी देवनागरी लिपि के अंदर छापी जायेंगी और अन्य भाषाओं का साहित्य भी देवनागरी लिपि में प्रकाशित किया जायगा । हमारे देश का यह एक बहुत बड़ा अभाव है जिसको कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन द्वारा इस प्रकार पूरा किये जाने का प्रयास किया जाना है । कुछ दिन पूर्व मैं ने इस प्रकार का एक प्रस्ताव भी इस सदन में उपस्थित किया था और मुझे इस बात को कहते हुए प्रसन्नता है कि मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन जो कि इसी राजधानी दिल्ली में हुआ था उस सम्मेलन ने भी एक मत से इस बात को स्वीकार किया था कि सभी भारतीय भाषाओं को एक दूसरे के निकट लाने के लिए देवनागरी लिपि को अगर सामान्य माध्यम बना लिया जाय तो अत्यन्त उपयुक्त होगा । इस के साथ ही साथ अभी कुछ दिन पूर्व जब राष्ट्रीय एकता सम्मेलन हुआ था तो उसमें भी जब यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि उत्तर भारत के व्यक्तियों को दक्षिण भारत की एक या दो भाषाएं अवश्य सीखनी चाहिएं तो सौभाग्य से मैं वहां उपस्थित था और उस समय भी मैं ने इस प्रश्न को उठाया था कि क्या यह आवश्यक होगा कि जब किसी दूसरी भाषा को सीखा जाय तो लिपि की दीवार बीच में कायम रक्खी जाय । अगर यह लिपि की दीवार बीच में न रहेतो कम से कम यह लिपि की तो कठिनाई हट जाय और दूसरी भाषाओं के वास्ते भी देवनागरी लिपि हो जाय । उस समय जो अन्य भाषा भाषी थे विशेष कर डा० सुनीति कुमार चटर्जी जो वहां उपस्थित थे उन्होंने इस सुझाव को बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वीकार किया और मुझे इस बात को कहते हुए प्रसन्नता है कि इस विधेयक में इस बात को सम्मान दिया गया है । लेकिन जो एक भय मुझे प्रतीत होता है वह यह कि इस में अंकों के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई विशेष संकेत नहीं दिया गया है । इस भय शब्द का प्रयोग जानबूझ कर मैं ने यहां किया क्योंकि अभी कुछ दिन पूर्व समाचारपत्रों में मैं ने यह पढ़ा था कि नागरी प्रचारिणी सभा की ओर से एक हिन्दी कोष प्रकाशित हुआ है । उस कोष की सहायता के लिए भारत के शिक्षा मंत्रालय से कुछ अनुदान दिया जाना था । अब नागरी प्रचारिणी सभा की अब तक कैसी परम्परा रही है उस आधार पर इस कोष में जो अंक थे वह भारतीय अंक थे जैसा कि आरम्भ से चलते आये हैं लेकिन सरकार का जहां पैसा लगे वहां पर उन्होंने यह कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय अंकों का प्रयोग होना चाहिए । यह विवाद यहां तक बढ़ा कि बाद में आकर यह समझौता हुआ कि अच्छा भारतीय और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों अंकों को साथ साथ रक्खा जाय । मैं चाहता हूं कि यह समझौते वाली प्रवृत्ति हिन्दी साहित्य सम्मेलन में प्रवेश न कर जाय । हिन्दी साहित्य सम्मेलन जो अभी तक अपने पवित्र क्रम में चलता चला आ रहा है उस क्रम को अपने हाथों में लेकर आगे बढ़े और उसे किसी प्रकार हिलाये नहीं । उस क्रम को यथावत चलने दे ।

दूसरी बात मैं प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । जहां आपने यह निश्चय किया है कि शिक्षा मंत्रालय का उसके अंदर अधिकार रहेगा और कुछ वित्त मंत्रालय का अधिकार रहेगा तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती है लेकिन फिर भी मैं यह चाहता हूं कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन की जो नई प्रबन्धकारिणी समिति बने उसमें कम से कम इस प्रकार के पवित्र मस्तिष्कों का समावेश अवश्य किया जाय जिनके कि मन में हिन्दी के प्रति सम्मान और श्रद्धा की भावनाएं हों । ऐसे व्यक्ति अगर प्रबन्धकारिणी समिति में रख दिये गये जिनके कि मनों में हिन्दी के प्रति सम्मान और श्रद्धा की भावना नहीं है तो मेरा अपना अनुमान है कि वह उस प्रबंधकारिणी

कारिणी समिति में आकर फिर इस प्रकार के विवाद खड़े कर देंगे जिन विवादों से बचने के लिए आज आपने यह विधेयक इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया है। इस के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि वह संस्थाएं जो कि हिन्दी के विकास में प्रगतिशील कार्य करती रही हैं जैसे नागरी प्रचारिणी सभा व दूसरी संस्थाएं हैं या बहुत से विश्वविद्यालयों के हिन्दी विभागों के अध्यक्ष हैं, उन में से कुछ चुने हुए व्यक्ति लिये जायें ताकि वह प्रबन्धकारिणी समिति एक आदर्श प्रबन्धकारिणी समिति के रूप में सामने आयें ।

अपने इस संक्षिप्त वक्तव्य को उपसंहार की ओर ले जाते हुए अन्त में मैं दो एक बातें और निवेदन करना चाहूंगा। इस विधेयक के प्रसंग में कुछ ऐसी अनावश्यक चर्चाएं भी आ गई हैं जिनका कि इस विधेयक से दूर का भी सम्बन्ध नहीं है जैसे हिन्दी और हिन्दुस्तानी का विवाद लोग ले आये जैसे हिन्दी और दक्षिण भारत की भाषाओं का विवाद इस बीच में ले आयें। मालूम ऐसा पड़ता है कि कुछ मस्तिष्क ऐसे हैं जिनमें कि गुब्बार भरा रहता है और वह उसको निकालने के लिए रास्ता ढूंढ़ते रहते हैं कि कब कोई प्रश्न इस प्रकार का आकर सामने खड़ा हो और वे अपना दिल का गुब्बार निकाल लें और वह प्रश्न उस समय आकर लोगों के मुंह से निकल पड़ता है । इस लिए उनकी ओर से कहा गया कि हिन्दी को हिन्दुस्तानी का रूप दिया जाय और इस तरह की व्यवस्था की जाय। मेरा अपना कहना है कि संविधान में जो चौदह भाषाएं मानी गई हैं उनमें उर्दू को भी स्थान दिया गया है। अब उर्दू उर्दू के रूप में विकास करे। संस्कृत संस्कृत के रूप में विकास करे। हिन्दी न बिल्कुल संस्कृतनिष्ठ हिन्दी हो जाय और न हिन्दी उर्दू आइज्ड हिन्दी हो जाय। हिन्दी हिन्दी के रूप में शुद्ध हिन्दी के रूप में विकसित हो। हिन्दी के ऊपर न उर्दू लादी जाय और न हिन्दी के ऊपर इस तरीके से संस्कृत लादी जाय। हिन्दी को शुद्ध हिन्दी के रूप में विकसित होने दिया जाय । अन्य प्रान्तीय भाषाओं को अन्य प्रान्तीय भाषाओं के रूप में विकसित होने दिया जाय ।

सभापति महोदय, यह हमारा सौभाग्य था कि जिस समय हमने हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था उस समय हमारे मस्तिष्कों में राष्ट्रीय एकीकरण की भावना बड़े उग्र रूप से विद्यमान थी। मेरा अपना अनुमान है कि सन् ५२ में अगर इस प्रश्न के ऊपर विचार कर लिया जाता तो ज्यादा अच्छा रहता क्योंकि आज तो हमारे देश में गुजराती, मराठी, बंगाली और तामिल-नाडी यह भावनायें बहुत उग्र होती जा रहीं हैं लेकिन हमें सदा स्मरण रखना है कि हम सब पहले भारतीय हैं और भारत देश की अपनी एक परम्परा स्थापित करनी चाहिए। हमारी एक भाषा होनी चाहिए। अभाग्यवश हमारा राष्ट्र इस पवित्र भावना से आज बहुत दूर होता जा रहा है। इसी पृथकतावादी मनोवृत्ति के कारण शायद हमने राष्ट्रीय एकता सम्मेलन बुलाया था ताकि देश की एकता को खतरा पैदा न हो और यह अलगाव की प्रवृत्ति खत्म हो। इस में देश के गण्यमान्य मस्तिष्कों को एकत्रित किया गया था। मैं चाहता हूं कि इन दुर्भाग्य सूचक रेखाओं को इस देश के इतिहास से धीरे धीरे समाप्त किया जाय।

एक बात मैं विशेष रूप से शिक्षामंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि किसी देश की राज भाषा कैसे बनती है। इस सम्बन्ध में मैं दो ही उदाहरण देना चाहता हूं। एक तो यह कि जिस समय कमाल पाशा ने तुर्की को अपने राज्य की भाषा बनाना चाहा तो उसने तमाम भाषाविदों को आमंत्रित किया और उनसे पूछा कि आप मुझे बतलाइये कि तुर्की को राज्य भाषा बनाने में कितना समय लगेगा। उन्होंने जवाब दिया कि तुर्की को राज भाषा बनाने के लिए कम से कम ९ वर्ष लगेंगे। इस पर कमाल पाशा ने, सुना है कि, उस समय यह आदेश दिया कि समझ लिजिये कि कल प्रातः काल ९ बजे वह ९ साल आपके पूरे हो गये। अब इसमें जैसे कि हमारे पंडित जी अपने

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

बहुत से भाषणों में कहते हैं कि हमने आजादी प्राप्त की है हम कहीं गिरेंगे, कहीं हम उठेंगे, कहीं हम सीधे चलेंगे और कहीं हम बैठेंगे तो यह जो उठने, बेठने और गिरने की बात हम आज कहते हैं तो भाषा के सम्बन्ध में आपकी वह नीति कहां समाप्त हो जाती है कि कहीं हम गिरेंगे और कहीं हम उठेंगे अगर दृढ़तापूर्वक आंप निश्चय कर लें तो जो १५ साल की अवधि निश्चित की थी उस १५ साल की अवधि के भीतर हम अपने लक्ष्य तक पहुच सकते हैं लेकिन सीधी सादी बात यह है कि अपके दिमागों में वह पवित्रता आज विद्यमान नहीं है जिस समय अंग्रेज हिन्दुस्तान को स्वाधीनता देने के लिए हिन्दू मुस्लिम एकता का नारा लगाया करते थे और कहते थे कि पहले हिन्दू मुसलमान दोनों एक हो जांय उसके बाद हम हिन्दुस्तान छोड़ कर विलायत चले जायेंगे। वह ऐसा इसलिए कहते थे कि वह दिन तो उनके रहते आना नहीं और न वह आसानी से यहां से जायेंगे। आज मुझे वही अंग्रेजों वाली बात का स्मरण हो आता है जब हमसे यह कहा जाता है कि पहले दक्षिण भारत वालों को हिन्दी के लिए तैयार कर लीजिये। लेकिन मैं उन मित्रों को जोकि यह कहते हैं बतलाना चाहता हूं कि आप दक्षिण भारत में जाकर देखिये कि हिन्दी वहां पर कितनी फैल चुकी है । आप इन दो, चार लोडरों के जोकि राजनैतिक नारा लगाते हैं उनकी बातों में मत आइये। आज हकीकत यह है कि दक्षिण भारत में हिन्दी का काफी प्रचार हो चुका है और हो रहा है और जैसे कि हमारे एक दक्षिण भारतीय मित्र ने कहा वहां का कुली भी जो स्टेशन पर काम करता है वह भी आसानी से हिन्दी को समझ लेता है। इसलिए इन राजनीतिक नारों के चक्कर में आकर देश की प्रमुख समस्या को फेंकने का यत्न न कीजिये।

मैं अन्त में अपने वक्तव्य को समाप्त करते हुए एक महान् साहित्यकार की चंद पंक्तियां आपको सुनाना चाहता हूं जोकि दुर्भाग्य से आज हमारे मध्य में नहीं हैं और हमारे देश को जिनके निधन का बहुत ही शोक है। उनका नाम था महाकवि निराला। निराला जी ने मरने से कुछ समय पहले जब वह इतने अधिक दुर्बल होगये कि वह अपने घर से बाहर भी नहीं जा सकते थे तो कुछ लोगों ने उनके घर पर जाकर उनका सम्मान किया। यह उनके जीवन का अंतिम सम्मान था।

उस अन्तिम सम्मान के वक्त उन्होंने जो शब्द कहे, उन की ओर मैं शिक्षा मंत्री जी का ध्यान विशेषकर दिलाना चाहता हूं, क्योंकि उनके कंधों पर वह दायित्व है और इस सदन की उनसे यह आशा है कि वह महान् साहित्यकारों और दिवंगत् आत्माओं की भावनाओं और आकांक्षाओं को पूर्ण करेंगे ।

भाषा के सम्बन्ध में उन के शब्द ये हैं —

> "आज भाषा और साहित्य तो राजनीति के अस्त्राशस्त्र बन गए हैं। हिन्दी की जो दुर्दशा हो रही है, उसे मैं अब और नहीं देख सकता। अंग्रेजी ही आज सर्वप्रिय भाषा बनी हुई है। जनता समझे या न समझे, पर वही जनकल्याणी समझी जाती है। . . . . संस्कृत तो आज अपने ही घर में मृतक भाषा कही, सुनी और मानी जाती है। बिदेश वाले इसका मूल्यांकन कर रहे हैं, यह दूसरी बात है, पर अपने लोगों की बुद्धि की बलिहारी है।"

महाकवि निराला ने अपने जीवन के अन्तिम सन्मान में जो शब्द कहे,वे मेरे इस भाषण से कहीं अधिक मूल्यवान् हैं और मेरी बात को समझाने में अधिक समर्थ हैं।

श्री जगदीश अवस्थी (बिल्हौर): सभापति महोदय, इस द्वितीय लोक सभा के अन्तिम दिन हिन्दी साहित्य सम्मेलन विधेयक प्रस्तुत कर के सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया है। इस सदन का अवसान जिस उत्तम विधेयक के साथ हो रहा है, उस के अन्तर्गत जिन उद्देश्यों की चर्चा

की गई है, उन में से एक उद्देश्य की पूर्ति हो गई है। लेकिन मुझ से पूर्व माननीय सदस्य, श्री शास्त्री, ने जो जो शंकायें इस बिल के सम्बन्ध में उठाई, लगभग वही शंकायें मेरे मन में हैं। मैं उनको दुहरा कर इस सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता।

इस बारे में मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि अगर शिक्षा मंत्री महोदय ने इस सदन में हिन्दी साहित्य सम्मेलन के इतिहास और उस के कार्यों और अतिविधियों की एक संक्षिप्त रूप रेखा प्रस्तुत की होती, तो शायद हमारे अहिन्दी भाषी मित्रों को इस प्रकार की शंकायें उठाने और अप्रासंगिक बातों को कहने का अवसर नहीं मिलता। अच्छा हो कि अब भी शिक्षा मंत्री इस विधेयक के पारित होने के पश्चात् अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी के प्रति पैदा हुए अनादर और ग़लत फ़हमी को दूर करने के लिए सम्मेलन की कार्यवाहियों और उस के इतिहास की एक रूप रेखा प्रस्तुत कर दें।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इस विधेयक के द्वारा सम्मेलन को एक राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने का जो उद्देश्य प्रकट किया गया है, सचमुच वह बड़ा सुन्दर उद्देश्य है और इस के लिए हम सरकार को बधाई देते हैं। लेकिन शिक्षा मंत्री महोदय ने सम्मेलन की आन्तरिक गड़बड़ियों से विवश और बाध्य हो कर सरकार की ओर से एक प्रबन्ध समति बनाए जाने की चर्चा भी की है। उस समिति की रूप रेखा को देख कर शंका होती है। देखने मे तो ऐसा लगता है कि सरकार का उस पर कोई नियंत्रण नहीं रहेगा, वह एक आटानौमस बाडी रहेगी और सरकार की तरफ़ से इस में कोई इन्टरफीयरेंस नहीं होगा। लेकिन आप को मालूम होगा कि काशी विश्वविद्यालय और अलीगढ़ के मुस्लिम विश्व-विद्यालय के आटानोमस बाडीज़ होने के बावजूद सरकार की ओर से उनके सम्बन्ध में कितनी मनमानी की गई है, जिस के परिणामस्वरूप उन की इंडिपेंडेंस समाप्त हो गई है और उन में फिर गड़बड़ियां पैदा हो गई हैं। अभी भले ही यह बात स्पष्ट न हो कि सरकार का इस में कोई हस्तक्षेप होगा, लेकिन जैसा कि अभी शास्त्री जी ने कहा है, सरकार की अभी तक जो नीति रही है, उस की कथनी और करनी में जो भेद रहा है, उस को देखते हुए यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन की जो प्रबन्ध समिति बनेगी — प्रथम और उस के बाद द्वितीय — उस मे सरकार अपने ढंग से अपना आधिपत्य रखेगी। इसबात की शंका भी हो सकती है कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह विधेयक लाया गया है, उस की हम अरथी निकालें। मैं समझता हूं कि जो शंका शास्त्री जी और दूसरे माननीय सदस्यों के मन में है, उस को दूर किया जाना चाहिए।

सम्मेलन के तीन मुख्य उद्देश्य हैं — हिन्दी साहित्य के सम्बन्ध में विविध विषयों की अच्छी पुस्तकें तैयार करना, अपनी परीक्षाओं के द्वारा हिन्दी भाषा को प्रचारित करना और अहिन्दी भाषी-भाषी क्षेत्रों मे हिन्दी के प्रति रुचि पैदा करना। लेकिन जहां तक इस सरकार की हिन्दी सम्बन्धी नीति का प्रश्न है, वह स्पष्ट है। शास्त्री जी ने ठीक कहा है कि सरकार अभी स्वयं मन्थर गति से चल रही है। अब तक हमारी सरकार और उस के मंत्रियों के मन में यह भावना रहेगी कि इस देश में ज्ञान के भंडार को प्रकट करने के लिए अंग्रेजी अनिवार्य और आवश्यक है, तब तक चाहे वह हिन्दी साहित्य सम्मेलन को एक स्मारक के रूप मे रखें और चाहे हिन्दी को राजभाषा का नाम दे, हिन्दी भाषा पनप नहीं सकती। अगर सरकार वास्तव में यह चाहती है कि चाहे हिन्दी साहित्य सम्मेलन के द्वारा और चाहे उस की अपनी कार्यकारिणी के द्वारा हिन्दी भाषा इस देश में पनपे, तो उस को अपनी नीति में परिवर्तन करना होगा।

[श्री जगदीश अवस्थी]

जहां तक देश की अन्य भाषाओं का प्रश्न है, निश्चित रूप से उन के प्रति हिन्दी की दुश्मनी या विरोध नहीं है, बल्कि उस का सब से बड़ा विरोध अंग्रेजी भाषा से है। जिस प्रकार से अंग्रेजों से अंग्रेजी के जमाने में हिन्दु मुस्लिम आपस में लड़ा करते थे और उसका मुख्य कारण अंग्रेज हुआ करते थे, उसी प्रकार अंग्रेजी के कारण ही भाषा सम्बन्धी मतभेद देश में नजर आते हैं। हमारे राजनीतिक नेता कहते हैं कि ये भाषायी विवाद हैं, लेकिन तथ्य यह है कि इस देश में गुजराती पंजाबी या तामिल बंगाली का कोई झगड़ा नहीं है --- ये तो राजनीतिक झगड़े हैं। भिन्न भिन्न भाषाओं के ये पारस्परिक झगड़े कृत्रिम हैं। असल में झगड़ा तो अंग्रेजी भाषा से है। जब तक अंग्रेजी भाषा सरकारी काम काज में और सार्वजनिक जीवन में घुस कर बैठी रहेगी, तब तक इस देश में न केवल हिन्दी बल्कि अन्य प्रान्तीय भाषायें भी कभी भी पनप नहीं सकती हैं। यदि सचमुच हिन्दी भाषा और अन्य भाषाओं के बीच में सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने हैं, तो इस देश के सरकारी काम-काज और सार्वजनिक जीवन में अंग्रेजी भाषा की समाप्ति होनी चाहिये। ऐसा करने पर ही हिन्दी साहित्य सम्मेलन का जो उद्देश्य इस विधेयक में घोषित किया गया है, उसकी पूर्ति हो सकेगी।

अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सरकार चाहती है कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन की संस्था फले, फूले, तो उन त्रुटियों और कमियों को दूर करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए, जिन की वजह से सम्मेलन की गतिविधियों में अवरोध हो गया था और जिन के कारण कोई भी संस्था आगे नहीं बढ़ पाती है।

इन शब्दों के साथ मैं पुनः इस विधेयक का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो विचार रखे गये हैं, शिक्षा मंत्रालय उन पर गम्भीरता पूर्वक विचार करेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरी मुश्किल यह है कि ढाई बजे तक यह बहस खत्म होनी चाहिए और मैं देखता हूं कि बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं।

श्री रामजी वर्मा (देवरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, पी० एस० पी० की तरफ़ से कोई सदस्य नहीं बोला है। इसलिए मुझे बोलने का मौका दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : यहां पी० एस० पी० और दूसरी पार्टियों का सवाल नहीं है। हर एक इलाके के माननीय सदस्यों को बोलने का मौका दिया गया है। सोशलिस्ट पार्टी के दो माननीय सदस्य बोल चुके हैं।

श्री मं० रं० कृष्ण (करीम नगर रक्षित–अनुसूचित जातियां) : नान-हिन्दी एरिया ?

उपाध्यक्ष महोदय : नान-हिन्दी एरिया से भी कई माननीय सदस्य बोल चुके हैं। हम ने हाउस की कार्रवाई पांच बजे जरूर खत्म करनी है। इसलिए यही एक तरीका है कि अगर माननीय सदस्य तैयार हों, तो नान-आफिशल बिजिनेस से आधा घंटा ले लिया जाये।

कुछ माननीय सदस्य : ले लिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय : जिन माननीय सदस्यों के रेजोल्यूशन हैं, वे एतराज तो नहीं करेंगे ?

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य सिर्फ पांच पांच मिनट लें। श्री रामजी वर्मा।

श्री रामजी वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जिस बिल को पेश किया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। आप जानते हैं कि स्वतंत्रता-संग्राम के इतिहास में जो स्थान कांग्रेस आरगनाइजेशन को है, भारत-माता को एक जुबान देने के रचनात्मक कार्यक्रम में वही स्थान हिन्दी साहित्य सम्मेलन को है ।

श्री रघुनाथ सिंह : कांग्रेस को आपने माना, बहुत धन्यवाद ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : ये भी तो पहले कांग्रेसी थे ।

श्री रामजी वर्मा : पहले की कांग्रेस और अब की कांग्रेस में फर्क है । चूंकि आज कांग्रेस बहुत बदल गई है इसलिए उसी का यह परिणाम भी है कि जिस संस्था को आपको बहुत पहले ही अपना लेना चाहिये था, उसको तब न अपना कर अब अपना रहे हैं। यह बिल बहुत विलम्ब से आया है और इसका भी यही कारण है कि आज की कांग्रेस पहले की कांग्रेस से भिन्न है ।

हिन्दी को भारत की राष्ट्रभाषा माना गया है । इसको राष्ट्र भाषा के रूप में मान्यता दे कर एक काम सम्पन्न हो चुका है । किन्तु भारतवर्ष के कोन-कोने में लोग हिन्दी की कई मानों में विवेचना करते हैं। मैं समझता हूं कि बहुत आसानी से इसका निराकरण हो सकता है अब जबकि सरकार ने इस काम को अपने हाथ में लिया है । आप जानते ही हैं कि हिन्दी और उर्दू दोनों की क्रियायें एक हैं। लेकिन हिन्दी वाले जो शब्द हैं, उस भण्डार को संस्कृत से लेते हैं और उर्दू वाले पर्शियन और अरबी से लेते हैं। यहीं पर जाकर भेद आ जाता है और इसी कारण से हिन्दी और उर्दू दो अलग-अलग भाषायें हो जाती हैं। मेरा निवेदन है कि यह भेदभाव भी हट सकता है । हिन्दी को क्लिष्ट रूप देने का एक कारण यह है कि कुछ लोग समझते हैं कि हिन्दी का भण्डार सिर्फ संस्कृत से ही भरा जा सकता है । यह एक प्रकार की संकीर्णता या कट्टरता उन लोगों की है जो हिन्दी के ऐसे एक क्षेत्र जैसे बनारस, इलाहाबाद आदि में रहते हैं।

अपने दस बरस के पार्लियामेंटरी जीवन में मुझे जब कभी दक्षिण में जाने का अवसर मिला है, मदुराई, त्रिचनापल्ली, रामेश्वरम् इत्यादि जाने का अवसर मिला है तो मैंने पाया है कि स्टेशन पर जो कुली होते हैं उन से डील करने में कहीं पर भी किसी किस्म की कठिनाई नहीं होती है । लेकिन कस्बों में आप जाइये, पढ़े-लिखे लोगों में, सुसंस्कृत लोगों में आप जाइये, न वे हमारी भाषा समझते हैं और न हम उनकी भाषा समझते हैं, इस वास्ते सिवाय अंग्रेजी में बोलने के और बातचीत करने के और कोई चारा शेष नहीं रह जाता है । मैं समझता हूं कि भारत के कोने-कोने में साधारण लोग, कुली लोग, जो अपढ़ कहलाते हैं वे बहुत जल्दी हिन्दी को ग्रास्प कर लेते हैं। यदि दृढ़ निश्चय कर लिया जाए तो हिन्दी के प्रचार में कोई रुकावट पैदा नहीं हो सकती और न ही कोई कठिनाई उपस्थित हो सकती है । मैं तो यह कहता हूं कि जो हिन्दी के उस रूप के बहुत कट्टर समर्थक हैं जिसको कि संस्कृताइज्ड हिन्दी कहा जाता है, और भाषाओं के सम्मेलन करवा कर, उन सम्मेलनों में उनको आप भिजवायें और वे जा कर उन सम्मेलनों में भाग लें। मैं ने कहा है कि रेल यात्रा के जरिये कुली हिन्दी को ग्रास्प कर लेते हैं। मैं उस दिन जब रेलवे बजट पर बहस हो रही थी कह रहा था कि लोगों में भारतीयता की भावना पैदा करने के लिए रेल यात्रायें बहुत आवश्यक हैं । मैं चाहता हूं कि इन विद्वानों को, काशी के विद्वानों को आप दक्षिण में भेजें और तमिल, तेलगू, मराठी, गुजराती इत्यादि भाषाओं के विद्वानों से मिलाइये

[श्री रामजी वर्मा]

और यदि ऐसा किया गया तो मेरा विश्वास है कि इन लोगों की जो यह संकीर्णता है, वह दूर होगी और जो यह समझते हैं कि हिन्दी का भण्डार सिर्फ एक सोर्स से ही भरा जा सकता है, उसको एक विस्तृत क्षेत्र मिलेगा और हिन्दी बहुत जल्दी आगे बढ़ सकेगी। तमिल, तेलेगू, गुजराती, मराठी, इत्यादि भावनाओं की एक माला बनेगी, उन भाषाओं की शिरोमणि लोग इसको समझेंगे और स्वेच्छापूर्वक इसको अपना लेंगे और तब एक फारेन लैंगुएज की तरह की लैंगुएज हिन्दी नहीं रहेगी। आज जो संकीर्णता दक्षिण वालों में है या उत्तर वालों में है, यदि ऐसा किया गया जैसा मैंने सुझाया है, तो वह भी मिट जाएगी। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि जहां बहुत से दूसरे आब्जैक्ट्स इस सम्मेलन के हैं, वहां उन में एक इस आब्जैक्ट पर भी वह ध्यान दें और इसको भी उसमें स्थान दें।

मैं एक यह बात भी कहना चाहता हूं कि टाइप की दृष्टि से, छापे की दृष्टि से भी हिन्दी को और सरल तथा सुबोध बनाया जा सकता है और बनाया जाना चाहिए।

अन्त में, इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस काम को बड़े-बड़े ऋषियों मुनियों ने हाथ में लिया है, दयानन्द सरस्वती ने जो काम हिन्दी के लिए किया है, महात्मा गांधी का जिस संस्था को आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और जिस संस्था को राजर्षि टंडन जी ने पनपाया है, उसको राष्ट्रीय महत्व की संस्था का रूप देने के लिए जो विधेयक यहां उपस्थित किया गया है, वह बहुत देर से आया है लेकिन फिर भी मैं कहूंगा देर आयद दुरूस्त आयद। मैं इतना ही अब कह सकता हूं कि इस संस्था को आप अपने हाथ में ले कर के इस के काम को आप बढ़ायें और यदि आपने ऐसा किया तो न सिर्फ भारत की एकता बढ़ेगी, बल्कि देश का बहुत भारी हित होगा। भारत की एकता पहले भी राज शासन के जरिये नहीं बढ़ा करती थी, बल्कि जो तीर्थ स्थान हैं, उनके जरिये बढ़ा करती थी, रेल यात्राओं के जरिये बढ़ा करती थी, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा बढ़ा करती थी। मैं समझता हूं कि अब यह कार्य बहुत आसानी से सम्पन्न हो सकता है यदि आप लोगों को इस तरह से मिलने का बार बार अवसर दें। यदि भारत माता को एक जुबान मिलेगी तो राष्ट्रीयता आप से आप बढ़ेगी।

†**श्री म० रं० कृष्ण** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं। उत्तर भारत के ही नहीं वरन् दक्षिण भारत के राज्य भी स्कूलों में हिन्दी की शिक्षा देने के लिये प्रयत्नरत हैं। अब समय आ गया है कि अंग्रेजी का स्थान कोई अन्य भाषा विशेषकर हिन्दी ले ले।

जो लोग हिन्दी के प्रसार के इच्छुक हैं वे और सब कदम तो उठाते हैं किन्तु धन का प्रश्न उत्पन्न होने पर पीछे हट जाते हैं। भारत सरकार दक्षिण भारत में एक हिन्दी विश्वविद्यालय स्थापित करना चाहती थी। किसी कारणवश उसने इस प्रयोजन के लिये हैदराबाद को चुना। वहां के लोग और राज्य सरकार इस काम के लिये सुविधायें देने के लिये तैयार थी। लेकिन भारत सरकार वहां के उस्मानिया विश्वविद्यालय को ही हिन्दी विश्वविद्यालय बनाना चाहती थी। इसलिये उसने वहां हिन्दी विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की। यदि हिन्दी जानने वाले, लोग जो हिन्दी को राजभाषा बनाना चाहते हैं, स्वार्थत्याग करने के लिये तैयार न हों तो देश के लिये और विशेषकर दक्षिण के राज्यों के लिये हिन्दी सीखना बहुत कठिन है। दक्षिण भारत के राज्य हिन्दी के प्रति उदासीन नहीं हैं। वहां के

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रत्येक कालेज व स्कूल में हिन्दी पढ़ाई जा रही है । बात यह है कि जो हिन्दी भाषी लोग हिन्दी के बारे में कहते हैं उससे उन लोगों के मन में आशंका उत्पन्न होती है जो वास्तव में उन क्षेत्रों में हिन्दी का प्रसार करना चाहते हैं। हिन्दी सीखना अनिवार्य कर दिया जाये तो उससे हिन्दी न जानने वालों को कुछ सन्देह या भय तो होगा ही । इसके लिये केन्द्रीय सरकार हिन्दी सीखने वालों को कोई प्रोत्साहन दे तो अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी के प्रसार में कोई कठिनाई न होगी ।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) :उपाध्यक्ष महोदय, अहिन्दी भाषाभाषी सदस्यों ने जो शुभेच्छा हिन्दी के प्रति प्रकट की है उस के लिये उनके प्रति बड़ा आभार प्रकट करते हैं धन्यवाद देते हैं । हमारी ऐसी कामना है कि हिन्दी का प्रश्न केवल हिन्दी भाषा भाषियों का ही प्रश्न न रहे। वह सारे देश का प्रश्न है । सारे देश के लोगों को मिल कर इस भाषा को ऐसा बनाना चाहिये ताकि वह भाषा सारे देश में फैल सके ।

जहां तक हिन्दी साहित्य सम्मेलन का सम्बन्ध है, हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सभापतियों को अगर आप देखेंगे तो पायेंगे कि महाराष्ट्री, पंजाबी, बंगाली, सौराष्ट्री और दूसरे भाषाभाषी लोग उस के सभापति रह चुके हैं। हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सभापतियों में हिन्दी भाषाभाषियों की संख्या शायद अल्प ही होगी । ज्यादातर अहिन्दी भाषाभाषी लोग हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सभापति हुए। डा० अणे साहब ने बड़ी सुन्दर भाषा में कहा है कि राष्ट्रध्वज के साथ राष्ट्रभाषा का होना भी आवश्यक है। राष्ट्र भाषा का प्रश्न एक राष्ट्रीय प्रश्न है, यह केवल हिन्दी भाषाभाषियों का ही प्रश्न नहीं है ।

हिन्दी भाषा अन्तर्राष्ट्रीय भाषा है। फीजी में, मारिशस में, नेपाल में करीब दो तिहाई लोग हिन्दी भाषाभाषी हैं। बरमा में आप जायें तो पायेंगे कि वहां अब भी १६ या १७ लाख आदमी ऐसे हैं जो हिन्दी भाषा बोलते हैं। हिन्दी भाषा का सम्बन्ध केवल भारतवर्ष से ही नहीं हिन्दी भाषा का सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध है। इसलिये हम को हिन्दी भाषा को ऐसी बनाना चाहिये कि वह केवल हिन्दुस्तान तक ही सीमित न रहे हिन्दुस्तान के बाहर भी जो हमारे देश के भाई हैं उन की भाषा भी वह रहे।

चूंकि हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सम्बन्ध में यह विधेयक यहां पास हो रहा है इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कोई भाषा किसी पर लादी नहीं जा सकती। आदमी अपने धर्म का परिवर्तन कर लेता है, लेकिन अपनी भाषा का परिवर्तन नहीं करता । इसलिये अगर अहिन्दी भाषाभाषियों में ऐसी कोई भावना हो कि हम किसी पर जबर्दस्ती हिन्दी लाद सकेंगे तो वह एक भ्रम है, अविचारपूर्ण भावना है। हिन्दी तभी सफल हो सकती है जब कि उसमें परहित की भावना रहे और शान्ति की भावना उसमें रहेगी। एक भाई ने मुझे सुझाव दिया था, उत्तरी हिन्दुस्तान के लोग दक्षिण में जायें और हिन्दुस्तान के बाहर जायें। एक ऐसे जीवन को अपना कर जायें जिस में उन को सिर्फ सेवा ही करनी हो। उन को अपने जीवन को लगा देना है एक भाषा के वास्ते तभी हिन्दी की उन्नति हो सकती है। कानून बनाने से या हिन्दी को जबर्दस्ती लादने की भावना से हिन्दी का उपकार नहीं होगा बल्कि उस से हिन्दी का अपकार ही होगा।

एक बात अन्त में मुझे यह कहनी है कि भारत की पराधीनता से मुक्ति हुई। लेकिन भाषा की दास्ता से भी मुक्ति प्राप्त होनी चाहिये। अभी हमारे भाइयों में अंग्रेजी के प्रति बड़ी अच्छी भावना है, उस के प्रति बड़ा आदर है। भाषा अवश्य सीखनी चाहिये लेकिन यह जो मानसिक दासता है उस दासता को हमें दूर करना चाहिये। अगर हम एक स्वतन्त्र राष्ट्र हैं तो स्वतंत्र राष्ट्र की भाषा को भी स्वतन्त्र होना चाहिये। चाहे हिन्दी का कोई भी रूप हो, लेकिन जिस तरह से हमारे राष्ट्र का ध्वज है उसी प्रकार हमारे राष्ट्र की भाषा होनी चाहिये। हमें आशा है कि हिन्दी

[श्री रघुनाथ सिंह]

साहित्य सम्मेलन का यह विधेयक जो हम आज पारित करते हैं तो वहां के लोग मिल कर एक शुद्ध भावना से, सेवा की वृत्ति से काम करें। हम को अपने देश के लिये एक भाषा बनानी है; देश को एक भाषा देनी है। हिन्दी को केवल देश तक ही सीमित नहीं रखना है, देश के बाहर भी भेजना है ।

†डा० का० ला० श्रीमाली : उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं सदन के सभी वर्गों के सदस्यों का विधेयक का समर्थन करने के लिये धन्यवाद करता हूं। माननीय सदस्य श्री थानु पिल्ले को कुछ गलतफहमी हुई है। उनका ख्याल है कि इस नई संस्था को शक्तियां दी जा रही हैं और वह एक नया विश्वविद्यालय है। उनका ख्याल गलत है। हिन्दी सम्मेलन को अस्तित्व में आये लगभग पचास वर्ष हो चुके हैं और उसने वे सभी काम किये हैं जिनका उल्लेख इस विधेयक में किया गया है। यदि श्री पिल्ले को सम्मेलन का इतिहास विदित होता तो उन्हें यह भी ज्ञात होता कि सम्मेलन पिछले कई वर्षों से परीक्षायें लेता रहा है।

श्री पिल्ले ने यह सुझाव भी दिया है कि इस विधेयक पर विचार नये संसद् के अगले अधिवेशन में किया जाये। सरकार ने कुछ समय पहले निर्णय कर लिया था और उसका इरादा विधेयक को अगले अधिवेशन में पेश करने का था। किन्तु, इसी बीच श्री पुरुषोत्तम दास टण्डन ने, जो पिछले कई महीनों से अस्वस्थ हैं, अनुरोध किया कि चूंकि सरकार ने निर्णय ले लिया है तो विधेयक इस संसद् द्वारा पारित कर दिया जाये। श्री टण्डन इस सभा के प्रतिष्ठित सदस्य रहे हैं और उन्होंने देश की बहुत सेवा की है। हमारे उनसे मतभेद हो सकते हैं किन्तु इस तथ्य से कोई व्यक्ति असहमत न होगा कि उन्होंने हिन्दी और भारतीय संस्कृति के विकास में पूर्ण योग दिया है। हम सब उनका आदर करते हैं इसलिये हमने यह सोचा कि उनकी इच्छा पूरी करना उचित ही होगा। मुझे प्रसन्नता है कि सभा ने इस विधान का स्वागत किया है। मुझे विश्वास है कि टण्डन जी, जो इस समय रुग्ण शय्या पर हैं, यह जानकर प्रसन्न होंगे।

श्री थानु पिल्ले ने खण्ड ६ के कुछ उपखण्डों को विधयक से निकाल देने का सुझाव दिया है किन्तु ऐसा करने से हम संस्था को निरर्थक बना देंगे। जो काम वह इतने वर्षों से करती आई है, उन्हें वह न कर पायगी। श्री ही० ना० मुकर्जी ने ठीक ही कहा है कि हमें इस प्रकार का काम करने वाली अन्य राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं को भी ध्यान में रखना चाहिये। पिछले कुछ महीनों में भारत सरकार ने ऐसी संस्थाओं को या तो राष्ट्रीय महत्व की संस्थायें घोषित किया है या उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की देखरेख में रख दिया है। यह आयोग जामिया मिलिया, गुरुकुल काशी विद्यापीठ और गुजरात विद्यापीठ जैसी संस्थाओं को विश्वविद्यालय का दर्जा देने के बारे में विचार कर रहा है। मुझे आशा है कि जिन संस्थाओं ने उपयोग-कार्य किया है उन सबको विश्व-विद्यालय का दर्जा दे दिया जायेगा ।

जहां तक अन्य संस्थाओं का सम्बन्ध है, भारत सरकार इस प्रकार के विधान अवश्य प्रस्तुत करेगी। मैं श्री ही० ना० मुकर्जी को बता दूं कि हमने दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार समिति से पूछा था कि क्या वह संसद् में इस प्रकार का विधेयक पारित कराना चाहती है और मुझे यह बताने में प्रसन्नता होती है कि यह संस्था हमारे सुझाव से सहमत हो गई है और सरकार उसे राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने के लिये शीघ्र ही एक विधेयक लायेगी।

मुझे यह कहते खेद होता है कि मैं श्री त्यागी की आलोचना से सहमत नहीं हूं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार हिन्दी को खराब कर रही है। कुछ इस प्रकार की आलोचना भी

†मूल अंग्रेजी में

हुई है कि शब्दों के जो पर्याय बनाये जाते हैं वे ठीक नहीं होते। भारत सरकार ने हाल में सभी प्रविधिक शब्दों का एक संग्रह या कोष प्रकशित किया है। इसका दूसरा खण्ड भी जल्दी ही प्रकाशित होगा। यदि माननीय सदस्य इस कोष को पढ़ कर देखें तो उन्हें ज्ञात हो जायेगा कि जहां तक हिन्दी का सम्बन्ध है, भारत सरकार ने संविधान की भावना को ग्रहण ही नहीं वरन् कार्यान्वित भी किया है।

प्रोफेसर मुकर्जी तथा कुछ अन्य सदस्यों का ख्याल है कि हम ऐसी हिन्दी बनायेंगे जो देश को न तो स्वीकार्य होगी और न देश में समझी जायेगी। यदि ऐसा हुआ तो हमारा उद्देश्य ही विफल हो जायेगा। मैंने राज्य-सभा में एक संशोधन प्रस्तुत कर दिया है कि सम्मेलन का लक्ष्य हिन्दी के प्रसार को प्रोत्साहन देना संविधान के अनुच्छेद ३५१ में दिये गये उपायों से उसका विकास करना होगा। यह तो सर्वविदित है कि हिन्दी को ले कर महात्मा जी और टण्डन जी के बीच मतभेद हो गये थे और हिन्दी साहित्य सम्मेलन के प्रश्न को लेकर दोनों अलग हुए थे। जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, संविधान पारित हो जाने पर हिन्दी और हिन्दुस्तानी का विवाद समाप्त हो गया। जब हम यह विधान लाये तो हमारी इच्छा थी कि सदस्यों के मन में हिन्दी की शैली के सम्बन्ध में कोई आशंका या भय न हो। इसलिये हमने सम्मेलन के लक्ष्य को स्पष्ट कर दिया है।

यदि हिन्दी को अपना उचित स्थान ग्रहण करना है तो उसे सभी भारतीय भाषाओं से शब्द और शैलियों को ग्रहण करना होगा। तभी वह वास्तव में राष्ट्रीय भाषा बन सकती है। हमारा यही प्रयत्न रहा है और सम्मेलन भी इसी प्रयोजन के लिये प्रयत्नशील रहेगा। मैं सभा को बता दूं कि मैंने टण्डन जी से कहा था कि मैं इस संशोधन को स्वीकार करने वाला हूं और वे सहमत हो गये। मुझे आशा है कि यदि किसी व्यक्ति को हिन्दी की शैली के बारे में कोई आशंका हो तो वह दूर हो जायेगी।

श्री गुह ने कहा कि हम पक्षपात कर रहे हैं। उन्हें विधान के बारे में कुछ गलतफहमी थी। हम किसी प्रकार का पक्षपात नहीं कर रहे हैं। वास्तव में उन्हें स्मरण होगा कि रवीन्द्रनाथ के निधन के बाद शान्तिनिकेतन पहली संस्था थी जिसे स्वाधीनता प्राप्ति के बाद राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया था। हमें गर्व है कि देश के चारों कोनों में इस प्रकार की संस्थाएं हैं और सरकार उन्हें राष्ट्रीय महत्व की संस्थायें घोषित करने के लिये प्रयत्नशील रहेगी।

एक-दो सदस्यों ने कहा है कि इस संस्था का प्रधान कार्यालय इलाहाबाद से हटा कर हैदराबाद ले जाया जाये। मुझे खेद है कि मैं उनके सुझाव से सहमत नहीं हूं। सम्मेलन की स्थापना और उसका विकास इलाहाबाद में हुआ और अब उसे हैदराबाद ले जाने की क्या तुक है यह समझ में नहीं आता।

इस सिलसिले में मैं सभा को बता दूं कि हम दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार-सभा को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने जा रहे हैं। यह संस्था दक्षिण क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा करती रही है। हमारा इरादा हिन्दी संगठनों का एक अखिल भारतीय संगठन स्थापित करने का है जिसमें देश भर के ऐसे संगठन सम्मिलित हो कर हिन्दी के काम को आगे बढ़ायें।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री तथा एक अन्य सदस्य द्वारा यह आशंका व्यक्ति की गई है कि सरकार संस्था के दैनिक कार्यों में हस्तक्षेप करेगी और इससे संस्था का स्वशासन प्रभावित होगा। सरकार की यह नीति नहीं है। माननीय सदस्य ने दो विश्वविद्यालयों का उल्लेख किया जहां हस्तक्षेप करना आवश्यक हो गया था। जब तक संस्थायें ठीक ढंग से काम करें तब तक सरकार हस्तक्षेप

[डा० का० ला० श्रीमाली]

नहीं करती। किन्तु, जब संस्थायें अपना दायित्व न निभा सकें तो स्वशासन का कोई अर्थ नहीं रह जाता। ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करना सरकार का कर्तव्य हो जाता है। इसका एक उदाहरण सम्मेलन है। उत्तर प्रदेश सरकार को इसके लिये कानून क्यों बनाना पड़ा ? यदि संस्था ने अपना काम उचित ढंग से किया होता तो उसे राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित कर दिया जाता। किन्तु संस्था अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर सकी, इसलिये समाज व सरकार का कर्त्तव्य हो जाता है कि वे संस्था के कार्य में हस्तक्षेप करें।

इन शब्दों के साथ मैं सदन से विधेयक को पारित करने की अपील करता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन नाम की संस्था को, जिसका मुख्य कार्यालय इलाहाबाद में है, राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने वाले और उसके निगमन तथा तत्सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर, राज्य-सभा द्वारा पारित किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब खण्डशः विचार होगा।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ और ३ विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २ और ३ विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड ४--(निगमन)

†**डा० सामन्तसिंहार** (भुवनेश्वर) : मैं अपना संशोधन संख्या १ पेश करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ४ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ४ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड ५ और ६ विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड ७ (प्रशासीनिकाय)

†**डा० सामन्तसिंहार** : मैं अपने संशोधन संख्या २ से ४ पेश करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या २ से ४ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ७ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ७ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ८ (प्रथम प्रशासी निकाय और उसके कृत्य)

†डा० सामन्त सिंहार : मैं अपना संशोधन संख्या ५ पेश करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ५ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ८ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ८ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ९ से ११ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खण्ड १२--(प्रथम प्रशासी निकाय द्वारा बनाये जाने वाले नियम)

†श्री रघुबीर सहाय (बदायूं) : मैं अपने संशोधन संख्या ६ और ७ पेश करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ६ और ७ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

†उपाध्यक्ष महोदय प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १२ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १२ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १३ से १५ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खण्ड १६--(लेखे तथा लेखा परीक्षण)

†डा० सामन्त सिंहार : मैं अपने संशोधन संख्या ८ और ९ पेश करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ८ और ९ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १६ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खण्ड १६ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १७—(नियम बनाने की शक्ति)

†श्री रघुबीर सहाय : मैं अपने संशोधन संख्या १० और ११ पेश करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १० और ११ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

†उपाध्यक्ष महोदय प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १७ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :

खण्ड १७ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १८ और १९ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खण्ड १, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†डा० का० ला० श्रीमाली : मैं प्रस्ताव करता हूं" :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा समाज सेवा के बारे में संकल्प—जारी

†उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री दी० चं० शर्मा द्वारा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा समाज सेवा के संबंध मे १९ मार्च, १९६२ को प्रस्तुत संकल्प पर अग्रेतर चर्चा पुन : प्रारंभ करेगी । डा० का० ला० श्रीमाली अपना भाषण जारी रखें ।

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : पिछले दिन जब सभा की बैठक स्थगित हुई थी उस समय मैं यह समझाने का प्रयत्न कर रहा था कि राष्ट्रीय समाज सेवा का विचार हाल में प्रधान मंत्री ने प्रस्तुत किया था । परन्तु यह सर्वथा नया विचार नहीं है । यदि हम अपने राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास को देखें तो मालूम होगा कि प्राय : सभी नेताओं ने विद्यार्थियों द्वारा किसी न किसी प्रकार का शारीरिक श्रम अथवा समाज सेवा शुरू किये जाने पर जोर दिया है । गांधीजी ने हमारा ध्यान शिक्षा संस्थाओं में श्रम प्रारंभ करने के नैतिक एवं मानसिक महत्व की ओर आकर्षित किया । वास्तव में उनका बेसिक शिक्षा का मूल विचार यही है कि शिक्षा के साथ काम करना भी सिखाया जाये और शिक्षा को कुछ अधिक यथार्थवादी बनाया जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सरकार यह विचार कर रही है कि इस प्रस्ताव को, जो अनेक वर्षों से हमारे पास है, मूर्त-रूप देने के लिये क्या किया जा सकता है। १९५० में केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय बोर्ड ने इस मामले पर चर्चा की थी और यह सिफारिश की थी कि शारीरिक श्रम ऐच्छिक आधार पर शुरू किया जाना चाहिये। फिर जब १९५२ में प्रथम पंचवर्षीय योजना तैयार की गई थी तो लगभग एक वर्ष के अनिवार्य श्रम अथवा समाज सेवा पर बहुत जोर दिया गया था। इस प्रकार अनिवार्य समाज सेवा का विचार सरकार के सामने प्रथम योजना के समय से ही चला आ रहा है।

ऐसा नहीं है कि विद्यार्थियों के लिये किसी प्रकार की समाज सेवा निर्धारित करने का विचार केवल हमारे देश में ही किया जा रहा है। यदि हम विभिन्न देशों की शिक्षा पद्धतियों को देखें तो ज्ञात होगा कि अनेक अन्य देशों ने समाज सेवा के संबंध में सफल प्रयोग किये हैं। यहां मैं यूगोस्लाविया में किये गये कार्य का संक्षिप्त उल्लेख करना चाहूंगा। १९४६ की प्रथम छमाही में ७ लाख नौजवानों ने लगभग ६० लाख दिन ऐच्छिक कार्य किया जिसमें कई हजार नये मकान बनाये गये, ५,७०० टूटे फूट मकानों और ८०५ स्कूलों की इमारतों की मरम्मत की गई, लगभग १६ लाख एकड़ भूमि जोती गई और १०० लाख पेड़ लगाये गये।

१९४६ से युवक दलों द्वारा अनेक बड़ी परियोजनायें प्रारंभ की गई। ऐसी प्रथम परियोजना बुको-बानोविकी रेलवे थी जिसके ९० किलोमीटर भाग का कार्य मई और नवम्बर, १९४६ के बीच पूरा हुआ जिसमें ६२,००० युवकों ने दो-दो महीने की पारियों में ऐच्छिक श्रम किया। इसी प्रकार सैमाक–सरीजेवो रेलवे का कार्य २१७,००० युवकों ने किया और दोबाज–बंजा लुका रेलवे का ८६,००० नौजवानों ने। इनके अतिरिक्त सात छोटी छोटी रेलवे लाइनें और बच्चों की रेलवे भी बनाई गई अन्य प्रकार की परियोजनाओं में औद्योगिक संयंत्रों और कारखानों का निर्माण, जल विद्युत केन्द्रों की स्थापना नहर खोदना और नदियों के मार्ग का विनियमन सम्मिलित है। जिन दिनों में इन बालकों ने कैम्पों मे काम किया उन दिनों उनके रहने और खाने की निःशुल्क व्यवस्था की गई, काम के कपड़े दिये गये और अपने घरों से कैम्प तक की यात्रा का खर्चा दिया गया। और कोई नगद भुगतान नहीं किया गया।

संयुक्त राज्य अमरीका में भी मंदी के दिनों में बहुत से युवकों एवं युवतियों ने सिविल कंजरवेशन कोर अथवा सी० सी० सी० में काम किया। उस अवधि में युवकों एवं युवतियों अनेक परियोजनाओं का कार्य किया। उनमें से कुछ विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे थे।

अत : जब हम अपने नौजवानों के लिये समाज सेवा की बात करते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिये कि यह भारत में ही कोई नई बात नहीं है। वास्तव में अनेक अन्य देशों मे वैसा होता है। मैं ने युगोस्लाविया के बारे में बताया कि वहां किस प्रकार देश के नौजवानों ने बड़ी बड़ी परियोजनाओं का कार्य किया। परन्तु हमारे देश में उसके प्रति विरोधी भावना है। मैं आशा करता हूं कि वह धीरे धीरे समाप्त हो जायेगी और हम शिक्षा में समाज सेवा का महत्व समझने लगेंगे। इससे नौजवानों में मानसिक एवं भावनात्मक जागृति आती है। जब नौजवान राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की परियोजनाओं में भाग लेते हैं तो निश्चय ही वे अपने को देश के साथ मिला देते हैं। यह स्वयं एक महान अनुभव है। जहां तक समाज सेवा की उपादेयता का संबंध है, मैं समझता हूं कि सभा के सभी वर्ग इससे सहमत होंगे कि समाजसेवा हमारी शिक्षा पद्धति में अत्यन्त मूल्यवान वृद्धि होगी।

हमें इस प्रश्न पर विचार करना है कि उसे अनिवार्य आधार पर शुरू करना चाहिये अथवा उसे ऐच्छिक रहने देना चाहिये? जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, एक समय स्वयं प्रधान

[डा का० ला० श्रीमाली]

मंत्री ने यह सुझाव दिया था कि हम उसे अनिवार्य बना सकते हैं। ऐसे मामले में हमारे लिये जनता का समर्थन प्राप्त करना आवश्यक है। विद्यार्थियों, उनके माता पिता और जनता के सहयोग के बिना समस्त योजना असफल रहेगी। इस प्रकार के बड़े कार्य में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि जनता समाजसेवा की उपयोगिता समझे। इस प्रकार यह मामला सरकार के सामने है और हम उसके विभिन्न पहलुओं की जांच कर रहे हैं।

इस मामले की शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में भी चर्चा की गई थी और यह तय हुआ था कि समस्त योजना राष्ट्रव्यापी आधार पर अनिवार्य बनाने के बजाए फिलहाल अग्रिम परियोजनायें प्रारंभ की जायें। उसे अनिवार्य बनाने अथवा उसे ऐच्छिक बनाये रखने के प्रश्न का निर्णय हम इन योजनाओं का कार्यकरण देखने के पश्चात् कर सकते हैं। हम बिना सुनिश्चित योजना बनाये इस कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहते हैं। उसकी कार्यकारी दलों, अन्तर्मंत्रालय बैठकों और समितियों द्वारा जांच की गई है। एक समिति नियुक्त की गई थी जिसके सभापति श्री देशमुख थे। इस समय मंत्रालय का विचार यह है कि उसे एकदम अनिवार्य कर देने के बजाय ऐच्छिक आधार पर अग्रिम परियोजनायें प्रारंभ करना अधिक अच्छा होगा।

इसको अनिवार्य बनाने में एक कठिनाई वित्त की है। हमने मोटा अनुमान लगाया था। यदि लड़कों को कैम्पों में रखा जायेगा तो उन्हें खाना देना होगा। हम उन्हें कुछ नकद भले ही न दें। परन्तु हम उनसे कैम्प में रहने का खर्च भरने की आशा नहीं कर सकते हैं। हमें उनके खाने और रहने का खर्च उठाना होगा। मंत्रालय में तैयार किये गये आकलनों से ज्ञात हुआ कि पांच वर्षों में १०.१३ लाख विद्यार्थियों को समाज सेवा में लेना होगा और इस योजना पर लगभग १११ करोड़ रुपये व्यय होंगे। यदि हम उसे अनिवार्य करना भी चाहें तो मैं समझता हूं कि हमारी वित्तीय स्थिति उसमें बाधाक होगी।

इन सब पहलुओं पर विचार करके हमने यह निर्णय किया है कि शुरू में अग्रिम परियोजनायें प्रारंभ करना अच्छा पहेगा। माननीय सदस्य कह सकते हैं कि ऐच्छिक सेवा कैम्प पिछले कई वर्षों से चल रहे हैं। हम इस बात की जांच कर रहे हैं कि वे कैम्प कहां तक सफल रहे हैं और विद्यार्थियों ने जो कार्य किया है वह उचित भी है? इन सब बातों में शिक्षा के पहलू को ही सर्वाधिक महत्व देना होगा।

इन सब बातों पर विचार करने के पश्चात हम अग्रिम परियोजनायें प्रारंभ करने का विचार कर रहे हैं जिन मे विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी कुछ समय के लिये आ सकें। परन्तु उन्हें एक निरन्तर योजना मे लगा कर रखा जायेगा और वह परियोजना सामाजिक एवं आर्थिक महत्व की होनी चाहिये। उदाहरण के लिये यदि वे सड़क बना रहे हैं तो ऐसी सड़क बनाने से कोई लाभ नहीं होगा जो वर्षों के दौरान नष्ट हो जाये। उन्हें ऐसी सड़क बनानी चाहिये जो चिर-स्थायी हो। यूगोस्लाविया में नौजवानों ने कुछ बड़ी परियोजनाओं का कार्य किया है। इसलिये यदि हम भी उनका उचित संगठन करें तो कोई कारण नहीं है कि हमें भी सफलता न मिले।

अत: मैं इस संकल्प को उसके वर्तमान स्वरूप में स्वीकार करने में असमर्थ हूं यद्यपि मैं उसकी मूलगत भावना का आदर करता हूं। समाजसेवा देश के नौजवानों के लिये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे उनमें सही भावानात्मक दृष्टिकोण का विकास होता है। इससे वे अपने अस्तित्व को देश में मिला देते हैं और जब देश के विभिन्न भागों के नौजवान एकत्रित होते हैं तो उनमें भावनात्मक एकता उत्पन्न

होती है। कैम्प विद्यार्थियों के लिये बहुत महत्वपूर्ण अनुभव है। जब वे कैम्पों में बहुत समय तक अनुशासन में रहते हैं तो उनमें सामुदायिक भावना उत्पन्न होती है जो राष्ट्र को दृढ़ बनाने के लिये बहुत आवश्यक है। इसलिये मैं समाजसेवा को हर दृष्टि से बहुत महत्व देता हूं। हम आशा करते हैं कि हम निकट भविष्य में ही कुछ अग्रिम परियोजनायें प्रारंभ कर सकेंगे और यदि वे सफल रहीं तो हम उनका विस्तार क्षेत्र बढ़ाने के संबंध में विचार करेंगे। इसलिये मैं इस प्रस्ताव का उसके वर्तमान स्वरूप में विरोध करता हूं। मैं आशा करता हूं कि मेरी बातों को सुनने के पश्चात श्री दी० चं० शर्मा इस संकल्प को वापस ले लेंगे।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं संकल्प को मतदान के लिये रखूंगा।

प्रश्न यह है कि :

"इस सभा की यह राय है कि सरकार को ऐसे विद्यार्थियों के लिये जो स्नातक की डिग्री लेना चाहते हों, एक वर्ष की अनिवार्य समाज सेवा आरम्भ करने के लिये कार्यवाही करनी चाहिये।"

संकल्प अस्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अगले संकल्प के लिये अभी तक कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है क्यों कि समिति की बैठक नहीं हो सकी। मैं समझता हूं कि एक घण्टा पर्याप्त होगा। बीस मिनट माननीय सदस्य ले सकते हैं और बीस मिनट माननीय मंत्री जी। शेष बीस मिनट में अन्य सदस्य बोल सकते हैं।

भवनों, स्कुलों आदि के नाम के बारे में संकल्प

श्री विभूति मिश्र (बगहा) : उपाध्यक्ष महोदय, अपने प्रस्ताव को मैं आपके समक्ष उपस्थित करता हूं जो इस प्रकार है :—

"इस सभा की यह राय है कि सरकारी धन बनाये गये भवनों, स्कूलों, बांधों, पुलों और नयी बस्तियों के नाम किसी ऐसे जीवित व्यक्ति के नाम पर न रखे जायें जिसका सरकारी शासन व्यवस्था से किसी प्रकार का संबंध हो, परन्तु ऐसे व्यक्तियों के नाम पर रखे जायें, जिन्होंने किसी भी क्षेत्र में देश की उन्नति के लिए संघर्ष किया हो अथवा स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया हो।"

इस सदन के सामने आने वाले प्रस्तावों में यह एक नई किस्म का प्रस्ताव है और मैं समझता हूं कि सरकार को इस संबंध में कोई निश्चित नीति अपनानी चाहिये। सरकारी खर्चे से स्कूल बनाये जायें, बांध बनाये जायें, भवन बनाये जायें, बाजार बसाये जायें या और काम किये जायें और अगर उनका नामकरण किसी ऐसे आदमी के नाम के पीछे कर दिया जाये जो शासन व्यवस्था में हो, तो यह उचित नहीं प्रतीत होता है। ऐसा करने से मुझे लगता है इसमें पर-सनैलिटी कल्ट की बात आ जाती है (**तालियां**)। यह जरूरी है कि ———

उपाध्यक्ष महोदय : किसी पार्लियामेंट के मैम्बर का नाम रखा जाए या नहीं ?

श्री विभूति मिश्र : जी नहीं।

सरकार में ऐसे भी आदमी हैं जिन्होंने देश के लिये त्याग किया है, तपस्या की है, यातनायें सही हैं, नाना प्रकार की तकलीफें झेली हैं, उन के नाम के पीछे इनके नाम ———

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री त्यागी (देहरादून) : त्यागियों का नाम, तपस्वियों का नाम रखा जा सकता है।

श्री विभूति मिश्र : उनके नाम पर रखा जाये तो कोई एतराज़ की बात नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : त्यागी कहने से त्यागी नहीं हो जाते हैं । नाम उनका और होता है।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : ये नाम के त्यागी हैं।

†**श्री विभूति मिश्र** : जो शासन व्यवस्था में हो, उसके नाम पर उनके नाम नहीं रखे जाने चाहियें। शासन व्यवस्था से उसके अलग होने पर यदि उनके नाम के पीछे उनका नामकरण कर दिया जाये तो ज्यादा सुन्दर होगा। लेकिन इसके बारे में रूल नहीं बनाया जा सकता है। इसका कारण यह है कि आज हिन्दुस्तान में ऐसे भी आदमी हमारी सरकार में हैं जिन्होंने हिन्दुस्तान की आजादी के लिये, इस हिन्दुस्तान को बनाने के लिये नाना प्रकार की तकलीफें और कष्ट भोगे हैं। यदि उनका नाम उनके साथ जोड़ दिया जाये तो कोई एतराज की बात नहीं है। यह जरूर है कि यदि वह शासन व्यवस्था में न रहे तब उसके पीछे उनका नाम आये तो ज्यादा सुन्दर लगेगा।

यह जो प्रस्ताव है यह केवल केन्द्र पर ही लागू नहीं होगा। इस प्रस्ताव का संबंध केन्द्र से भी है, प्रांतों से भी है, म्यूनिसिपैलिटीज़ से भी है, डिस्ट्रिक बोर्डज़ से भी है, नोटिफाइड एरिया कमेटीस से भी है। जहां कहीं भी सरकार का पैसा या जनता का पैसा खर्च होता है, शासन व्यवस्था में से खर्च किया जाता है, वहां पर किसी चीज़ का नामकरण हो, उससे मेरे प्रस्ताव का संबंध है।

यह एक नई बात है और इसके संबंध में सरकार को एक नीति निर्धारित करनी पड़ेगी और उस नीति को ठीक प्रकार से अमल में लाया जा सके, इसके लिये सरकार को एक कानून बनाना होगा और कानून बन जाने के बाद उसके अनुसार ही सब चीजों के नामकरण करने की व्यवस्था करनी होगी। मैं दूसरे धर्मों की बात तो नहीं जानता, लेकिन हिन्दू धर्म की बात अवश्य जानता हूं कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका नामकरण जब किया जाता है तो उसके लिए पंडित आते हैं, जो लगन देखते हैं और जिस लगन में उस बच्चे की पैदाइश हुई होती है, उसके अनुसार ही तथा उस पर सोच विचार हो चुकने के बाद ही उसका नामकरण किया जाता है। इन सब चीजों का मिलान करने के बाद ही बच्चे का नामकरण होता है। कोई चीज आप बनाते हैं या कोई कारखाना आप स्थापित करते हैं, उसका नामकरण तुरन्त नहीं कर देना चाहिये।

हमारे कम्युनिस्ट भाइयों ने जब मैं बोल रहा था तो तालियां बजाईं। उनको मैं बताना चाहता हूं कि इस में स्टालिन के नाम के पीछे एक स्थान का नाम स्टालिनग्राड रखा गया था। वहां पर स्टालिन की मूर्ति रखी गई थी जिसको जीवित रखने के लिये कई प्रकार के मसालों का प्रयोग किया गया था। स्टालिन के मरने के बाद ख्रुश्चेव साहब आये। उन्होंने उनकी कब्र को खुदवा करके उनके शव को वहां से कहीं और फिंकवा दिया और स्टालिनग्राड तक का नाम बदल दिया गया है। आप सोचें कि आज एक आदमी की गवर्नमेंट है तो कल दूसरे की गवर्नमेंट हो सकती है, आज एक सरकार है तो कल दूसरी सरकार कायम हो सकती है और हो सकता है कि वह नाम बदलने का काम करने लग जाए। इसलिये नामकरण की जो बात है यह बहुत होशियारी से होनी चाहिये। मैं आपको अमरीका का भी एक हवाला देना चाहता

डोमिनिकन रिपब्लिक का जो एक्स-डिक्टेटर था उसने अपने जमाने में रोडज़ के, बिल्डिंग्ज़ वगैरा के नाम अपनी फैमिली के मैम्बर्ज के नाम पर रख दिए। जब वहां की सरकार बदली तो उसने सब नामों को बदल डाला। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार बड़ी छानबीन के बाद ही कोई नाम रखे।

मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि हमारे यहां जितने भी तीर्थ स्थान हैं, उन सब के नाम किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर नहीं रखे गए हैं। शेरशाह ने कलकत्ते से लेकर के कटक तक एक सड़क बनवाई थी जिसको आज ग्रांड ट्रंक रोड कहते हैं, उस सड़क का नाम भी शेरशाह ने अपने नाम पर नहीं रखा। उस सड़क का नाम महाभारत में पाया जाता हैं। वहां पर भी उस सड़क का नाम किसी के नाम पर नहीं रखा गया है। उनकी सफाई देखिए कि कैसे उन्होंने काम किया और अपने नामों के साथ उन सड़कों का नाम नहीं जोड़ा। हमारे यहां शंकराचार्य ने चार धाम बनाये और उनमें से किसी धाम के साथ अपना नाम नहीं जोड़ा। हमारे यहां चार धाम हैं, द्वारिकापुरी, जगन्नाथपुरी, बद्रीनारायण और रामेश्वरम्। किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर किसी का नाम भी नहीं रखा गया है। उन्होंने उस स्थान विशेष के नाम के साथ इनका नाम जोड़ा है।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि नामकरण का बहुत महत्व है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में कोई निश्चित नीति निर्धारित करें। मैं यह नहीं चाहता हूं कि किसी अफसर के नाम के साथ किसी चीज़ का नाम जोड़ दिया जाए और जब दूसरी सरकार बने तो उस नाम को झट से बदल कर दूसरा रख दें। इस तरह की चीज़ हुई है और इसको हमने अंग्रेजों से सीखा है। एक सड़क का कर्जन रोड नाम पड़ा, एक सड़क का नाम डुपले लेन पड़ा, और इसी तरह से बहुत सी सड़कों के नाम पड़े। अंग्रेज लोग चाहते थे कि हमारा नाम जारी रहे और हिन्दुस्तान के लोग हमारे नाम रटा करें। अंग्रेजों के जाने के बाद हमने कुछ नामों को बदला है। हमें ऐसे लोगों के नाम पर सड़कों आदि के नाम रखने चाहिये थे जिन्होंने देश के लिए त्याग और बलिदान किये। अगर हम शिवाजी का नाम रखते तो समझ में आ सकता था, राणा प्रताप का नाम रखते तो समझ में आ सकता था, टीपू सुल्तान का नाम रखते तो समझ में आ सकता था।

एक माननीय सदस्य : यह व्यक्तिगत हो जाता।

श्री विभूति मिश्र : मेरे कहने का मतलब यह है कि ऐसे आदमियों के नाम पर नाम रखें जाएं जिन्होंने एक सिद्धांत के लिए काम किया हो। फर्ज कीजिए कि किसी चीज का नाम गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम पर रखा जाता क्योंकि उन्होंने साम्प्रदायिकता को समाप्त करने के लिये अपनी जान दी। अगर उनके नाम पर कोई नाम रखा जाता तो उचित होता क्योंकि उन्होंने एक सिद्धांत के लिये काम किया। इसके अलावा और भी बहुत से लोग हमारे देश में हुए हैं जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की, हिन्दुस्तान की स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने ऐसा करने में अनेकों यातनायें झेलीं, उनके नाम पर नाम रखे जाते तो समझ में आ सकता था क्योंकि वे सरकार में नहीं हैं। मेरा कहना यह है कि जो सरकार में नहीं रहे उनके नामों पर नाम रखें जायें। हां, सरकार में भी कुछ आदमी ऐसे हैं जिनके नाम के बारे में किसी को एतराज नहीं हो सकता, अगर उनके नाम पर किसी चीज का नाम रख दिया जाए तो किसी को आपत्ति नहीं होगी लेकिन ऐसा भी हो रहा है कि कोई आदमी आज किसी मिनिस्ट्री में चला गया, उसका कोई त्याग तपस्या नहीं है लेकिन चूंकि वह शासन व्यवस्था में चला गया इसलिये उसके नाम पर चीजों के नाम रख दिए जाते हैं। उसका त्याग तपस्या केवल यही है कि वह सरकार में चला गया। इस पर मुझे ऐतराज है।

[श्री विभूति मिश्र]

उपाध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि एम० पी० लोगों के नाम पर भी नाम रखे जायें। जब यह डिमाक्रेटिक सोशलिज्म है तो उसमें हम भी आते हैं और मिनिस्टर भी आते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह तो सोचें कि जिन्होंने त्याग किया था उनका नाम वह माया के साथ जोड़ना चाहते हैं।

श्री विभूति मिश्र : तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जिनका कोई त्याग नहीं है और जो केवल शासन व्यवस्था में चले जाते हैं, उनके नाम पर चीजों के नाम न रखे जाएं। हम देखते हैं कि जिनका कोई त्याग नहीं है वे मिनिस्टर बन जाते हैं और जिनका त्याग है वे मेम्बर ही बने रहते हैं, और ऐसे भी आदमी हैं जिनका त्याग बहुत ज्यादा हैं लेकिन जो मेम्बर भी नहीं हैं। लेकिन उन लोगों के नाम पर चीजों के नाम नहीं रखे जाते। आज ऐसे अनेकों लोग हैं जो चाहे रिवोल्यूशनरी पार्टी में रहे हों या कांग्रेस में रहे हों, जिनको स्वतंत्रता संग्राम के दौरान में लूटा गया, पीटा गया, उनके नाम नहीं आते। मसलन् भगत सिंह का नाम नहीं लिया जाता। आज दिल्ली में भगत सिंह के नाम पर किसी जगह का नाम नहीं है।

एक माननीय सदस्य : गोल मारकेट का नाम उनके नाम पर है।

श्री विभूति मिश्र : होगा लेकिन मैंने नहीं देखा। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे बहुत से आदमी हैं जिन्होंने देश के लिये बलिदान किया और जिनके नाम पर चीजों के नाम रखे जाने चाहिये। मुझे प्रसन्नता होगी यदि महात्मा गांधी के नाम पर किसी जगह का नाम रखा जाये या तांत्या टोपे के नाम पर रखा जाए। ऐसे बहुत से आदमी हैं जिनके नाम पर अगर किसी जगह का नाम रखा जाए तो किसी को एतराज नहीं हो सकता। लेकिन एक बात है कि अगर कोई सरकार में रहा है इसी कारण उसका नाम किसी ऐसी चीज पर रखा जाए जिसमें सरकार का पैसा खर्च हुआ है तो मुझे ऐतराज होगा। इसमें कोई खास इथिकल सिद्धान्त की बात नहीं आती। मैं चाहता हूं कि चीजों के नाम रखने के कार्य के पीछे कोई सिद्धान्त होना चाहिए या सरकार की तरफ से कोई कानून हो कि जिसने किसी सिद्धान्त के लिए काम किया हो उसके नाम पर किसी जगह का नाम रखा जाए क्योंकि वे लोग सरकार में नहीं हैं। यह नहीं होना चाहिये कि जो शासन व्यवस्था में जनता की सेवा करने के लिये आया है, उसके नाम पर किसी चीज का नाम रखा जाए,। इस उसूल के साथ मैं हूं कि सरकार को इस मामले पर अपनी एक नीति निर्धारित करनी चाहिये। अभी हमारे देश का आगे बहुत उत्थान होगा, बहुत से काम होंगे, बहुत सी इमारतें बनेंगी, बहुत सी नहरें खोदी जाएंगी, बहुत सी और चीजें बनेंगी। इसलिये मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार अभी से अपने को इस मामले में सचेत कर ले और आगे से किसी चीज का नाम किसी आदमी के नाम पर इसी लिये न रखा जाए कि वह आदमी सरकार में था।

अभी दिल्ली में एक शंकर मारकेट है। कोई चीफ कमिश्नर साहब दिल्ली में शंकर साहब थे। उनके नाम पर इस मारकेट का नाम रख दिया गया। अगर इसका नाम किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पर रखा गया होता जिसने देश के लिये त्याग या तपस्या की होती तो उचित था। लेकिन एक ऐसे आदमी के नाम पर उसका नाम रखना जो कि एक सरकारी ओहदे पर रहा है, जिसने सरकार से अपने काम के लिये तनख्वाह ली है और अब वह दूसरी जगह बदल गया या रिटायर हो गया, मेरी राय में उचित नहीं है।

आपने एक स्थान का नाम चाणक्यपुरी रखा है जिसको अंग्रेजी में डिपलोमेटिक एनक्लेव कहते हैं। लेकिन चाणक्यपुरी के आगे सन् १९५१ में कांग्रेस हुई थी और उस स्थान का नाम सत्यवती नगर रखा गया था। उन्होंने बहुत त्याग तपस्या की थी, अगर उनके नाम पर उस स्थान का नाम रखा जाता तो ज्यादा शोभा पाता। लेकिन चाणक्य का नाम रखा तो भी ठीक है क्योंकि वे देश के बड़े विद्वान थे।

तो मैं यही चाहता हूं कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुये सरकार का इस बारे में कोई उसूल होना चाहिये और उसके पीछे सरकार की ताकत होनी चाहिये। मैं चाहता हूं कि इसमें परसोनलिटी कल्ट नहीं आना चाहिये क्योंकि इसके चलते हिन्दुस्तान में गुरुडम हो जाएगी। मैं भी ब्राह्मण जाति का हूं। आज हमारे गुण अवगुण को न देख कर लोग हमारे पैर छूकर हमको प्रणाम करते हैं। इस प्रकार का गुरुडम का तरीका देश में पहले से चल रहा है जो कि अब समाप्त होना चाहिये। मैं नहीं चाहता कि यह गुरुडम का तरीका देश में आगे रहे। अगर किसी ने त्याग और बलिदान किया हो उसके नाम पर किसी चीज का नाम रखा जाए तो यह एक अच्छी परम्परा होगी, जैसे कि इंजिन के कारखाने का नाम श्री चितरंजन दास के नाम पर रखा गया है। वह देश के बड़े नेता थे और उन्होंने देश के लिये बड़ा त्याग किया। उनके नाम पर इस कारखाने का नाम होना बहुत अच्छा है। उनका सरकार से कोई सम्बन्ध नहीं रहा। उनके नाम पर जो नाम रखा गया उसमें किसी को कोई एतराज नहीं है। सरकार में भी ऐसे आदमी हो सकते हैं जिनकी त्याग और तपस्या रही हो, उनका नाम भी किसी चीज के साथ जोड़ा जा सकता है लेकिन इसमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि उनके साथ दूसरे जिनकी कोई तपस्या या त्याग नहीं है वे भी न चले आवें। इसलिये मैं गृह मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में कोई निश्चित नीति निर्धारित करें और कोई कानून बनावें।

इस सम्बन्ध में मैं एक बात और कहना चाहता हूं। अगर कोई विज्ञान वेता सरकार की सेवा में हो या कोई डाक्टर हो या वैद्य हो जिसने किसी चीज का आविष्कार किया हो तो सरकार से पूछ कर उसका नाम किसी चीज के नाम के साथ जोड़ा जा सकता है, इसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। जैसे हमारे सी० एच० भावा हैं जो कि एटामिक इनरजी कमीशन में काम करते हैं। अगर वह एटामिक इनरजी के क्षेत्र में कोई आविष्कार करते हैं तो उनके नाम पर किसी चीज का नाम रखा जा सकता है, लेकिन सरकार से पूछ कर। इसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। अगर किसी विज्ञान वेत्ता के नाम पर, किसी स्पेशलिस्ट के नाम पर जिसने अपने क्षेत्र में कोई आविष्कार किया हो।

सरकार की अनुमति से किसी चीज का नाम रख दिया जाए तो इसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती। यह तो अच्छा होगा।

इसके अलावा मान लीजिए कि किसी आदमी ने कोई खास डिक्शनरी बनायी। वह अगर सरकारी सरविस में भी हो तो अगर उसका नाम सरकार से पूछ कर किसी चीज से संबन्धित कर दिया जाए तो कोई ऐतराज नहीं होगा क्योंकि वह एक खास चीज का जानने वाला है और उसने मेहनत करके एक खास चीज निकाली है। लेकिन अगर कोई आदमी सरकार में मंत्री हो गया है उसके नाम पर किसी बांध का या पुल का नाम रख दिया जाए, जो कि सरकार के पैसे से बना है, तो यह उचित नहीं माना जा सकता।

इसलिये मैं अपने प्रस्ताव को पेश करते हुये सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में कोई कानून बनाए या ऐसी नीति निर्धारित करे जिस के मुताबिक इन सब चीजों का नामकरण हो ताकि आगे जा कर इसमें किसी को किसी तरह का ऐतराज न हो और दिक्कत न पैदा हो।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री सरजू पाण्डेय (रसड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय सदस्य ने बताया कि वह इस प्रस्ताव को इसलिये लाए हैं कि देश में

[श्री सरजू पाण्डेय]

बढ़ते हुए परसोनेलिटी कल्ट को रोका जाए। उन्होंने अपनी स्पीच में स्टालिन के बारे में जो फरमाया मैं नहीं जानता कि उनको ये खबरें कहां मिलीं। हमको तो ऐसी किसी बात का पता नहीं है कि स्टालिन की लाश को खोद कर फेंक दिया गया। न मालूम कहां से ताजा सूचना उनके पास आयी है जो मुझे नहीं मालूम। लेकिन एक बात जरूर है कि हम कम्युनिस्ट नहीं चाहते व्यक्ति पूजा हो और इस प्रस्ताव में मुख्य रूप से व्यक्ति पूजा का विरोध किया गया है। यह बात सही है कि उन लोगों ने जिन्होंने कि देश के लिये कुछ किया है अगर उनके नाम पर संस्थाओं का नाम रक्खा जाता है तो कुछ समझ में आता है। मगर ज्यादातर यह देखने में आता है कि आम तौर से जो सरकारी नौकरियों में हैं या बड़े सरकारी ओहदों पर हैं उनके नाम पर भी ऐसी जगहों के नाम रक्खे जाते हैं जो सचमुच में समझता हूं कि गलत है। लखनऊ में चले जाइये वहां पर किन्हीं साहब के नाम एक वरलिंगटन होटल मौजूद है। अंग्रेजों के नाम पर सड़कों के नाम रक्खे गये हैं, इमारतों के नाम रक्खे गये हैं। जिनकी कि देश के लिये या किसी संस्था के लिये कोई देन नहीं है ऐसे लोगों के नाम पर संस्थाओं के नाम रखना मैं समझता हूं कि कतई तौर पर गलत है। जैसा कि प्रस्तावक महोदय ने कहा है मैं उनसे इस बारे में सहमत हूं कि सरकार को इसके लिये कानून बनाना चाहिये। हम योग्य व्यक्ति की पूजा के विरुद्ध नहीं हैं। दुनिया में हर जगह जो बड़े लोग हो गये हैं उनकी पूजा हुई है और यह हटायी नहीं जा सकती और न ही कम्युनिज्म में इस के लिये कोई बाधा है कि व्यक्ति की पूजा न की जाय। मगर व्यक्ति की पूजा के नाम पर ऐसे लोगों की पूजा करने की कोशिश की जाती है जो कि दरअसल पूजा के पात्र नहीं हैं। आमतौर से जिनके हाथ में पावर आती है वह इस तरीके की कोशिश करते हैं। चाहे देश के प्रति उनका कोई काम हो या न हो। मगर वह शासन के बल पर पूजा कराते हैं हमारे और देश में तो बहुत ज्यादा शासकों की पूजा होती है और आज भी होती है। सरकार पैसा लेती है और अपने शासक लोग अपने नाम पर स्कूल, कालिजों और सड़कों का नाम रखती है और इस तरह से अपने व्यक्तित्व का बेजा फायदा उठाते हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि इस पर कोई लम्बी बहस की जरूरत नहीं है। यह बात सही है और इस प्रकार के प्रस्ताव का इस सदन् में अनुमोदन होना चाहिये और मैं चाहता हूं कि इस तरह के नाम नहीं रक्खे जाने चाहिये। जिन लोगों ने देश की कोई सेवा न की हो और खास तौर पर ऐसे लोग जो कि सरकारी कर्मचारी हों, सरकारी पदों पर हों अगर उनके नाम पर भवनों अथवा सड़कों का नाम रक्खा जाता है तो लाजिमी तौर पर सरकार को कानून बना कर उसे अवैध बना देना चहिये। ताकि देश में ऐसे लोगों को प्रोत्साहन मिले जो कि देश की सेवा बगैर पैसे लिये करते हैं। वे लोग जो कि बिना किसी स्वार्थ के निस्सस्वार्थ भाव से देश की सेवा करते हैं उनके लिये इतना तो किया ही जाय ताकि इतिहास में उनका नाम अमर हो जाय और आगे आने वाली पीढ़ियां उनको जानेंगी कि उन्होंने देश के खातिर इतनी कुर्बानी दी। मैं चाहता हूं कि ऐसे योग्य व्यक्तियों को ही प्रोत्साहन मिलना चाहिये और उनके नाम को अमर बनाने के लिये सड़कों और भवनों आदि के नाम उनके नाम पर रक्खे जायें ताकि इतिहास ने उनका नाम अमर हो जाय। सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिये जिससे इस तरह के लोगों को प्रोत्साहन मिले।

पंडित द्वा० ना० तिवारी (केसरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख है कि मैं अपने मित्र के प्रस्ताव से सहमत नहीं हूं . . .

उपाध्यक्ष महोदय : आपस में मशविरा करके हो तो प्रपोज नहीं किया था।

पंडित द्वा० ना० तिवारी : अगर मशविरा किया होता तो मैं समर्थन करता। मैं उनसे यह कह रहा था कि यह प्रस्ताव नामुमकिन है और समयानुकूल नहीं है। अपने प्रस्ताव को पेश

करते हुए उन्होंने जो दलील दी उस से भी मैं सहमत नहीं हूं। हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई के दौरान जिन्होंने त्याग और तपस्या की उन्हीं लोगों के नाम पर सड़क और भवन आदि बनाये जांय और बाकी लोगों के नाम पर न बनाये जांय यह सिद्धान्ततः गलत है। अब जहां देश सेवा करने का ताल्लुक है तो प्री इंडिपेंडेंस डेज में ही की हुई देश सेवा की बात नहीं है। देश सेवा तो हमेशा रोजाना होती है और की जाती है। जो मनुष्य हंसते हंसते फांसी पर लटक गया उसका नाम हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो गया लेकिन उस से भी अधिक ऊंचा मैं उस मनुष्य को समझता हूं जो कि देश के खातिर तिल-तिल कर के मरते हुए सेवा करता है और जोश में न आ कर अपने काम को साधारण तौर से चलाता है लेकिन सदा उसका दृष्टिकोण देश सेवा की तरफ रहता है। तो नाम होना दूसरी बात है, काम कुछ और है। भारतवर्ष इतना बड़ा देश है कि रोज ही कुछ सड़कें, मकान तथा संस्थाएं बनती रहती हैं और उनका नामकरण होता है। अब यह काम अगर गवर्नमेंट के जिम्मे दे दिया जाये कि गवर्नमेंट बराबर इस को देखा करे कि कहां किस का नाम होता है और कहां नहीं होता है और नामकरण के मामले में हस्तक्षेप करे और कहीं पर वह लिखा पढ़ी कर के अमुक नाम पर नामकरण न होने दे तो यह इतना लम्बा काम हो जायेगा कि इस के लिए आपको एक अलग डिपार्टमेंट ही खोलना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट के ऊपर वैसे ही काम का भार है और उस पर यह काम भी लाद दिया जाय और जिसके लिए कानून बनाने की बात हो रही है तो वह कानून क्या होगा ? उस में कितने इफ्स और बट्स होंगे और कितने एक्सेप्शंस् होंगे। जैसे कि पंडित जी ने खुद कहा है कि किन लोगों के नाम पर स्थानों आदि का नाम रक्खा जा सकता है और किन के नाम पर नहीं रक्खा जाना चाहिए और कितने इस में एक्सेप्शंस् होंगे। अब यदि कोई सरकार में आ गया मंत्री बन गया या सरकार के किसी ओहदे पर आ गया तो ऐसा करके उस ने कोई पाप तो नहीं किया जो उस के नाम पर किसी सड़क भवन संस्था आदि का नाम न रक्खा जाय। हालांकि उसका आजादी की लड़ाई में कोई कंट्रीब्यूशन न भी हो लेकिन आज जब वह अच्छा काम कर रहा है और उस की वजह से उस स्थान के लिए या प्रान्त के लिए कोई अच्छा काम हो गया और लोगों ने समझा कि इस अच्छा काम करने के बदले हम लोग उस के नाम पर ही उस जगह का नाम रख दें तो उस में बेजा क्या है ? मैं तो समझता हूं कि नामकरण किसी चीज की एक ऐसी बात है जिसे कि वहां के लोगों पर ही छोड़ देना चाहिए कि वह क्या चाहते हैं। यदि उन के दिल में किसी अफसर के लिए या किसी मिनिस्टर के लिए सद्भावना है, उस के कामों को वे अच्छे तरीके से जानते हैं और उनको प्रेरणा मिली है तो यदि वे चाहें तो उस व्यक्ति के नाम पर वे किसी चीज का नामकरण कर सकते हैं। इस की उन्हें छूट होनी चाहिये। इस के लिए कोई कानून नहीं बनना चाहिए। और उसको ऐसा करने से मना न किया जाय। इस के लिये उन्हें सरकार से पूछने और उसकी इजाजत लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिये। लेकिन यदि यह नामकरण करने का काम सरकार के जिम्मे कर दिया गया तो जैसी सरकार की वहां पर हालत है कि रोजमर्रा की कार्यवाही में तो महीना, दो महीना, छः महीना, और साल लग जाता है तो यह नामकरण का काम कोई महत्व की चीज तो है नहीं उसको कोई एम्पोर्टेंस देगा नहीं और वह वर्ष दो वर्ष और चार वर्ष तक अटका पड़ा रहेगा और उसका फैसला ही नहीं होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट पर जो यह नई चीज लादने जा रहे हैं यह अनुचित मालूम होती है, असामायिक मालूम होती है और इसकी कोई जरूरत देश में नहीं है। अब जो प्रस्तावक महोदय ने रूस का उदाहरण दिया और कि वहां यह हुआ और अमुक जगह यह हुआ तो उस में तो कोई नई बात नहीं है वह तो हुआ ही करता है। उस से तो मालूम होता है कि लोगों की वहां ऐसी भावना नहीं

[पंडित हृ० ना० तिवारी]

थी कि यह चीज हो कोई चीज जबर्दस्ती की गई और उसको पीछे लोगों ने बदल दिया। अब अपने देश की ही बात ले लीजिये। हमारे देश में बहुत सी सड़कों और स्थानों आदि के नाम विदेशी व्यक्तियों के नाम पर अंग्रेजी शासनकाल के समय रख दिये गये थे लेकिन लोगों की भावनायें उसके खिलाफ थीं। लोग नहीं चाहते थे कि ऐसा हो लेकिन अंग्रेज शासकों के दबदबे से लाचार थे लेकिन बाद में हम ने देखा कि स्वाधीन होने पर उनको बदला गया। इसके बरअक्स बहुत सी सड़कों के नाम जो कि हिन्दुस्तानियों के नाम पर रक्खे गये थे उन के नाम बदलने की किसी ने चर्चा नहीं की। जो नामकरण के आधार पर होता है उससे बदलने की कोई बात उठती ही नहीं है और कहीं इक्के-दुक्के बदल भी दिये जांय तो उस में कोई ऐसी असाधारण चीज प्रकट नहीं होती है जिस के लिए कोई छानबीन या जांच-पड़ताल आवश्यक हो। . . . .

श्री त्यागी : नाम क्यों बदलते हो। नाम का बदलना एक हलकी बात है। अंग्रेज का भी हो तो उसको रक्खो उसको बदलते क्यों हो।

पंडित हृ० ना० तिवारी : अब मैं इस में त्यागी जी से सहमत नहीं हूं। वह तो हमारी गुलामी के चिह्न हैं और उनको तो जाना ही चाहिये।

श्री त्यागी : वह इस बात की यादगार हैं कि अंग्रेजों का राज्य तो हम पर था उस विदेशी शासन को समाप्त करके हम आजाद हुए हैं।

पंडित हृ० ना० तिवारी : जी नहीं, वह इस बात की यादगार हैं कि हम लोग गुलाम थे और यह कि हमें जबर्दस्ती गुलाम बनाया गया था। अब चूंकि हम उस गुलामी से छुटकारा पा गये हैं इसलिए हम उन गुलामी के निशानों को मिटा देंगे।

आप ने देखा होगा कि हमारे देश में सड़कों पर जो विदेशी मूर्तियां स्थापित की हुई थीं वह धीरे-धीरे हटाई जा रही हैं और उनको म्यूजियम में रक्खा जा रहा है। इसी तरह इन नामों को भी ऐसी जगह पर रख दिया जाये, जहां लोगों को उन से सम्पर्क न हो। अगर नाम किसी देवता, किसी बीर सेनानी, किसी अच्छे काम करने वाले या किसी स्थानीयय व्यक्ति के नाम पर रखे जायें, तो इस में किसी को उज्र नहीं होना चाहिये। इस बारे में कानून नहीं बनाना चाहिए। और गवर्नमेंट को इस में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये, यही मेरा सुझाव है,।

†**श्री दातार** : उपाध्यक्ष महोदय इस संकल्प का उद्देश्य तो समझ में आता परन्तु जिस ढंग से यह प्रस्तुत किया गया है वह स्वीकार्य नहीं है।

माननीय सदस्य ने जो भी कहा है उसका विषय सीमित है क्योंकि अन्य मामलों में नाम जनता की इच्छानुसार होगा। मैं माननीय सदस्य की इच्छा समझता हूं कि संस्था या सड़क आदि का नाम व्यक्तव्य के आधार पर नहीं होना चाहिए। हमें देखना चाहिये कि क्या इसका कहीं दुरुपयोग हुआ है ?

इस संबंध में इन्हीं दो बातों पर विचार करना है यदि हम इस पर विचार करें कि कुछ संस्थाओं और सड़कों के नाम कैसे रखे गये हैं, तो मैं समझता हूं कि हम व्क्तव्य के सुझाव को नहीं मान रहे हैं। न ही कोई दुरुपयोग हुआ है, जहां तक कि इस संकल्प का सम्बन्ध है।

---

†मूल अंग्रेजी में

मेरे पास कुछ सड़कों आदि के नाम हैं जो कि एक प्रश्न के उत्तर में बताये गये हैं। इस से आपको पता लगेगा कि दुरुपयोग नहीं हुआ है? वे सब असाधारण प्रकार के हैं।

माननीय सदस्य ने दो शर्तें रखी हैं कि जिन्होंने देश के उत्थान के लिए कार्य किया हैं और जिन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया है? परन्तु आज जीवित नहीं हैं। परन्तु कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं जहां हम राष्ट्रीयता के सीमा के बाहर भी जा सकते हैं। मेरे कुछ अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के व्यक्तियों के नाम हैं; जैसे टालस्टाय जिन्होंने मानवता के प्रसार के लिए साहित्य सृजन किया। अतः क्या देश में कुछ लोग ऐसे न होंगे जो कुछ संस्थाओं के नाम उन के नाम पर ही रखना चाहेंगे।

फिर कुछ अन्य नाम हैं जिनका राजनीतिक महत्व है। इसके अतिरिक्त तानसेन, चन्द्रगुप्त आदि जैसे नाम हैं। इनके नामों की संस्थाओं और सड़कों के नाम हैं। फिर भी, दादा भाई नौरोजी, श्रीनिवास शास्त्री के नाम हैं। श्री शास्त्री जी का नाम दिल्ली से संबद्ध है। इनसे इनके नाम रखने वाले व्यक्तियों के विचारों की विशालता का पता लगता है।

कुछ और भी नाम हैं। उनमें से अधिकतर उनके हैं जो नेता थे। उनके नाम जो स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे और जीवित हैं, इन वस्तुओं के नाम हों या नहीं।

हमारी राष्ट्रीय सरकार है जिसमें अधिकतर वे हैं जो स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। अतः प्रश्न पैदा यह होता है कि क्या हम कुछ एसे जीवित नेताओं के नाम पर संस्थाओं, सड़कों, आदि के नाम रखें या नहीं। उदाहरणार्थ हमारे राष्ट्रपति का नाम है। दिल्ली में उनके नाम पर कुछ सड़कों, संस्थाओं का नाम रखा गया है, जिससे उसे अनौखा गौरव मिला हैं। यदि माननीय सदस्य का संकल्प स्वीकार किया जाता तो उनका यह नाम न होता। अतः मैं निवेदन करता हूं कि माननीय सदस्य इस संकल्प को केवल देश का सुधार करने वाले या उन लोगों तक ही सीमित न रखें जिन्होंन स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था।

स्वयं प्रधान मंत्री न ही काफी पहिले सरकारी नीति स्पष्ट कर दी थी और १२ नवम्बर, १९५७ को एक प्रैस नोट जारी किया गया था जिसमें प्रधान मंत्री ने संस्थाओं, आदि के नाम जीवित व्यक्तियों के नाम पर रखने की प्रथा से असहमति प्रकट की थी। उस समय कहा गया था प्रधान मंत्री चाहते हैं कि किसी संस्था का नाम उनके नाम पर रखने का उनसे निवेदन न किया जाय। मेरा अटल विश्वास है कि जीवित व्यक्तियों के नामों का इस प्रकार प्रयोग न किया जाय। अतः उसरकारी नीति बहुत स्पष्ट है और जिस रूप में संकल्प पेश किया गया है उसे उस तरह स्वीकार नहीं किया जा सकता। माननीय सदस्य विश्वास रखें कि जहां तक संकल्प के सिद्धांत का संबंध, सरकार उनसे सहमत है। मैं आशा करता हूं कि इन परिस्थितियों में माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस ले लेंगे।

†**श्री त्यागी** : क्या सरकार की नीति अब इन सड़कों और स्थानों के नाम कुछ व्यक्तियों के नाम पर रखने की है? क्या आम पलटन बाजार और चान्दनी चौक जैसे नाम समाप्त हो जायेंग।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दातार** : सभी नाम ज्यों के त्यों रहते हैं। किसी नाम को बदलने का कोई प्रश्न ही नहीं है । जब कभी सरकार को नाम बदलने की प्रार्थनायें मिलती हैं, सरकार समूचे मामले पर विचार करती है और सरकार यथासंभव नामों को ज्यों का त्यों रखाना चाहती है ।

श्री विभूति मिश्र : मैं सब से पहले अपने मित्र पंडित तिवारी जी को जवाब देना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : आखिरी बात कहिय जो कहनी है ।

श्री विभूति मिश्र : मैं वह भी कहूंगा । लेकिन उससे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि तिवारी जी न देरी की बात कही है और पैसे का जिक्र किया है । उन्होंन कहा है कि फाइलों के इधर-उधर आने जाने से देरी हो जाएगी । यह बात सुन कर मुझे एक कहावत याद आ गई है । एक रूई धुनने वाला था । उसने बड़ा ढेर रूई का देखा और घबरा गया और कहने लग गया कि कौन इसको धुनेगा । वही बात आपकी है । आपको क्या फिक्र है । कई अरब रुपये का आपका बजट है और इस काम के लिए फाइलें आने जाने की आपको क्यों चिन्ता हो गई है । रोज के रोज यह काम भी होता जाएगा और आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है ।

फांसी पर जो लटकता है उससे आप इसका मिलान करते हैं । मान लीजिये कोई मिनिस्टर है, वह तनख्वाह पाता है, पैसा पाता है और सरकारी काम करता है अगर वह अच्छा काम करता है तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि अच्छा काम करने के लिए ही वह इस पद पर नियुक्त होता है । अगर किसी ने कोई अच्छा काम किया है तो उसका उसने पैसा पाया है, मुआवजा पाया है । लेकिन जो जा कर फांसी पर लटक जाता है देश की खातिर न कि पैसे की खातिर उससे इसका मिलान करना यह कोई ठीक मिसला नहीं है ।

स्थानीय लोगों के हाथ में इस चीज को देने की बात आप करते हैं । मैं कहता हूं कि अगर इस चीज को भी स्थानीय लोगों के हाथ में दे दिया जाए तो उनके बीच भी आपस में इसको ले कर झगड़े होने लगेंगे जैसे अब डिस्ट्रिक्ट बोर्डज में और म्यूनिसिपलिटियों में होते हैं । सेंटर एक पवित्र चीज है । यहां पर हाई तबके के लोग हैं । हम बड़े-बड़े काम कर रहे हैं, भाखड़ा बांध हमने बनाया है, गंडक योजना भी बन रही है और उस पर काम हो रहा है, इसी तरह से दूसरे प्रांतो में कई बड़े-बड़े निर्माण के कार्य हो रहे हैं, मैं उनके बारे में कह रहा था । छोटे-मोटे कार्यों के लिए जिन में हजार या दो हजार या दस हजार खर्च आता है, उनकी मुझे चिन्ता नहीं है । इस वास्ते जो इन्होंने कहा है कि स्थानीय लोगों के हाथ में इसको दे दिया जाए, उससे मैं इत्तिफाक नहीं करता हूं ।

माननीय मंत्री जी के जवाब को सुन कर मुझे एक उदाहरण याद हो आया कि जहां-जहां धुंआ देखा उन्होंने समझा कि अग्नि है । एक शंकर मार्किट का उदाहरण ही मैं ने नहीं दिया कई उदाहरण दिए हैं और मैं और भी उदाहरण दे सकता था लेकिन मुझे समय कुल तीस मिनट का दिया गया था और उसमें और ज्यादा उदाहरण कहां से देता । सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई अफसर हो जोकि तनख्वाह पाता हो और उसने कोई निर्माण का काम करवाया हो तो उसके पूर्ण हो जाने पर अगर वह उसका नाम अपने नाम के साथ जोड़ देता है तो यह अच्छा नहीं लगता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मेरे प्रस्ताव को माननीय मंत्री जी ने समझा नहीं प्रतीत होता है। मैंने स्पष्ट अपने प्रस्ताव में कहा है कि इनके नाम ऐसे व्यक्तियों के नाम पर रखे जायें जिन्होंने किसी भी क्षेत्र में देश की उन्नति के लिए संघर्ष किया हो अथवा स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया हो। मैं ने कहीं भी यह नहीं कहा है कि राष्ट्रपति जी के नाम के पीछे किसी चीज का नामकरण नहीं होना चाहिए। मैं ने अपने भाषण में कहा है कि ऐसे लोग जिन्होंने तपस्या की है, त्याग किया है और आज सरकार में हैं, उनके नाम रहने चाहिएं लेकिन ऐसे लोगों के नाम नहीं रहने चाहियें जिन्होंने न तपस्या की हो और न कोई त्याग किया हो बल्कि केवल मंत्री किसी तरह से बन गए हों। त्यागियों की संख्या रोज़-ब-रोज़, उपाध्यक्ष महोदय, कम हो रही है (**अन्तर्बाधा**) इसलिए मेरा खयाल है . . .

उपाध्यक्ष महोदय : त्यागी अगर एक हो तो वह भी बहुत है, आप ज्यादा न करिये।

श्री विभूति मिश्र : मैं यह नहीं कहता कि आगे हमारे देश में त्यागी पैदा नहीं होंगे। त्यागी आगे भी पैदा होंगे और ऐसे ऐसे भी होंगे जो हम से ज्यादा त्याग करेंगे और उनके नाम पर अगर नाम रखें जायें तो किसी को कोई एतराज नहीं होगा। जिन्होंने हिन्दुस्तान की आजादी के लिए काम किया है और जो चाहे आज जिन्दा हैं, उनके नाम के पीछे उनके नाम अगर रख दिये जाते हैं तो कोई एतराज की बात नहीं है। फर्ज़ कीजिए हमारे ऊपर कोई चढ़ाई करता है और हमारी सीमा पर जो हमारे जवान हैं या दूसरे लोग हैं वे उसका मुकाबला करत हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, तो उनके नाम के पीछे भी ऐसी चीजों के नाम रखे जा सकते हैं। कैसा त्याग किया हो, कैसी तपस्या की हो इसका लेखा जोखा सरकार कर सकती है।

यह सही बात है कि हमारे प्रधान मंत्री परसनलिटी कल्ट के खिलाफ हैं। चूंकि वह इसके खिलाफ हैं, इसीलिए देश में सारा काम चल रहा है, बड़ी खूबी के साथ चल रहा है। वह महान नेता हैं। अगर वह तपस्वी और त्यागी नहीं होते तो दूसरी ही हालत आज हिन्दुस्तान की होती। उनके बल और बूते पर ही सारी चीज़ चल रही है।

यहां पर टालस्टाय का नाम लिया गया है, रूसो का नाम लिया गया है, ह्यूम इन का नाम लिया गया है जोकि कांग्रेस के जन्म-दाता थे। इन सब के नाम के पीछे-इन चीजों के नाम रखे जाने को किसी को एतराज नहीं है। एतराज़ इस बात से है कि नाम-करण को आप सस्ता न करें। आपको कानून बनाना होगा ताकि बहुत सोच-विचार के बाद ही किसी चीज़ का नाम-करण किया जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय : अब क्या आप अपने प्रस्ताव को वापिस लेते हैं या नहीं लेते हैं ?

श्री विभूति मिश्र: वापिस लेता हूं।

संकल्प, सभा की अनुमति से, वापिस ले लिया गया।

राष्ट्रीय एकता दिवस के बारे में संकल्प

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय में . . .

उपाध्यक्ष महोदय : इसके लिये भी समय नियत नहीं किया गया है। क्या ४५ मिनट इसके लिए काफी होंगे ?

कुछ माननीय सदस्य : आधा घंटा काफी है।

श्री स० मो० बनर्जी : राष्ट्रीय एकता दिवस संबंधी यह प्रस्ताव है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको पंद्रह मिनट काफी होंगे ?

श्री स० मो० बनर्जी : पंद्रह सोलह मिनट तो मुझे चाहिएं।

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा आप ले लीजिए।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा संकल्प इस प्रकार है :

"इस सभा की यह राय है कि २५ मार्च को, जिस दिन स्वर्गीय गणेश शंकर विद्यार्थी ने साम्प्रदायिक एकता को स्थापित करने के लिये कानपुर में अपने प्राणों की आहुति दी थी, राष्ट्रीय एकता दिवस घोषित कर दिया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय, मैं डाक और तार मंत्री जी का बहुत आभारी हूं कि चार साल तक मतवातर प्रश्न करने के बाद इस बार पहली मर्तवा २५ मार्च को जिस दिन विद्यार्थी जी ने अपने प्राणों की आहुति दी थी कम-अज-कम कोमैमोरेशन स्टाम्प पंद्रह नए पैसे का उन्होंने निकलवाया। हमारी केन्द्रीय सरकार के कोई मंत्री या हमारे पूज्य प्रधान मंत्री जी जब कभी कानपुर जाते हैं, तो कहते हैं कि कानपुर शहर विद्यार्थी जी का शहर है। इस अवसर पर इस बार कानपुर आने के लिए मैंने उनको पत्र भी लिखा था लेकिन ऐसा मालूम होता है कि शायद समय न होने के कारण वह वहां जा नहीं सके हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, विद्यार्थी जी के जीवन के बारे में जब कोई बात होती है तो राष्ट्रीय आन्दोलन में जिन्होंने हिस्सा लिया या नहीं भी लिया, कम-अज़-कम उनकी कुर्बानी, उनके त्याग, उनकी तपस्या के बारे में मैं समझता हूं कि मेरा कुछ न कहना ही अच्छा है क्योंकि सभी इससे भली भांति वाकिफ हैं। मैं सिर्फ इतना ही याद दिलाना चाहता हूं माननीय सदस्यों को कि २५ मार्च १९३१ के दिन जब उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी तब उनका केवल एक हाथ ही मिला था, बाकी शरीर नहीं मिला और उस खबर को जब गांधी जी तक पहुंचाया गया तो उन्होंने जो कुछ कहा वह मैं इस सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा :—

"हम सब गणेश शंकर विद्यार्थी की सी मृत्यु चाहते हैं।"

ठीक उसके १७ साल बाद गांधी जी ने अपने प्राणों की आहुति दी और वह भी हिन्दू मुसलमानों के फसादों को रोकने के लिए।

हम देश का निर्माण करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा देश दुबारा सुनहरा हिन्दुस्तान बन जाये और यहां पर लोग खुशहाल हों। इस सब के लिये यह जरूरी है कि साम्प्रदायिकता के खिलाफ हम मोर्चा लगायें और इसका एक ही तरीका है कि हम हिन्दुओं और मुसलमानों को समझाने की कोशिश करें और उनसे कहें कि हमारी यह जो लड़ाई है, हम जो आपस में लड़ते हैं, यह लड़ाई आखिर दाढ़ी और चोटी की नहीं है, बल्कि जो लड़ाई हमें लड़नी है वह रोजी और रोटी की लड़नी है। मैं समझता हूं कि अगर लोगों का ध्यान आर्थिक चीजों पर दिलाया जाए तो देश का एकीकरण आसानी से हो सकता है।

आज जब इस प्रस्ताव पर बहस हो रही है, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हो सकता है साम्प्रदायिकता को बढ़ाने में हमारे माननीय और पूज्य प्रधान मंत्री जी का हाथ न हो लेकिन कांग्रेस को, कांग्रेसी हुकूमत को या रूलिंग पार्टी को, मैं जरूर कहूंगा कि हम ने उन को आगाह किया था, उनको चेतावनी दी थी कि जब उन्होंने मुसलिम लीग से समझौता किया था, उस सड़ी हुई, गली हुई मुसलिम लीग की लाश को, जिसे दफना दिया था अचानक निकाल कर जब यह कहा गया कि यह मुसलिम लीग वह मुसलिम लीग नहीं है जो फिर्कापरस्ती को आधार बना कर हिन्दुस्तान में रहेगी, यह तो तहजीब और तमद्दुन के आधार पर रहेगी, तो कुछ लोगों ने, और मुझे ख्याल है मौलाना हिफ्जुर्रहमान साहब ने और बहुत से सदस्यों ने, उस की मुखालफत की थी और कहा था कि यह जो फिर्कापरस्ती को उभारने की कोशिश की जा रही है, कहीं ऐसा न हो कि वह सड़ी हुई लाश हिन्दुस्तान भर में घूमने लगे और उसी के साथ-साथ हिन्दू सम्प्रदायवाद अखंड भारत के नाम से आगे चलने लगे। मुझे याद है कि एक बहुत पुरानी और मशहूर कहानी है हालेंड की। एक लड़की पैदा हुई और जब छः साल की उम्र उस लड़की की थी तो वह इतनी बड़ी मालूम होती थी जैसे सोलह साल की हो। जब वह बड़ी हो गई और शादी की उम्र हो गई तो उसके पिता ने कहा तुम्हारी शादी होगी। लेकिन वह लड़की कुछ अजीब सी थी, कुछ शोख थी उस ने जिद की और यह कहा कि अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ शैतान से ही शादी करूंगी। उसे बहुत मनाया गया कि शैतान से शादी मत कर, मेरी बच्ची। मुझे यह डर नहीं है कि तुम्हारी शादी शैतान से हो जायेगी, लेकिन बाद में जो औलाद होगी उस का क्या होगा? लेकिन वह लड़की नहीं मानी और उसकी शादी शैतान से हो गई। कुछ दिनों बाद जब औलाद पैदा हुई तो देखा गया कि उसका मुंह अजीब किस्म का है, जो इन्सान से मिलता जुलता नहीं, सारे बदन में उस के बड़े बड़े रोयें थे, पैर की जगह खुर थे। जब उस लड़की ने अपनी औलाद को देखा तो हाथ करके मर गई। लेकिन वह औलाद आज भी हिन्दुस्तान में घूम रही है। इस लिये जब कांग्रेस ने मुसलिम लीग से शादी रचाने की कोशिश की तो उसकी औलाद को हम ने देखा अलीगढ़ में।

श्री त्यागी : (देहरादून) : औलाद की हद तक नहीं पहुंची।

श्री स० मो० बनर्जी : उस की औलाद को हमने देखा जबलपुर में, चन्दौसी में और दूसरी जगहों में। मैं समझता हूं कि वह गलत फैसला था। फिर भी मैं कहता हूं कि हमारे देश के पूज्य प्रधान मंत्री जी चाहते हैं कि देश का एकीकरण हो और इस लिये वे चाहते हैं कि जीवन के आदर्श को ले कर हम चलें। मैं समझता हूं कि हम लोग इस में कामयाब होंगे।

जब जनसंघ ने इस चुनाव में कानपुर शहर में मजहबी चीजों को उभारने की कोशिश की तो कानपुर शहर में जनता से एक ही बात हम ने कही थी कि यह शहर गणेश शंकर विद्यार्थी जी का शहर है और गणेश शंकर विद्यार्थी जी का शहर रहेगा। इस को हम नाथूराम गौडसे का शहर नहीं बनने देंगे, और यकीन मानिये हम ने उस को नहीं बनने दिया। तो मैं समझता हूं कि विद्यार्थी जी के बारे में सदा हम बात करते हैं, जब वोट और इलेक्शन का जमाना आता है तो हमको विद्यार्थी जी याद आते हैं। स्टेचू उनकी अनवील करने हमारे पूज्य प्रधान मंत्री जी गए थे, तो जहां पर उनकी स्टैचू लगायी जानी चाहिये थी, जहां पर कि महारानी विक्टोरिया की स्टैचू थी, और उसको हटा दिया गया था, वह जगह खाली थी, लेकिन विद्यार्थी जी की स्टेचू को वहां नहीं लगाया गया। उनकी स्टैचू एक ऐसी जगह रखी गई जहां पर कि लोगों को बतलाना पड़ता है कि फलानी जगह उन की स्टैचू है। जहां पर महारानी विक्टोरिया की स्टैचू थी वहां पर शायद कानपुर के एक बड़े सरमायेदार की स्टैचू लगायी जाये। उस सरमायेदार

[श्री स० मो० बैनर्जी]

का खान्दान कोई अमर नहीं है, कभी वह मरेगा। उस के मरने के बाद उस की स्टैचू लगेगी। जब हमारे पूज्य प्रधान मंत्री जी कानपुर शहर में तशरीफ ले गये थे तो मैं चाहता था कि उन से इस बारे में कहूं लेकिन जब वे वहां जाते हैं तो हमारे और उनके बीच में पुलिस की दीवार खड़ी हो जाती है और मैं अपनी बात नहीं कह सकता। इस लिये मैं कहूंगा कि विद्यार्थी जी के जीवन को अगर हम देखें और उस पर सोचें तो पायेंगे कि देश के एकीकरण के बारे में विद्यार्थी जी ने अपनी जान दे दी, जिस एकीकरण के बारे में नारा सिर्फ कांग्रेस पार्टी का ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ राजनीतिक पार्टियों का भी है जो कि देश के एकीकरण में विश्वास करती हैं।

जब सन् १९३१ में जेल से निकलने के बाद विद्यार्थी जी अस्वस्थ थे, उसी वक्त वे कराची जा रहे थे कांग्रेस सेशन अटेन्ड करने के लिये। उसी वक्त उनको मालूम हुआ कि कानपुर में दंगा हो रहा है। मैं बड़ा बदनसीब हूं कि जब मैं कानपुर शहर में आया तो उस वक्त विद्यार्थी जी नहीं थे या उस वक्त मैं बहुत छोटा था, इस लिये मुझे यह सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ कि मैं उन के दर्शन कर सकूं। लेकिन मैंने उन की कहानी को वहां सुना कि उन्होंने दो हजार मुसलमान परिवारों को निकाला, तकरीबन दो हजार या डेढ़ हजार हिन्दू परिवारों को उन्होंने निकाला। २४ तारीख को जब वे जख्मी हुए थे तो कुछ लोगों ने उन से कहा कि आप बाहर मत निकलिये लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता हूं, और मेरी मंजिल दूर नहीं है। २५ तारीख को इस तरीके से उन को मारा गया कि उन का शव नहीं मिला, केवल एक हाथ मिला जिस को देख कर लोगों ने पहचाना कि यह विद्यार्थी जी का हाथ है। इस लिये मैं निवेदन करूंगा कि १५ नये पैसे का टिकट आप बनायें। मुझे उस की खुशी है। अभी २५ मार्च को हम लोगों ने विद्यार्थी जी का मृत्यु दिवस मनाया। नागरिक समिति की ओर से मैं चाहता हूं कि नगर पैमाने पर उस दिवस को मनाया जाय, लेकिन हम नेशनल इन्टेग्रेशन की बात तो करते हैं मगर एक साथ कोई मीटिंग नहीं कर सकते। यह कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। मैं ने अपने कांग्रेसी भाइयों से निवेदन किया था कि आइये, विद्यार्थी जी के दिवस को विद्यार्थी जी के मृत्यु दिवस को, मार्टर्स डे के रूप में एक साथ मनायें। लेकिन वह हुआ नही। मालूम नहीं कि उनके विचार संकुचित थे या हमारे, लेकिन जो होना चाहिये था वह हुआ नहीं। अभी भी एक प्रस्ताव नागरिक समिति की ओर से मैंने पेश किया था जो कि मैं इस सदन में पढ़ना चाहता हूं :

> "चौबे गोला, जिस जगह उन को मारा गया था, हम चाहते हैं कि वहां एक शान्ति स्तम्भ बनाया जाय।"

शायद मंत्री महोदय की ओर से यह कहा जायेगा कि आप प्रांतीय सरकार से कहिये। प्रांतीय सरकार से हम कहेंगे, लेकिन विद्यार्थी जी का जीवन प्रांतीय पैमाने पर नहीं था। मैं तो कहता हूं कि गांधीजी के बाद या गांधी जी को छोड़ कर अगर हम देखें तो हिन्दू मुसलिम एकता के बारे में, देश के एकीकरण के बारे में, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जिस ने इतना त्याग या बलिदान किया हो। आखिर उन की उम्र ही क्या थी ? ४१ साल की। सन् १८९० में पैदा हुए थे, एक मामूली क्लर्क के बेटे थे, मैट्रिक तक मुश्किल से शिक्षा पाई थी, लेकिन प्रताप के द्वारा उन्होंने ज्वाला देश में फैलाई, किसान के लिये लड़े चाहे वह बरेली में हो या मैनपुरी में हो, मजदूरों के सब से बड़े हमदर्द, सरमायेदारों के अत्याचारों के खिलाफ अगर किसी ने कुछ किया तो विद्यार्थी जी ने किया। दूसरी तरफ होमरूल आन्दोलन में उन्होंने हिस्सा लिया, लेकिन कभी साम्राज्यवाद से समझौता करने की कोशिश नहीं की। चुनाव हुए। चुनाव में वे जीते भी, उन के खिलाफ चुन्नी लाल गर्ग जैसा आदमी खड़ा हुआ जिस के पीछे सारे सरमायेदार थे, लेकिन दूसरी तरफ विद्यार्थी जी और

उन की गरीबों को टोली थी। यह अनोखा चुनाव था। इसलिये मैं कहूंगा कि ४१ साल की उम्र में जिन्होंने अपने जीवन की आहुति दी, आज उस चीज को ले कर हम आगे बढ़ सकते हैं।

आज विद्यार्थी बन्धुओं से कहा जाता है कि तुम राजनीति से अलग रहो, लेकिन यह जो राइट रिऐक्शनरी फोर्सेज हैं चाहे स्वतंत्र पार्टी हो चाहे जनसंघ हो चाहे हिन्दू महासभा हो, वे उन के दिमागों को अपने कब्जे में कर के उन को दूसरी ओर ले जाना चाहती हैं यह कह कर कि तुम कम्युनिस्ट पार्टी से डरो, प्रगतिशील पार्टियों से डरो, तुम को अपनी देश की परम्पराओं के आधार पर चलना है। मैं समझता हूं कि हो सकता है कि नेशनल इंटेग्रेशन डे देश भर में हम मनायें। हम उस दिन विद्यार्थीयों से साफ तरीके से कहें कि आज अगर देश को खतरा है तो वाम पन्थियों से खतरा नहीं है। आज प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि खतरा अगर इस देश को है तो राइट रिएक्शनरी फोर्सेज से, राइट से खतरा है। इसलिये मैं कहूंगा कि नेशनल इंटेग्रेशन का प्रस्ताव अगर मान लिया जायें तो अच्छा है। और मैं तो चाहता हूं कि सारे देश में एक शान्ति दल की स्थापना की जायें। हिन्दू, मुसलिम, सिख, ईसाई को एक करने के लिये, बंगाली, बिहारी, पंजाबी और तमाम दूसरे लोगों को एक करने के लिये आज जरूरत इस बात की है कि विद्यार्थी जी के जीवन को हम दोहराने की कोशिश करें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव को जब सदन के सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं तो मैं अपने कांग्रेसी भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि यह कोई इलेक्शन से पहले की चीज़ नहीं है कि लोग समझें कि साहब इलेक्शन है। मैं एक ही चीज़ कहूंगा कि मैं विद्यार्थी जी के पदचिह्नों पर चलना चाहता हूं और आप भी चलते हैं, इसलिए यदि इस प्रस्ताव को मान लिया जाये तो देश में एकीकरण होगा।

मेरी एक और छोटी सी मांग है और मैं समझता हूं कि यह सदन और हमारे प्रधान मंत्री जी मुझ को खाली हाथ वापस नहीं करेंगे। स्वयं गांधी जी ने विद्यार्थी जी की प्रशंसा की है और कहा है कि कानपुर विद्यार्थी जी का शहर है। इसलिए मैं चाहता हूं कि उनकी एक तस्वीर सेंट्रल हाल में लगायी जाये ताकि हम लोग बार-बार यह कह सकें कि साम्प्रदायिकता की आग को समाप्त करने के लिए जिसने अपनी जान दी उसकी तस्वीर लोक-सभा के सेंट्रल हाल में है। लोग उसको देखा करेंगे और उससे प्रेरणा लेते रहेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस सदन से निवेदन करूंगा कि इस को मान लिया जाये और एक शान्ति दल कायम किया जाये ताकि वह हमारे नौजवानों के दिमागों को बदल सके।

अन्त में मैं विद्यार्थी जी के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए निवेदन करूंगा कि विद्यार्थी जी केवल कानपुर के ही नहीं थे, वह उत्तर प्रदेश के ही नहीं थे, वह सारे देश के एक सेनानी थे जिन्होंने साम्प्रदायिकता का सामना करने में अपनी जान की बाजी लगा दी। इसलिए मैं कहुंगा कि उनको नेशनल लीडर के स्टेचर का लीडर मान लिया जाये और सेंट्रल हाल में उनकी तस्वीर लगायी जाये और उनकी निधन तिथि को नेशनल इंटीग्रेशन दिवस के रूप में मनाया जाये। मैं विश्वास दिला सकता हूं कि कानपुर की जनता की यह भावना है और यदि इस प्रस्ताव को मान लिया गया तो कानपुर की जनता फिरकापरस्ती के मुंह पर तमाचा मार कर कहेगी कि कानपुर विद्यार्थी जी का शहर है, वह मुस्लिम लीग का या नाथूराम गोडसे का शहर नहीं बनेगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : संकल्प पेश हुआ। प्रत्येक सदस्य को पांच मिनट मिलेंगे। श्री साधन गुप्त।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री साधन गुप्त** (कलकत्ता—पूर्व) : मैं संकल्प का समर्थन करता हूं क्योंकि संकल्प की मांग समय की मांग है। इसमें शक नहीं कि हमने बड़े प्रयत्न से देश को साम्प्रदायिकता से बचाया है। फिर भी साम्प्रदायिकता हमारी राष्ट्रीय एकता का एक मुख्य रोड़ा है। अन्य बातें भी हैं जैसे प्रान्तीयता, किन्तु फिर भी साम्प्रदायिकता एकता के रास्ते का बड़ा रोड़ा है। इस पर हमें गम्भीरतापूर्ण विचार करना चाहिये। हमारे देश में विभिन्न जातियां हैं और उन्हें धर्म-निर्पेक्ष आधार पर देश में रहना चाहिये। निर्वाचनों में साम्प्रदायिक दलों की सफलता से इसे बड़ा धक्का लगा है। इस उद्देश्य के लिए आवश्यक है कि साहसी व्यक्तियों के उदाहरण जनता के समक्ष रखे जायें और बताया जाये कि हमारे वास्तविक आदर्श क्या हैं।

सभा के कुछ सदस्य शायद गणेश शंकर विद्यार्थी का नाम नहीं जानते। हम उन्हें बचपन से एक शहीद के रूप में जानते हैं और यह विचार सदैव बना रहा है। हिन्दू-मुस्लिम झगड़ों के दिनों में भी उनके त्याग ने हमारे ऊपर बड़ा प्रभाव डाला है। आज साम्प्रदायिकता से दूर होने पर उनके त्याग का कितना बड़ा प्रभाव होगा। अतः यह सर्वथा आवश्यक है कि इन उदाहरणों को जीवित रखा जाये और विशेषकर गणेश शंकर विद्यार्थी के शहीद होने का दिन राष्ट्रीय एकता का दिन घोषित किया जाये।

यह ठीक है कि केवल घोषणायें पर्याप्त नहीं हैं। यदि विद्यार्थी जी का उदाहरण जनता के समक्ष रखा जाये, नवयुवकों को बताया जाये कि उन्होंने क्या किया, तो मुझे विश्वास है कि यह राष्ट्रीय एकता की दिशा में एक बड़ा कदम होगा।

श्री जगदीश अवस्थी (बिल्हौर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज जब द्वितीय लोक सभा के अवसान पर हम लोग अलग हो जायेंगे और यह सत्र समाप्त हो जायेगा, हमारे मित्र श्री एस० एम० बनर्जी साहब ने एक बहुत उत्तम प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जिसमें सरकार से कहा गया है कि स्व० अमर शहीद श्री गणेश शंकर विद्यार्थी का जो २५ मार्च, सन् १९३१ को कानपुर में निधन हुआ, उस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाये और उस दिवस को इस रूप में घोषित किया जाये कि सारे देश में उस दिन लोग विचार करें कि स्व० विद्यार्थी जी किसलिए बलिदान हुए थे।

मैं सदन को स्मरण दिलाऊं कि जिस दिन विद्यार्थी जी का बलिदान हुआ उस दिन सारे मुल्क में एक तहलका मचा हुआ था और शायद हमारे माननीय सदस्यों को याद होगा कि उस दिन सरदार भगत सिंह, राज गुरु और सुखदेव को पंजाब में फांसी हुई थी। सारे देश में एक रोष था और कानपुर नगर में भी एक भीषण हड़ताल हुई थी। लेकिन अंग्रेजों ने, जो कि हमेशा हिन्दुस्तानियों को लड़ाते आये थे, उस राजनीतिक हड़ताल को एक दंगे का रूप दे दिया और उस पवित्र राष्ट्रीय दिवस को बदनाम करने की दृष्टि से एक दंगा खड़ा करा दिया। यह अंग्रेज की एक बड़ी चाल थी। मुझे विद्यार्थी जी के साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन बहुत से माननीय सदस्यों को, जो आज यहां हैं, उनके साथ काम करने का अवसर मिला है। वे जानते हैं कि विद्यार्थी जी गांधीवादी होते हुए भी उग्रवादियों को हमेशा सहयोग देते रहे। उन्होंने हमेशा हिन्दु-मुस्लिम एकता के लिए काम किया और इसी काम को करते करते उनका कानपुर नगर में बलिदान हुआ। उस दिन वह मना करने के बावजूद मुस्लिम क्षेत्र में गये और वह कुछ हिन्दुओं को निकाल रहे थे कि कुछ पागल व्यक्तियों ने उनकी हत्या कर दी। इसके पूर्व विद्यार्थी जी ने कई मुसलमानों को हिन्दू क्षेत्र से बचाया था। इस प्रकार उनका बलिदान हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

गांधी जी ने उनके बारे में जो कुछ कहा वह हमारे मित्र ने पढ़ कर सुनाया है। इस प्रकार गणेश शंकर बलिदानी हो गये। कुछ दुर्भाग्य हमारे देश का यह है कि जिन-जिन महान पुरुषों ने अपने देश की आजादी के लिए या राष्ट्रीय एकता के लिए बलिदान किया उन बलिदानियों को हम भूलते जा रहे हैं। यह हमारी सरकार जो इस बात का दावा करती है कि यह जनता की सरकार है और यह आजादी का महल जिसमें कि हम सब आनन्द ले रहे हैं और जो महल कि देश के बलिदानियों की कुर्बानियों पर बना है, हम अपने उन बलिदानी व्यक्तियों को भूलते जा रहे हैं। उन के लिए हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं ;

जहां तक श्री गणेश शंकर विद्यार्थी, सरदार भगत सिंह या चन्द्रशेखर आजाद का प्रश्न है यह बलिदानी लोग आज भी देश की जनता के दिलों में समाये हुए हैं और जिनके कि बलिदानपूर्ण आदर्श जीवन हमारे मन को ओतप्रोत किया करते हैं। लेकिन दुःख है कि इन बलिदानी पुरुषों का जो बलिदान हुआ वह हमारी राष्ट्रीय सरकार के मन को ओतप्रोत नहीं कर पा रहा है। हम इतने भोग में फंस गये हैं कि हम उन बलिदानी व्यक्तियों को भूलते जा रहे हैं। मैं तो चाहूंगा कि श्री बनर्जी जो प्रस्ताव लाये हैं वह बड़ा समयानुकूल है क्योंकि आज के दिन राष्ट्रीय एकता की हमें अत्यधिक आवश्यकता है। हमारे प्रधान मंत्री महोदय कहते हैं कि अभी भी हमारे देश में प्रथकत्व की भावना विद्यमान है, हिन्दू-मुस्लिम की भावना विद्यमान है और आज राष्ट्रीय एकता की स्थापना के लिए यह बहुत आवश्यक है कि यह हिन्दू-मुस्लिम की भावना खत्म हो। श्री बनर्जी का यह प्रस्ताव कि २५ मार्च का दिन, जिस दिन कि श्री गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर में हिन्दू-मुस्लिम एकता की बलिवेदी पर शहीद हुए उस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस घोषित किया जाये, समायोचित है और मैं समझता हूं कि इसको सरकार को तत्काल स्वीकार कर लेना चाहिए। ऐसा करके हम सिद्ध कर देंगे कि हम फिर एक बार इस देश के अन्दर राष्ट्रीय भावात्मक एकता स्थापित करना चाहते हैं। मैं चाहूंगा कि यह सदन् अपने अन्तिम क्षणों में जबकि हम विसर्जित हो रहे हैं इस पवित्र प्रस्ताव को स्वीकृत करके एक नया आदर्श स्थापित करें।

श्री गणेश शंकर विद्यार्थी केवल कानपुर और उत्तर प्रदेश के ही न होकर समस्त देश के हैं और मैं समझता हूं कि उनके सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई इस तरह की बात करना कि वह किसी एक जाति विशेष के या वर्ग विशेष के थे ऐसी बात नहीं है और मैं चाहूंगा कि जो प्रस्ताव मेरे मित्र श्री बनर्जी ने सदन् के सामने रखा है उसको सदन् मुक्त रूप से स्वीकार करके एक नया आदर्श देश के सामने रखे।

श्री सरजू पाण्डेय : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री बनर्जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जैसा कि हमारे माननीय सदस्य श्री बनर्जी ने आपको बताया है इस सदन को पता है कि श्री गणेश शंकर विद्यार्थी का बलिदान देश में हिन्दु मुस्लिम एकता स्थापित करने के प्रयत्न में हुआ ? यह देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे तमाम प्रयत्नों के बावजूद अभी तक सही मायनों में हिन्दू–मुस्लिम एकता स्थापित नहीं हो पायी है और जब तब देश में हिन्दू–मुस्लिम झगड़े होते रहते हैं। कई माननीय सदस्यों ने बतलाया कि पिछले दिनों जबलपुर, अलीगढ़, मुरादाबाद और अन्य स्थानों पर भी नफरत की बिना पर साम्प्रदायिक झगड़े हुए। जैसा कि सब को मालूम है कि श्री गणेश शंकर विद्यार्थी ने हिन्दू–मुस्लिम एकता के लिए अपनी जान गंवाई इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि हम उनकी पवित्र यादगार के लिए एक दिन निश्चित करें और २५ मार्च को जिस दिन कि वे कानपुर में शहीद हुए उस दिन को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनायें। कांग्रेस चूंकि देश की सब से बड़ी पार्टी है और उस के हाथ शासन की बागडोर भी है इसलिए उसकी इसके

वास्ते सब से बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है और वह चाहे तो इस काम को अच्छे तरीके से चला भी सकती है हालांकि उन के जो कारनामें हैं उन से कोई बहुत उम्मीद तो नहीं की जा सकती है । मैं यह तो नहीं कहता कि कांग्रेस में तमाम व्यक्ति खराब हैं लेकिन मेरा अपना यह दावा जरूर है कि इस में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि इन बातों को महत्व नहीं देंगे खास तौर से कहीं-कहीं तो यह चुनाव जीतने के लिए ऐसे साम्प्रदायिक दलों से समझौता करते है जिस से कि हमारे देश में यह जातिवाद और सम्प्रदायवाद बुरी तरह घर कर गया है । चुनावों के सिलसिले में कांग्रेस वालों ने नाना प्रकार की जातियों के साथ गठबंधन किया और साम्प्रदायिकता को उभारने वाली तकरीरें कीं । चुनाव जीतने के खातिर उन्होंने ऐसे ऐसे काम किये हैं जिन से कि इस देश की प्रतिष्ठा गिरी है । लेकिन मैं समझता हूं कि यह चीज हम से ज्यादा इन्हीं के लिए घातक सिद्ध होने वाली है । इन में बहुत लोग प्रसन्न होते हैं कि अच्छा है जनसंघ को बढ़ने दो एलेक्शन जीत लेने दो, कम्युनिस्ट पार्टी तो नहीं बढ़ पायेगी ? कुछ लोग कहते हैं कि स्वतंत्र पार्टी से ही मिल लो लेकिन उन को यह मालूम होना चाहिये कि इसका सब से बड़ा आघात कम्युनिस्ट पार्टी पर न होकर उन्हीं पर होगा। कम्युनिस्ट पार्टी केहम लोग तो जनता के बीच में रहते हैं और उन में काम करते हैं और आज नहीं तो कल अगर हमारा रास्ता यही है तो कामयाबी हमें अवश्य मिलेगी । जिन लोगों ने देश की आजादी के लिये और एकता के लिए अपनी जानें गंवाई उनको हम आदर नहीं प्रदान करते तो इस से तो यह मालूम पड़ेगा कि सही मायनों में हम उन चीजों में विश्वास नहीं रखते हैं । इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम इस २५ मार्च के दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनायें । जैसा कि हमारे साथी ने सुझाव दिया हम उन के लिए और तो कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम उनकी तस्वीर ही लगायें । आज जरूरत इस बात की है कि हम सारे देश में इस बात का प्रचार करें और लोगों के दिमाग में यह बात लायें कि देश में हिन्दु–मुस्लिम एकता स्थापित होना बहुत जरूरी है और तभी हम वास्तविक अर्थों में समाज वाद की ओर बढ़ सकते हैं । अब बात तो हम समाजवाद की करें और काम ऐसे करें जो कि हमें एक दूसरे से परस्पर लड़ाते रहें और जिन से कि देश में परस्पर फूट बढ़ती रहे तो लाजिमी तौर पर हमारा समाजवाद का नारा कोई अर्थ नहीं रखता है । इसलिए मैं सदन् का ज्यादा वक्त न लेते हुए मंत्री महोदय से कहूंगा कि उन्हें सदन् को यह आश्वासन देना चाहिए और इस को या तो पवित्र पर्व के रूप में घोषित करें या श्री गणेश शंकर विद्यार्थी की पुण्य स्मृति को ताजा बनाये रखने के लिये और कुछ व्यवस्था करें ताकि आगे आने वाली संताने उन के आदर्शमय बलिदानी जीवन से प्रेरणा ग्रहण कर सके और देश में राष्ट्रीय एकता स्थापित हो सके ।

श्री त्यागी : उपाध्यक्ष महोदय : जिन भावनाओं से प्रेरित हो कर मेरे मित्र श्री बनर्जी ने यह प्रस्ताव रखा है मैं उसकी तहेदिल से ताईद करता हूं । जब भी हमारे श्री गणेशशंकर विद्यार्थी के त्याग और बलिदान का जिक्र करते हैं तो हमें रोमांच हो आता है क्योंकि हमें वह पुराना समय याद आ जाता है जिस समय अंग्रेज शासकों की कूटनीति के कारण हिन्दू–मुसलमानों में झगड़ा हुआ और श्री गणेश शंकर विद्यार्थी ने हिन्दू–मुस्लिम एकता लाने के प्रयत्न में अपना जीवन बलिदान कर दिया ।

मैं इस बात से इतिफाक करता हूं कि कांग्रेस को या किसी भी राष्ट्रीय दल को किसी भी भी ऐसी जमात से जो कि आपस में झगड़ा-फिसाद करने वाली हो जैसे कि मुस्लिम लीग है,

उस से कोई संगठन या फैसला नहीं करना चाहिये । मैं आज इस सदन् में स्वीकार करता हूं कि यह हमारी भूल हो गई थी कि गवर्नमेंट के वास्ते मुस्लिम लीग के साथ हमारा एक तरीके से संगठन बन गया था । इस के कारण देश को भी नुकसान हुआ और हमारी कांग्रेस को भी नुकसान पहुंचा है इसको स्वीकार करने में मुझे कोई ऐतराज नहीं है । हमने यह संगठन उन के साथ इस आशा से बनाया था कि शायद मुस्लिम लीग के लोगों को हम सही रास्ते पर ले आयेंगे लेकिन हम ने आगे चल कर देखा कि हमारी ऐसी आशा करना बेकार साबित हुआ । इसलिए कांग्रेस का फैसला हमेशा के लिए हो गया है कि वह अब कभी भी किसी भी परिस्थिति में किसी ऐसी जमात के साथ मेल अथवा संगठन कायम नहीं करेगी जो कि फिरकेवाराना सवाल पैदा करने वाली जमात है ।

जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि कोई एक राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाये, मैं उसकी ताईद करता हूं । लेकिन शहीदों के अलग अलग-दिन मनाने के लिए यदि बहुत सारे दिन रक्खे जायेंगे तो यह जरा मुश्किल हो जायेगा। महात्मा गांधी की हत्या भी इसी हिन्दू–मुस्लिम एकता को लाने के प्रयत्न में हुई है। वे भी मुस्लमानों की रक्षा करने की कोशिश करते थे और गांधी जी की हत्या भी इसी तरह से हुई है जैसे कि श्री गणेश शंकर विद्यार्थी की हुई थी । चूंकि गांधी जी की हत्या ३० जनवरी को हुई थी इसलिए देश में ३० जनवरी का दिन शहीद दिवस के तौर पर मनाया जाता है और मैं चाहता हूं कि मेरे मित्र मुझ से इस में सहमत हो जायें कि चूंकि श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के सामने भी हिन्दू–मुस्लिम एकता और राष्ट्रीय एकता का आदर्श था और गांधी जी के सामने भी वही राष्ट्रीय एकता की बात थी इसलिए मैं चाहूंगा कि यह ३० जनवरी का दिन बजाए इस का नाम शहीदी दिन रखने के इसका नाम राष्ट्रीय एकता दिवस रख दिया जाये। इस राष्ट्रीय एकता के दिन गांधी जी और उन के साथ-साथ जितनी अन्य कुर्बानियां एकता के खातिर हुई हैं उन सब की याद उसी दिन मनाई जाये और उस राष्ट्रीय एकता के दिवस पर सारे देशवासी और बच्चे जितने भी इकट्ठे हो सकें, स्कूल, कालिजों में, और अन्य जगहों पर एकत्रित होकर राष्ट्रीय एकता की शपथ लें और हर साल उस दिन वह शपथ देशवासियों द्वारा दुहरायी जाये ताकि हमारी राष्ट्रीय एकता सही मानों में कायम हो सके । इसलिए मेरी तो यह राय है कि बजाय इस के कि अलग अलग दिन रक्खे जायें यह बेहतर होगा कि इस ३० जनवरी के शहीदी दिन का नाम ही राष्ट्रीय एकता दिवस रख दिया जाय।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (कलकत्ता–दक्षिण पश्चिम) : मैं सभा को प्रधान मंत्री के ही शब्दों का स्मरण कराना चाहता हूं कि जो उन्होंने अपनी आत्म कथा में श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के बारे में लिखे हैं । उन्होंने लिखा है कि जब हम कराची में थे हमें हिन्दू–मुसलमानों के झगड़े का समाचार मिला और फिर श्री गणेश शंकर विद्यार्थी की हत्या का समाचार मिला वे झगड़े बड़े विकट थे परन्तु विद्यार्थी जी की हत्या से उन पर जैसे पानी पड़ गया । उन्होंने युवावस्था में अपना जीवन उस उद्देश्य के लिए अर्पण कर दिया जो उन्होंने अपनाया था । अतः मैं समझता हूं कि यह उचित अवसर है जब श्री बनर्जी ने यह संकल्प पेश किया है और निश्चय किया है कि उनकी याद ताज़ा करने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। इस समय जब कि साम्प्रदायिकता का पिशाच देश पर मंडरा रहा है, हमें, ऐसे शहीदों की याद ताज़ा करने के लिए कुछ कार्यवाही करने पर विचार करना चाहिये । देश में फिर ऐसी घटनाऐं

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

हो रही हैं। केवल हिन्दुओं और मुसलमानों के ही झगड़े नहीं हैं, अपितु आसाम में हम देख चुके हैं कि प्रान्तीयता जैसे भी नये झगड़े हुए हैं। कुछ भी हो , यदि जनता को हिंसात्मक कार्यवाही ही करने पर उकसाया जाता है तो क्या हमारे लिए यह ऐसा समय नहीं है जब कि हम सब मिलकर कुछ ऐसे मार्गोपाय सुझायें जिन से हम लोगों को , विशेषकर नवयुवकों को गांधी जी और विद्यार्थी जी के बारे में बता सकें । मैं यह सुझाव नहीं देता कि एक दिन मनाकर इस समस्या को हल कर सकेंगे । हम अखबारों में पढ़ते हैं कि स्कूल के बच्चों और कालिजों के विद्यार्थियों को कुछ लड़ाकू जातियां लाठियां, चाकू आदि चलाने सिखाती हैं। यदि हम उन्हें इन बुराइयों के विरूद्ध शिक्षा नहीं देते, तो इन बुराइयों को कैसे रोकेंगे ? अतः मैं निवेदन करता हूं कि माननीय मंत्री इस संकल्प को स्वीकार करें ।

†**श्री दातार** : मैं संकल्प पेश करने वाले की सुन्दर भावनाओं से पूर्णतया सहमत हूं। ठीक ३१ वर्ष पहिले गणेश शंकर विद्यार्थी ने हिन्दुओं और मुसलमानों के झगड़े में हिन्दुओं के मुहल्ले से और मुसलमानों को हिन्दुओं के मुहल्ले से निकाला था साथ ही हम सब जानते हैं कि ३०० व्यक्तियों के एक दल ने उन्हें घेर लिया और उन्हें कानपुर की सड़कों पर मार डाला। दुर्भाग्यवश शव तीन दिन बाद मिला। उन्होंने अपना जीवन हिन्दू-मुसलमान एकता और साम्प्रदायिक शान्ति के लिये बलिदान कर दिया। हम सबको यह महान नाम याद रखना है । हमें राष्ट्रीय एकता के लिये यथासंभव कार्य करना चाहिये ।

मैं संकल्प के पेश करने वाले माननीय सदस्य को बता दूं कि संकल्प को स्वीकार करने में कुछ कठिनाई है। एक कठिनाई यह है कि माननीय सदस्य कहते हैं कि इसे राष्ट्रीय एकता दिवस घोषित किया जाए । श्री त्यागी कहते हैं कि जो लोग भारत की स्वतन्त्रता में या साम्प्रदायिक एकता में मरे, उनकी याद में सामान्य राष्ट्रीय दिवस या शहीद दिवस रखना अच्छा होगा ।

जहां तक इस संकल्प का सम्बन्ध है, इसे आगे बढ़ाया जाना चाहिये । विवरण तैयार करना होगा । पिछले वर्ष अक्तूबर में, हमने राष्ट्रीय एकता सम्मेलन किया था। उसने ३८ सदस्यों की एक राष्ट्रीय एकता परिषद् बनाई। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि मैं इस संकल्प को परिषद् के सामने रखूंगा । मुझे विश्वास है कि वे सरकार को उचित सलाह देंगे। एकता के प्रश्न के बारे में इस पर पूरी तरह विचार होगा, जो केवल विद्यार्थी जी की याद को ही लेकर नहीं होगा अपितु भारत की एकता को ध्यान में रख कर होगा ।

इन परिस्थितियों में और माननीय सदस्य को दिये गये मेरे आश्वासन और इस महान त्याग से पूर्णतया सहमत होते हुए, मैं विश्वास करता हूं कि माननीय सदस्य संकल्प को वापस लेने से सहमत होंगे। मैं नहीं चाहता कि यह संकल्प अस्वीकार हो ।

श्री स० मो० बनर्जी : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी खुशी है कि तमाम सदस्यों ने इस प्रस्ताव का, या जिन भावों पर मैंने प्रकाश डालने की कोशिश की है, उनका समर्थन किया है। मैं यह नहीं चाहता था कि गणेश शंकर विद्यार्थी के बारे में जो प्रस्ताव मैंने रखा है, उस पर मैं इस सदन को विभाजित करूं। क्योंकि मैं समझता हूं कि हमारे देश में नेशनल इन्टेग्रेशन और

---

†मूल अंग्रेजी में

साम्प्रदायिकता के खिलाफ़ लड़ाई पूरे देश की चीज़ है और मैं इस को राजनीति से बिल्कुल अलग रखना चाहता हूं। अगर हम राजनीति से ऊपर उठ कर नेशनल इन्टेग्रेशन की कोशिश नहीं करेंगे, तो हमारे तमाम जज़बात बाहर निकल जायेंगे और हम उनको रोक नहीं सकेंगे और न ही उन पर अमल कर सकेंगे ।

अफ़सोस यह है कि अगर एक मार्टर्ज़ या शहीद दिवस ऐसा मनाया जाये, जिस में देश की आज़ादी के लिये लड़ने वालों और कम्यूनल हार्मनी--साम्प्रदायिक एकता--कायम करने की कोशिश करने वालों, इन दोनों को मिला दिया जाये, तो मैं समझता हूं कि प्रस्ताव के पीछे मेरी जो भावना है, वह शायद पूरी न हो। हो सकता है कि वह मेरी ग़लती और नासमझी हो। लेकिन फिर भी मैं दरख्वास्त करूंगा कि इस प्रस्ताव और इस पर हुई बहस को नेशनल इन्टेग्रेशन कौंसिल के पास भेजा जाये। मैं समझता हूं कि वह इस पर विचार करेगी।

मैं चाहता था कि २५ मार्च, को ऐसे दिवस के रूप में मनाया जाये कि जब गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद छोटे छोटे बच्चे यह गाते हुए प्रभात-फेरी करे कि "मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिन्दी हैं हम, वतन है हिन्दुस्तान हमारा।" इस प्रकार २५ मार्च, देश के लिये एक बहुत अच्छा और गर्व का दिवस हो जाता। मैं विद्यार्थी जगत की तुलना गांधी जी से नहीं करना चाहता। गांधी जी के मृत्यु दिवस को मार्टर्ज़ डे के रूप में मनाया जाता है लेकिन विद्यार्थी जी के मृत्यु दिवस को मैं चाहता हूं इंटैग्रेशन के रूप में मनाया जाए ।

मैं दोहराना चाहता हूं कि जो साम्प्रदायिकता पर विश्वास करते हैं और उस पर जो चल रहे हैं, वे जिस तहजीब और तमद्दुन के ऊपर जाना चाहते हैं और जो संकुचित विचारधारा वे छोटे छोटे बच्चों में भरना चाहते हैं, उनका मुकाबला करने के लिये उन सभी लोगों को एक होना जो साम्प्रदायिकता पर विश्वास नहीं करते हैं और उनको हमें कहना होगा :

तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकशी करेगी ,

जो शाखे नाजुक पर आशियाना बनेगा, ना पाएदार होगा ।

मैं समझता हूं कि जिन की पैदाइश, जिन पार्टियों की पैदाइश गांधी जी के कत्ल के बाद हुई वे आज अगर देश की बात करें, देश की विचारधाराओं की बात करें तो यह एक गलत बात होगी। मैं यह नहीं कहता कि वे गलती कर रहे हैं, लेकिन वे गुमराह जरूर हैं। इसी दिन को मनाने के बाद मैं समझता हूं कि हम लोग जरूर अपने मंजिले मकसूद पर पहुंच सकते हैं।

जो आश्वासन मंत्री महोदय की तरफ से दिया गया कि वह इसको नैशनल इटैग्रेशन काउंसिल के पास भेजेंगे उसको मैं स्वीकार करता हूं और जिन मुअज्जिज दोस्तों ने इसका समर्थन किया है, उनकी इजाज़त से और साथ ही साथ आपकी इजाज़त से मैं अपने इस रेजोल्यूशन को वापिस लेता हूं। मैं नहीं चाहता कि विद्यार्थी जी के इस प्रस्ताव के भी उसी तरह से टुकड़े टुकड़े कर दिये जायें जिस तरह से विद्यार्थी जी के टुकड़े टुकड़े कर दिये गये थे। मैं नहीं चाहता कि इस प्रस्ताव के टुकड़े टुकड़े हों। मैं चाहता हूं कि यह प्रस्ताव इसी तरीके से रहे। जो भावनायें यहां पर व्यक्ति की गई हैं, उनको मैं विद्यार्थी जी के शहर कानपुर में जहां की जनसंख्या आज दस लाख है जा कर रखूंगा। मैं आशा करता हूं कि काउंसिल में जा कर इसका कोई उचित फैसला होगा और काउंसिल के मैम्बर भी इसका समर्थन करेंगे। पोलिटिकल पार्टीज़ जो यहां हैं और जो काउंसिल में भी हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि वे अवश्य इसका समर्थन करें।

[श्री स० मो० बैनर्जी]

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव को वापिस लेता हूं।

संकल्प सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

चलचित्र उद्योग के राष्ट्रीयकरण के बारे नें संकल्प

श्री अ० मु० तारिक : (जम्मू तथा काश्मीर) : वक्त के बारे में जनाब क्या...

उपाध्यक्ष महोदय : पंद्रह मिनट हैं, चाहें तो आप ले लें और चाहें तो पांच मिनट ले लें और कुछ समय दूसरों को दे दें।

श्री अ० मु० तारिक : पांच मिनट मैं ले लेता हूं और बाकी मिनिस्टर साहब ले लें। मेरा रेजोल्यूशन इस तरह से है :

> "यह सभा सरकार से अनुरोध करती है कि चलचित्र (फिल्म), उद्योग के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर विचार करने के लिये संसद् सदस्यों की और चिलचित्र उद्योगपतियों की एक समिति नियुक्त की जाये।"

इस सिलसिले में एस्टीमेट्स कमेटी ने १९६१-६२ की १५९वीं रिपोर्ट के पैरा ९० में जो बात कही है उसकी तरफ मैं आपकी तवज्जह दिलाना चाहता हूं। उसने कहा है कि मौजूदा दुनिया में हिन्दुस्तान एक ऐसा तीसरा मुल्क है जहां फिल्म इंडस्ट्री काफी फैली हुई है। इसके साथ ही उसने यह भी कहा है कि हमारे फिल्म बनाने वालों का जो रूझान है वह पैसा बनाने की तरफ ज्यादा है और इंडस्ट्री की खिदमत करने की तरफ कम है। आगे चल कर उसने सिफारिश की है कि एक ऐसी काउंसिल बनाई जाए जो फिल्म इंडस्ट्री के मामलात में जाए।

जहां तक फिल्म इंडस्ट्री का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं है कि मुहज्जब मुल्कों में जहां यूनिवर्सिटियां या दरसगाहें कौमों को बनाती हैं वहां इस काम में फिल्में भी काफी पार्ट अदा करती हैं। इस लिहाज से हमारा यह फर्ज हो जाता है कि हम इस मसले पर गौर करें।

जहां तक हमारे मुल्क का ताल्लुक है, यह इंडस्ट्री ऐसे लोगों के हाथ में है जो फिल्म लाइन से बिल्कुल नावाकिफ है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं पढ़ा है, लेकिन पैसे के बलबूते पर बड़े बड़े प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बन गए हैं। उनके मुकाबले में इसी इंडस्ट्री में बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो निहायत काबिल हैं, आलिम हैं लेकिन उन्हें खाने तक को नहीं मिलता है, उन्हें कहीं से रोजगार तक दस्तयाब नहीं होता है।

[अध्यक्ष महोदय पीठा सीन हुए]

इस इंडस्ट्री पर कुछ लोग इस तरह से छाये हुए हैं कि एकएक फिल्म में काम करने के लिए वे सात सात और आठ आठ लाख रुपया लेते हैं। दूसरी तरफ बहुत से लोग हैं और उनकी तादाद हजारों में है जो फिल्मों को बनाने में मदद देते हैं, चाहे वे कैमरामैन

हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, गाना लिखने वाले हैं या दूसरे छोटे छोटे अदाकार हैं, उनको रोटी भी दस्तयाब नहीं होती है । यही नहीं बहुत से लोग इस इंडस्ट्री में हैं जिन की तादाद हजारों में है । जिनसे काम तो ले लिया जाता है लेकिन कई कई महीनों तक उन्हें पैसों की अदायगी नहीं होती है ।

दूसरी चीज़ हमें यह देखनी है कि क्या इस इंडस्ट्री में कुछ लोग इस तरह के हैं या नहीं जो खाली दौलत ही बनाते हैं या मुल्क की भी कुछ खिदमत करते हैं । हमने देखा है कि फिल्मी दुनिया में काम करने वाले लोग बहुत कम हैं जो फिल्म की अहमियत और फिल्म के टैक्नीक से वाकफियत रखते हैं । अक्सर लोग इसमें ऐसे हैं जो सारी फाइनेंशियर होने की हैसियत से, बड़े बड़े सरमायेदार और सेठ होने की हैसियत से, इस इंडस्ट्री पर कब्जा जमाये हुए हैं ।

चूंकि वक्त कम है इस वास्ते मैं बहुत से मामलात पर तवज्जह नहीं दिलाना चाहता । लेकिन एक बात जिस का वजीर साहब को इल्म है यह है कि हजारों इंसान इस फिल्मी दुनिया में ऐसे हैं जो फिल्मों में काम करते हैं । लेकिन उनके साथ फिल्म इंडस्ट्री का सलूक और फिल्म इंडस्ट्री का रवैया बहुत खराब है और मैं वजीर साहब से पूछना चाहता हूं कि क्या उनके लिए भी वह कुछ करने का इरादा रखते हैं या नहीं । बड़े बड़े कारखानों के लिए हुकूमत ने कानून बनाये हैं जिन के जरिये मजदूरों या उनमें काम करने वाले दूसरे लोगों को पूरा मुआवजा मिलता है, उनकी पूरी कद्र की जाती है । इसी तरह से मैं वजीर साहब से पूछना चाहता हूं कि क्या वह यह एश्योरेंस दे सकते हैं कि फिल्मी दुनियां में छोटे छोटे लोगों को इसमें जो काम करते हैं, उन्हें भी वह रियायतें मुयसर होंगी । क्या लाखों रुपया कमाने वालों में और उनमें जो दस दस और बीस बीस रुपया कमाते हैं किसी तरह का तवाजुन कायम करने की कोशिश की जाएगी । आखिर कोई गज़ तो होगा जिससे हम नापेंगे ।

रेजोल्यूशन को नहीं लेकिन मैं समझता हूं कि इस बात को वह तसलीम करेंगे कि एक कमेटी बनाये जाने की जरूरत है जो मैम्बर्स पार्लियामेंट और फिल्म इंडस्ट्रियलिस्ट्स पर मुशतमिल हो ताकि वह इन सारे मामलात में जा सके और हुकूमत के सामने एक ऐसी स्कीम पेश कर सके जिससे फिल्मी दुनिया में लाखों रुपये गबन करने वालों और उजरत पाने वालों के दर्म्यान एक तवाजुन कायम हो सके ।

†**अध्यक्ष महोदय :** संकल्प प्रस्तुत हुआ ।

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :** माननीय सदस्य का संकल्प इतना विशाल है कि मेरे लिए कुछ मिनटों में इस का उत्तर देना कठिन होगा । उन्होंने अपने भाषण में दो भिन्न भिन्न विषयों का उल्लेख किया है एक प्राक्कलन समिति की आलोचना कि फिल्म उद्योग की जांच के लिये एक परिषद् होनी चाहिये और दूसरा यह कि वह परिषद् फिल्म उद्योग के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न का विचार करे ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[डा० केसकर]

इस थोड़े से समय में, इतने महत्वपूर्ण विषय पर राय देना सरकार के लिए संभव नहीं है किन्तु मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि एक उद्योग जिसमें कलात्मक उत्साह और कल्पना की आवश्यकता होती है, राष्ट्रीयकरण के अनुशासन में नहीं फले फूलेगी। इसलिए मेरे विचार में इसका राष्ट्रीयकरण उद्योग के हित में नहीं होगा।

इसके साथ मुझे इस उद्योग की समस्याओं का विशेषकर इसके प्रविधिकों और श्रमिकों की समस्याओं का ज्ञान है। इसमें सन्देह नहीं कि कोई मापदंड नहीं है। कोई निश्चित काम करने की शर्तें नहीं है और इस से बहुत से मामलों में कठिनाई और शोषण भी होता है। इसमें भी सन्देह नहीं कि उद्योग के विनियमन से इसे बहुत लाभ होगा और इस में अच्छा काम होगा। यदि हम विचार करें कि इस उद्योग में काम करने की नियमित शर्तें क्यों नहीं है। तो इसका एक मुख्य कारण यह है कि यह उन थोड़े से उद्योगों में एक है, जिसे चलाने के लिये किसी लाइसेंस या पंजीयन की आवश्यकता नहीं है। एक पानवाले को भी पान बेचने के लिए लाइसेंस लेना होता है। किन्तु यहां चाहे किसी के पास पूंजी न हो, थोड़ी सी हो या बहुत हो, इस उद्योग को चला सकता है। यह बहुत हास्यास्पद है, किन्तु सच है। इस अस्पष्ट स्थिति के कारण शायद इस उद्योग में काम करने वालों के लिए काम करने की शर्तें निर्धारित करने की कोशिश नहीं की गई।

इस प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता है और मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि इस उद्योग का अधिक स्थाई आधार पर विनियमन होना चाहिए। यह संभव है कि यदि लाइसेंस या पंजीयन जारी किया जाये, तो हम शायद उत्पादों को, उद्योग के कर्मचारियों को काम की अधिक अच्छी शर्तें देते पर बाध्य कर सकें।

माननीय सदस्य ने इस उद्योग में अत्यधिक मुनाफे और उद्योग चलाने वालों की योग्यताओं की और भी निर्देश किया है। मैं इस के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। माननीय सदस्य को अपनी राय बनाने का पूरा अधिकार है। किन्तु यह सच है कि एक ऐसे उद्योग में जहां योग्यताएं उद्योग चलाने का आधार नहीं है, हर तरह के लोग होंगे। किसी को रोका नहीं जा सकता। जो सफल हो जायें, वही सब से अच्छा है। किन्तु मैं इस बात पर सहमत हूं कि राष्ट्रीय महत्व के इस उद्योग में, विनियमन से अधिक अच्छी फिल्में बन सकेंगी और लोगों के लिए अधिक अच्छा मनोरंजन दे सकेंगी। किन्तु मैं यह नहीं मान सकता कि माननीय सदस्य के संकल्प से प्रयोजन सिद्ध हो जायेगा।

संकल्प के एक भाग में प्राक्कलन समिति के एक सुझाव की ओर निर्देश है। इस सुझाव पर सरकार निस्संदेह यथासमय विचार करेगी, समिति की अन्य सिफारिशों के साथ। दूसरा भाग, जो राष्ट्रीयकरण के बारे में है बहुत विशाल है। यद्यपि संकल्प का उद्देश्य बहुत अच्छा है। तथापि मैं उन से कहूंगा कि वह अधिक अच्छे उत्पादन दिग्दर्शकों और निर्माताओं और तत्सम्बन्धी मामलों के बाद में सुझाव दें। इसलिए, मैं सरकार की ओर से इस संकल्प को स्वीकार कर सकता।

अध्यक्ष महोदय : क्या वह संकल्प पर आग्रह कर रहे हैं

श्री अ० मु० तारिक : अध्यक्ष महोदय, मैं वजीर इभलात व नशरियात का बेहद मश्कूर हूं शायद उन की भी आखिरी तकरीर है, उन्होंने किस खुलूस और किस हमदर्दी से जवाब दिया है और

इसके लिये मैं उन को मुबारकबाद देता हूं। मुझे उम्मीद है कि इस इंडस्ट्री को जिन्दा रखने के लिये वह किसी न किसी तरह इस हाउस में वापस आ कर इस की खिदमत करेंगे और इस इंडस्ट्री की मदद करेंगे ।

जहां तक इस चीज का ताल्लुक है कि उन्होंने यह फरमाया है कि इस में एक कमेटी बनाने की बेहद जरूरत है, मैं उन का निहायत मश्कूर हूं, और मुझे उम्मीद है कि वह हुकूमत पर जोर डालेंगे कि इस कमेटी का जल्द से जल्द फैसला किया जाये। जो दौलत की बात कही है, वह खुद जानते हैं कि बहुत से लोग सिर्फ इस लिये कि उन के पास पैसा है, और ब्लैक का पैसा है, वे उस पैसे को इंडस्ट्री में लगा कर लाखों रुपये कमाते हैं। दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं और उन की तादाद बहुत ज्यादा है, जो ८ आना भी नहीं कमा पाते हैं, और जब वह ८ आ० का रोजगार करते हैं तो उन्हें कई महीने उस ८ आ० को वसूल करने में लग जाते हैं। इस लिहाज से जब हम इस इंडस्ट्री के लिये समझते हैं कि बनने वाले हिन्दुस्तान में उस का बहुत बड़ा हिस्सा होगा, तो मैं समझता हूं कि यह जरूरी है कि उस में काम करने वाले आदमी निहायत सेहतमन्द हों जिस्मानी तौर पर और जहनी तौर पर ।

इन चन्द अल्फाज के साथ उस हमदर्दाना ऐश्योरेन्स पर जो वजीर साहब ने इस हाउस में दिया है, मैं इस रेजोल्यूशन को आप की इजाजत से वापस लेता हूं ।

संकल्प सभा की अनुमति से वापस ले लिया गया ।

पिछड़ेपन की कसौटी के बारे में संकल्प

†**श्री हेम राज** (कांगड़ा) : मैं निम्न संकल्प प्रस्तुत करता हूं :

> "यह सभा सरकार से सिफारिश करती है कि पिछड़ेपन की कसौटी जाति, धर्म और सम्प्रदाय की बजाय, आय के आधार पर निर्धारित करने के लिये शीघ्र कदम उठाये जायें और पिछड़े वर्गों को जाति धर्म और सम्प्रदाय के आधार पर दिये गये सब विशेषाधिकार वापस ले लिये जायें।"

जो रेजोल्यूशन मैंने माननीय सदन के सामने रक्खा है उस की मंशा यह बतलाने की है कि जिस वक्त से बैकवर्ड क्लासेज कमिशन बना और उसने जो अपनी रिपोर्ट पेश की थी, अगर्चे वह हाउस में पेश नहीं की गई, लेकिन उन्होंने जो क्राइटीरिया रक्खा था वह जाति पांत का था। उस का नतीजा यह हुआ कि जाति पांत की बिना पर हर एक शख्स ने यह कोशिश की, हर एक जाति ने कोशिश की, कि उस को बैकवर्ड करार दे दिया जाये। यहां पर भी जिस समय सदन के सामने कई सवाल और जवाब हुए उस वक्त मैसूर का खास तौर पर जिक्र किया गया था कि वहां पर ९० परसेन्ट शख्स हैं जिन्होंने अपने को बैकवर्ड क्लासेज़ में शुमार करने के लिये कहा था। इस का नतीजा यह हुआ था कि बहुत से ऊंचे क्लास के लोग जिन की आमदनी काफी से ज्यादा थी, उन्होंने भी अपने आप को बैकवर्ड क्लासेज़ में रखने के लिये कहा क्योंकि वहां कुछ प्रिविलेजज मिलते थे। आज यह हालत है। आज हमारे यहां बहुत सी कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जिनके अश्खास की आमदनी हजारों रुपये है लेकिन जाति पांत की बिना पर वह आगे आते हैं और कहते हैं कि चूंकि वह बैकवर्ड कम्यूनिटी के हैं इसलिय बैकवर्ड क्लासेज़ को जो कुछ कंसेशन्स मिलते हैं वे उन को भी मिलने चाहियें। चूंकि आज कल बैकवर्ड क्लासेज के आदमियों को कुछ कंसेशन्स

---

†मूल अंग्रेजी में ।

मिलते हैं जो कि फीस के हैं, वजायफ के हैं, नौकरियों के हैं, और चीजों के हैं, इसलिये हर एक कम्युनिटी इस कोशिश में है कि उस को बैकवर्ड कम्यूनिटी में आने का मौका मिल जाये ताकि वह कहीं न कहीं आला नौकरियों में आ जायें या उनको कुछ स्कालरशिप्स ज्यादा मिल जायें, हालांकि उनकी आमदनी बहुत ज्यादा है। इससे बात यह होती है कि जहां हम देश में कास्टलेस और क्रीडलेस सोसाइटी पैदा करना चाहते हैं वहां बजाय उस के हम उसूली तौर पर और अमली तौर पर दूसरी तरफ बढ़ रहे हैं।

यहां पर कास्टलैस और क्रीड लैस सोसाइटी के बजाए जाति पांत बढ रही है। और अभी हाल के इलेक्शनों में हमने इसको देख लिया।

सन् १९४७ में हालत ये थी कि हम उस वक्त नैशनलिज्म के नाम पर इलेक्शन लड़ते थे। सन् १९५१ में हमारी हालत यह हो गयी कि जाति पांत के बन्धन में आ गए और जो जीत का स्लोगन उठता था वह यह होता था कि जाति पांत की बिना पर जीतना है। सन् १९५७ के चुनाव में चूंकि कुछ लोगों को कुछ सहूलियतें मिली हुई थीं इसलिए और भी ज्यादा जाति पांत बढ़ी और बढ़ती चली गयी। उसके बाद आप आज के इलैक्शन देखें। इनमें तो जाति पांत की बिना पर ही सारी चीज चलायी गयी। हर रोज जात पांति बढने की तरफ है, कम नहीं हो रही है।

मैं आपके सामने तह तस्वीर रखना चाहता हूं कि जो तरीका हमने अख्तियार किया हुआ है उससे जाति पांत बढ रही है। यह बन्द होना चाहिए। आज मैं पंजाब का उदाहरण आप के सामने रखना चाहता हूं। पंजाब में बहुत सारी जातियां हैं।

एक माननीय सदस्य : श्रीमान पांच बज चुके हैं (अन्तर्बाधा)।

श्री हेम राज : यदि मैं निर्वाचित हो गया तो अगली लोक-सभा में इस संकलप पर बोलूगा।

श्री साधन गुप्त (कलकत्ता) : परन्तु यह पगत हो जायेगा।

विदाई भाषण

अध्यक्ष महोदय : मुझे यह देख कर अत्यन्त प्रसन्नता है कि आज सदन के प्रायः सभी सदस्य उपस्थित हैं। आज दूसरी लोक सभा की बैठक का अन्तिम दिन है। सभा की कार्यवाही आज सम्पन्न हो गई। लोक सभा अनिश्चित काल तक स्थगित होने के पहले मैं सदस्यों के प्रति साभार धन्यवाद व्यक्त करता हूं। इन सब वर्षों में अमरसता की भावना के साथ काम करने में सदस्यों ने पूर्ण सहयोग प्रदान किया है।

विशेष रूप से मैं सदन के नेता को धन्यवाद देता हूं। उनकी मेरे प्रति सदा ही सौहार्दपूर्ण सद्भावना रही है। संसदीय प्रजातंत्र, संसदीय प्रक्रिया और परम्पराओं के प्रति सदन के नेता की सम्मानजनक भावना से हम सबको शक्ति मिली है। वह आज के युग की महानतम नहीं तो भी महान विभूतियों में से एक हैं। यह हमारा और हमारे देश का और संसद् का सौभाग्य है कि देश का नेतृत्व उनके सुयोग्य हाथों में है।

विरोधी दलों के नेता और सभा के दोनों पार्श्व में बैठने वाले सब सदस्यों का भी मैं समान रूप से कृतज्ञ हूं। दूसरी लोक सभा के सफलतापूर्वक कार्य-संचालन में इन सभी सदस्यों का महत्वपूर्ण

---

†मूल अंग्रेजी में।

योग रहा है। यह खेद का विषय है कि विभिन्न विरोधी दलों के अधिकतर नेता अनुपस्थित हैं और अगली संसद् में भी अनुपस्थित रहेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, सभापति के रूप में कार्य करने वाले सदस्यों, विभिन्न समितियों के सभापति और लोक सभा के पदाधिकारियों के प्रति भी मैं धन्यवाद अभिव्यक्त करता हूं। इन सबने अत्यन्त समरूप और निश्चल भाव से मेरे कार्य में सहयोग प्रदान कर प्रजातंत्र के विकास में अभिवृद्धि की है।

हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति भी एक अनूठे ढंग से हुई है। हमने रक्त की एक बूंद भी न बहा कर एक सशक्त सम्राज्य से देश को मुक्त किया है। देश के विचित्र वर्गों में एकता स्थापित कर हमने इस अभीष्ट की सिद्धि की है।

यह दुर्भाग्य है कि देश में यत्रतत्र विघटनकारी प्रवृतियां अवतीर्ण हो रही हैं। अतः आज के युग की सबसे बड़ी आवश्यकता भावनात्मक तथा अन्य प्रकार का एकीकरण है।

स्वातंत्र्य युद्ध में हमारी सफलता के अनुकरण से एशिया और अफ्रिका के दूसरे देशों ने भी स्वतंत्रता का आलिंगन किया है। स्वतंत्रता संग्राम के सदृश ही प्रजातन्त्र के प्रयोग का भी हमारे देश में अतुलनीय प्रयोग किया जा रहा है।

हमने ब्रिटन की संसदीय प्रणाली स्वीकार की है और इसका आधार संघीय शैली है। राज्यों और केन्द्र में अनेक संघर्ष उत्पन्न हो सकते हैं। इस संसद् में हमने अनेक संघर्षों का समाधान किया है और राज्यों को इस प्रकार स्वायतशासी बना कर संवर्द्धन में सहयोग दिया है कि केन्द्र भी शक्तिसम्पन्न बना रहे।

संविधान के निर्वहन और संरक्षण में संसद् सदा जागरूक रहा है। यथा-समय राज्यों का कार्य भार संसद् ने वहन किया है किन्तु सदैव इस प्रकार की स्थिति से बचने की प्रवृत्ति ही प्रधान रही है। जब भी किसी परिस्थितिवश संवैधानिक व्यवस्था भंग होने का संकट उत्पन्न हुआ, संसद् ने उसका सावधानी से सामना कर अध्यक्ष द्वारा नियुक्त संसद् सदस्यों की समिति को यह काम सौंपा और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति के लिये उपाय किये गये। संसद् की निरीक्षणकारी क्षेत्राधिकार का प्रयोग सतर्कतापूर्वक किया गया और राज्यों की स्वायत्त-शासिता में कभी हस्तक्षेप करने का अवसर उत्पन्न नहीं होने दिया।

प्रजातन्त्र की भावना को मुखरित करने के लिय पंचायत राज के माध्यम से सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया गया। हमें यह देख कर प्रसन्नता है कि पंचायत समितियों और जिला परिषदों में संसदीय प्रथाएं और प्रक्रियाएं अपनायी जा रही हैं।

देश में तीन आम चुनाव सफलता पूर्वक सम्पन्न हुए। मतादाताओं की संख्या क्रमशः बढ़ती जा रही है। विगत आम चुनावों में लगभग २१ करोड़ मतदाता थे जिनमें ६० से ७० प्रतिशत तक व्यक्तियों ने मतदान में भाग लिया और इनमें एक भी अप्रिय घटना नहीं घटी। चुनावों ने यह बात प्रकट कर दी है कि संसद् वस्तुतः प्रतिनिधि संस्था है जिसमें सब विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व है।

द्वितीय लोक सभा के सदस्यों में सबसे कम आयु वाले सदस्य २५ वर्ष के थे और सबसे अधिक आयु वाले ७३ वर्ष के और सदस्य की औसत आयु ४६ वर्ष थी। नये सदस्यों की संख्या २६३ है और औसत आयु ४२ वर्ष बैठती है। द्वितीय लोक सभा में वकीलों की संख्या कुल संख्या का ३०

प्रतिशत, किसानों की संख्या २९ प्रतिशत, व्यापारियों एवं उद्योगपतियों की संख्या १० प्रतिशत और अध्यापकों की संख्या ११ प्रतिशत थी। इस प्रकार नये और पुरानों का मिश्रण अच्छा था और नवयुवकों के तेज और पुरानों के अनुभव का अच्छा मिश्रण था।

इस दौरान में हमने ३२५ सरकारी विधेयक पास किये। ७० गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर चर्चा की। जहां तक कृषि क्षेत्र की बात है द्वितीय लोक सभा ने महत्वपूर्ण विधेयक दिल्ली भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम पारित किया है और सामाजिक क्षेत्र में दहेज विरोधी अधिनियम पारित किया है। संसद् के इतिहास में पहली बार दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक हुई और यह बैठक दहेज विरोधी विधेयक पर हुई थी।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषयों पर सदस्यों ने बहुत रुचि दिखाई जिनका सम्बन्ध सरकारी कार्यवाहियों से था और सदस्यों ने बहुत से प्रश्न भी किये। इस दौरान में ६३,६४१ प्रश्न पूछे गये और १०७ विषयों के सम्बन्ध में आधे घंटे की चर्चा हुई। मैं उन सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने लोक तंत्र की जड़ मजबूत करने में सहायता दी है और हमारे सामने एक आदर्श उपस्थित किया है ताकि दूसरे लोग भी इस आदर्श की नकल कर सकें। रामलीला प्रांगण में भाषण करते हुए प्रेजीडेण्ट आइजनहावर ने कहा था कि हमारा लोक तंत्र प्रथम श्रेणी का है और अमरीका का स्थान भी इसके बाद आता है। फिर भी हमें बड़ी सावधानी के साथ लोकतंत्र का निर्वाह करना है क्योंकि एशिया तथा यूरोप के कुछ राज्यों में लोकतंत्र को धक्का पहुंचा है।

पिछले पांच वर्षों में मैंने संसद की शक्ति एवं उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाने का निरन्तर प्रयास किया है, और जनता की इच्छा प्रकट करने वाले साधनों में उच्चतम साधन बनाया है। मुझे पूर्ण आशा है कि आगामी वर्षों में भी हमारी संसद् एक ऐसा आदर्श बनेगी जिसका अनुकरण न केवल अपने देश में ही किया जायेगा बल्कि विश्व में भी किया जायेगा।

यह भी गौरव की बात है कि भारत की सीमा में गोआ भी मिल गया है।

जहां तक आर्थिक क्षेत्र की बात है द्वितीय पंचवर्षीय योजना सफलतापूर्वक समाप्त हो गई और तृतीय योजना में हमने पदार्पण कर दिया है। आशा है कि तीसरी योजना भी सफलतापूर्वक समाप्त होगी और प्रत्येक सदस्य अपना अंशदान भी करेगा और देश की आर्थिक समृद्धि बढ़ाने में सहायता करेगा।

शांतिपूर्ण उपायों से स्वतन्त्रता पाने के साथ ही साथ हमने राजा और महाराजाओं की समस्या को भी शांति से हल कर लिया है। जमींदारी व्यवस्था को भी शांति से समाप्त किया है और समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना करने की बात को भी शान्ति से शुरू कर दिया है। हमारा उद्देश्य विश्व को शांति का संदेश पहुंचाना है। मेरी इच्छा है कि संसद् की कार्यवाही बड़े ही मान और गौरव के साथ एवं शान्ति के साथ सम्पन्न हो। यही एक ऐसी बात है जो हम विश्व को दे सकते हैं।

अंत में मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आपने द्वितीय लोक सभा को सफल बनाने में एवं उसे जनहित का कार्य करने में मेरे साथ सहयोग किया है।

†**प्रधान मंत्री तथा सभा के नेता (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: आपने जो कुछ कहा है उसके लिये मैं सभी की ओर से आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और

---

†मूल अंग्रेजी में

अहम बात है। आप कई वर्षों से यहां के अध्यक्ष हैं और हम इस बात के आदी हो गये हैं कि जैसे ही अध्यक्ष शब्द का सम्बोधन किया जाता है तो आपकी मूर्ति सामने आ जाती है। और सदैव ही आती रहेगी भले ही कोई दूसरा व्यक्ति इस स्थान पर आये या न आये।

आप इस सभा के अध्यक्ष उस महत्वपूर्ण समय में रहे जो संसद के निर्माण का था। हमने आप से बहुत कुछ सीखा है आपने जो कुछ निर्णय दिया कभी-कभी उसको अपवाद स्वरूप भी ग्रहण किया है।

आपने जैसा कि अभी कहा है कि लोकतंत्र का अपना एक विशेष उद्देश्य है। लोकतंत्र का अभिप्राय यही नहीं है कि २१०० लाख लोग मतदान ही करें। लोकतंत्र का अभिप्राय अन्ततोगत्वा यह है कि लोग किस प्रकार रहते हैं। परिस्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया क्या रहती है, सोचने की गति क्या है और जिन चीजों को हम नहीं चाहते हैं उनका निराकरण भी किस प्रकार करते हैं। कुल मिलाकर हमने अच्छा कार्य किया है। हमने गलतियां भी कुछ की हैं। लेकिन फिर भी यह सराहनीय बात है कि जब हम आये दिन यह पढ़ते रहते हैं कि अमुक देश में सैनिक शासन हो गया, तो हमें आश्चर्य होता है कि हम किस प्रकार अपने यहां सामान्य गति से चल रहे हैं।

हम यहां ग्यारह बजे एकत्रित होते हैं आपके आगमन की सूचना पाकर हम आपके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिये खड़े हो जाते हैं। आते ही आप प्रश्नकाल प्रारंभ कर देते हैं और परम्पराओं का पालन शुरू हो जाता है। एक प्रक्रिया के दुहराने में, परम्पराओं के दुहराने में भी कुछ न कुछ बना रहता है। पता चलता है कि इसमें कुछ स्थिरता है। इस प्रकार हमने कार्य किया है और करते भी रहेंगे।

इस प्रकार की परम्पराएं आपने तथा आपके भूतपूर्व अध्यक्ष श्री मावलंकर ने स्थापित की थीं। अत : हम आपके बहुत आभारी हैं। यह आपका आज अन्तिम दिन है। ऐसे समय पर विदाई के कुछ शब्द कहना बड़ा कठिन हो जाता है। विदाई तो नहीं कहनी चाहिये क्योंकि भले ही आप कितने ही ऊंचे पद पर पहुंच जायें आप सदैव ही हमारे निकट बने रहेंगे। आप सदैव ही वह कार्य करते रहेंगे जो कि आपने अब तक किया है। यह निश्चय है कि अब आप इस पद पर नहीं रहेंगे। कभी कभी हमने आपकी आलोचना भी की है लेकिन हम जानते हैं कि आपने जो कुछ भी किया वह सद्भावना एवं मित्रता के नाते ही किया। आपका ध्येय किसी को हानि पहुंचाना नहीं था। जब कभी हम अध्यक्षों के बारे में चर्चा करेंगे तो आपका नाम प्रथम श्रेणी में आयेगा। अत : इस समय हम आपको धन्यवाद दे सकते हैं। आपने संसद के अध्यक्ष के नाते जो भी किया उसके लिये हम आपको वधाई देते हैं। और आशा करते हैं कि भविष्य में भी आप अपने लक्ष्य की पूर्ति करते रहेंगे। और आपके उत्तराधिकारी भले ही वह कोई क्यों न हों आपकी परम्पराओं को अपनायेंगे। मैं सभा की ओर से यह सत् कामना करता हूं कि आप देश की सेवा करने के लिये दीर्घायु हों और सदैव ही हमारे साथ सहयोग करते रहें। आपने हमारी कुछ सफलताओं की ओर संकेत किया है निश्चय ही हमने कुछ महान कार्य अपने हाथ में लिये हैं। हमारा उद्देश्य सदैव ही बढ़िया काम करना रहा है। हो सकता है कि जैसा काम हम करना चाहते थे वैसा न कर सके हों लेकिन कुछ न कुछ अच्छा अवश्य किया है। और उस पर हमें गौरव है। हमारे साथ आपकी सद्भावनायें सदैव ही बनी रहेंगी ऐसी मेरी आशा है।

मैंने जो कुछ कहा है वह सीधे साधे शब्दों में कह दिया है, किन्तु आशा करता हूं कि यह शब्द मेरी भावनाओं और दिली इच्छाओं को प्रकट करने वाले हैं। ये शब्द मेरे ही नहीं अपितु उन सब के हैं जो यहां उपस्थित हैं।

आशा है कि आप कितने ही ऊंचे पद पर क्यों न पहुंच जायें लोगों को सदैव ही अच्छे काम के लिये प्रेरणा देते रहेंगे ।

जीवन में यह आना जाना तो लगा ही रहता है लेकिन काम कोई नहीं रुकता । देश और संसद् सदैव ही चलते रहते हैं । लेकिन व्यक्तियों का भी अपना योग दान हुआ करता है ।

लेकिन इतना सत्य है कि हमारे बाद जो भी लोग यहां आयेंगे वे नित्य ही इन आदि युगों का स्मरण करेंगे और विशेष रूप से आपको जिन्होंने कि हमारा सदैव ही पथप्रदर्शन किया ।

†अध्यक्ष महोदय : अब सभा अनिश्चित काल के लिये स्थगित होती है ।

इसके पश्चात् लोक सभा अनिश्चित काल के लिये स्थगित हुई ।

दैनिक संक्षेपिका

शुक्रवार, ३० मार्च, १९६२

---

९ चैत्र, १८८४ (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	. . .	१०९९–११२८
तारांकित प्रश्न-संख्या		
३०१	राष्ट्रमंडलीय नागरिकों के आप्रव्रजन संबंधी ब्रिटिश कानून	१०९९–११०२
३०२	गोआ कार्यवाही का विदेशी सहायता पर प्रभाव	११०२–०३
३०४	वस्तु-विनिमय	११०३–०४
३०५	संयुक्त उपक्रमों में विदेशी पूंजी	११०५–०७
३०६	निर्यात नियमों को सरल बनाना .	११०७–०८
३०७	मरमागाओं बन्दरगाह	११०८–१०
३०८	केरल में तकुओं का आवंटन	१११०–१२
३०९	मद्रास में १०० पलंगों वाला अस्पताल	१११२
३१०	मजूरी बोर्ड	१११२–१४
३११	बरेली (उत्तर प्रदेश) में कृत्रिम रबड़ तैयार करने वाला कारखाना . .	१११४–१५
३१२-क	भारत तथा चीन के प्रधान मंत्रियों की भेंट	१११६
३१३	चाय की खपत तथा निर्यात	१११७–१८
३१४	दिल्ली में झुग्गियां	१११८–२१
३१५	कोठागुडियम में रक्षा केन्द्र	११२१
३१५-क	केरल भूमि सुधार अधिनियम	११२१–२२
अल्प सूचना प्रश्न-संख्या		
४	खेती के ट्रेक्टरों का निर्माण	११२३–२४
५	दिल्ली के लिये मास्टर प्लान	११२४–२६
६	रूरकेला इस्पात संयंत्र	११२६–२८

प्रश्नों के लिखित उत्तर . २१२८–४०

तारांकित
प्रश्न संख्या

३०० गोआ में लोहे का निक्षेप . ११२८–२९
३०३ त्रिपुरा में बेरोजगारी तथा अल्प रोजगार ११२९
३१२ गोआ में खनिज . . ११२९
३१६ उत्तर प्रदेश में उर्वरक का कारखाना ११२९
३१७ इंगलिस्तान को चाय का निर्यात ११२९–३०
३१८ जम्मू तथा काश्मीर में पाकिस्तान के जासूस ११३०
३१९ दिल्ली में कपड़ा उद्योग तथा दिल्ली परिवहन उपक्रम ११३०
३२० बोनस की मजूरी मानना . . ११३१
३२१ पाकिस्तान से आई सुरक्षित निक्षेप पेटियों और लॉकरों का टूटना ११३१

अतारांकित
प्रश्न-संख्या

४९७ संयुक्त राष्ट्रसंघ के लिये भारतीय सदस्यता अंशदान ११३२
४९८ लड़कों का अपहरण ११३२
४९९ भारत-संयुक्त अरब-गणराज्य आणविक अनुसंधान कार्यक्रम का समन्वय . ११३३
५०० फिनलैंड का व्यापार शिष्ट मंडल ११३३
५०१ भूमि सुधार ११३३
५०२ नये उद्योग आरम्भ करने के लिये लाइसेंस ११३३–३४
५०३ पिछड़े हुए वर्ग . . ११३४
५०४ उड़ीसा के ग्राम्य क्षेत्रों में दिये गये रेडियो सेट ११३४
५०५ पुरानी राजेन्द्रनगर बस्ती, नई दिल्ली . ११३५
५०६ दिल्ली नगर निगम को अनुदान . . ११३५
५०७ बर्मा में सरकार का तख्ता उलट जाना ११३५–३६
५०८ सरोजिनी नगर क्लर्क क्लब बिल्डिंग, नई दिल्ली ११३६
५०९ शरणार्थियों के ऋणों का अपलेखन . ११३६
५१० दण्डकारण्य . . ११३७
५११ कोयला खानों में जल सम्भरण . ११३७–११३८
५१२ केरल की योजनाओं के लिए आवंटन ११३८

५१३	केरल में भूमि की माध्यमिक पद्धति	११३८
५१४	कोयला खानों के प्रबंधकों पर अभियोग	११३९
५१५	नेफा की सियांग नदी पर "हैंगिंग ब्रिज"	११३९
५१६	सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवनी	११३९
५१७	गाजियाबाद का विकास	११३९–४०
५१८	किदवई नगर, नई दिल्ली का कम्यूनिटी हाल	११४०
५१९	कलकत्ता चाय नीलाम बाजार मे बेची गई पेटियां	११४०
५२०	महात्मा गांधी मेमोरियल हस्पताल, बम्बई	११४०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना ११४१–४२

श्री हरिश्चन्द्र माथुर ने गोआ के प्रशासन की कथित त्रुटियों और वहां बेरोजगारी की ओर प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाया।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरु) ने उस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया।

सम्बन्धित सदस्यों के नामों के सामने बतायी गयी निम्नलिखित तीन अन्य ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के उत्तर में सम्बन्धित मंत्रियों ने वक्तव्य टेबल पर रखे :—

(१)	श्री नाथ पाई	बोनस कमीशन के सदस्यों की निर्वाचकों का आदेश प्राप्त करने में असफलता को देखते हुए बोनस कमीशन के पुनर्गठन की आवश्यकता।
(२)	श्री इन्द्र जे० मल्होत्रा	देश के विभिन्न भागों में हाल के टिड्डी दलों के आक्रमण से उत्पन्न स्थिति।
(३)	श्री हेम बरूआ	असम के तेल क्षेत्रों में डिगबोई, दुलियाजान और नहरकटिया के स्थानों पर लगभग ४,५०० श्रमिकों की कथित हड़ताल।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ११४२–४४

(एक) दक्षिण भारत में मजूरी में अन्तरिम वृद्धि करने के लिए चाय बागान उद्योग के केन्द्रीय मजूरी बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों पर दिनांक

३० मार्च, १९६२ का सरकारी संकल्प संख्या डब्ल्यू बी—३ (३३)/६१/१ ।

(दो) मजूरी में अन्तरिम वृद्धि देने के लिये रबड़ बागान उद्योग के केन्द्रीय मजूरी बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों पर दिनांक ३० मार्च, १९६२ का सरकारी संकल्प संख्या डब्ल्यू बी—३(३३)/६१/२ ।

(२) दूसरी लोक सभा के विभिन्न सत्रों में मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही बताने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति :—

(एक) विवरण संख्या १ सोलहवां सत्र, १९६२

(दो) अनुपूरक विवरण संख्या २ पन्द्रहवां सत्र, १९६२

(तीन) अनुपूरक विवरण संख्या ५ चौहदवां सत्र, १९६१

(चार) अनुपूरक विवरण संख्या १२ . तेरहवां सत्र, १९६१

(पांच) अनुपूरक विवरण संख्या १३ . बारहवां सत्र, १९६०

(छै) अनुपूरक विवरण संख्या ग्यारहवां सत्र, १९६० संख्या १६

(सात) अनुपूरक विवरण संख्या २१ . दसवां सत्र, १९६०

(आठ) अनुपूरक विवरण संख्या २१ . नवां सत्र, १९५८

(नौ) अनुपूरक विवरण संख्या २२ . आठवां सत्र, १९५९

(दस) अनुपूरक विवरण संख्या २८ . सातवां सत्र, १९५९

(ग्यारहा) अनुपूरक विवरण संख्या ३५ दूसरा सत्र, १९५७

(३) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) कहवा अधिनियम, १९४२ की धारा ४१ की उप धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २४ मार्च, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ३५८ में प्रकाशित कहवा (संशोधन) नियम, १९६२ ।

(दो) उक्त अधिनियम, की धारा ६३८ के अन्तर्गत ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये समवाय अधिनियम १९५६ के कार्य तथा उसको लागू करने के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन ।

(तीन) वर्ष १९५८–५९ के लिये चाय बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(४) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, अधिनियम, १९५६ की धारा २६ की उपधारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २४ मार्च, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ३५४ में प्रकाशित खादी तथा ग्राद्यामोग आयोग (दूसरा संशोधन) नियम, १९६२ की एक प्रति ।

(५) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) जून, १९६१ में जनेवा में हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के पेंतालीसवें-सत्र में स्वीकृत सिफारिश और अभिसमय का पाठ ।

(दो) उक्त अभिसमय और सिफारिश पर सरकार द्वारा की गयी अथवा की जाने वाली कार्यवाही बताने वाला विवरण ।

(६) ८ मार्च, १९६२ को अपर भन्दरा कोयला खदान में हुई दुर्घटना के बारे में खानों के मुख्य निरीक्षक की रिपोर्ट की एक प्रति ।

प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित कार्यवाही सारांश टेबल पर रखे गये ११४४–४५

(१) निम्नलिखित के बारे में प्राक्कलन समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांशों की एक एक प्रति :—

(एक) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के बारे में १५८वां, १५९वां, और १६०वां प्रतिवेदन ।

(दो) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय—वस्त्र आयुक्त का कार्यलय के बारे में १६२वां, १६३वां, १६४,वां, १६५वां, और १६६वां प्रतिवेदन

(तीन) परिवहन तथा संचार मंत्रालय (संचार तथा असैनिक उड्डयन विभाग) —भारतीय ऋतु विज्ञान विभाग और प्रक्रिया सम्बन्धी तथा विषयों के बारे में एक सौ अड़सठवीं रिपोर्ट ।

(२) प्राक्कलन समिति की सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी उप-समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य सारांश की एक प्रति और निम्नलिखित के बारे में प्राक्कलन समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश ।

(एक) रबड़ बोर्ड नारियल जटा बोर्ड, नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नेशनल मिनरल डेवलेपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नेपा मिल्ज लिमिटेड और अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड और इण्यिन हैण्डी-क्राफ्टस डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के बारे में १४८वीं, १५४वीं, १५६वीं, १५७वी और १६१वीं, रिपोर्ट ।

(दो) खादी तथा ग्रामोद्योग के बारे में १६वीं रिपोर्ट ।

राज्य सभा से सन्देश ११४५–४६

सचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना दी :

राज्य सभा को लोक-सभा से निम्नलिखित विधेयकों के सम्बन्ध में कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

(१) विनियोग (रेलवे) विधेयक, १९६२ २० मार्च, १९६२ की लोक-सभा द्वारा पास किये गये ।

(दो) कि २४ मार्च, १९६२ को लोक सभा द्वारा पास किये गये विनियोग (लेखानुदान), १९६२ के बारे में राज्य सभा को लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

(तीन) कि १९ मार्च, १९६२ को लोक-सभा द्वारा पास किये गये संघ उत्पादन शुल्क (वितरण) विधेयक, १९६२ ।

कि राज्य सभा निम्नलिखित विधेयकों के सम्बन्ध में बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।

(१) १९६२ को लोक-सभा द्वारा पास किये गये भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक, १९६२ से ।

(२) १३ मार्च, १९६२ को लोक सभा द्वारा पास किये गये गोदी श्रमिक (रोजगार का विनियमन) संशोधन विधेयक, १९६२ ।

(३) २० मार्च, १९६२ को लोक-सभा द्वारा पास किये गये अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) संशोधन विधेयक १९६२ ।

(४) १९ मार्च, १९६२ को लोक सभा द्वारा पास किये गये सम्पदा शुल्क (वितरण) बिल, १९६२ ।

मंत्री द्वारा वक्तव्य ११४६

योजना तथा श्रम और रोजगार उपमंत्री (श्री ल० न० मिश्र) ने लौह अयस्क खान श्रमिक कल्याण उपकर बिल, १९६१ पर वाद-विवाद के दौरान ८ दिसम्बर, १९६१ को उनके द्वारा दी गई जानकारी शुद्ध करने के लिये एक वक्तव्य दिया।

विधेयक पारित ११४६–७४

हिन्दी साहित्य सम्मेलन विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंड-वार विचार के पश्चात् विधेयक पारित किया गया ।

गैर-सरकारी सदस्यों का संकल्प–अस्वीकृत . . ११७४–७७

श्री दी० चं० शर्मा द्वारा ९–३–६२ को प्रस्तुत विश्वविद्यालय द्वारा अनिवार्य समाज सेवा के बारे में संकल्प पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई । संकल्प अस्वीकृत हुआ ।

गैर-सरकारी सदस्यों का संकल्प-वापस लिया गया . . . ११७७–१२०१

(१) श्री विभूति मिश्र ने भवनों और स्कूलों के नामकरण के बारे में संकल्प प्रस्तुत किया । उन्होंने वाद-विवाद का उत्तर दिया । संकल्प सभा की अनुमति से वापस ले लिया गया ।

(२) श्री स० मो० बनर्जी ने राष्ट्रीय एकता के बारे में संकल्प प्रस्तुत किया उन्होंने वाद-विवाद का उत्तर दिया संकल्प सभा की अनुमति से वापस ले लिया गया ।

(३) श्री अ० मु० तारिक ने फिल्म उद्योग के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प प्रस्तुत किया । उन्होंने वाद-विवाद का उत्तर दिया । संकल्प सभा की अनुमति से वापस ले लिया गया ।

गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प विचाराधीन १२०१–०२

श्री हेम राज ने पिछड़ेपन की कसौटी के बारे में संकल्प प्रस्तुत किया । चर्चा समाप्त नहीं हुई।

अध्यक्ष महोदय द्वारा अभिभाषण १२०२–०६

अध्यक्ष महोदय (श्री म० अ० अय्यंगार) ने लोक-सभा के सदस्यों के सामने भाषण दिया और उनके सहयोग और सद्भावना के लिये उन्हें हार्दिक धन्यवाद दिया । प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू ने संसद् सदस्यों की ओर से अध्यक्ष को धन्यवाद दिया ।

लोक-सभा अनिश्चित काल के लिये स्थगित हुई ।

दूसरी लोक-सभा के सोलहवें सत्र की कार्यवाही का संक्षेप

१. सत्र की अवधि	१२ से ३० मार्च १९६२/ २१ फाल्गुन १८८३ से ९ चैत्र १८८४ (शक)
२. बैठकों की संख्या .	१४
३. बैठकों के कुल घंटों की संख्या	७८. ३४ घंटे
४. मतविभाजनों की संख्या	४
५. सरकारी विधेयक—	
(१) सत्र के आरम्भ में विचाराधीन .	१२
(२) पुरस्थापित किये गये	११
(३) राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखे गये	१
(४) पारित किये गये . . .	१८
(५) राज्य सभा द्वारा संशोधन सहित लौटाये गये	कोई नहीं
(६) राज्य सभा द्वारा बिना सिफारिश के लौटाये गये	६
(७) सत्र की समाप्ति पर विचाराधीन	६
६. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक	
(१) सत्र के आरम्भ में विचाराधीन	१३०
(२) पुरस्थापित किये गये .	कोई नहीं
(३) जिन पर चर्चा हुई	२
(४) वापस लिये गये	२
(५) पारित किया गया . . .	कोई नहीं
(६) सत्र की समाप्ति पर विचाराधीन .	१२८

७. नियम १९७ के अन्तर्गत दिये गये वक्तव्य

(अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना)

(१) पूर्व सूचनायें प्राप्त हुईं . ३७

(२) मंत्रियों द्वारा दिये गये वक्तव्य . ८

८. नियम १९३ के अन्तर्गत की गई चर्चायें

(अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय)

(१) पूर्व सूचनायें प्राप्त हुईं १

(२) जिन पर चर्चा हुई कोई नहीं

९. आधे घंटे की चर्चायें . कोई नहीं

१०. सरकारी संकल्प

(१) प्रस्तुत किये गये कोई नहीं

(२) स्वीकृत . कोई नहीं

११. गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प

(१) प्राप्त हुईं . १८६

(२) गृहीत किये गये १५०

(३) जिन पर चर्चा हुई ६ (जिनमें से एक पर अंशतः चर्चा (हुई)

(४) अस्वीकृत हुए १

(५) वापस लिये गये ४

(६) स्वीकृत . . कोई नहीं

(७) जिन पर अंशतः चर्चा हुई १

१२. सरकारी प्रस्ताव

(१) प्रस्तुत किये गये . कोई नहीं

(२) स्वीकृत . कोई नहीं

१३. गैर-सरकारी सदस्यों के प्रस्ताव

(१) प्राप्त हुए . . ५३

(२) गृहीत किये गये . ४२

(३) प्रस्तुत किये गये १

(४) स्वीकृत . १

१४. संविहित नियमों में रूप भेद करने के बारे में प्रस्ताव

(१) प्राप्त हुए . . कोई नहीं

(२) गृहीत किये गये . कोई नहीं

(३) प्रस्तुत किये गये . कोई नहीं

१५. स्थगन प्रस्ताव

(१) प्राप्त हुए . . ३३

(२) गृहीत किये गये . कोई नहीं

(३) सदन में लाये गये . . १२

१६. पूछे गये प्रश्न

(१) तारांकित ३२४

(२) अतारांकित (उन तारांकित प्रश्नों समेत जिन्हें अतारांकित बना दिया गया) ५१३

(३) अल्प सूचना प्रश्न . . . ६

१७. संसदीय समितियों के प्रतिवेदन उपस्थापित

(१) कार्य-मंत्रणा समिति . . २

(२) सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति १

(३) लोक लेखा समिति ४

(४) लाभ पदों संबंधी संयुक्त समिति . २

(५) याचिका समिति १

(६) प्राक्कलन समिति २०

	पृष्ठ
श्री जगदीश अवस्थी . . .	११६४–६६
श्री रामजी वर्मा	११६६—६८
श्री म० रं० कृष्ण .	११६८–६९
श्री रघुनाथ सिंह	११६९–७०
डा० का० ला० श्रीमाली .	११७०—७२
खंड २ से १९ और १ . .	११७२—७४
पारित करने का प्रस्ताव	११७४
डा० का० ला० श्रीमाली	११७४
विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा समाज सेवा के बारे में संकल्प—अस्वीकृत	११७४—७७
डा० का० ला० श्रीमाली . . .	११७४—७७
भवनों, स्कूलों आदि के नाम के बारे में संकल्प वापस लिया गया—	११७७—८७
श्री विभूति मिश्र	११७७—८१
श्री सरजू पांडे . .	११८१—८२
श्री द्वा० ना० तिवारी .	११८२—८४
श्री दातार	११८४—८७
राष्ट्रीय एकता दिवस के बारे में संकल्प वापस लिया गया— .	११८७—९८
श्री स० मो० बनर्जी . . .	११८७—९१, ११९६—९८
श्री साधन गुप्त .	११९२
श्री जगदीश अवस्थी	११९२–९३
श्री सरजू पांडे .	११९३–९४
श्री त्यागी .	११९४–९५
श्री इन्द्रजीत गुप्त	११९५–९६
श्री दातार	११९६
चल-चित्र उद्योग के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प—वापस लिया गया—	११९८—१२०१
श्री अ० मु० तारिक . . .	११९८–९९, १२००–०१
डा० केसकर	११९९–१२००
पिछड़ेपन की कसौटी के बारे में संकल्प—	
श्री हेमराज . . .	१२०१–०२
विदाई भाषण	१२०२—०६
श्री जवाहरलाल नेहरू	१२०४—०६
दैनिक संक्षेपिका	१२०७—१३
सोलहवें सत्र का कार्यवाही संक्षेप	१२१३—१५
समेकित विषय सूची [२७ से ३० मार्च १९६२ / ६ से ९ चैत्र १८८४ (शक)]	

© १९६२ प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पाँचवाँ संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित ।